Saturday, 28 March, 1959

लोक-सभा

वाद-विवाद

(द्वितीय माला)

खण्ड २८, १९५९/१८८०–८१ (शक)

[२० मार्च से ४ अप्रैल, १९५९/२९ फाल्गुन १८८० से १४ चैत्र, १८८१ (शक)]

2nd Lok Sabha

सत्यमेव जयते

Preservation Unit
Fumigated
On
Parliament Library

सातवां सत्र १९५९/१८८०–८१ (शक)

(खण्ड २८ में अंक ३१ से ४० तक हैं)

लोक-सभा सचिवालय,
नई दिल्ली

विषय-सूची

[द्वितीय माला, खण्ड २८, अंक ३१ से ४०——२० मार्च से ४ अप्रैल, १९५९/२९ फाल्गुन १८८० से
[१४ चैत्र १८८१ (शक)]

पृष्ठ

अंक ३१——शुक्रवार, २० मार्च, १९५९/२९ फाल्गुन, १८८० (शक)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर——

तारांकित प्रश्न संख्या १४०५ से १४११, १४१४ से १४१६, १४१८, १४२०, १४२१, १४२५, १४२७ से १४२९ और १४३१ . ३६६९——९३

अल्प सूचना प्रश्न संख्या १० . . . . . ३६९३——९५

प्रश्नों के लिखित उत्तर——

तारांकित प्रश्न संख्या १४१२, १४१३, १४१७, १४१९, १४२२ से १४२४, १४२६, १४३० और १४३२ से १४४४ . ३६९५——३७०४

अतारांकित प्रश्न संख्या २१८० से २२५५ . . . ३७०४——३७

स्थगन प्रस्ताव के बारे में ३७३८

सभा-पटल पर रखे गये पत्र ३७३८

विधेयक पर राय ३७३९

तारांकित प्रश्न संख्या ११४७ के अनुपूरक प्रश्न के उत्तर की शुद्धि . ३७३९

सभा का कार्य ३७३९

अनुदानों की मांगें . . . . ३७३९——६५

गृह–कार्य मंत्रालय . . . . . . ३७३९——६५

गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति——

अड़तीसवां प्रतिवेदन ३७६५

विधेयक पुरःस्थापित : ३७६६–६७

(१) श्री हेम राज का लोक प्रतिनिधित्व (संशोधन) विधेयक, १९५९ (धारा ७३ का संशोधन) ३७६६

(२) श्री राम शंकर लाल का वस्तु मूल्य उल्लेखन विधेयक, १९५९ . ३७६६

(३) श्री राम कृष्ण गुप्त का पूर्त तथा धार्मिक न्यास (संशोधन) विधेयक, १९५९ (धारा ३ और ४ का संशोधन और नई धारा ७ क और ७ ख का रखा जाना) . . . ३७६६

(४) श्री झूलन सिंह का खाद्यान्नों का मूल्य निर्धारण विधेयक, १९५९ ३७६६–६७

पृष्ठ

सिक्ख गुरुद्वारा विधेयक—

राय जानने की अवधि का बढ़ाया जाना . . ३७६७

भारतीय आग्नेयास्त्र विधेयक (वाद-विवाद स्थगित) . . ३७६७—६९

व्यवहार प्रक्रिया संहिता (संशोधन) विधेयक—अस्वीकृत . ३७६९—८७

भारतीय रेलवे (संशोधन) विधेयक—

विचार करने का प्रस्ताव . . . . ३७८७—८८

दैनिक संक्षेपिका . . . . . . ३७८९—९५

अंक २३—सोमवार, २३ मार्च, १९५९/२ चैत्र, १८८१ (शक)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १४४५ से १४५०, १४५२ से १४५५, १४५७ से १४५९, १४६१ और १४६४ से १४६९ . . ३७९७—३८२१

अल्प सूचना प्रश्न संख्या ११ . ३८२१—२२

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १४५१, १४५६, १४६०, १४६२, १४६३ और १४७० से १४८३ . . . . ३८२२—३०

अतारांकित प्रश्न संख्या २२५६ से २३२० . . . ३८३०—५५

स्थगन प्रस्ताव—

तिब्बत की स्थिति . . . . . ३८५६—५८

सभा पटल पर रखे गये पत्र— . . . . ३८५९—६०

विधेयकों पर राष्ट्रपति की अनुमति . . ३८६०

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना

भारत और पकिस्तान के बीच सीमावर्ती व्यापार का पुनः आरम्भ किया जाना . . . ३८६०—६१

अनुदानों की मांगें . . . . ३८६१—३९०६

सिंचाई तथा विद्युत् मंत्रालय . . . . ३८६१—३९०६

दैनिक संक्षेपिका . . . . . ३९०७—१२

पृष्ठ

अंक ३३—गुरुवार, २६ मार्च, १९५९/५ चैत्र, १८८१ (शक)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १४८५ से १४९१, १४९४, १४९६ से १५००, १५०२, १५०३, १५०५ और १५०६ . . . ३९१३—३७

अल्प सूचना प्रश्न संख्या १२ और १३ . . . ३९३७—४१

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १४८४, १४९२, १४९३, १४९५, १५०१, १५०४ और १५०७ से १५१२ . . ३९४१—४५

अतारांकित प्रश्न संख्या २३२१ से २३८५ और २३८७ . . ३९४५—७५

विशेषाधिकार प्रश्न के संबंध में ३९७५–७६

सदस्य की रिहाई ३९७७

सभा पटल पर रखे गये पत्र ३९७७

गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति—

उन्तालीसवां प्रतिवेदन ३९७७

प्राक्कलन समिति

चवालीसवां प्रतिवेदन ३९७७

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना—

कलकत्ता–बम्बई मेल की दुर्घटना . . . ३९७८

कोयला श्रेणीकरण बोर्ड (निरसन) विधेयक—पुरःस्थापित . . ३९७९

अनुदानों की मांगें . . . . ३९७९—४०१३, ४०१४—२९

स्वास्थ्य मंत्रालय . . . ३९७९—४०१३, ४०१४—२९

घरेलू कर्मचारियों के बारे में वक्तव्य . . . . ४०१३—१४

दैनिक संक्षेपिका ३४३०–३५

अंक ३४—शनिवार, २८ मार्च, १९५९/७ चैत्र, १८८१ (शक)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १५१३, १५१७, १५१९ से १५२१, १५२५, १५२६, १५२८ से १५३०, १५३२ से १५३६, १०३१ और १५३१ ४०३७—६१

अल्प सूचना प्रश्न संख्या १४ . . . . . ४०६१—६३

पृष्ठ

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १५१४ से १५१६, १५१८, १५२२ से १५२४ और १५२७ . . . . . . ४०६३—६७

अतारांकित प्रश्न संख्या २३८८ से २४६४ . . . ४०६७—९६

श्री कला वेंकट राव का निधन ४०९६-९७

स्थगन प्रस्ताव के बारे में ४०९७-९८

सभा पटल पर रखे गये पत्र ४०९८

प्राक्कलन समिति—

चालीसवां और इकतालीसवां प्रतिवेदन . ४०९९

सभा का कार्य ४०९९

अनुदानों की मांगें . . . . . ४०९९—४१३२

सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय . . . ४०९९—४१३२

गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति—

उन्तालीसवां प्रतिवेदन ४१३३

सहकारी कृषि के बारे में संकल्प . . . . . ४१३३—५३

विदेशी मुद्रा संबंधी कदाचार को जांच करने के लिए संसद सदस्यों की एक समिति की नियुक्ति के बारे में संकल्प ४१५३

दैनिक संक्षेपिका . . . . ४१५४—५८

अंक ३५—सोमवार, ३० मार्च, १९५९/९ चैत्र, १८८१ (शक)

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १५३८ से १५४६, १५४८, १५४९, १५५२, १५५६, १५५७ और १५५९ . . . . ४१५९—८४

अल्प सूचना प्रश्न संख्या १५ . ४१८४—८८

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १५३७, १५४७, १५५०, १५५१, १५५३ से १५५५, १५५६ और १५६० से १५६४. . . . ४१८८—९४

अतारांकित प्रश्न संख्या २४६५ से २५२३ . . ४१९४—४२१७

पृष्ठ

स्थगन प्रस्तावों के बारे में ४२१७—२३

स्थगन प्रस्ताव ४२२३—२५

(१) इण्डियन एयर लाइन्स कारपोरेशन के विमान की दुर्घटना ; और ४२२३—२५

(२) दिल्ली में आंधी व तूफान आने से बेघरबार हुए परिवारों को सहायता ४२२५

प्राक्कलन समिति—

उन्तालीसवां प्रतिवेदन . . ४२२५

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना—

पुर्तगालियों द्वारा भारतीय राज्य-क्षेत्र पर गोली वर्षा ४२२६—२७

बंगाल वित्त (बिक्री-कर) (दिल्ली संशोधन) विधेयक—पुरःस्थापित ४२२७

अनुदानों की मांगें ४२२७—६२

सूचना और प्रसारण मंत्रालय ४२२७—३५

इस्पात, खान और ईंधन मंत्रालय ४२३६—६२

दैनिक संक्षेपिका ४२६३—६७

अंक ३६—मंगलवार, ३१ मार्च, १९५९/१० चैत्र, १८८१ (शक)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १५६५ से १५७०, १५७२ से १५७४, १५७६ और १५७८ से १५८५ . . ४२६९—९३

अल्प सूचना प्रश्न संख्या १६ ४२९३—९५

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १५७१, १५७५, १५७७ और १५८६ से १५९१ ४२९५—९८

अतारांकित प्रश्न संख्या २५२४ से २५६५ ४२९८—४३१६

सभा पटल पर रखे गये पत्र ४३१६

प्राक्कलन समिति—

पैंतालीसवां प्रतिवेदन ४३१७

अनुदानों की मांगें . . . . . ४३१७—५७

इस्पात, खान और ईंधन मंत्रालय . ४३१७—५२

निर्माण, आवास और संभरण मंत्रालय . . . . ४३५३—५७

महेन्द्र घाट और पहलेजा घाट के बीच घाट से घाट तक बुकिंग के बारे में आधे घण्टे की चर्चा . . ४३५७—६३

दैनिक संक्षेपिका . . . . . ४३७४—६७

पृष्ठ

अंक ३७—बुधवार, १ अप्रैल, १६५६/११ चैत्र, १८८१ (शक)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १५६२ से १५६४, १५६६ से १५६६, १६०१, १६०२, १६०४, १६०६, १६०७ और १६०६ से १६१३ ४३६६—८६

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १५६५, १६००, १६०३, १६०५ और १६०८ . ४३८६—६१

अतारांकित प्रश्न संख्या २५६६ से २५६६, २५७१ से २६३० और २६३२ से २६३६ . . .४३६१—४४१६

स्थगन प्रस्ताव—

चीनी दूतावास द्वारा 'पीपुल्स डेली' में एक लेख का प्रकाशित करवाया जाना ४४१६—२६

सभा-पटल पर रखे गये पत्र ४४२७–२८

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति—

चालीसवां प्रतिवेदन . ४४२८

प्राक्कलन समिति

तैंतालीसवां प्रतिवेदन . . . ४४२८

सभा की बैठकों से सदस्यों की अनुपस्थिति संबंधी समिति—

तेरहवां प्रतिवेदन ४४२८

तारांकित प्रश्न संख्या ११६१ के उत्तर की शुद्धि . . . ४४२८

सदस्य को सदन से बाहर चले जाने के लिये दिये गये आदेश का रद्द किया जाना ४४२६

अनुदानों की मांगें . . . . . . ४४२६—८६

निर्माण, आवास और संभरण मंत्रालय . . ४४२६—७८

वैज्ञानिक, गवेषणा तथा सांस्कृतिक कार्य मंत्रालय . ४४७६—८६

दैनिक संक्षेपिका. . . ४४८७—६२

अंक ३८—गुरुवार, २ अप्रैल, १६५६/१२ चैत्र, १८८१ (शक)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १६१४, १६१५, १६१७ से १६२७, १६२६ और १६३१ से १६३७ . . . .४४६३—४५१८

अल्प सूचना प्रश्न संख्या १७ . . . ४५१८—२०

पृष्ठ

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १६१६, १६२८, १६३० और १६३८ से १६४० ४५२०—२२

अतारांकित प्रश्न संख्या २६३७ से २६७७ ४५२२—३८

स्थगन प्रस्ताव—

चीनी दूतावास द्वारा 'पीपुल्स डेली' में लेख का प्रकाशित करवाया जाना ४५३८—४६

पाकिस्तान से बेरुबाड़ी यूनियन और कूच-बिहार बस्तियों की अदला-बदली के बारे में वक्तव्य ४५४६

सभा-पटल पर रखे गये पत्र ४५४६–५०

खाद्यान्नों में राज्य व्यापार की योजना के बारे में वक्तव्य ४५५०—५२

अनुदानों की मांगें . . . . ४५५३—८५

वैज्ञानिक गवेषणा और सांस्कृतिक कार्य मंत्रालय ४५५३—७५

परिवहन तथा संचार मंत्रालय ४५७५—८५

चिनाकुरी कोयला-खान दुर्घटना के बारे में प्रस्ताव ४५८६—४६०१

दैनिक संक्षेपिका ४६०२—०६

अंक ३६—शुक्रवार, ३ अप्रैल, १६५६/१३ चैत्र, १८८१ (शक)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १६४१ से १६४५, १६४८ से १६५०, १६५२, १६५४, १६५५, १६५७, १६५८ और १६६१ से १६६४ ४६०७—३२

अल्प सूचना प्रश्न संख्या १८ ४६३२—३४

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १६४६, १६४७, १६५१, १६५३, १६५६, १६५६ और १६६० ४६३४—३७

अतारांकित प्रश्न संख्या २६७८ से २७०७ ४६३७—४६

नियम ३७७ के अधीन सूचनायें ४६४६

नियम २२२ के अधीन सूचना ४६५०

दलाई लामा के बारे में वक्तव्य . ४६५०—५२

सभा पटल पर रखा गया पत्र ४६५२

अनुदानों की मांगें . . ४६५२—४७००

परिवहन तथा संचार मंत्रालय ४६५२—४७००

	पृष्ठ
गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति—	
चालीसवां प्रतिवेदन . .	४७००
पत्तन हज समितियां (संशोधन) विधेयक—पुरःस्थापित--	४७०१
भारतीय रेलवे (संशोधन) विधेयक—	
विचार करने का प्रस्ताव—वापस लिया गया	४७०१—०८
बाल सन्यास दीक्षा रोक विधेयक—	
विचार करने का प्रस्ताव—अस्वीकृत	४७०८—२०
मध्यस्थता (संशोधन) विधेयक—	
विचार करने का प्रस्ताव	४७२१
दैनिक संक्षेपिका	४७२२—२५

अंक ४०—शनिवार, ४ अप्रैल, १९५९/१४ चैत्र, १८८१ (शक)

सभा पटल पर रखा गया पत्र	४७२७
लकड़ी के कोल्हू से निकाले गये तेल पर उत्पादन शुल्क के बारे में याचिका	४७२७
अनुपस्थिति की अनुमति	४७२७—२८
सभा का कार्य .	४७२८
अनुदानों की मांगें	४७२८—८९
परिवहन तथा संचार मंत्रालय .	४७२८—८३
श्रम और रोजगार मंत्रालय	४७८४—८९
दैनिक संक्षेपिका	४७९०—९१

नोट :—मौखिक उत्तर वाले प्रश्न में किसी नाम पर अंकित यह + चिन्ह इस बात का द्योतक है कि प्रश्न को सभा में उसी सदस्य ने वास्तव में पूछा था ।

लोक-सभा वाद-विवाद

लोक-सभा

शनिवार, २८ मार्च १९५९

७ चैत्र, १८८१ (शक)

लोक-सभा ग्यारह बजे समवेत हुई

[अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

दिल्ली में जल संभरण

†*१५१३. श्री राम कृष्ण गुप्त :
श्री श्रीनारायण दास :
श्री वाजपेयी :
श्री वासुदेवन नायर :
श्री नागी रेड्डी :
श्री खुशवक्त राय :
श्री दी० चं० शर्मा :
श्री नवल प्रभाकर :
श्री सिद्धनंजप्पा :

क्या स्वास्थ्य मंत्री १८ नवम्बर, १९५८ के तारांकित प्रश्न संख्या ४१ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को उस टैक्निकल समिति का प्रतिवेदन प्राप्त हो गया है जो दिल्ली में पीने के पानी के संभरण के प्रश्न की जांच करने के लिये नियुक्त की गयी थी;

(ख) समिति की सिफारिशों को क्रियान्वित करने के लिये सरकार क्या कार्यवाही कर रही है;

(ग) इन सिफारिशों के क्रियान्वित करने में कितना अनुमानित खर्च आयेगा; और

†मूल अंग्रेजी में

12 (Ai) LSD.—1.

(घ) उसमें से निगम और केन्द्र कितना कितना खर्च वहन करेंगे ?

†**स्वास्थ्य मंत्री (श्री करमरकर) :** (क) जी, हां ।

(ख) इन सिफारिशों को दिल्ली नगर निगम को आवश्यक कार्यवाही करने के लिये भेज दिया गया है। यदि उनको सरकार से कोई सहायता लेनी हो तो इसके लिये उनसे कहा गया है कि कि वे भारत सरकार को विशिष्ट प्रस्ताव भेजें ।

(ग) सभा पटल पर एक विवरण रखा जाता है जिसमें अपेक्षित जानकारी दी हुई है। **[देखिये परिशिष्ट ५, अनुबन्ध संख्या ४३]**

(घ) समिति ने सिफारिश की है कि दिल्ली में जल संभरण के स्थिरीकरण और शाहदरा में जल संभरण के बारे में योजनाओं पर पूरा खर्च निगम करे और आवर्धन योजनाओं पर हुए खर्च को उससे लाभ पाने वाले अर्थात् पंजाब तथा उत्तर प्रदेश की सरकारें और निगम दे ।

†**श्री राम कृष्ण गुप्त :** विवरण में कई योजनायें हैं। उनमें से कितनी मंजूर की गयी हैं क्या उनमें से किसी पर कार्य आरम्भ कर दिया गया है ?

†**श्री करमरकर :** मैं बता चुका हूं कि समिति की सिफारिशें--जिनमें ये योजनायें भी सम्मिलित हैं जिनका अभी मेरे माननीय मित्र ने उल्लेख किया है नगर निगम को उन के विचारार्थ भेज दी गई हैं और कहा गया है कि जो सहायता वह सरकार से चाहें उसके बारे में भारत सरकार को विशिष्ट प्रस्ताव भेजें । वर्तमान स्थिति यह है ।

†**श्री श्रीनारायण दास:** इन योजनाओं के क्रियान्वित होने तक क्या आने वाली गर्मी की ऋतु में कोई कठिनाई होगी ?

†**श्री करमरकर :** वे नदी का एक बांध बना रहे हैं और मैं पहले से यह नहीं कह सकता कि आने वाली गर्मी की ऋतु में पानी की कोई कमी होगी ।

†**श्री श्रीनारायण दास :** क्या नगर निगम से विशिष्ट योजनायें प्राप्त करने के लिये भारत सरकार द्वारा कोई समय निर्धारित किया गया है ?

†**श्री करमरकर :** कोई समय सीमा नहीं है। निगम एक स्वायत्तशासी निकाय है और यह अपनी मर्जी के मुताबिक अधिक और कम समय ले सकता है। जैसे ही हमें सिफारिशें मिलेंगी---और यदि वे सहायता मांगेंगे---हम सहायता देंगे । मुझे विश्वास है कि दिल्ली में पानी के संभरण में वृद्धि करने की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए निगम शीघ्र कार्यवाही करेगा ।

†**श्री वाजपेयी :** क्या मैं जान सकता हूं कि क्या इस समिति ने अलीपुर खंड क्षेत्र में, जो कि सोनीपत की अपेक्षा दिल्ली के निकट है, नल-कूप खोदने के प्रश्न पर भी विचार किया था ?

†**श्री करमरकर:** समिति के प्रतिवेदन की एक प्रति पुस्तकालय में रख दी गयी है। माननीय सदस्य फुरसत से उसका अध्ययन करें, उनको सब बातों का पता लग जायेगा ।

श्री नवल प्रभाकर : क्या मैं माननीय मंत्री जी से जान सकता हूं कि आगामी गरमी में मई और जून के महीने में जो पानी की कमी हो जाती है उसका क्या इलाज किया जा रहा है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

अध्यक्ष महोदय : उन्होंने कहा है कि कोई कमी नहीं हो सकती ।

†**श्री करमरकर**: नदी में नया बांध बनाया जा रहा है। इस के महत्व को देखते हुए निगम इस कार्य को यथासम्भव शीघ्र पूरा करने का प्रयत्न कर रहा है। मैं समझता हूं कि आगामी गरमी में जल संभरण की कोई कठिनाई नहीं होगी ।

†**श्री नागी रेड्डी** : सूची में ५ योजनाओं का उल्लेख है। क्या सरकार ने नगर निगम को इस बारे में कोई सुझाव दिया है कि उन में से कौन कौन सी योजनायें प्राथमिकता सूची पर है और कौन कौन सी योजनाओं को पहले लिया जायेगा ?

†**श्री करमरकर** : यह एक विशेषज्ञ समिति थी । उन्होंने अपनी सिफारिशें स्थिरीकरण योजनाओं और आवर्धन योजनाओं में विभाजित कर दी हैं। परन्तु इस बात को ध्यान में रखते हुए कि अन्य निगमों की तरह दिल्ली नगर निगम एक स्वायत्तशासी निकाय है और अपने और शहर के हितों पर ध्यान देने के लिये पर्याप्त रूप से योग्य है, जब कभी वह सिफारिशों पर विचार करने में सहायता मांगेगा, भारत सरकार उस पर विचार करेगी ।

उड़ीसा में बाढ़ नियंत्रण

†*१५१७. **श्री पाणिग्रही** : क्या **सिंचाई और विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना में उड़ीसा को बाढ़ नियंत्रण के लिये आवंटित की गयी ३ करोड़ की धनराशि में और कमी करने का प्रस्ताव है ; और

(ख) यदि हां, तो इस कमी का द्वितीय पंचवर्षीय योजना में उड़ीसा के लिये अनुमोदित बाढ़ नियंत्रण की योजनाओं पर किस हद तक असर पड़ेगा ?

†**सिंचाई और विद्युत उपमंत्री (श्री हाथी)**: (क) और (ख). सभा पटल पर एक विवरण रखा जाता है ।

विवरण

(क) द्वितीय पंचवर्षीय योजना काल में समूचे देश में बाढ़ नियंत्रण योजनाओं के लिये योजना में किये गये ६० करोड़ रुपये के उपबन्ध के आधार पर उड़ीसा के लिये २२ अगस्त १९५७ को हुई केन्द्रीय बाढ़ नियंत्रण बोर्ड की छठी बैठक में ३ करोड़ रुपये का आवंटन मंजूर किया गया। द्वितीय पंच वर्षीय योजना के लिये संसाधनों का पुनर्मूल्यांकन करने के फलस्वरूप, बाढ़ नियंत्रण के लिये किये गये उपबन्ध में कमी करनी पड़ी। द्वितीय पंचवर्षीय योजना काल में उड़ीसा सरकार को बाढ़ नियंत्रण कार्यों के लिये १७० लाख रुपये की केन्द्रीय सहायता दिये जाने की सम्भावना है ।

(ख) उड़ीसा के सम्बन्ध में, द्वितीय पंचवर्षीय योजना काल में क्रियान्वित करने के लिये, अब तक अनुमोदित बाढ़ नियंत्रण योजनाओं पर केवल ९६ लाख रुपये के कुल खर्च का अनुमान लगाया गया है । अतः उडीसा के लिये आवंटन में कमी करने से इन योजनाओं पर असर नहीं पड़ता ।

†**श्री पाणिग्रही** : यह बताया गया है कि उड़ीसा में अब तक अनुमोदित बाढ़ नियंत्रण योजनाओं पर कुल ९६ लाख रुपये खर्च होंगे। क्या मैं जान सकता हूं कि राज्य सरकार ने द्वितीय योजना काल के

---

†मूल अंग्रेजी में

आरम्भ में योजनायें भेजी थीं या बाद में जब कि आवंटन में कमी की गयी ? यदि हां, तो योजनायें कब भेजी गयी थीं ?

†**श्री हाथी** : योजनायें समय समय पर आती रही हैं। ऐसा नहीं है कि सब योजनायें एक साथ भेजी गयी थीं। उनको तैयार किया जाता है और फिर वे समय समय पर प्राप्त होती रहती हैं। वर्तमान स्थिति यह है कि जो योजनायें आयी हैं और मंजूर की गयी हैं, उन की लागत ९६ लाख रुपये हैं।

†**श्री पाणिग्रही** : क्या सरकार को पता है कि द्वितीय योजना काल के पिछले तीन वर्षों में राज्य सरकार ने अपनी बाढ नियंत्रण योजनाओं पर लगभग १८० लाख रुपये खर्च किये ? यदि हां, तो ऐसा कैसे है कि योजनाओं की लागत केवल ९६ लाख रुपये है ?

†**श्री हाथी** : यह हो सकता है। राज्य सरकारों को ऐसी योजनायें स्वयं आरम्भ करने का अधिकार है जिन पर १० लाख रुपये से कम खर्च हो—वे उन्हें यहां अनुमोदन के लिये नहीं भेजनी होती। मैं केवल उन योजनाओं के बारे में बता रहा हूं जो हमें भेजी गयी थीं और जिनको हमने मंजूर किया है।

†**श्री पाणिग्रही** : पिछले तीन वर्षों में बाढ नियंत्रण योजनाओं को क्रियान्वित करने के लिये उड़ीसा की राज्य सरकार को अब तक कितना धन दिया गया है ?

†**श्री हाथी** : कुल धनराशि लगभग १ करोड़ रुपये हो सकती है।

†**श्री स० म० बनर्जी** : हम आज इस पर बहस कर रहे हैं और इसको वहां उठाया जाये।

†**अध्यक्ष महोदय** : जिस माननीय सदस्य ने प्रश्न पूछा है, वह ऐसा नहीं सोचते हैं।

गोदावरी वैली एक्सप्रेस का रोका जाना

+

†*१९१९. { **श्री जाधव** :
श्री महागांवकर :

क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि गोदावरी वैली एक्सप्रेस को मनमाड पर इसके चलने के अनुसूचित समय के बाद तक रोका गया ताकि बम्बई राज्य के उपमंत्री गाड़ी में चढ़ सकें, यद्यपि गाड़ी प्लेटफार्म छोड़ चुकी थी ;

(ख) क्या इस प्रकार गाड़ियों के रोके जाने के लिये नियमों के अधीन आज्ञा दी गयी है ; और

(ग) यदि नहीं, तो गाडी रोकने के लिये उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की जा रही है ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां)** : (क) २७-१-१९५९ को संख्या ५५२ अप गोदावरी वैली एक्सप्रेस के मनमाड से ठीक समय चलने के बाद किसी ने खतरे की जंजीर खींच कर गाड़ी रोक दी ताकि बम्बई सरकार के उपमंत्री गाड़ी में चढ़ सकें।

†मूल अंग्रेजी में

(ख) ये स्थायी आदेश हैं कि गाडियां समय पर रवाना हों और स्टशनों और गाडियों के कर्मचारियों को गण्यमान्य व्यक्तियों के लिये भी गाडियों को रोकने के लिये किसी की प्रार्थना पर ध्यान नहीं देना चाहिये जब तक कि इस बारे में उनको पहले से ही कोई आदेश प्राप्त न हो गये हों।

(ग) मामले में एक पदाधिकारी को जांच का आदेश दे दिया गया है और रिपोर्ट प्राप्त होने पर यदि किसी कर्मचारी को गाडी रोकने के लिये जिम्मेवार पाया गया, तो उसके विरुद्ध उचित कार्यवाही की जायेगी।

†**श्री श्रीनारायण दास** : प्रश्नाधीन उप-मंत्री गाड़ी में चढ़े या नहीं ?

†**श्री शाहनवाज खां** : जी, हां। वह गाडी में चढे थे ?।

†**श्री श्रीनारायण दास** : क्या जांच का परिणाम प्राप्त हो गया है ? क्या यह उपमंत्री महोदय की ओर से हुआ था कि गाडी रोकी गयी और क्या वह रेलवे स्टेशन पर मौजूद थे ? क्या इसके बारे में कोई जांच की गयी है कि उप-मंत्री महोदय ने किन्हीं विशेष व्यक्तियों द्वारा गाड़ी रुकवाई ?

†**श्री शाहनवाज खां** : एक पदाधिकारी द्वारा जांच हो रही है।

†**श्री हेम बरुआ** : क्या मैं जान सकता हूं कि एक उपमंत्री के मामले में ऐसा क्यों हुआ ? क्या मैं यह भी जान सकता हूं कि सरकार का एक जांच करने का प्रस्ताव है और क्या केवल कर्मचारियों के व्यवहार की ही जांच की जायेगी और उपमंत्री महोदय व्यवहार की नहीं ?

†**अध्यक्ष महोदय** : उप-मंत्री महोदय पर इस सरकार का कोई अधिकार नहीं है क्या वे हमारे उपमंत्री थे या वहां के उप मंत्री थे ?

†**श्री हेम बरुआ** : जी, नहीं।

†**अध्यक्ष महोदय** : तो फिर ?

†**श्री हेम बरुआ**: यह बात हमारे प्रधान मंत्री द्वारा वहां के मुख्य मंत्री को बतायी जा सकती है।

†**अध्यक्ष महोदय** : यह सब कुछ हो सकता है। परन्तु माननीय सदस्य ने तो उपमंत्री महोदय के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही करने का सुझाव दिया है।

†**श्री हेम बरुआ** : मैंने पूछा था कि क्या ऐसा आचरण करने के लिये उपमंत्री महोदय के व्यवहार की जांच की जायेगी।

†**अध्यक्ष महोदय** : यह निष्फल होगा।

†**श्री नागी रेड्डी** : जंजीर उपमंत्री के साथ सफर करने वाले कर्मचारियों में से किसी ने खींची थी या किसी यात्री ने ?

†**अध्यक्ष महोदय** : इस बात की जांच हो रही है माननीय सदस्य भी उपमंत्री हो सकते हैं।

†**श्री हेम बरुआ** : हम इस प्रकार व्यवहार नहीं करेंगे।

†**सरदार इकबाल सिंह** : वे उपमंत्री न बन कर सीधे मंत्री ही बनेंगे।

---

†मूल अंग्रेजी में

आरमेनियम घाट आउट-एजेन्सी

†*१५२०. **श्रीमती रेणु चक्रवर्ती :** क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आर्मेनियन घाट आउट-एजेन्सी के पिछले कर्मचारियों की, इसके विभागीय होने के बाद आउट-एजेन्सी में लगाने के लिये, परीक्षा लेने के लिये आयु सीमा और शिक्षा अर्हताओं म ढील देने के कोई आदेश दिये गये हैं ;

(ख) क्या यह सच है कि इनमें से अधिकांश कर्मचारी पूर्वी पाकिस्तान से आये विस्थापित व्यक्ति हैं ; और

(ग) क्या कालीघाट-फाल्टा रेलवे, बी० पी० रेलवे (मोगरा) और बारासत-बसीरहाट रेलवे के कर्मचारियों को खपाने के बारे में ये छूट के आदेश दिये गये थे ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां) :** (क) जी, हां।

(ख) यह जानकारी अभी उपलब्ध नहीं है।

(ग) जी, हां।

†**श्रीमती रेणु चक्रवर्ती :** ये आदेश कब दिये गये थे और क्या उनका पालन किया गया हैं ?

†**श्री शाहनवाज खां :** इस वर्ष फ़रवरी में आदेश जारी किये गये थे और उनका पालन किया जा रहा है ।

मोटर परिवहन

†*१५२१. **श्री सिद्धनंजप्पा :** क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्रीय सरकार की सड़क परिवहन पुनर्गठन समिति ने देश की आवश्यकता के अनुरूप मोटर परिवहन का विस्तार करने के लिये एक आदर्श प्रशासन का सुझाव दिया है ; और

(ख) यदि हां, तो उपरोक्त सुझाव पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया हुई है ?

†**परिवहन तथा संचार मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री राज बहादुर) :** (क) समिति का प्रतिवेदन अभी सरकार को नहीं मिला है ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

†**श्री त० ब० विट्ठल राव :** यह बताया गया था कि समिति का प्रतिवेदन मार्च के आरम्भ में प्राप्त होने की आशा थी । क्या मैं जान सकता हूं कि क्या उन्होंने विलम्ब के लिये कोई कारण बताये हैं ।

†**श्री राज बहादुर :** हमें रिपोर्ट कभी भी मिल सकती है। मुझे बताया गया है कि अधिकांश सदस्यों ने इस पर हस्ताक्षर कर दिये हैं और हमें यह शीघ्र ही प्राप्त हो जायेगी।

श्री भक्त दर्शन : श्रीमान्, क्या उस कमेटी ने कोई कठिनाइयां बताई हैं, जिनके कारण रिपोर्ट जल्दी समय पर नहीं दी गई ?

अध्यक्ष महोदय : कल या परसों आयेगी। मंत्री महोदय ने यही कहा है।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री स० म० बनर्जी :** क्या मैं जान सकता हूं कि जो समिति परिवहन के पुनर्गठन के संबंध में कार्य करती है, क्या वह सरकारी और गैर-सरकारी, दोनों क्षेत्रों में परिवहन कर्मचारियों की सेवा की शर्तों पर भी विचार करेगी ?

†**श्री राज बहादुर :** निदेश पद मेरे पास हैं। मेरे विचार में वे विशिष्ठ रूप से परिवहन कर्मचारियों के बारे में नहीं हैं। शायद इस प्रश्न पर भी विचार किया जाये, परन्तु प्रतिवेदन के विषय के बारे में मुझे कुछ पता नहीं है ।

†**श्री हेम बरुआ :** क्या देश की परिवहन आवश्यकता का मूल्यांकन करने और उसे सहयोजित करने के लिये एक राष्ट्रीय परिवहन बोर्ड बनाने का सुझाव है ? यदि हां, तो उसका व्यौरा क्या है ?

श्री राज बहादुर : पहले से ही समिति की सिफारिशों क बारे में कुछ कहना मेरे लिये सम्भव नहीं है ।

†**श्री ब्रजराज सिंह :** क्या निदेश पद में यह भी है ?

†**श्री राज बहादुर :** क्या मैं निदेश पद पढ़ूं ? वह काफी लम्बे हैं। विभिन्न राज्यों और केन्द्रों में परिवहन प्रशासन की प्रशासनीय स्थापना के समूचे पुनर्गठन से उनका सम्बन्ध है ।

†**श्री अ० मु० तारिक :** ट्रांस्पोर्ट कम्यूनिकेशन्ज़ का एक हिस्सा है और कम्यूनिकेशन्ज़ एक सैंट्रल सबजेक्ट है। मैं जानना चाहता हूं कि क्या हुकूमत के पेशे-नज़र कोई स्कीम है कि ट्रांस्पोर्ट को नेशनलाइज़ किया जाये और उसको एक सैंट्रल सबजैक्ट बनाया जाय।

श्री राज बहादुर : ट्रांसस्पोर्ट और कम्यूनिकेशन्ज़ दो मुख़्तलिफ़ काम और मुख़्तलिफ़ महकमे हैं। जहां तक नैशनलाइज़ेशन का सवाल है, मैं समझता हूं कि शायद इस बारे में भी कमेटी अपनी राय ज़ाहिर करे, लेकिन टर्म्ज़ आफ़ रेफ़रेंस में तो वह नहीं आता है।

†**अध्यक्ष महोदय :** श्री जगन्नाथ राव।

श्री अ० मु० तारिक : जनाब, मैं यह जानना चाहता था कि क्या सरकार ट्रांस्पोर्ट को सैंट्रल सबजेक्ट बनाना चाहती है या नहीं। इसका जबाब नहीं दिया गया है।

†**अध्यक्ष महोदय :** शान्ति, शान्ति। माननीय सदस्यों को इस प्रकार नहीं करना चाहिये। मैं दूसरे माननीय सदस्य का नाम पुकार चुका हूं। वे अपनी बारी की प्रतीक्षा करें।

†**श्री जगन्नाथ राव :** क्या यह रेल और सड़क परिवहन के बीच सहयोजन पर भी विचार करेगी ?

†**श्री राज बहादुर :** जहां तक निदेश पदों का सम्बन्ध है, मेरे विचार में यह भी एक बात है ।

श्री अ० मु० तारिक : मैं यह जानना चाहता था कि क्या ट्रांस्पोर्ट को—जो कि कम्यूनिकेशन्ज़ का एक हिस्सा है और कम्यूनिकेशन्ज़ एक सैंट्रल सबजक्ट है—सैंट्रल सबजेक्ट बनाने की कोई स्कीम पेशे नज़र है या नहीं ।

श्री राज बहादुर : मैं यह तहकीक़ नहीं कह सकता कि रिपोर्ट में ऐसी सिफारिश की गई है, लेकिन मैं उम्मीद करता हूं कि शायद उन्होंने इस सवाल पर भी ग़ौर किया हो।

---

†मूल अंग्रेजी में

खाद्य ज़ोनों में फेर बदल

+
†*१५२५. { श्री स० म० बनर्जी :
श्री तंगामणि :
श्री वारियर :
श्री राम कृष्ण गुप्त : }

क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्तमान खाद्य स्थिति को देखते हुए विभिन्न ज़ोनों में फेर बदल करने का सरकार का प्रस्ताव है ; और

(ख) यदि हां, तो फेर बदल किस बारे में किया जायेगा ?

†**खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री अ० म० थामस) :** (क) जी नहीं। इस समय ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

†**श्री स० म० बनर्जी :** मंत्री महोदय ने अभी कहा है कि इस समय फेर बदल करने का कोई प्रस्ताव नहीं है। क्या ज़ोनों में फेर बदल करने का कोई प्रस्ताव था और यदि हां, तो किस बारे में फेर बदल करना था ?

†**श्री अ० म० थामस :** मैं अपने उत्तर में बता चुका हूं कि ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है ।

†**अध्यक्ष महोदय :** यदि कोई प्रस्ताव था तो वह अब नहीं है ।

श्री भक्त दर्शन : श्रीमान् क्या यह सत्य है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने केन्द्रीय सरकार से बार बार अनुरोध किया है कि उत्तर प्रदेश और पंजाब का एक ज़ोन बनाया जाये और इस समय जो व्यवस्था है वह बहुत असंतोषजनक है और उससे उत्तर प्रदेश को हानि पहुंच रही है ?

खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री अ० प्र० जैन): उन्होंने तो ज़रूर कहा है, लेकिन पंजाब का इससे इतिफ़ाक नहीं है और हमारा भी इतिफ़ाक नहीं है ।

†**श्री राम कृष्ण गुप्त :** क्या पंजाब सरकार ने कोई सुझाव दिये हैं।

श्री अ० प्र० जैन : सजेस्शन्ज़ तो आते ही रहते हैं।

†**श्री स० म० बनर्जी :** क्या मंत्री महोदय को इस बात का पता है कि पंजाब और दिल्ली से उत्तर प्रदेश में और उत्तर प्रदेश से पंजाब और दिल्ली में नियमित रूप से रात में खाद्यान्न चोरी छिपे लाया ले जाया जाता है और यदि हां, तो इस कृत्रिम ज़ोन से क्या लाभ है और इस तस्कर व्यापार को रोकने के लिये क्या कार्यवाही की जा रही है ?

†**श्री अ० प्र० जैन :** जहां तक तस्कर व्यापार का सम्बन्ध है , माननीय सदस्य को पता ही होगा कि हाल ही में उत्तर प्रदेश की सीमा के साथ साथ एक पांच मील की पट्टी बनायी गयी थी जहां पर बिना लाइसेंस के माल लाने ले जाने पर प्रतिबन्ध है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

यह नीति का प्रश्न है और खाद्य संभरण और खाद्यान्नों के मूल्य पर नियंत्रण करने के लिये हमने इसे लाभदायक पाया है ।

†**श्री रामी रेड्डी :** क्या आन्ध्र सरकार ने आन्ध्र को एक प्रथम जोन बनाने का प्रस्ताव भेजा है जिससे राज्य सरकार को समाहार करने में सुविधा हो और मूल्यों पर अच्छी तरह नियंत्रण किया जा सके ?

†**श्री अ० प्र० जैन :** सरकार को सब प्रकार के प्रस्ताव प्राप्त होते हैं । परन्तु अन्तिम फैसला बताने के लिये मैं यहां मौजूद हूं । अन्तिम फैसला यह है कि केन्द्रीय जोन वही रहेगा जो अब है ।

सेठ गोविन्द दास : अभी मंत्री जी ने कहा कि उत्तर प्रदेश की सरकार के प्रस्ताव से वह सहमत नहीं हैं । मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या उत्तर प्रदेश की सरकार के सिवा मध्य प्रदेश की सरकार और कोई अन्य सरकारों ने भी इन ज़ोन्ज के बदलने के सम्बन्ध में केन्द्रीय सरकार को कुछ लिखा है ।

अध्यक्ष महोदय : यही सवाल तो उन्होंने आन्स्वर किया है ।

सेठ गोविन्द दास : उन्होने केवल उत्तर प्रदेश की बाबत कहा है । मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या दूसरी सरकारों ने भी कहा है ।

†**अध्यक्ष महोदय :** माननीय सदस्य को उत्तर ध्यान पूर्वक सुनना चाहिये था । आन्ध्र प्रदेश के बारे में श्री रामी रेड्डी द्वारा पूछे गये प्रश्न का उत्तर देते हुए उन्होंने अभी बताया है कि निस्संदेह बहुत से अभ्यावेदन प्राप्त होते हैं परन्तु केन्द्रीय सरकार की नीति वही रहती है । मैं नहीं समझता कि क्या मध्य प्रदेश भारत का अंग नहीं है ।

†**श्री कासलीवाल :** हाल ही में एक यह प्रस्ताव था कि राजस्थान और मध्य प्रदेश का गेहूं जोन बम्बई के जोन से अलग होना चाहिये क्या वह प्रस्ताव रद्द किर दिया गया है ?

†**अध्यक्ष महोदय :** इसका उत्तर दिये जाने की आवश्यकता नहीं है । इसका भी वही उत्तर है । उनका कहना है कि उनको अभ्यावेदन मिले हैं परन्तु वे फैसला नहीं बदल रहे हैं ।

†**सरदार इकबाल सिंह :** इस बात को ध्यान में रखते हुए कि फसल का समय आ रहा है, सरकार ने इस बारे में क्या कार्यवाई की है जिससे उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और राजस्थान में गेहूं के मूल्यों की तुलना में पंजाब के किसानों को अपने गेहूं का उचित मूल्य मिल सके ?

†**अध्यक्ष महोदय :** हम खाद्य जोन से खाद्यान्न के मूल्य पर जा रहे हैं ।

†**श्री हेडा :** यह बात देखते हुए कि दक्षिणी जोन ने आन्ध्र प्रदेश का सब फालतू खाद्यान्न नहीं लिया है, क्या फालतू और कमी दोनों को ध्यान में रखते हुए किसी अन्य चावल की कमी वाले राज्य को दक्षिणी जोन में लाने का कोई प्रस्ताव है ?

†**श्री अ० प्र० जैन :** ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है । दक्षिणी जोन की आवश्यकता के बाद जो फालतू बचता है उसको केन्द्रीय सरकार खरीद रही है और इसको हम अन्य राज्यों को भेज देंगे ।

†**श्री पुन्नूस :** क्या सरकार की यह नीति है कि जब किसी जोन के अपने राज्य में चावल की आवश्यकता हो तो चावल उस विशेष जोन से बाहर न ले जाने दिया जाये?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री अ० प्र० जैन :** जी, हां। पहले तो जोन की आवश्यकता पूरी करनी चाहिये और आवश्यकता पूरी करने के बाद जो फालतू बचता है, केवल वही बाहर ले जाया जाये।

†**पंडित ज्वा० प्र० ज्योतिषी :** क्या सरकार को इस बात का पता है कि मध्य प्रदेश और बम्बई को एक जोन में रखने से मध्य प्रदेश के व्यक्तियों को काफी कठिनाई हुई है ?

†**अध्यक्ष महोदय :** अगला प्रश्न। माननीय सदस्य ऐसा सोच सकते हैं। अभी खाद्य मंत्रालय पर बहस पूरी नहीं हुई है।

डाक तथा तार कर्मचारियों को मकान किराया तथा नगर प्रतिकर भत्ता

†*१५२६. { **श्री स० म० बनर्जी :**
श्री मोहम्मद इलियास :
श्री वारियर : }

क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि वित्त मंत्रालय के आदेशों के अधीन उत्तरी बैरकपुर नगरपालिका की सीमा में रहने वाले केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों को १ मई, १९५८ से मकान किराया और नगर प्रतिकर भत्ता कलकत्ता शहर में लागू दरों पर मंजूर किया गया था;

(ख) क्या यह भी सच है कि बैरकपुर छावनी, गरुलिया और बैरकपुर नगरपालिका में रहने वाले अपने कर्मचारियों को डाक तथा तार विभाग ने यह भत्ता देना एकदम बन्द कर दिया था; और

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

†**परिवहन तथा संचार मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री राज बहादुर) :** (क) जी, हां।

(ख) जी, हां।

(ग) १ मई, १९५८ के आदेश बैरकपुर छावनी, गरुलिया और बैरकपुर नगरपालिकाओं में रहने वाले कर्मचारियों को भत्ता देने की मंजूरी नहीं देते क्यों कि ये स्थान उत्तरी बैरकपुर की नगर सीमाँ के बाहर हैं।

†**श्री स० म० बनर्जी :** क्या मंत्री महोदय को यह पता है कि जो क्षेत्र नगर क्षेत्रों के संस्पर्शी हैं, उनमें यह आदेश लागू होते हैं तो फिर इन कर्मचारियों पर ये आदेश क्यों नहीं लागू किये गये?

†**श्री राज बहादुर :** मैं बता चुका हूं कि जिन तीन क्षेत्रों का मैंने अभी उल्लेख किया है, वे उत्तरी बैरकपुर नगरपालिका की सीमा के बाहर हैं। अतः उन पर ये आदेश लागू नहीं होते।

†**श्री स० म० बनर्जी :** क्या सरकार इस बारे में वित्तीय अधिकारियों से बात करेगी यह आदेश उन क्षेत्रों पर भी लागू हों और उन्हें भी यह भत्ता दिया जाये?

†मल अंग्रेजी में

†**श्री राज बहादुर :** आरम्भ में यह मांग उत्तरी बैरकपुर नगरपालिका की एक बस्ती ईसा पुर के बारे में थी और उस ही के बारे में यह आदेश जारी किया गया था। उस समय भी अन्य क्षेत्र मांग के क्षेत्र के बाहर थे।

†**श्री स० म० बनर्जी :** क्या यह प्रश्न वेतन आयोग को निर्देशित किया जा रहा है कि वह इस बारे में फैसला दे कि क्या यह इन पर भी लागू किया जाये?

†**श्री राज बहादुर :** मैं यह नहीं कह सकता। मैं नहीं समझता कि यह ऐसा हो सकता है। मैं नहीं समझता कि ऐसी ऐसी छोटी बस्तियां भी वेतन आयोग के निदेश पदों में सम्मिलित की जा सकती है।

†**श्री त० ब० विट्ठल राव :** कुछ शहरों में यद्यपि कुछ क्षेत्र नगर सीमा में नहीं आते और यदि वे संस्पर्शी हैं तो उनको यह नगर प्रतिकर भत्ता दिया जता है। मैं यह जानना चाहता हूं कि इस मामले में यह अपवाद क्यों है?

†**श्री राज बहादुर :** ऐसे मामलों के बारे में वित्त मंत्रालय के कुछ विशेष निश्चित नियम और सिद्धान्त हैं। वे नगरपालिका अथवा अन्य प्रशासनीय डिविजनों पर लागू होते हैं। ऐसे मामलों के लिये एक डिवीजन की सीमा को दूसरे में मिलाना हमारे लिये सम्भव नहीं है।

कलकत्ता-अगरताला भारवाही विमान सेवा

†*१५२८. **श्री बांगशी ठाकुर :** क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि कलकत्ता और अगरतल्ला के बीच भारवाही विमानों की उड़ान संख्या को कम कर दिया गया है जिसके परिणाम स्वरूप त्रिपुरा के व्यक्तियों को वस्तुओं के अभाव के कारण कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है; और

(ख) यदि हाँ, तो इस सम्बन्ध में सरकार द्वारा क्या-क्या कार्यवाही की गयी है?

†**असैनिक उड्डयन उपमंत्री (श्री मुहीउद्दीन) :** (क) और (ख) कलकत्ता और त्रिपुरा के बीच भारवाही विमान इण्डियन एयर लाइन्स कार्पोरेशन द्वारा मांग के अनुसार चलाये जाते हैं। मार्च, १९५९ के प्रथम अर्धमास में उड़ानें मांग को देखते हुए कम हुई थीं। क्योंकि उस समय जहाजों की अस्थायी रूप से कुछ कमी हो गयी थी, जो कि अब पूरी हो गयी है।

†**श्री बांगशी ठाकुर :** क्या यह सच है कि कलकत्ता से अगरताला तथा अगरताला से कलकत्ता तक भारवाही विमानों के वर्तमान भाड़े बहुत अधिक हैं और इसलिये उन विमानों की बुकिंग में कमी हो गयी हैं, और यदि हाँ, तो सरकार इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही करने का विचार रखती है?

†**श्री मुहीउद्दीन :** प्रस्तुत प्रश्न का सम्बन्ध भारवाही विमानों की उड़ानों की संख्या से है, भाड़े की दरों से नहीं।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**अध्यक्ष महोदय :** उनका यह कहना है कि दर ऊँचे होने के कारण उड़ानों की संख्या में कमी हो गयी है।

†**श्री मुहीउद्दीन :** उसकी ही मांग इतनी अधिक थी कि इण्डियन एयरलाइन्स कार्पोरेशन उस मांग को पूरा भी नहीं कर सकी। अतः स्पष्ट है कि दर ऊँचे होने के कारण उसकी उड़ान पर कुछ भी असर नहीं पड़ा है।

†**श्री बांगशी ठाकुर :** यदि इण्डियन एयरलाइन्स कारपोरेशन को त्रिपुरा, मनीपुर और आसाम को भारवाही विमान चलाने में हानि हो रही है, तो सरकार से बिना किसी प्रकार की सहायता के जो गैर-सरकारी कम्पनियां सस्ते दामों पर उन मार्गों पर विमान सेवा चलाना चाहती हैं सरकार उन्हें इण्डियन एयरलाइन्स कारपोरेशन के साथ विमान संचालन की अनुमति क्यों नहीं देती ?

†**श्री मुहीउद्दीन :** वह एक बड़ा व्यापक प्रश्न है। कुछ एक स्थानों पर इण्डियन एयर-लाइन्स कारपोरेशन को डकोटा चलाने में कुछ हानि हो रही है। उसके खर्चा आदि की जांच करने के लिये एक विशेषज्ञ समिति नियुक्त की गयी थी और उसकी रिपोर्ट की एक प्रति सभा-पटल पर रख दी गयी है।

कांडला पत्तन में मिट्टी का इकट्ठा हो जाना

†***सरदार इक़बाल सिंह :** क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कांडला पत्तन में समुद्र तल पर मिट्टी के इकट्ठे हो जाने के सम्बन्ध में वर्तमान स्थिति क्या है ;

(ख) मिट्टी हटाने के लिये क्या उपाय किये जा रहे हैं ;

(ग) उस पर लगभग कुल कितना खर्च आ जायेगा ; और

(घ) मिट्टी को वहां से निकालने के बाद उसे कहां जमा किया जायेगा ?

†**परिवहन तथा संचार मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री राज बहादुर) :** (क) से (घ) सभा-पटल पर एक विवरण रखा जाता है।

विवरण

(क) कांडला 'क्रीक' के प्रवेश स्थान की 'बार' में रेत तथा मिट्टी समय-समय पर बढ़ती घटती रहती है जिसके परिणामस्वरूप कभी-कभी 'बार' के ऊपर नौपरिवहन मार्ग को बदलने की आवश्यकता पड़ती है और उपलब्ध न्यूनतम गहराई में भी कुछ परिवर्तन होता रहता है।

(ख) 'बार' में से एक 'ड्रेजर' के द्वारा मिट्टी हटाई जा रही है ताकि न्यूनतम गहराई कायम रखी जा सके। वह 'ड्रेजर' विशाखापत्तनम पत्तन से उधार पर मांगा गया है।

(ग) ३१ मार्च, १९५९ तक समाप्त होने वाले वर्ष में इस कार्य पर कुल लगभग १० लाख रुपये खर्च होंगे।

---

†मूल अंग्रेजी में

(घ) निकाली जा रही मिट्टी और रेत को परिवहन मार्गों से बहुत दूर एक स्थान पर जमा किया जा रहा है। वह स्थान केन्द्रीय जल तथा विद्युत गवेषणा स्टेशन, पूना की सिफारिश पर चुना गया था।

†**सरदार इकबाल सिंह :** क्या सरकार कांडला पत्तन में से मिट्टी और रेत निकालने के प्रश्न पर विचार करने के लिये एक उपसमिति नियुक्त करने का विचार रखती है ?

†**श्री राज बहादुर :** कांडला पत्तन को जाने वाली चैनल की पत्तन प्रशासन विभाग द्वारा निरन्तर देख भाल की जा रही है और समय-समय पर जल सम्बन्धी सर्वेक्षण किये जाते हैं। मैं नहीं समझता कि इस सम्बन्ध में किसी समिति को नियुक्त करने से कोई विशेष लाभ होगा।

†**सरदार इकबाल सिंह :** इस बात को ध्यान में रखते हुये कि इस चैनल में प्रायः मिट्टी इकट्ठी हो जाया करती है, क्या सरकार चैनल को सदा साफ़ रखने के लिये कोई स्थायी उपाय करने का विचार रखती है ?

†**श्री राज बहादुर :** ड्रैजिंग (मिट्टी निकालना) एक स्थायी उपाय है। उसके अतिरिक्त हम पानी को नियंत्रित करने के सम्बन्ध में भी कार्यवाही कर सकते हैं और इस बारे में विचार कर रहे हैं। केन्द्रीय जल तथा विद्युत आयोग के परामर्श से वैसा भी किया जायेगा।

†**श्री कासलीवाल :** इस समय कांडला पत्तन की चैनल में से कितने डुबाव वाले जहाज जा सकते हैं ?

†**श्री राज बहादुर :** २६ फुट तक के।

†**श्री खीमजी :** विशाखापत्तनम से लाये गये 'ड्रेजर' से मिट्टी साफ़ करने के बाद कांडला पत्तन में और अधिक 'डुबाव' वाले जहाज जाने लगे हैं ?

†**श्री राज बहादुर :** यह काम प्रारम्भ किये जाने से पहले न्यूनतम सीमा ८ फुट थी, अब वह १० फुट तक हो गयी है। आशा है कि अप्रैल के अन्त तक स्थिति में और भी सुधार हो जायेगा और न्यूनतम सीमा १२ फुट तक हो जायेगी।

†**श्री गोरे :** क्या यह सच है कि वे लोग जो इस आशा से वहां आये थे कि कांडला बन्दरगाह में पर्याप्त सुधार हो जायेगा, वे अब बन्दरगाह को छोड़ कर जा रहे हैं ?

†**श्री राज बहादुर :** जहां तक मुझे ज्ञात है, जो लोग अब वह स्थान छोड़ कर जा रहे हैं, वे ऐसे लोग हैं जो कि निर्माण कार्यों के लिये वहां आये थे। अब क्योंकि निर्माण कार्य तथा विभिन्न इंजीनियरिंग कार्य पूर्ण होने वाले हैं, इसलिये कुछ लोग वहां से जा रहे हैं। परन्तु इससे यह अर्थ नहीं कि वहां की सारी की सारी जनता उस स्थान को छोड़ रही है। वहां की जनता वहीं पर रहेगी। हम उनके रोजगार के लिये औद्योगिक विकास की अन्य संभावनाओं पर विचार कर रहे हैं। उसके लिये हम वहां पर एक औद्योगिक बस्ती बसाने का विचार रखते हैं और वहां पर खुला व्यापार ज़ोन स्थापित करने के सम्बन्ध में भी प्रयत्न कर रहे हैं।

†**श्री खीमजी :** माननीय मंत्री ने आश्वासन दिया था कि वे कांडला के लिये स्थायी रूप से एक ड्रेजर लेने के सम्बन्ध में ठोस कार्यवाही की जायेगी। इस सम्बन्ध में कितनी प्रगति हुई है ?

---

†मूल अंग्रेजी में।

†श्री राज बहादुर : आशा है कि मिट्टी निकालने के अगले मौसम तक हम एक प्राप्त कर लगे ।

श्री खीमजी : क्या यह सच है कि सरकार ड्रेजर प्राप्त करने के प्रश्न पर बड़ी असावधानी से विचार कर रही है ?

†श्री राज बहादुर : नहीं ऐसी बात नहीं है । वास्तव में इस सम्बन्ध में हम जो कुछ भी कर सकते हैं, वह हम कर रहे हैं । उसके लिये विदेशी मुद्रा की आवश्यकता है । काम चलाने के लिये हमने बिशाखापत्तनम् से तो एक 'ड्रेजर' उधार ले ही लिया है । फिर एक स्थायी रूपसे भी प्राप्त कर लिया जायेगा ।

†श्री खीमजी : सभा में घोषणा करने अथवा आश्वासन देने के कितने समय के बाद 'ड्रेजर' के लिये वास्तव में समाचार पत्रों में विज्ञापन दिया गया था ?

†श्री राज बहादुर मैं ठीक ठीक तो न ीं बता सकता, परन्तु जनवरी में ही 'ड्रेजर' से काम शुरू कर दिया गया था । अतः विज्ञापन देने म देरी होने के प्रश्न का कुछ असर नहीं पड़ता ।

†श्री गोरे : क्या यह सच नहीं है कि कांडला पत्तन के मामलों की जांच करने के लिये एक जांच समिति नियुक्त की गई थी ; यदि हां तो उसकी रिपोर्ट में क्या कहा गया है ?

†श्री राज बहादुर : इस प्रकार की कोई भी जांच समिति नियुक्त नहीं की गयी थी, परन्तु परिवहन मंत्रालय के सचिव से यह कहा गया था कि वे स्वयं ही इसकी जांच करें। वे वहां पर गये थे और उन्होंने वहां पर हो रहे काम के सम्बन्ध में सन्तोष प्रकट किया है, क्योंकि उस पत्तन की कुल १२ लाख टन की संस्थापित क्षमता में से १९५७-५८ में ८२ लाख टन तक का सामान लाया जाना हो गया था और आशा है कि १९५८-५९ में लगभग १० लाख टन सामान लाया ले जाया जा सकेगा । राजस्व की दृष्टि से भी उसके अच्छे परिणाम निकले हैं ।

†श्री खीमजी : क्या कच्छ की जिला कांग्रेस समिति के एक प्रतिनिधि मण्डल ने परिवहन तथा संचार मंत्री से एक भेंट की थी और एक लम्बा सा ज्ञापन प्रस्तुत किया था ? क्या यह भी सच है कि उनमें से बहुत सी सिफारिशों को सरकार ने स्वीकार कर लिया है ?

†श्री राज बहादुर यह सच है कि एक प्रतिनिधि मण्डल ने माननीय मंत्री से भेंट की थी और उन्हीं की प्रार्थना के परिणामस्वरूप वहां परिवहन मंत्रालय के सचिव को भेजा गया था और उन्होंने प्रतिनिधिमण्डल द्वारा कही गई सभी बातों की जांच की थी ।

औषधि नियम, १९४५ में संशोधन[1]

†१५३०. श्री गोरे : क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने औषधि नियम, १९४५ में 'रजिस्टर्ड मेडिकल प्रेक्टिशनर' (पंजीबद्ध डाक्टर) की परिभाषा के सम्बन्ध में प्रस्थापित प्रारूप संशोधन संख्या एफ, १-६९/डी-५७ के सम्बन्ध में डाक्टरों की प्रतिक्रिया जान ली है ; और

(ख) इस सम्बन्ध में सरकार का क्या निर्णय है ?

†स्वास्थ्य मंत्री (श्री करमरकर) : (क) जी, हां ।

†मूल अंग्रेजी में ।

[1]Drugs Rules. 1945

(ख) इस सम्बन्ध में अभी तक कोई निर्णय नहीं किया गया है ।

†**श्री गोरे :** इस बात को ध्यान में रखते हुये कि कुछ डाक्टरों के मन में इस बारे में बड़ा डर है, सरकार इस सम्बन्ध में कितनी जल्दी निर्णय करेगी ?

†**श्री करमरकर :** हम इस बात पर अच्छी प्रकार से विचार करेंगे और इस सम्बन्ध में प्राप्त सभी अभ्यावेदनों पर विचार करने में समय लग जाना स्वाभाविक है । परन्तु इस सम्बन्ध में भय करने की कोई आवश्यकता नहीं कि उनके अभ्यावेदनों में दिये गये सुझावों के विरुद्ध कोई कार्यवाही की जायेगी ।

†**श्री आचार :** औषधि के सम्बन्ध में आप एक नया नियम बना रहे हैं और इस नये नियम का सम्बन्ध पंजीबद्ध डाक्टरों से है । क्या केन्द्रीय सरकार उस समय तक प्रतीक्षा करेगी जब तक कि सभी राज्यों में इस सम्बन्ध में विधान पास नहीं हो जाते ?

†**श्री करमरकर :** राज्य इस बारे में विधान पास नहीं करेंगे । उन्होंने पंजीबद्ध डाक्टरों की सूचियां तैयार कर ली हैं । प्रस्थापित नियम के अधीन जो बात है, वह यह है कि वह पंजीबद्ध डाक्टरों के अतिरिक्त अन्य व्यक्तियों को इस व्यवसाय से रोकना चाहती है । इस सम्बन्ध में अभ्यावेदन प्राप्त हुये हैं कि 'पंजीबद्ध डाक्टरों' से वास्तव में क्या तात्पर्य लिया जाये । मैं समझता हूं कि उसकी भाषा श्लेष तथा अस्पष्ट है, इसीलिये इस बारे में ये अभ्यावेदन आये हैं । हमने राज्य सरकारों से भी सलाह ली है और हम कोई ऐसा हल निकाल रहे हैं जिससे अधिकांश शिकायतें दूर की जा सकें ।

†**श्री गोरे :** इस बात को ध्यान में रखते हुये कि राय २० फरवरी से पहले मांगी गई थी, सरकार इस बारे में अब कब तक निर्णय कर लेगी ?

†**श्री करमरकर :** इस सम्बन्ध में हम राज्य सरकारों के उत्तर की प्रतीक्षा कर रहे हैं और मेरा खयाल है कि इस काम में अधिक समय नहीं लगेगा ।

†**श्री आचार :** क्या जब तक इस बारे में कोई विचार नहीं बनता तब तक वर्तमान स्थिति को ज्यूं का त्यूं रहने दिया जायेगा ?

†**श्री करमरकर** जी, हां । राज्य सरकारों के परामर्श से इस बारे में जब तक कोई निर्णय नहीं कर लिया जाता तब तक वर्तमान स्थिति को नहीं बदला जायेगा । स्थिति वैसे ही रहेगी जैसी कि इस समय है ।

†**अध्यक्ष महोदय :** माननीय सदस्य एक वकील हैं, और वे यह पूछना चाहते हैं कि क्या यह संशोधन विधान द्वारा किया जायेगा या कि कार्यपालिका के आदेशों से ।

†**श्री करमरकर :** इसके लिये किसी विधान की आवश्यकता नहीं है । परन्तु हम इस बात का पूरा-पूरा ध्यान रखेंगे कि जब तक सभी बातों पर विचार न कर लिया जाये और कोई अन्तिम निर्णय न कर लिया जाये, तब तक किसी के भी हित पर बुरा असर न पड़े ।

---

†मूल अंग्रेजी में

एक महिला यात्री पर आक्रमण

+

†*१५३२. { श्रीमती इला पालचौधरी :
श्री बालकृष्णन् : }

क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत सरकार का ध्यान १३ मार्च, १९५९ को दिल्ली के हिन्दुस्तान स्टैण्डर्ड में प्रकाशित उस समाचार की ओर आकृष्ट किया गया है कि एक महिला यात्री, श्रीमती मनोरमा कपूर पर, जो कि दिल्ली आने वाली पठानकोट एक्सप्रैस के एक द्वितीय श्रेणी के डिब्बे में यात्रा कर रही थीं झांसी के निकट एक डाकू द्वारा डिब्बे में आक्रमण किया गया और उन्हें गाड़ी से बाहिर फैंक दिया गया था;

(ख) यदि हां, तो इस दुर्घटना का ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई है ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां)** : (क) से (घ). कुमारी मनोरमा कपूर १०-३-५९ को रात को एक द्वितीय श्रेणी के डिब्बे में १९७ डाउन ट्रेन से खण्डवा से दिल्ली आ रही थीं। झांसी के बाद जब उनका डिब्बा खाली हो गया और वे अकेली रह गयीं, तो गाड़ी के गार्ड ने उन्हें परामर्श दिया कि वे अन्दर से चिटकनी बन्द कर दें और उन्होंने वैसा ही किया। करारी और दतिया के बीच एक व्यक्ति डिब्बे के पायदान पर आया और उसने यह कह कर कि वह रेलवे कर्मचारी है और नीचे गिर रहा है, दरवाजा खोलने के लिये निवेदन किया। कुमारी मनोरमा ने उस पर उपकार कर के दरवाजा खोल दिया। उस व्यक्ति ने अन्दर घुसते ही उन पर आक्रमण कर दिया और उन से उन की कलाई की घड़ी छीन कर उन्हें गाड़ी से बाहिर फैंक दिया। जब उन्हें होश आया तो उन्होंने पास के गांव में जा कर सारी बात बतायी। फिर, करारी की जिला पुलिस और स्टेशन मास्टर को इस बारे में सूचित किया गया। उन्हें इलाज के लिये सिविल अस्पताल ले जाया गया।

(ग) पुलिस मामले की जांच कर रही है।

†**श्रीमती इला पालचौधरी** : क्या इस सम्बन्ध में अभी तक कोई गिरफ्तारी की गयी है ?

†**श्री शाहनवाज खां** : जहां तक मुझे ज्ञात है, अभी तक तो किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार नहीं किया गया है।

†**श्रीमती इला पालचौधरी** : इस प्रकार के मामले में, जब कि किसी डिब्बे में एक महिला अकेली यात्रा कर रही होती है, क्या कोई ऐसा उपकरण नहीं लगाया जा सकता जिसकी सहायता से वह, डिब्बे का दरवाजा खोलने से पहले गार्ड को बुला सकें ?

†**श्री शाहनवाज खां** : वह महिलाओं के दूसरे दर्जे के डिब्बे में यात्रा कर रही थीं। उसमें अन्दर चिटकनियां थीं और उन्हें बतलाया गया था कि वह अन्दर से चिटकनियां बन्द कर लेंयें। परन्तु यहां गत यह हुई कि किसी आदमी ने धोखे से उन से दरवाजा खुला लिया। उस बेचारी ने दयावश ऐसा कर दिया।

†**श्री स० म० बनर्जी** : क्या उस गाड़ी में रेलवे पुलिस का भी कोई कर्मचारी यात्रा कर रहा था। उसे देखना चाहिये था कि गाड़ी के पायदान पर कौन व्यक्ति जा रहा है, और यदि हां, तो उसके द्वारा क्या कार्यवाही की गयी थी ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†श्री शाहनवाज खां : जहां तक मुझे ज्ञात हुआ है, उस गाड़ी में रेलवे पुलिस का कोई भी कर्मचारी यात्रा नहीं कर रहा था ।

†श्री स० म० बनर्जी : उस गाड़ी के साथ पुलिस क्यों नहीं चल रही थी । प्रत्येक गाड़ी के साथ कम से कम तीन चार पुलिस मैन चलते हैं । उस गाड़ी में वे साथ क्यों नहीं थे ?

†श्री शाहनवाज खां : प्रत्येक सवारी गाड़ी के साथ पुलिस नहीं रहती । यदि उस गाड़ी में कोई पुलिस के सिपाही होते भी, तब भी वे कुछ नहीं कर सकते थे क्योंकि उस समय गाड़ी चल रही थी । यदि कोई व्यक्ति, जोकि पायदान पर यात्रा कर रहा हो, किसी महिला से डिब्बे का दरवाजा खोलने के लिये कहता है और वह महिला दरवाजा खोल देती है, तो उस स्थिति में पुलिस क्या कर सकती है ?

†श्री स० म० बनर्जी : गाड़ी चलने से पहले ही वह गाड़ी के पायदान पर चढ़ गया होगा ।

†अध्यक्ष महोदय : तो फिर क्या, उस से क्या होता है ।

†श्री वाजपेयी : गार्ड ने उन से अन्दर से चटकनी बन्द करने के लिये कहने की बजाये खुद ही ताला क्यों नहीं लगा दिया ?

†अध्यक्ष महोदय : तो उस के लिये गार्ड को स्वयं भी अन्दर जाना पड़ता मुझे ऐसे प्रश्नों पर आश्चर्य होता है ।

†श्री वाजपेयी : नहीं बाहिर से ताला लगाया जा सकता था ।

†अध्यक्ष महोदय : तो वह भी बाहिर से खोला जा सकता था । नित्य प्रति ऐसी घटमायें होती हैं कि बाहिर से लगे ताले भी खोल लिये जाते हैं । वैसे तो चोरों के पास चाबियां होती ही हैं, और यदि न हों तो वे बनवा लेते हैं । इसलिये सब से अच्छा तरीका तो यह है कि अन्दर से ताला लगाया जाये ।

अबाध व्यापार क्षेत्र[1]

†*१५३३. { **श्री राम कृष्ण गुप्त :**
श्री विद्या चरण शुक्ल :
सरदार अ० सिं० सहगल : }

क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री ४ दिसम्बर, १९५८ के तारांकित प्रश्न संख्या ५३७ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कांडला पत्तन पर एक अबाध व्यापार क्षेत्र स्थापित करने की योजना की जांच की गयी है और इस पर विचार लिया गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या निर्णय किया गया है;

(ग) क्या सरकार ने उन परिस्थितियों पर विचार किया है जिन के अधीन विदेशी व्यापार सम्बन्धी भारतीय परिषद ने एक अबाध व्यापार क्षेत्र बनाने के लिये बम्बई पत्तन के निकट भूमि प्राप्त करने के सम्बन्ध में विज्ञापन किया था; और

†मूल अंग्रेजी में

[1]Free Trade Zone.

(घ) यदि हां, तो उस के क्या परिणाम निकले हैं ?

†**परिवहन तथा संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राज बहादुर) :** (क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

(ग) और (घ). जिस विज्ञापन की ओर संकेत किया गया है वह सरकार के ध्यान में नहीं है । बम्बई पत्तन न्यास को पत्तन में एक अबाध व्यापार क्षेत्र स्थापित करने के लिये परिषद् द्वारा किये जाने वाले किसी भी प्रयत्न के सम्बन्ध में कुछ भी ज्ञात नहीं है । इस प्रकार का कोई सुझाव सरकार के विचाराधीन भी नहीं है ।

†**श्री राम कृष्ण गुप्त :** इस पत्तन में एक खुला व्यापार ज़ोन स्थापित करने से पत्तन के उपयोग पर क्या क्या असर पड़ेगा ?

†**श्री राज बहादुर :** यदि कांडला के पत्तन में एक अबाध व्यापार क्षेत्र स्थापित हो गया तो उस से उस क्षेत्र के उद्योगों को विशेष प्रोत्साहन मिलेगा और उस से सम्भवतः उस पत्तन से होने वाले व्यापार तथा वाणिज्य को भी प्रोत्साहन मिलेगा ।

†**श्री राम कृष्ण गुप्त :** क्या अन्य पत्तनों में भी इस प्रकार के ज़ोन स्थापित करने का विचार है ?

†**श्री राज बहादुर :** यह तो अपने प्रकार की एक सब से पहली प्रस्थापना है जिस पर सरकार विचार कर रही है । इस परीक्षण के सफल हो जाने के उपरान्त ही अन्य पत्तनों के सम्बन्ध में विचार किया जा सकेगा ।

†**श्री नागी रेड्डी :** अबाध व्यापार क्षेत्र से वास्तव में तात्पर्य क्या है ?

†**श्री राज बहादुर :** किसी भी समुद्री पत्तन अथवा हवाई अड्डे के निकट के किसी विशेष क्षेत्र के आस पास एक प्रकार की सीमा शुल्क सम्बन्धी सीमा सी लगा दी जाती है और उस क्षेत्र में व्यापार योग्य वस्तुओं को स्वतन्त्रतापूर्वक अथवा बहुत कम प्रतिबन्धों पर लाया जा सकता है । उस में सीमा शुल्क सम्बन्धी प्रतिबन्ध ढीले कर दिये जाते हैं । आयात कोटों के सम्बन्ध में भी रियायत दी जाती है । विदेशी मुद्रा की अदायगी में भी कुछ रियायत मिलती है क्यों कि उस की अदायगी बाद में की जा सकती है । वस्तुयें वहां पर लाई जा सकती हैं, उन्हें अलग अलग कोटियों में बांटा जा सकता है; उन्हें तैयार किया जा सकता है और अन्त में उनका पुनः निर्यात किया जा सकता है । अबाध व्यापार क्षेत्र में उपरोक्त सभी सुविधायें दी जाती हैं । निश्चित रूप से अबाध व्यापार क्षेत्र पत्तनों के सम्बन्ध में एक प्रकार की विकास योजना है ।

†**श्री खीमजी :** यदि सरकार ने कांडला में एक अबाध व्यापार क्षेत्र स्थापित कर लिया तो क्या सरकार उस क्षेत्र के नियंत्रण और विकास का काम चलाने का कार्य मंत्रणा समिति को सौंप देगी ?

†**श्री राज बहादुर :** यह एक ऐसा मसला है जिस पर वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग, वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय और रिजर्व बैंक के परामर्श से विचार करना होगा । इस समय मैं नहीं बता सकता कि उस पर किस प्रकार का नियंत्रण रखा जायेगा परन्तु सामान्यतया वह उस पत्तन प्रशासन के अन्तर्गत ही चलेगा ।

---

†मूल अंग्रेजी में

†श्री आचार : क्या इस से सीमा शुल्क के सम्बन्ध में कुछ हानि होगी ?

†श्री राज बहादुर : यदि उसका अच्छी प्रकार से प्रशासन किया जाये तो मैं नहीं समझता की सीमा शुल्क के सम्बन्ध में कोई हानि होगी ।

†श्री खाडिलकर : क्या यह क्षेत्र उस प्रकार का होगा जैसा कि हांगकांग में, जहाँ पर अन्तर्राष्ट्रीय सीमा शुल्क सम्बन्धी कोई प्रतिवन्ध है ही नहीं, और क्या सरकार ने इस प्रकार के खुले व्यापार जोन से उत्पन्न होने वाली कठिनाइयों के सम्बन्ध में भी विचार किया है। उदाहरणार्थ अदन इस अर्थ में एक खुला पत्तन है। मैं जानना चाहता हूं कि इस प्रकार के पत्तनों से उत्पन्न होने वाली कठिनाइयों पर नियंत्रण रखने के लिए क्या क्या उपाय सोचे गए हैं ?

†श्री राज बहादुर : हांगकांग के पत्तन और कांडला पत्तन की स्थिति में कोई साम्य नहीं, और फिर एक खुले पत्तन और खुले व्यापार क्षेत्र में भी कोई समानता नहीं है। एक अबाध व्यापार क्षेत्र पर कुछ अधिक प्रतिबन्ध होते हैं यद्यपि उसमें कुछ एक नियमों में ढिलाई कर दी जाती है परन्तु एक 'फ्री पोर्ट' में किसी भी प्रकार का कोई भी प्रतिबन्ध नहीं होता।

†श्री नागी रेड्डी : क्या यह सच नहीं है कि इस प्रकार के अबाध व्यापार क्षेत्र में से बहुत सी ऐसी वस्तुऐं देश में आ जाती हैं जो कि अन्य पत्तनों के द्वारा देश में नहीं आ सकती और उससे देश में एक आर्थिक परिवर्तन सा आ जाता है जिसके परिणामस्वरूप देश को नुकसान होने का खतरा पैदा हो जाता है ?

†श्री राज बहादुर : इस संदर्भ विशेष में "अवैध रूप से लाया जाना" नामक शब्द लागू नहीं होता। अन्य संदर्भ में यह लागू हो सकता है। उन्हें आश्वासन देना चाहूंगा कि सीमा शुल्क प्रतिबन्ध के द्वारा हम इस चीज को रोक देंगे।

†श्री गोरे : प्रश्न संख्या १५२६ के मेरे अनुपूरक के उत्तर में माननीय मंत्री ने कहा था कि कांडला पत्तन का विकास हो रहा है। यदि उसका विकास हो रहा है तो उसे अबाध व्यापार क्षेत्र घोषित करने की क्या आवश्यकता है ?

†श्री राज बहादुर : विकास एक सापेक्ष शब्द है। मैंने कहा था कि जहां तक उसके विकास का संबंध है वह हमारी आशा के अनुरूप ही हो रहा है ।

हीराकुद वर्कशाप

†*१५३४. श्री पाणिग्रही : क्या सिंचाई और विद्युत् मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या हीराकुद वर्कशाप उड़ीसा सरकार को हस्तान्तरित कर दी गई है ;

(ख) यदि हां, तो कब से; और

(ग) क्या उड़ीसा सरकार का विचार वर्कशाप को गैर-सरकारी उद्योगपतियों के हाथ बेच देने का है ?

†मूल अंग्रेजी में

†**सिंचाई और विद्युत् उपमंत्री (श्री हाथी)** (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग). प्रश्न उत्पन्न नहीं होते।

†**श्री पाणिग्रही** : क्या हीराकुद वर्कशाप का नियंत्रण उड़ीसा सरकार के हाथों हस्तान्तरित कर देने का कोई विचार है ?

†**श्री हाथी** : अभी नहीं।

†**श्री पाणिग्रही** : क्या इस वर्कशाप का हस्तान्तरण तभी किया जायेगा जब कि हीराकुद परियोजना उड़ीसा सरकार को हस्तांतरित कर दी जायेगी?

†**श्री हाथी** : सामान्य दशा में ऐसा ही होना चाहिये।

अन्तर्राष्ट्रीय चीनी करार

+

†*१५३५. { **श्री राम कृष्ण गुप्त** : **श्री जीनचन्द्रन्** :

क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री १ दिसम्बर १९५८ के तारांकित प्रश्न संख्या ४०९ के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने नये अन्तर्राष्ट्रीय चीनी करार का एक पक्ष बनने के बारे में अन्तिम निर्णय कर लिया है;

(ख) यदि हां, तो किस प्रकार का निर्णय किया गया है ; और

(ग) उसके क्या कारण हैं?

†**खाद्य तथा कृषि उपमंत्री (श्री अ० म० थामस)** : (क) मामला अभी भी विचाराधीन है।

(ख) और (ग). प्रश्न उत्पन्न नहीं ोते।

†**श्री राम कृष्ण गुप्त** : इस करार के अन्य कौन-कौन से देश सदस्य बने हैं ?

†**श्री अ० म० थामस** : भारत के अलावा अन्य सभी प्रमुख निर्यात करने वाले देश इसके सदस्य हैं। इस मामले पर हम भी विचार कर रहे हैं। करार में शामिल होने के लिये कोई निर्धारित समय नहीं है। इसके सदस्य बनने अथवा अन्यथा निश्चय करने से पहले सरकार को विभिन्न पहलुओं पर विचार करना होगा।

मेडिकल कालेज

†*१५३६. **श्री पाणिग्रही** : क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश के सभी मेडिकल कालेजों में एम० बी० बी० एस० के पांच वर्ष के पाठ्यक्रम को घटा कर ४ $^{1}/_{2}$ वर्ष का कर दिया गया है;

†मूल अंग्रेजी में

(ख) क्या ४ $^1/_2$ वर्ष के एम० बी० बी० एस० कोर्स को पूरा कर लेने के पश्चात् छात्रों को अनिवार्य रूप से एक वर्ष तक मेडिकल कालेजों के अन्दर ही रहकर व्यावहारिक प्रशिक्षण लेना पड़ता है;

(ग) क्या भारतीय चिकित्सा परिषद् ने राज्य सरकारों से अपने नये विनियम में यह कहा है कि मेडिकल कालेज के अन्दर रहने वाले ऐसे छात्रों को वजीफा न दिया जाये, और

(घ) क्या इस नये विनियम के अनुसार किसी राज्य सरकार ने मेडिकल कालेजों के अन्दर रहने वाले ऐसे छात्रों को छात्रवृत्ति देना बन्द कर दिया है ?

†**स्वास्थ्य मंत्री (श्री करमरकर)** (क) और (ख). भारत की चिकित्सा परिषद् ने यह सिफारिश की है कि विश्वविद्यालयों में एम० बी० बी० एस० का कोर्स कम से कम ५ $^1/_2$ वर्ष का कर दिया जाये जो इस प्रकार हो : (१) ४ $^1/_2$ वर्ष का कोर्स और एक वर्ष उसी कालेज में रहकर काम करना अथवा (२) ५ वर्ष का कोर्स और ६ मास उसी कालेज में रहकर काम करना।

अधिकांश विश्वविद्यालयों ने पहली शर्त स्वीकार की है।

(ग) जी नहीं।

(घ) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

†**श्री पाणिग्रही** : भाग (ग) के उत्तर में माननीय मंत्री ने कहा है कि भारतीय चिकित्सा परिषद् का कोई ऐसा विनियम नहीं है जिसमें यह कहा गया हो कि छात्रों को वहीं रह कर काम करने के लिये छात्रवृत्ति न दी जाये। हाल ही में कटक के ड़ीसा मेडिकल कालेज में राज्य सरकार वहीं रहकर काम करने वाले छात्रों को छात्रवृत्ति इस कारण नहीं दे रही है कि भारतीय चिकित्सा परिषद का विनियम यही है। क्या मैं इसका स्पष्टीकरण मांग सकता हूं ?

†**श्री करमरकर** : मैं इस बारे में पूर्व सूचना चाहूंगा कि क्या जहां तक कालेज के अन्दर रह कर काम करने वाले छात्र को छात्रवृत्ति देने का संबंध है, चिकित्सा परिषद् का उसमें क्या दखल है। जहां तक मुझे इस समय जानकारी है, मेरा भाग (ग) का उत्तर सही है।

†**श्री पाणिग्रही** : भाग (ग) का उत्तर सही है क्योंकि भारतीय चिकित्सा परिषद् का भी यही कहना है कि यह सही है किन्तु उड़ीसा की सरकार.....

†**अध्यक्ष महोदय** : माननीय सदस्य इस बारे में अलग से प्रश्न पूछें।

†**श्री पाणिग्रही** : क्या उन राज्यों में जिनमें मेडिकल कालेजों में छः मास का प्रशिक्षण दिया जाता है, उन छात्रों को जो वहीं रह कर काम करते हैं, छात्रवृत्ति मिलती है?

†**श्री करमरकर** : मुझे लेडी हार्डिंग कालेज का पता है जहां कालेज के अन्दर रह कर काम करने वाले छात्रों को भोजन व्यय के रूप में ५० रुपये प्रति मास मिलता है।

†**श्रीमती इला पालचौधरी** : क्या अन्य छात्रों की तुलना में अनुसूचित जाति के छात्रों के लिये छात्रवृत्ति की शर्तें अधिक उदार हैं ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†श्री करमरकर : यह वैसा भोजन व्यय के लिये दिया जाता है। अनुसूचित जाति के लोग भी वही चीजें खाते हैं जो अन्य जाति के लोग खाते हैं। इस बारे में रियायत का कोई प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता जहां तक लेडी हार्डिंग कालेज का संबंध है सभी छात्रों को ५० रुपये खाने के दिये जाते हैं।

†श्री स० म० बनर्जी : क्या मंत्री महोदय को पता है कि चिकित्सा परिषद् और कालेज अधिकारियों के बीच कुछ मतभेद हो जाने से उड़ीसा सरकार ने कालेज को बन्द कर देने की धमकी दी थी और वास्तव में वह बन्द हो भी गया। यदि ऐसा है तो क्या केन्द्रीय सरकार इस मामले में हस्तक्षेप करेगी ?

†श्री कमरकमर : मुझे गैर-सरकारी अथवा सरकारी जानकारी नहीं है। समाचारपत्रों से मुझे भी यही समाचार मिला है कि छात्रों ने हड़ताल कर दी और सरकार ने कालेज बन्द कर दिया। उनमें कालेज के अन्दर रह कर काम करने वाले छात्रों को छात्रवृत्ति देने के बारे में कुछ मत-भेद हो गया था।

†श्री पाणिग्रही : मंत्री महोदय ने अभी अभी कहा था कि कालेज में रह कर काम करने वाले छात्रों को छात्रवृत्ति देने के बारे में कुछ मतभेद था। उड़ीसा की सरकार कालेज के अन्दर रह कर काम करने वाले छात्रों को छात्रवृत्ति नहीं देना चाहती जबकि चिकित्सा परिषद् ने ऐसा कोई विनियम नहीं भेजा है। क्या केन्द्रीय सरकार उड़ीसा की सरकार से वास्तविक स्थिति पूछेगी तथा यह भी पूछेगी कि उसने मेडिकल कालेज क्यों बन्द कर दिया ?

†श्री करमरकर : इस विषय में कठिनाई यह है कि मेडिकल कालेज पूर्णरूपेण राज्य सरकारों के अधिकार क्षेत्र में आते हैं। यदि कोई सामान्य प्रकार का प्रश्न उत्पन्न होता है तो हम इसमें हस्तक्षेप करते हैं। अन्यथा उड़ीसा की सरकार को हम से असहमत होने का पूर्ण अधिकार प्राप्त है यदि हम उसके अधिकार क्षेत्र में हस्तक्षेप करते हैं।

†श्री स० म० बनर्जी : क्या यह सच है कि उड़ीसा मेडिकल कालेज को केन्द्रीय सरकार से कुछ भी सहायता नहीं मिलती है ? यदि केन्द्र सहायता देता है, तो वह इस मामले में हस्तक्षेप कर के कालेज क्यों नहीं खुलवा सकता है ?

†श्री करमरकर : मेडिकल कालेजों के बारे में अपनी स्थिति स्पष्ट करने का हमें माननीय सदस्य ने जो अवसर दिया है उसके लिये मैं उनका आभारी हूं। जहां तक मेडिकल कालेजों को खोलने, स्थापना करने तथा उन्हें चलाते रहने का सम्बन्ध है, इस बारे में सारा अधिकार राज्य सरकारों को होता है ; हम उनके एकाधिकार में हस्तक्षेप नहीं करना चाहते। यदि कोई राज्य सरकार नया कालेज खोलना चाहिती है तो अन्य चीजें समान रहते हुए हमारा विचार यह है कि हम अनावर्तक व्यय का तीन चौथाई तथा आवर्तक व्यय के भी कुछ अंश में हिस्सा लेने को तैयार हैं। कटक कालेज के लिये भी हम इसी प्रकार की सहायता दे चुके हैं किन्तु उससे हमें इतना अधिकार नहीं मिल जाता कि हम प्रत्येक छोटे-मोटे मामले में हस्तक्षेप कर सकें।

†अध्यक्ष महोदय : कालेज को खोलने और बन्द करने का पूर्ण अधिकार राज्य सरकार को प्राप्त है। माननीय मंत्री का कथन है कि इसमें उनका कोई अधिकार नहीं है।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री पाणिग्रही :** क्या कालेज के अन्दर रह कर काम करने वालों और हाउस सर्जनों में कोई अन्तर है ? हाउस सर्जनों की छात्रवृत्ति कितनी है जबकि कालेज के अन्दर रह कर काम करने वालों को छात्रवृत्ति नहीं मिलती । क्या चिकित्सा परिषद् ने भी इन दोनों में कोई अन्तर रखा है ?

†**श्री करमरकर :** यह मामला चिकित्सा परिषद् तथा विभिन्न कालेजों के बीच का है जबकि चिकित्सा परिषद् एक स्वायत्तशासी निकाय है जो संसद् के अधीन काम करती है । कालेजों को मान्यता देने का काम चिकित्सा परिषद् करती है । जहां तक कालेजों को मान्यता देने का प्रश्न है, हमारा उससे कोई सम्बन्ध नहीं । मान्यता देना अथवा न देना हमारे वश में नहीं है ।

पंजाब में बिजली

†**१०३१. सरदार इकबाल सिंह :** क्या **सिंचाई और विद्युत्** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि केन्द्रीय जल तथा विद्युत् आयोग के प्राक्कलन से पता लगा है कि पंजाब में विद्युत् शक्ति की अत्यधिक कमी है ; और

(ख) यदि हां, तो पंजाब में अधिक विद्युत् शक्ति की व्यवस्था करने के लिये क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

†**सिंचाई और विद्युत् उपमंत्री (श्री हाथी) :** (क) प्राक्कलन से पता लगता है कि पंजाब में विद्युत् की कमी है । प्रथम योजना के अन्त में यह कमी दस लाख वाट थी और द्वितीय योजना काल के अन्त तक १६० लाख वाट की कमी हो जायेगी ।

(ख) इस कमी को पूरा करने के लिये तृतीय योजना बनाते समय भाखड़ा में दाहिने तट पर ५३,०००/६०,००० किलोवाट वाले चार सेट बनवाने और भाखड़ा जलाशय की क्षमता बढ़ाने के लिये व्यास-सतलज सम्पर्क बनाने पर विचार किया जायेगा ।

†**सरदार इक़बाल सिंह :** प्रथम योजना और द्वितीय योजना के अन्त में पंजाब राज्य की बिजली की कितनी मांग थी ?

†**श्री हाथी :** प्रथम योजना के अन्त में ५७ लाख वाट और द्वितीय योजना के अन्त में यह मांग ६ ७० लाख वाट होगी ।

†**सरदार इक़बाल सिंह :** दाहिने तट पर बिजलीघर बन जाने से भी पंजाब में बिजली की कमी रहेगी । इस कमी को दूर करने के लिये सरकार क्या कार्यवाही करने का विचार करती है ?

†**श्री हाथी :** इसकी कार्यवाही व्यास-सतलज सम्पर्क तैयार करना होगी ।

†**श्री राम कृष्ण गुप्त :** क्या दाहिने तट के बिजली घर के लिये पंजाब सरकार ने वित्तीय सहायता मांगी है ?

†**श्री हाथी :** यही तो मैं कह चुका हूं । तृतीय योजना बनाने में इसी पर विचार किया जा रहा है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

†सरदार इकबाल सिंह : क्या दाहिने तट के बिजलीघर के लिये ४ के बदले ५ टरबाइन बनवाने का विचार है ?

†श्री हाथी : चार सेटों का विचार है।

†अध्यक्ष महोदय : सारे प्रश्न समाप्त हो गये हैं। अतः अब मैं उन माननीय सदस्यों के नाम पुकारूंगा जो पहले पुकारे जाने के समय उपस्थित नहीं थे।

दाल के मूल्यों में वृद्धि

†*१५३१. { + श्री मूल चन्द दुबे :
श्री प० ला० बारूपाल :
श्री क० भे० मालवीय : }

क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि श्रीगंगानगर (राजस्थान) के कुछ व्यापारियों को अनुज्ञप्तियां दी गई हैं कि वे राज्य से १०.५० रुपये प्रति मन पर चने खरीद कर उन्हें अन्य राज्यों में अधिक मूल्य पर बेचें, ;

(ख) यदि हां, तो इस के क्या कारण हैं ; और

(ग) अन्य किन राज्यों में ऐसी ही अनुज्ञप्तियां व्यापारियों को दी गई हैं ?

†खाद्य तथा कृषि उपमंत्री (श्री अ० म० थामस) : (क) जी नहीं।

(ख) और (ग). ये प्रश्न उठते ही नहीं।

†श्री कासलीवाल : गंगानगर में दाल का प्रचलित भाव क्या है ?

†श्री अ० म० थामस : हमारे पास आंकड़े नहीं हैं। चने का कंट्रोल का भाव १०.५० न० पै० है।

†श्री ब्रजराज सिंह : क्या यह सच है कि यही दाल उत्तर प्रदेश के पश्चिमी हिस्सों में १ रुपये सेर के भाव से बिकती रही है ?

†श्री अ० म० थामस : यह संभव है। पिछले वर्ष चने की पैदावार को काफी क्षति पहुंची थी और राजस्थान तक में उत्पादन पर्याप्त नहीं हुआ। हम समाहारित स्टाक में से ही चने का निर्यात करने की अनुमति दे रहे हैं।

सेठ गोविन्द दास : क्या मंत्री महोदय को यह बात मालूम है कि इस वर्ष भी दालों की उपज सारे भारतवर्ष में अच्छी नहीं हुई है और भावों के बढ़ने की सम्भावना है, ऐसी हालत में क्या सरकार इस बात पर विचार कर रही है कि दाल जो यहां से बाहर जाती है उसका एक्सपोर्ट हर एक स्टेट से बन्द कर दिया जाये ?

†श्री अ० म० थामस : राजस्थान के बीकानेर डिवीजन से चने का निर्यात मना है। राज्य सरकार द्वारा केवल समाहारित स्टाक में से निर्यात करने की अनुमति दी गई है। जहां तक चने

† मूल अंग्रेजी में

की दाल पर प्रतिबन्ध का सम्बन्ध है इससे चने की दाल के उद्योग पर असर पड़ रहा है। जिन बाजारों की बहुत समय से राजस्थान से चने की दाल की नियमित आवश्यकता पूरी होती थी उनके लिये ११७० टन चने की दाल का निर्यात करने की अनुमति दे दी गई है।

†**सेठ गोविन्द दास :** मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं दिया गया है। मैं समझता हूं कि माननीय मंत्री मेरा प्रश्न नहीं समझ सके हैं। मैंने कहा था कि इस वर्ष भी सारे देश में दाल की फसल अच्छी नहीं हुई है तथा दाल का भाव और भी बढ़ जाने की आशंका है। ऐसी परिस्थिति में क्या सरकार प्रत्येक राज्य से दाल के निर्यात पर प्रतिबन्ध लगाने पर विचार कर ही है ?

†**श्री अ० म० थामस :** जी नहीं, फिलहाल ऐसा कोई विचार नहीं है।

श्री नवल प्रभाकर : क्या मंत्री महोदय यह बतालाने की कृपा करेंगे कि गंगानगर में क्या भाव है और वहां से क्या चना बाहर भेजा जाता है या नहीं ?

†**श्री अ० म० थामस :** जैसा कि मैं कह चुका हूं गंगानगर में चने का भाव १०.५० नये पैसे है।

श्री नवल प्रभाकर : यह बाहर भेजा जाता है या नहीं, यह मैंने पूछा है।

†**श्री अ० म० थामस :** मैं पहले ही बता चुका हूं कि राजस्थान के बीकानेर डिवीज़न से निर्यात पर प्रतिबन्ध लगा दिया गया है। निर्यात केवल सरकार कर सकती है। राज्य सरकार द्वारा २०,९५३ मन निर्यात करने और अन्य जिलों में वितरित करने की अनुमति दी गई है। देश के अन्य राज्यों में राज्य से बाहर केवल ५,६८२ टन भेजने की अनुमति दी गई है।

†**पंडित द्वा० ना० तिवारी :** क्या मंत्री महोदय को यह पता है कि दाल का भाव इस समय ३० रुपया तक पहुंच गया है ?

†**श्री अ० म० थामस :** यह सच है कि चने और चने की दाल दोनों के भाव बहुत चढ़ गये हैं। किन्तु हाल ही में चने का भाव २-३ रुपये गिर गया है और हमें आशा है कि और कम हो जायेगा।

अल्प सूचना प्रश्न तथा उत्तर

भारत-पाक नहरी पानी विवाद

+

†अल्प सूचना प्रश्न संख्या १४. { **श्री हेम बरुआ :**
श्री रघुनाथ सिंह :
श्री दलजीत सिंह :
श्री वाजपेयी :
श्री दी० चं० शर्मा :
पंडित द्वा० ना० तिवारी :
श्री हरिश्चन्द्र माथुर :

क्या **सिंचाई और विद्युत्** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान पाकिस्तान के **वित्त** मंत्री द्वारा १७ मार्च, १९५९ को दिये गये इस वक्तव्य की ओर आकर्षित किया गया है कि भारत और पाकिस्तान के बीच नहरी पानी विवाद को हल करने के लिये विश्व बैंक ने नई योजनायें तैयार की हैं ;

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) यदि हां, तो यह योजना किस प्रकार की है और उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया हुई है ; और

(ग) इस विषय में दोनों देशों के बीच वाशिंगटन में हुई वार्ता के बारे में अब तक क्या प्रगति हुई है और क्या नये विश्व बैंक की योजना इस अपूर्ण वार्ता के आधार पर बनाई गई है ?

†**सिंचाई और विद्युत् उपमंत्री (श्री हाथी) :** (क) जी हां ।

(ख) और (ग). वाशिंगटन में इस समय जुलाई, १९५८ में लन्दन में पाकिस्तान द्वारा प्रस्तुत की गयी योजना, उस पर हमारी आलोचना तथा हमारी वैकल्पिक योजना पर चर्चा की जा रही है । भारत सरकार को बैंक की योजना में क्या क्या बातें हैं, यह सरकारी रूप से नहीं मालूम है । उन्हें बता दिया गया है कि बैंक के अध्यक्ष श्री ब्लैक भारत और पाकिस्तान की सरकारों से सिन्धु तलहटी जल के निबटारे के बारे में वार्ता करने के लिये मई में भारत और पाकिस्तान का दौरा करेंगे ।

†**श्री राम कृष्ण गुप्त :** १९४८ का करार समाप्त हो चुका है, अब क्या दूसरा तदर्थ करार समाप्त करने का विचार है ?

†**श्री हाथी :** १९४८ का करार जिसका उन्होंने उल्लेख किया है वह इस मध्यवर्ती करार से भिन्न है जो हम प्रतिवर्ष करते रहते हैं । मध्यवर्ती करार करने के लिये वार्ता चल रही है ।

†**श्री हेम बरुआ :** क्या यह सच है कि सन्तोषजनक परिणाम न निकल सकने पर पाकिस्तान का विचार अन्तर्राष्ट्रीय न्याय न्यायालय तथा अन्य अन्तर्राष्ट्रीय संगठनों का सहारा लेने का है, यदि ऐसा है तो क्या हमारी सरकार ने भी सन्तोषजनक हल न निकल सकने पर कोई कार्यवाही करने का विचार किया है ?

†**श्री हाथी :** हमें वार्ता से अनुकूल परिणाम निकलने की आशा है । श्री ब्लैक आ रहे हैं । आशा रखना अच्छा है और हमें देखना चाहिये कि क्या परिणाम निकलता है ।

†**श्री हेम बरुआ :** क्या अपनी ही भूमि में एक सुरंग बनाने के हमारे सुझाव को पाकिस्तान से नामंजूर कर दिया गया है, यदि ऐसा है तो हमारे इस सुझाव को पूर्णरूपेण अस्वीकार कर देने पर उनकी क्या प्रतिक्रिया हुई ?

†**श्री हाथी :** जैसा कि मैं सभा को बता चुका हूं हमने अपने प्रस्ताव प्रस्तुत कर दिये हैं । पाकिस्तान ने अपनी योजना प्रस्तुत कर दी है । उनका ब्योरा बताना उचित नहीं होगा ।

†**श्री वाजपेयी :** वस्तुतः स्थिति क्या है ? क्या विश्व बैंक द्वारा रखी गई कोई भी शर्त, भले ही वह हमारे हित में न हो, मानने के लिये हम बाध्य हैं ?

†**श्री हाथी :** विश्व बैंक तो दोनों देशों के बीच निबटारा करने के लिये हमारी सहायता कर रहा है । यह मध्यस्थ निर्णय नहीं है । इसका निर्णय करना तो हमारे हाथ में है कि हम बैंक की सिफारिश मानें या नहीं ।

†**पंडित द्वा० ना० तिवारी :** क्या २३ तारीख के समाचार पत्र में जो वक्तव्य निकला था उसमें कुछ सचाई है कि भारत द्वारा निश्चित की गई अन्तिम अवधि जून, १९६२ तक पास्किस्तान को पानी मिलता रहेगा ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री हाथी :** यह सब इस समय जो वार्ता चल रही है उस पर निर्भर करता है ।

†**श्री कासलीवाल :** भारत सरकार ने जो नई योजना प्रस्तुत की है क्या उसमें उसने यह स्वीकार कर लिया है कि जल संग्रह बोझ भारतीय भू-भाग में न हो कर पाकिस्तान में रहेगा ?

†**श्री हाथी :** जैसा कि मैं पहले ही बता चुका हूं योजना का विस्तारपूर्वक बताना उचित नहीं होगा ।

†**सरदार इकबाल सिंह :** क्या शीघ्र ही कोई तदर्थ अथवा मध्यवर्ती करार होने वाला है ? यदि हां, तो नये प्रस्ताव में पाकिस्तान में जो नये सम्पर्क बनाये गये हैं, पाकिस्तान को उन नये सम्पर्कों से कम पानी मिलेगा ?

†**श्री हाथी :** मध्यवर्ती और तदर्थ करार करने का विचार है । कितना जल संभरण किया जायेगा इसका निश्चय करते समय अतिरिक्त जो संभरण प्राप्त होता रहा है उस पर भी विचार किया जायेगा ।

†**सरदार इकबाल सिंह :** क्या इस नये मध्यवर्ती करार में फीडर से जल संभरण देने पर भी विचार किया जायेगा क्योंकि फीडर इस वर्ष से चलने लगेगी ।

†**श्री हाथी :** भारत सरकार देश की आवश्यकताओं पर विचार करेगी ।

†**श्री हेम बरुआ :** क्या यह सच है कि विश्व बैंक इस समय दोहरी योजना बनाने में लगा है अर्थात् एक योजना टेक्निकल सहायता के बारे में तथा दूसरी जलाशय बनाने के लिये विशेष सहायता प्राप्त करने के बारे में ? यदि ऐसा है तो क्या हमारे पदाधिकारी जो वाशिंगटन वार्ता म लगे हैं, उन्होंने हमारी सरकार को इस नवीनतम योजना का ब्योरा बता दिया है ? श्री ब्लैक जो कि मई के मध्य में यहां आ रहे हैं, वह इसी योजना का प्रतिरूप लेकर आ रहे हैं ?

†**श्री हाथी :** हमारी जानकारी यह है कि बैंक दोनों सरकारों से प्राप्त प्रस्तावों पर विचार कर रही है और एक निश्चित हल ढूंढ निकालने का प्रयत्न कर रही है । इससे आगे हमें कोई जानकारी नहीं है ।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

त्रिवेन्द्रम में छुरा मारने की दुर्घटना

†*१५१४. **श्री विद्या चरण शुक्ल :** क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि त्रिवेन्द्रम रेलवे स्टेशन की सीमा में हाल ही में छुरा मारने की कुछ दुर्घटनाएं हुई थीं जिसमें भारतीय राष्ट्रीय कार्मिक संघ के लोगों का हाथ था;

(ख) यदि हां, तो दुर्घटना का ब्योरा क्या है ;

(ग) क्या कोई जांच-पड़ताल की गई है; और

(घ) जांच प्रतिवेदन की प्रमुख विशेषताएं क्या है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां)** : (क) और (ख). दुर्घटना वल्लकाडावू (त्रिवेन्द्रम) में सहकारी समिति द्वारा काम में लगाये गये मजदूरों के दो दलों के बीच आपसी झगड़े के बारे में हुई थी जिसमें चावल तथा अन्य आवश्यक पदार्थ उतारने के लिये ये मजदूर काम में लगाये गये थे। साम्यवादियों के प्रभाव कुछ मजदूरों ने माल उतारने की दर में कुछ वृद्धि करने की मांग की थी जिसका समर्थन भारतीय राष्ट्रीय कार्मिक संघ द्वारा नियंत्रित मजदूरों के विपक्षी दल द्वारा नहीं किया गया। जिसका परिणाम दोनों दलों के बीच २७-१२-५८ को एक झगड़े के रूप में निकला जिसमें सात मजदूरों के चोटें लगीं। रेलवे संरक्षण पुलिस और सरकारी रेलवे पुलिस घटनास्थल पर पहुंच गई और शान्ति स्थापित की। त्रिवेन्द्रम की सरकारी रेलवे पुलिस ने दोनों दलों के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कर लिया। पुलिस द्वारा दोनों दलों के कुछ लोग गिरफ्तार कर लिये गये थे जिन्हें बाद में जमानत पर छोड़ दिया गया था। रेलवे सम्पत्ति को कुछ भी हानि नहीं पहुंची और न किसी रेलवे कर्मचारी के चोटें लगीं तथा जो मजदूर इसमें शामिल थे वे रेलवे के मजदूर नहीं हैं।

(ग) और (घ). पुलिस अभी मामले की जांच कर रही है।

राष्ट्रीय राजपथों पर पुल

†*१५१५. { **श्री साधन गुप्त :**
श्रीमती मफीदा अहमद : }

क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिमी बंगाल सरकार ने केन्द्रीय सरकार से ग्रैंड ट्रंक रोड पर के पुल विशेषकर सिंगरन, तुमला और दुर्गापुर से आगे नूनिया पुलों की मरम्मत के लिये निवेदन किया है;

(ख) क्या इस प्रयोजन के लिये कुछ राशि मंजूर की गई है;

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ;

(घ) क्या कथित तीनों पुलों की हालत बड़ी खराब है; और

(ङ) यदि हां, तो यातायात के लिये उन्हें सुरक्षित बनाने के लिये क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

†**परिवहन तथा संचार मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री राज बहादुर):** (क) से (ङ). मांगी गई जानकारी बताने वाला एक विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है।

(क) २६ मई, १९५८ को पश्चिम बंगाल सरकार ने भारत सरकार से सिंगरून के पुराने पुल के स्थान पर नया पुल बनाने तथा तुमला और नूनिया के पुल चौड़े करने अथवा उन्हें फिर से बनाने के लिये निवेदन किया था।

(ख) और (ग). सिंगरून के विद्यमान पुराने पुल के स्थान पर नया पुल बनाने के लिये ६,७२,१०० रुपये की राशि मंजूर की गई है। तुमला और नूनिया के भी पुलों को फिर से बनवाने के बारे में राज्य सरकार से प्राक्कलन की प्रतीक्षा की जा रही है।

---

†मूल अंग्रेजी में

(घ) सिंगरून का पुल संकरा है और पुराना हो चुका है किन्तु अन्य दो पुलों की दशा नामतः तुमला और नूनिया बहुत खराब नहीं है यद्यपि संकरे वे भी हैं और उन पर से केवल एक ही ओर से सवारियां आ जा सकती हैं।

(ङ) विद्यमान पुलों के स्थान पर नये स्थायी पुल बनाने के लिये कार्यवाही की जा रही है।

रामपुर-हलद्वानी रेलवे लाइन

१५१६. श्री मोहन स्वरूप : क्या **रेलवे** मंत्री २८ मई, १९५७ के अतारांकित प्रश्न संख्या ३७६ के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) रामपुर—हलद्वानी रेलवे लाइन की योजना में इस बीच क्या प्रगति हुई है, ;

(ख) यह कार्य कब तक समाप्त होने की सम्भावना है; और

(ग) इस योजना पर कितना व्यय होगा?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां)** : (क) यातायात और इंजीनियरिंग सर्वे पूरे हो चुके हैं और रेल-प्रशासन रिपोर्टें तैयार कर रहा है। लेकिन यह लाइन दूसरी पंचवर्षीय योजना में शामिल नहीं की गयी है।

(ख) और (ग). सवाल नहीं उठते।

सहकारी संयुक्त कृषि

†*१५१८. **श्री न० रा० मुनिस्वामी** : क्या **सामुदायिक विकास तथा सहकार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सहकारी संयुक्त कृषि के बारे में राज्य सरकारों का मत मांगा गया है और प्राप्त हो गया है; और

(ख) यदि हां तो क्या इन मतों की प्रतियां पटल पर रखी जायेंगी ?

†**सामुदायिक विकास तथा सध्कार उपमंत्री (श्री ब० स० मूर्ति)**: (क) द्वितीय पंच वर्षीय योजना में, जिसे राष्ट्रीय विकास परिषद् का, जिसमें सारे राज्यों के मुख्य मंत्री हैं, अनुमोदन प्राप्त है, कहा गया है;

> "सर्व सम्मति यह है कि सहकारी कृषि का यथाशीघ्र विकास किया जाये। यद्यपि इस क्षेत्र में बहुत थोड़ी क्रियात्मक सफलता प्राप्त हुई है। द्वितीय पंच वर्षीय योजना में मुख्य कार्य यह है कि सहकारी कृषि के विकास के लिए ठोस कार्यवाही की जाये ताकि लगभग दस वर्ष में अधिकतर कृषि सहकारी आधार पर होने लगे।"

इस उद्देश्य की दृष्टि से संयुक्त कृषि के औचित्य या अन्यथा के संबंध में अलग राज्य सरकारो का मत नहीं मांगा गया है :

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

---

†मूल अंग्रेजी में

रेलगाड़ी-मोटर दुर्घटना

†*१५२२. **श्री रघुनाथ सिंह** : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह सच कि १५ फरवरी १९५९ की रात को दक्षिण रेलवे पर पुथलपट्टू और चित्तूर के बीच एक समतल पारण पर रेलगाड़ी के एक डिब्बे से एक भरी हुई लारी के टकराकर चूर हो जाने से एक व्यक्ति मर गया तथा चार घायल हुए ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां)** : हां, श्रीमान् ।

नारियल उत्पादन

†*१५२३. **श्री मणियंगाडन** : : क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत में अपनी मांग की पूर्ति के लिए पर्याप्त नारियल होता है;

(ख) यदि नहीं तो अनुमानित अभाव कितना है;

(ग) क्या नारियल कृषि के विकास तथा उसके उत्पादन की वृद्धि की कोई योजनायें हैं; और

(घ) यदि हां तो वे योजनायें क्या हैं?

†**खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री अ० प्र० जैन)** : (क) नहीं।

(ख) ९८१० लाख नारियल वार्षिक।

(ग) हां।

(घ) नारियल विकास योजनायें निम्न प्रयोजनों के लिए मंजूर की जाती हैं : (१) नारियल रोपणियों की स्थापना, (२) नारियल पौदों का उत्पादन तथा वितरण, (३) नारियल कृषि के उन्नत ढंगों का प्रदर्शन, (४) नाशकीट तथा नारियल के पेड़ के रोगों के निवारण के लिए कृमिनाशक छिड़कना, (५) प्रचार, और (६) नारियल कृषि का विस्तार।

चावल कूटने का उद्योग (विनियमन) अधिनियम, १९५८

†*१५२४. **श्री सुब्बया अम्बलम्** : क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चावल कूटने का उद्योग (विनियमन) अधिनियम, १९५८ किसी राज्य में लागू हुआ है ;

(ख) यदि हां, तो उन राज्यों के नाम; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके लागू न होने के क्या कारण हैं ?

†**खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री अ० प्र० जैन)** : (क) से (ग). चावल कूटने का उद्योग (विनियमन) अधिनियम, १९५८ अभी किसी राज्य में लागू नहीं हुआ है। आजकल भारत सरकार अधिनियम के अधीन बने प्रारूप नियमों की राज्य सरकारों तथा अन्य व्यक्तियों से उनके संबंध में प्राप्त हुए मतों की दृष्टि से जांच कर रही है। इन प्रारूप नियमों के अन्तिम रूप में निश्चित होने पर अधिनियम जम्मू तथा काश्मीर राज्य के अतिरिक्त अन्य सारे राज्यों में लागू होगा।

---

†मूल अंग्रेजी में

ताड़ गुड़ के डाक पैकेटों पर प्रतिबन्ध

*१५२७. { **श्री आसर :**
श्री उ० ल० पाटिल :

क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने ताड़ गुड़ को डाक द्वारा पैकेटों, थैलियों, तथा नमूने के पैकेटों में भेजना अनियमित घोषित कर दिया है और इस प्रकार से उसके भेजने पर प्रतिबन्ध लगा दिया है;

(ख) क्या यह सच है कि डाक द्वारा ताड़ गुड़ के पैकेट भेजने की प्रथा गत कई वर्षों से थी; और

(ग) यदि हां, तो यह प्रतिबन्ध क्यों लगाया गया है ?

परिवहन तथा संचार मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) ताड़ गुड़ को डाक द्वारा भेजे जाने पर कोई पाबन्दी नहीं लगाई गई है । ताड़ गुड़ को पत्र या पार्सल या नमूना-डाक द्वारा भेज जा सकता हैं, लेकिन जब इसे नमूना-डाक द्वारा भेजा जाय तो 'डाक-तार निर्देशिका' के खण्ड ६६ में दी गई शर्तों का अवश्य पालन करना चाहिए।

(ख) ऊपर दिये (क) के उत्तर को मद्देनजर रख इस तरह ताड़ गुड़ भेजे जाने की साफ तौर पर इजाजत दी गई है।

(ग) सवाल ही नहीं उठता ।

उत्तर रेलवे पर डीजल गाड़ियों का चलना

†२३८८. **श्री राम कृष्ण गुप्त** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को दिल्ली और लोहारो तथा दिल्ली और हिसार के बीच फिर से डीजल गाड़ियां चलाने के लिये अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं; और

(ख) यदि हां, तो उन पर क्या निर्णय किया गया है ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज़ खां)** : (क) सदर बाजार और सदलपुर तथा दिल्ली-सराय रोहिल्ला और हिसार के बीच डीजल गाड़ियां फिर से चलाने के लिये अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं ।

(ख) डीजल रेलगाड़ियों के इंजनों के ठीक होते ही गाड़ियां फिर से चलाई जायेंगी ।

रेवाड़ी स्टेशन

†२३८९. **श्री राम कृष्ण गुप्त** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि १९५८ में रिवाड़ी स्टेशन से कितने यात्री बाहर गये तथा कितने वहां आये ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज़ खां)** : १९५८ में रेवाड़ी स्टेशन से बाहर गये तथा वहां आये यात्रियों की संख्या क्रमानुसार १४,८२,५६३ और १४,४२,८५० थी ।

---

†मूल अंग्रेजी में

दिल्ली में केन्द्रीय सरकार के अस्पताल

†२३९०. **श्री राम कृष्ण गुप्त** : क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) नई दिल्ली के निम्न अस्पतालों में १९५८ में बाहरी रोगियों की दैनिक औसत संख्या क्या थी :

१. इरविन अस्पताल;
२. विलिंगडन अस्पताल;
३. लेडी हार्डिंग अस्पताल; और
४. सफदरजंग अस्पताल; और

(ख) उपरोक्त प्रत्येक अस्पताल में आज कुल कितने डाक्टर हैं ?

†**स्वास्थ्य मंत्री (श्री करमरकर)** : (क) और (ख). अपेक्षित जानकारी निम्न है :

	१९५८ में बाहरी रोगियों की औसत दैनिक संख्या	अस्पताल में डाक्टरों की संख्या
१. इरविन अस्पताल	१,९२६	१४६
२. विलिंगडन अस्पताल	१,२०४	६१†
३. लेडी हार्डिंग अस्पताल	३५९	५८
४. सफदरजंग अस्पताल	१,१४३	९१‡

‡अस्पतालों में अंशदायी स्वास्थ्य योजना के विशेषज्ञ भी सम्मिलित हैं ।

रेलगाड़ियों में गन्दगी

†२३९१. **श्री पांगरकर** : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को मध्य रेलवे की परमानी-पुरली लाइन पर बिना बिजली, पंखे तथा पानी के डिब्बों की गन्दी स्थिति का ज्ञान है; और

(ख) इस बारे में क्या कार्यवाही की जायेगी ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां)** : (क) मध्य रेलवे की परमानी-पुरली लाइन पर डिब्बों में बिजली, पंखों तथा पानी की वैसी ही व्यवस्था है जैसी कि मध्य रेलवे के ऐसे अन्य खंडों पर है ।

रेलवे लाइन का टूटना

†२३९२. **श्री पांगरकर** : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पिछली वर्षा ऋतु में मध्य रेलवे की मामाड-कचागुडा लाइन पुरना और निजामाबाद के बीच छोटे नालों से कहीं कहीं टूट गई थी; और

†मूल अंग्रेजी में

(ख) क्या सरकार ने कोई ऐसा प्रबन्ध किया है जिससे आगामी वर्षा ऋतु में फिर ऐसा न हो ?

†**रेलवे उप मंत्री (श्री शाहनवाज खां)** : (क) लाइन केवल एक स्थान पर टूटी थी तथा २२३/१–५ मील पर संख्या ३६२ (२'१५×) बह गई थी ।

(ख) पुलिया को फिर से सीमेंट कंकरीट का बनाया जा रहा है । इस में पानी निकलने के लिये काफी जगह है और इधर-उधर के किनारे भी अच्छे हैं ।

दिल्ली में "लक्जरी" बसें

†**२३६३. श्री राम कृष्ण गुप्त** : क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार का विचार दिल्ली में 'लक्जरी' बसें चलाने का है;

(ख) यदि हां, तो ये बसें कब तक चलाई जायेंगी ; और

(ग) कितनी बसें चलाई जायेंगी ?

†**परिवहन तथा संचार मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री राज बहादुर)**: (क) से (ग). दिल्ली में 'लक्जरी' बसें चलाने का दिल्ली परिवहन उपक्रम का कोई विचार नहीं है । आजकल दिल्ली में स्थान-भ्रमण-यात्रा के लिये शनिवार, रविवार और राजपत्रित छुट्टियों को उपक्रम द्वारा दो विशेष यात्री बसें चलाई जाती हैं जिन में माइक्रोफोन लगे होते हैं ।

दिल्ली में उचित मूल्य वाली दुकानें

†२३६४. **श्री राम कृष्ण गुप्त** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि दिल्ली में अब तक कितनी उचित मूल्य वाली दुकानें खोली गई हैं ?

†**खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री अ० प्र० जैन)** : चालू वर्ष में अब तक दिल्ली में ६५१ उचित मूल्य की दुकानें खोली गई हैं ।

मुसाफिरखाने

†**२३६५. श्री प्र० के० देव** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दक्षिण-पूर्व रेलवे पर १९५८–५९ में अब तक किन-किन स्टेशनों पर कितने मुसाफिर-खाने बनाये गये हैं; और

(ख) कितने मुसाफिरखानों की मरम्मत की गई तथा उस पर कितना व्यय हुआ ?

†**रेलवे उप मंत्री (श्री शाहनवाज खां)** : (क) स्टेशनों के नाम हैं : अमनपुर, बंसीधरा, बड़ाद्वार, गोरिन्ता, केला, खरिभार रोड, हद्दूबांगी, मिदनापुर, पलासिंगी, राज नन्दगांव, पेडासना और भड़ूं गोपालपुरम ।

(ख) मुसाफिरखानों का अलग रिकार्ड या खाते नहीं रखे जाते क्योंकि वे स्टेशनों की इमारतों के ही अंग हैं । इन की मरम्मत तथा देख-रेख का व्यय साधारणतया सेवा-इमारतों के साथ रखा जाता है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

उड़ीसा में खाद्य को डिब्बों में बन्द करने के कारखाने

†२३९६. **श्री प्र० के० देव** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या द्वितीय पंचवर्षीय योजना में उड़ीसा में खाद्य को डिब्बों में बन्द करने के कारखाने स्थापित करने का कोई प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो ये कारखाने कहां स्थापित होंगे तथा क्या खाद्य पदार्थ भरा जायेगा ?

†**खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री अ०प्र० जैन)** : (क) हां, श्रीमान् ।

(ख) फलों को डिब्बों में भरने के दो चार छोटे कारखाने पहिले ही स्थापित हो चुके हैं—दो कटक में हैं और एक एक अंगुल (धनेरूल जिला) और परलाखे मिडी (जिला गंजम) में हैं। इन के अतिरिक्त द्वितीय पंचवर्षीय योजना में डिब्बों में भरने का एक बड़ा कारखाना खोलने का विचार है। अभी तक उस के ठीक स्थिति-स्थान तथा तफसील के बारे में निश्चय नहीं हुआ है।

राज्य सरकार चिलका झील के पास मछलियों को डिब्बों में भरने का भी एक कारखाना खोलने की संभावना पर विचार कर रही है ।

येवला स्टेशन पर बिजली लगाना

†२३९७. **श्री जाधव** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि जिला नासिक में येवला में बिजली का निरन्तर तथा विश्वस्त संभरण है;

(ख) क्या यह सच है कि इस स्टेशन पर रोशनी का उचित प्रबन्ध नहीं है;

(ग) क्या सरकार का विचार स्टेशन पर बिजली लगाने का है; और

(घ) यदि हां, तो कब ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां)** (क) से (घ). येवला स्टेशन पर बिजली लगाने के प्रश्न पर १९५७ में विचार किया गया था। पता लगा था कि बिजली केवल प्रातः के साढ़े सात बजे और रात के ढाई बजे के बीच उपलब्ध थी तथा रात के ढाई बजे के बाद रोशनी के लिये तेल की रोशनी का प्रबन्ध करना आवश्यक था। इस दृष्टि से इस स्टेशन पर बिजली लगाने के प्रश्न पर आगे विचार नहीं किया गया। स्थानीय संभरण-समवाय को यह पूछने के लिये लिखा गया है कि कि क्या संभरण स्थिति में कोई सुधार हुआ है। यदि निरन्तर संभरण उपलब्ध है तो धन व्यवस्था होने तथा यात्री सुविधा समिति की स्वीकृति प्राप्त होने पर इस स्टेशन पर बिजली लगाई जायेगी। चार बड़े लेम्पों की विद्यमान प्रकाश व्यवस्था सन्तोषजनक समझी जाती है।

हिमाचल प्रदेश में कुंए

†२३९८. **श्री दलजीत सिंह** : क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९५७-५८ और १९५८-५९ अब तक हिमाचल प्रदेश में पीने के पानी के कितने नये कुंए बनाये गये हैं;

(ख) कितने कुंओं की मरम्मत की गई; और

---

†मूल अंग्रेजी में

(ग) इसी काल में पीने के पानी की व्यवस्था करने के लिये कितने तालाबों तथा बावलियों की मरम्मत की गई ?

†**स्वास्थ्य मंत्री (श्री करमरकर)** : कोई नहीं ।

(ख) कोई नहीं ।

(ग) (१) १९५७–५८ में १,३८८ ।

(२) १९५८–५९ (३१–१२–'५८ तक) में २,१९२ ।

कृषि कार्य के लिये लोहा और इस्पात का आवटन

†२३९९. **श्री रामी रेड्डी** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९५८–५९ में कृषि-कार्य के लिये विभिन्न राज्यों को कितना लोहा तथा इस्पात दिया गया ;

(ख) क्या विभिन्न राज्यों का १९५९–६० का भी कोटा निर्धारित हो गया है ; और

(ग) यदि हां, तो उसकी तफसील क्या है ?

†**खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री अ० प्र० जैन)** : (क) १९५८–५९ के लिये विभिन्न राज्यों को दिये गये लोहा तथा इस्पात की मात्रा दर्शाने वाला एक विवरण संलग्न है । [**देखिये परिशिष्ट ५, अनुबन्ध संख्या ४४**]

(ख) नहीं ।

(ग) प्रश्न उन्त्पन्न नहीं होता ।

उड़ीसा को अनुदान

†२४००. **श्री पाणिग्रही** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा में लाख; नारियल और सुपारी के विकास के लिये १९५७–५८ और १९५८–५९ में उड़ीसा को कोई वित्तीय सहायता या अनुदान दिया गया ; और

(ख) यदि हां, तो लाख, नारियल और सुपारी के लिये कितना धन उपरोक्त रूप में दिया गया ?

†**खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री अ० प्र० जैन)** : (क) हां ।

(ख)

	१९५७–५८ (अन्तिम अनुदान)	१९५८–५९ (कार्य संचालन दल द्वारा सिफारिश किया गया)
	रु०	रु०
लाख	९,५२५	५,०००
नारियल	१३,८०७	१६,०००
सुपारी	५,११२	७,०००
योग . .	२८,४४४	२८,०००

†मूल अंग्रेजी में

उड़ीसा में कपास विस्तार योजनायें

†२४०१. **श्री पाणिग्रही** : क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९५७–५८ और १९५८–५९ में उड़ीसा में कपास विस्तार योजनायें आरम्भ करने के लिये कितना धन मंजूर किया गया ;

(ख) उड़ीसा के किस भाग में ये योजनायें कार्यान्वित की गईं ;

(ग) क्या १९५७–५७ और १९५८–५९ में कपास के अच्छे बीज खरीदने के लिये उड़ीसा सरकार को कोई ऋण दिया गया था ;

(घ) यदि हां, तो कितना ऋण दिया गया ; और

(ङ) अब तक उड़ीसा में इन योजनाओं का क्या फल हुआ है ?

†**खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री अ० प्र० जैन)** : (क) १९५७–५८ में ६६,२१३.०० रु० दिये किये गये तथा १९५८–५९ के लिये कार्य-संचालन दल की कार्यवाही में ८२,०००.०० रु० देने के लिये स्वीकार किये गये हैं।

(ख) कल्हानदी, बोलनगिर, संबलपुर, सुन्दरगढ़, धिनकनल, कोरापुरट, कटक, पुरी और गंजम में ।

(ग) नहीं ।

(घ) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

(ङ) १९५८–५९ में २२५ मन अच्छे बीज ८८३ एकड़ भूमि (सिंचाई की हुई) के लिये वितरण किये गये जिसके परिणामस्वरूप ३०८ बेल कपास का अधिक उत्पादन हुआ ।

उड़ीसा में जूट की खेती

†२४०२. **श्री पाणिग्रही** : क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जूट की खेती बढ़ाने के लिये १९५७–५८ में १४.४९ लाख रु० में से उड़ीसा को कितना धन दिया गया ;

(ख) क्या १९५८–५९ में इस कार्य के लिये उड़ीसा के लिये कोई धन मंजूर किया गया है ;

(ग) क्या इसके अतिरिक्त १९५७–५८ में ८६,८१८ रु० उड़ीसा में जूट-बीज फार्म खोलने के लिये उड़ीसा को दिये गये थे ; और

(घ) यदि हां, तो १९५७–५८ और १९५८–५९ में उड़ीसा में ऐसे कितने बीज-फार्म खोले गये हैं ?

†**खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री अ० प्र० जैन)** : (क) १,७९,००० रु० ।

(ख) हां, १,०५,५०६ रु० (अनुदान) तथा ७०,२०८ रु० (ऋण) ।

(ग) हां, ऋण रूप में ।

(घ) उड़ीसा में एक जूट बीज फार्म खोला गया है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

सहकारी प्रशिक्षण संस्था, इम्फाल

†२४०३. **श्री ले० अचौ सिंह** : क्या **सामुदायिक विकास तथा सहकार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सहकारी प्रशिक्षण संस्था, इम्फाल में अब तक कितने गैर-सरकारी व्यक्तियों को प्रशिक्षण दिया गया है ; और

(ख) आजकल कितने अधिकारी प्रशिक्षण पा रहे हैं ?

†**सामुदायिक विकास तथा सहकार उपमंत्री (श्री ब० स० मूर्ति)** : (क) १७५।

(ख) कोई नहीं।

महिला खंड विकास अधिकारी

†२४०४. **श्री केशव** : क्या **सामुदायिक विकास तथा सहकार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में कहीं महिला खंड विकास अधिकारी परियोजनाओं के प्रभारी हैं ; और

(ख) यदि हां, तो किस राज्य में ?

†**सामुदायिक विकास तथा सहकार उपमंत्री (श्री ब० स० मूर्ति)** : (क) हां।

(ख) उपलब्ध जानकारी के अनुसार निम्न राज्यों में :

१. बम्बई।
२. मध्य प्रदेश
३. राजस्थान
४. पंजाब
५. उत्तर प्रदेश।

पाकिस्तान पर बिजली की बकाया रकम

†२४०५. **श्री राम कृष्ण गुप्त** : क्या **सिंचाई और विद्युत्** मंत्री १२ दिसम्बर, १९५८ के अतारांकित प्रश्न संख्या १३८४ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ३ अक्तूबर, १९५८ के बाद विभाजन समिति की कोई बैठक हुई है ;

(ख) क्या पाकिस्तान पर बिजली की बकाया रकम के बारे में पाकिस्तान सरकार द्वारा की गई आपत्तियों पर इस बैठक में विचार किया गया था ; और

(ग) यदि हां, तो क्या निर्णय किये गये ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**सिंचाई और विद्युत् उपमंत्री (श्री हाथी)** : (क) अक्तूबर, १९५८ के बाद विभाजन समिति की कोई बैठक नहीं हुई है और न ही निकट भविष्य में इसकी बैठक होने की संभावना है ।

(ख) तथा (ग). प्रश्न उत्पन्न नहीं होते ।

तुगलकाबाद-साहिबाबाद रेलवे लाइन

†२४०६. **श्री राम कृष्ण गुप्त** :
श्री भक्त दर्शन :
सरदार इकबाल सिंह :

क्या रेलवे मंत्री ४ दिसम्बर, १९५८ के अतारांकित प्रश्न संख्या ९२५ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे बोर्ड ने तुगलकाबाद–साहिबाबाद रेलवे लाइन का अन्तिम स्थिति सर्वेक्षण के प्रतिवेदन पर विचार कर लिया है ; और

(ख) यदि हां, तो अन्तिम रूप में स्वीकृत सर्वेक्षण प्रतिवेदन की तफसील क्या है ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां)** : (क) तथा (ख). अन्तिम स्थिति सर्वेक्षण प्रतिवेदन तथा प्राक्कलन प्राप्त हो गये हैं एवं बोर्ड के विचाराधीन हैं ।

गन्ना मूल्य निर्धारण बोर्ड

†२४०७. **श्री स० म० बनर्जी** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार गन्ना मूल्य निर्धारण बोर्ड बनाने का है ; और

(ख) यदि हां, तो क्या इस बोर्ड में गन्ना उत्पादकों के प्रतिनिधि होंगे ?

†**खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री अ० प्र० जैन)** : (क) तथा (ख). मामला विचाराधीन है ।

उत्तर प्रदेश में चीनी के कारखाने

†२४०८. **श्री स० म० बनर्जी** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या १९५७–५८ में उत्तर प्रदेश के चीनी के कारखानों को बहुत अधिक लाभ हुआ ;

(ख) यदि हां, तो सकल और शुद्ध लाभ कितना हुआ ; और

(ग) उस वर्ष मजदुरों तथा गन्ना उत्पादकों को कितना बोनस दिया गया ?

†**खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री अ० प्र० जैन)** : (क) तथा (ख). अपेक्षित जानकारी उपलब्ध नहीं है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

(ग) उत्तर प्रदेश सरकार ने आदेश दिया है कि १९५७–५८ की फसल के लिये चीनी के कारखानों के मजदूरों को ५६ लाख रु० बोनस रूप में बांटे जायें। १९५७–५८ के लिये गन्ना-उत्पादकों को देय बोनस (अधिक गन्ना मूल्य) की स्थिति फसल के उत्पादन के पूर्णरूपेण विक्रय होने तथा लेखों के निश्चित होने पर ही ज्ञात होगी।

रिंग रोड, दिल्ली

२४०९. **श्री भक्त दर्शन :** क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री १७ दिसम्बर, १९५८ के अतारांकित प्रश्न संख्या १६८९ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि दिल्ली में रिंग रोड के निर्माण के सम्बन्ध में इस बीच और क्या प्रगति हुई है?

परिवहन तथा संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राज बहादुर) : दिल्ली में रिंग रोड बनाने में अब तक हुई प्रगति के बारे में एक विवरण साथ में दिया जा रहा है। **[देखिये परिशिष्ट ५, अनुबन्ध संख्या ४५]**

निर्वाचन आन्दोलन में रेलवे कर्मचारियों के भाग लेने पर प्रतिबन्ध

†२४१०. **श्री साधन गुप्त :** क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे बोर्ड ने कोई परिपत्र जारी किया है जिसमें चेतावनी दी गई है कि रेलवे कर्मचारी निर्वाचन आंदोलन में भाग न ले ; और

(ख) ऐसा परिपत्र जारी करने का क्या अवसर था ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां) :** (क) तथा (ख). रेलवे सेवा (व्यवहार) नियम, १९५६ के नियम ४ (४) में उपबन्ध है कि कोई भी रेलवे कर्मचारी किसी विधान मंडल या स्थानीय प्राधिकार के निर्वाचन के लिये न तो किसी के समर्थन में प्रचार करेगा, और न किसी अन्य रूप में हस्तक्षेप करेगा न ही स्वयं ही उस में भाग लेगा। पिछले सामान्य निर्वाचन के पूर्व, फरवरी १९५७ में समस्त रेलवे कर्मचारियों को सूचित करने के लिये ये अनुदेश दिये गये थे।

दिल्ली में "रबी" आन्दोलन

२४११. **श्री नवल प्रभाकर :** क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली में रबी आन्दोलन के लिये प्रचार तथा उसके सम्बन्ध में प्रदर्शन किये गये हैं ; और

(ख) यदि हां, तो इनका ब्यौरा क्या है ?

खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री अ० प्र० जैन) : (क) और (ख). जी हां। दिल्ली में रबी आन्दोलन के सम्बन्ध में किये गये प्रचार के ब्यौरे वाला एक विवरण नत्थी कर दिया गया है। **[देखिये परिशिष्ट ५, अनुबन्ध संख्या ४६]**

---

†मूल अंग्रेजी में

दिल्ली के गांवों में जल संभरण

२४१२. **श्री नवल प्रभाकर :** क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली में ग्राम जल संभरण तथा सफाई योजना के अन्तर्गत द्वितीय पंच वर्षीय योजना में रखी गई उन्नीस लाख रुपये की राशि का अभी तक उपयोग नहीं किया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

स्वास्थ्य मंत्री (श्री करमरकर) : (क) और (ख). ग्राम जल संभरण तथा सफाई योजनाओं की कार्यान्विती के लिये अपेक्षित सामग्री तथा प्रसाधन की कीमत के रूप में अब तक लगभग ५.०० लाख रु० की पूंजी खर्च की जा चुकी है। यह कार्य दिल्ली नगर निगम द्वारा किया जाना है जिसने आवश्यक प्राक्कलन तैयार कर लिये हैं और अब इस प्रयोजन के लिये आवश्यक कर्मचारियों को नियुक्त करने के कदम उठा रहा है।

उड़ीसा में मीन क्षेत्र

†२४१३. **श्री पाणिग्रही :** क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने उड़ीसा में मछली बीज केन्द्र खोलने के लिये कोई वित्तीय सहायता दी है ; और

(ख) क्या राज्य सरकार ने उड़ीसा में मीन क्षेत्रों के विकास के लिये १९५९–६० में कोई नई योजना प्रस्तुत की है ?

†**खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री अ० प्र० जैन) :** (क) जी हां, १०.३१ लाख रुपये तक केन्द्रीय वित्तीय सहायता दी गई है।

(ख) मीनक्षेत्र विकास की पुरानी योजनाओं के अतिरिक्त १९५९–६० के लिये राज्य सरकार ने निम्नलिखित नई योजनायें प्रस्तुत की हैं जिन्हें केन्द्रीय सरकार ने स्वीकृत कर लिया है ;

(१) उन्नत गांवों में मछली पैदा करने की योजना (२) तालाबों में मीन क्षेत्र विकसित करने की अग्रिम परियोजना।

कांग्रेस के नागपुर अधिवेशन के लिये विशेष प्रबन्ध

†२४१४. **श्री राम कृष्ण गुप्त :**
श्री स० म० बनर्जी :
श्री बाजपेयी :
श्री विभूति मिश्र :

क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इंडियन नेशनल कांग्रेस के अधिवेशन के दौरान में नागपुर जाने वाली भीड़भाड़ के लिये क्या विशेष प्रबन्ध किये गये थे ;

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) कितनी स्पेशल गाड़ियां चलाई गईं और कितने अतिरिक्त डिब्बे लगाये गये ;

(ग) स्पेशल गाड़ियों और डिब्बों में कितने लोगों ने यात्री की ; और

(घ) इन यात्रियों से कुल कितनी आय हुई ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां)** : (क) और (ख) अजनी (नागपुर) में इंडियन नेशनल कांग्रेस के ६४वें सत्र के कारण बढ़े हुए यातायात के लिये २५ स्पेशल गाड़ियां चलाई गईं और विभिन्न गाड़ियों के साथ ५७३ अतिरिक्त डिब्बे लगाये गये । इसके अतिरिक्त कुछ रोजमर्रा चलने वाली गाड़ियों अजनी तक जाने लगीं और वहां से ही चलने लगीं । डीजल से चलने वाली तीन रेल कारें नागपुर और वर्धा के बीच चलाई गईं और रामटेक और अजनी, बदनेरा और नागपुर और नागपुर और खपा के बीच और शटल गाड़ियां चलाई गईं ।

अजनी स्टेशन पर जहां से लोग नागपुर को ही जाते हैं, यात्रियों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिये हर प्रकार का प्रबन्ध किया गया था । वहां टिकट घर, पूछताछ के दफ्तर, सामान रखने का स्थान, भोजन व्यवस्था, पीने के पानी और सफाई आदि का प्रबन्ध किया गया ।

अभ्यंकरनगर, जहां कांग्रेस सत्र किया गया, में भी पूछताछ, टिकट घर और आरक्षण गृह खोले गये थे और नागपुर में भी इनकी संख्या बढ़ा दी गई थी ।

विभिन्न स्टेशनों पर बुकिंग का समय एक घण्टे से बढ़ा कर दो घंटे कर दिया गया था ।

नागपुर, अजनी और अभ्यंकरनगर में ५-१-५६ से १३–१–५६ तक टिकट घर खुले रख गये थे । यात्रियों को जानकारी देने के लिये लाउड स्पीकर लगाये गये थे । वहां पानी पिलाने वालों, भंगियों और पानी सहायकों की संख्या बढ़ा दी गई थी ।

(ग) और (घ) ३–१–५६ से १२–१–५६ तक नागपुर, अजनी और अभ्यंकरनगर में निबटाये गये अतिरिक्त परिवहन का व्यौरा यह है :—

आने वाले	७७,०००
जाने वाले	७०,६४८

केवल बाहर से आने वाले लोगों से ही रेल के किराये के तौर पर १,६०,५३८ रुपये ६२ नये पैसे वसूल हुए । बाहर के अतिरिक्त वहां से जाने वाले यात्रियों की संख्या बढ़ने से अधिक आय हुई ।

रामपुर दौत स्टेशन पर यातायात

†२४१५. **श्री सुबिमन घोष** : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि ।

(क) पूर्व रेलवे के रामपुर दौत स्टेशन से १६५८ के प्रत्येक मास में कितने यात्री बाहर गये और कितने वहां पहुंचे ।

(ख) ३ दिसम्बर से १० दिसम्बर तक प्रतिदिन यात्रियों की संख्या क्या थी ;

(ग) क्या यह सच है कि इन दिनों तीन चौथाई से अधिक यात्री अनुसूचित आदिम जातियों के थे ;

---

†मूल अंग्रेजी में

(घ) क्या यह सच है कि इन दिनों स्थानाभाव के कारण यात्रियों को बहुत कष्ट पहुंचा ;

(ङ) क्या यह सच है कि प्रत्येक वर्ष इन दिनों ऐसी ही हालत होती है ; और

(च) यदि हां, तो क्या कार्यवाही की गई है अथवा करने का विचार है ?

†**रेलवे उप मंत्री (श्री शाहनवाज खां)**: (क) से (च) एक विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है [**देखिये परिशिष्ट ५, अनुबन्ध संख्या ४७**]

बोलपुर स्टेशन पर यात्री यातायात

†२४१६. **श्री सुबिमन घोष** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९४८, १९४९, १९५७ और १९५८ में बोलपुर स्टेशन (विश्वभारती) पर उतरने वाले और वहां से बाहर जाने वाले यात्रियों की संख्या क्या थी ; और

(ख) १९४८ और १९५८ में बुकिंग क्लर्क कितने थे ?

†**रेलवे उप मंत्री (श्री शाहनवाज खां)** : (क) बोलपुर स्टेशन (विश्वभारती) पर आने जाने वाले यात्रियों की संख्या निम्नलिखित थी :

वर्ष	आने वाले	जाने वाले
१९४८–४९	२५९११४	२५१३१०
१९४९–५० . .	२७०७०४	२६६६३९
१९५७ .	३९६६०२	४३४६५८
१९५८	३९६५४६	४७५४९६

(ख) १९४८ में एक बुकिंग क्लर्क था जिसकी सहायता असिस्टेंट स्टेशन मास्टर करते थे । १९५८ में पांच बुकिंग क्लर्क थे ।

दिल्ली के ग्रामीण क्षेत्रों में युवक क्लब

२४१७. **श्री नवल प्रभाकर** : क्या **सामुदायिक विकास तथा सहकार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सामुदायिक विकास विभाग द्वारा दिल्ली के ग्रामीण क्षेत्रों में कुछ युवक क्लब खोले गये हैं ।

(ख) वे किन किन ग्रामों में हैं ; और

(ग) उनके द्वारा किये गये विकास कार्य का ब्योरा क्या है ?

सामुदायिक विकास तथा सहकार उपमंत्री (श्री ब० स० मूर्ति) : (क) जी हां ।

(ख) और (ग) इन के सम्बन्ध में विवरण साथ लगाए गए हैं । [**देखिये परिशिष्ट ५, अनुबन्ध संख्या ४८**]

†मूल अंग्रेजी में

सिंचाई शुल्क

†२४१८. **श्री जाधव** : क्या **सिंचाई और विद्युत्** मंत्री ११ मार्च, १९५९ के तारांकित प्रश्न संख्या १११५ के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विभिन्न राज्यों और राज्य संघ क्षेत्रों में सिंचाई शुल्क लगाने की प्रणाली क्या है ; और

(ख) विभिन्न प्रकार की सिंचाई सुविधाओं का वर्गीकरण किन आधारों पर किया जाता है ?

सिंचाई और विद्युत् उपमंत्री (श्री हाथी):(क) विभिन्न राज्यों और संघ राज्यों क्षेत्रों में सिंचाई-शुल्क की दरें अलग-अलग हैं। कुछ राज्यों और संघ प्रशासनों में प्रचलित प्रणालियों की उपलब्ध जानकारी संलग्न विवरण में दी जाती है [**देखिये परिशिष्ट ५, अनुबन्ध संख्या ४९**] शेष राज्यों के बारे में इसी प्रकार की जानकारी एकत्र की जा रही है और बाद में दी जायेगी।

(ख) सिंचाई का वर्गीकरण मोटे तौर पर यह है :—

१. स्थायी तथा अस्थायी नहरों द्वारा बहते हुए पानी से सिंचाई ।

२. नहरों द्वारा सीमित स्थायी सिंचाई ।

३. नहरों द्वारा बाढ़ सिंचाई ।

४. कुओं आदि से सिंचाई ।

५. नल कूपों द्वारा सिंचाई ।

डाक व तार विभाग की इमारतें

†२४१९. **श्री दलजीत सिंह** : क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री सभा-पटल पर एक विवरण रखने की कृपा करेंगे कि जिस में यह जानकारी दी हो कि १९५९-६० में डाक व तार विभाग द्वारा कांगड़ा, होशियारपुर और अमृतसर जिलों में डाक घरों की इमारतें और क्वार्टर बनाने के कार्यक्रम का ब्यौरा क्या है ।

†**परिवहन तथा संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राज बहादुर)** : एक विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है [**देखिये परिशिष्ट ५, अनुबन्ध संख्या ५०**]

गतायु माल-डिब्बों के स्थान पर नये डिब्बे चलाना

†२४२०. **श्री पांगरकर** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मध्य रेलवे की मनमद-कचीगुडा लाइन पर जो बहुत पुराने माल डिब्बे चल रहे हैं उन्हें बदलने के लिये अब तक क्या कार्यवाही की गई है ; और

(ख) यदि हां, तो उसका क्या परिणाम निकला ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां)** : (क) मनमद-कचीगुडा लाइन कोई अलग सैक्शन नहीं बल्कि मध्य रेलवे की मीटर लाइन का ही अंग है । मध्य रेलवे के निश्चित समय से अधिक पुराने माल डिब्बे बदले जा रहे हैं ।

(ख) १-४-५८ को मध्य रेलवे की मीटर लाइन के २८९ माल डिब्बे ऐसे थे जो बदले नहीं गये थे । इन में से १२६ माल डिब्बे ३१-३-५९ तक बदल दिये जायेंगे और १६३ माल डिब्बे शेष रह जायेंगे ।

---

†मूल अंग्रेजी में

ग्रांड ट्रंक एक्सप्रेस का लेट चलना

†२४२१. **श्री पांगरकर :** क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि गत तीन मास में ग्रांड ट्रंक एक्सप्रेस गन्तव्य स्थानों पर कितनी बार लेट पहुंची ?

†**रेलवे उप मंत्री (श्री शाहनवाज खां):** फरवरी, १९५९ तक के तीन मास में १५ डाउन ग्रांड ट्रंक ऐक्स प्रेस ४८ बार नई दिल्ली लेट पहुंची और नं० १६ अप ग्रांड ट्रंक ऐक्सप्रेस ७८ बार मद्रास स्टेशन पर देर से पहुंची । पूर्ण व्यौरा संलग्न व्यौरे में दिया गया है **[देखिये परिशिष्ट ५, अनुबन्ध संख्या ५१]**

बांकुड़ा स्टेशन

†२५२२. **श्री सुबिमन घोष :** क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दक्षिण पूर्व रेलवे के बांकुड़ा स्टेशन का प्लेट फार्म ऊंचा बनाया जा रहा है ;

(ख) क्या यह सच है कि उसे ऊंचा करने पर भी वह रेल रेल डिब्बे से लग भग डेढ़ फुट नीचे रहता है ;

(ग) क्या यह सच है कि वहां की जनता और नगरपालिका समिति वकीलों और मुख्तयारों के विधिजीवी संघ आदि स्थानीय संस्थाओं ने उसे एक फुट और ऊंचा बनाने के लिये अभ्यावेदन भेजे हैं ; और

(घ) यदि हां, तो सरकार इस मामले में क्या कार्यवाही करना चाहती है ?

†**रेलवे उप मंत्री (श्री शाहनवाज खां) :** (क) से (ग) जी हां।

(घ) बांकुड़ा रेलवे स्टेशन के प्लेटफार्म को रेल स्तर से एक फुट की ऊंचाई से एक फुट छः इंच की ऊंचाई तक बनाय जा रहा है । इसे ढाई फूट ऊंचा बनाने का विचार था परन्तु स्टेशन की इमारत की कुर्सी की ऊंचाई को देखते हुए यह परिवर्तन कर दिया गया है ।

गाड़ी का पटरी से उतर जाना

†२४२३. **श्री रघुनाथ सिंह :** क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि गत २७ जनवरी, १९५९ की रात्रि को ४१४ डाउन गुआ-टाटा सवारी गाड़ी का इंजन आदित्यपुर से टाटा नगर जाते समय पटरी से उत्तर गया था, जिसके परिणाम-स्वरूप गाड़ियों का आना-जाना रुक गया था ; और

(ख) यदि हां तो, दुर्घटना के कारण क्या थे ?

रेलवे उपमंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी): (क) २७-१-५९ को रात में लगभग १० बज कर ५ मिनट पर गुवा-टाटानगर सवारी गाड़ी नं ४१४ डाउन ज्यों ही आदित्यपुर स्टेशन से रवाना हुई, उसका इंजन पटरी से उत्तर गया जिसकी वजह से २८-१-५९ को रात में २ बज कर ५० मिनट तक गाड़ियों का आना जाना बन्द रहा ।

(ख) कांटों के ग़लत लगने के कारण ।

---

†मूल अंग्रेजी में

पश्चिमी बंगाल में मछली पकड़ने के जहाज

†२४२४. **श्री अरविन्द घोषाल :** क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कलकत्ता पत्तन प्राधिकारियों ने पश्चिमी बंगाल सरकार को उनके गहरे पानी में मछलियां पकड़ने के जहाज़ जेटियों में रखने देने से इन्कार कर दिया है ; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

†**परिवहन तथा संचार मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री राज बहादुर) :** (क) जी

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

परिवार नियोजन

†२४२५. { **श्री विभूति मिश्र :**
श्री राम कृष्ण गुप्त :
श्री न० रा० मुनिस्वामी : }

क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि फरवरी, १९५९ में नई दिल्ली में परिवार नियोजन सम्बन्धी एक अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलन हुआ था ;

(ख) यदि हां, तो वहां मुख्यतः क्या निर्णय किये गये ; और

(ग) इन निर्णयों से भारत से किस हद तक लाभ उठाने की आशा की जा सकती है ?

†**स्वास्थ्य मंत्री (श्री करमरकर) :** (क) जी हां ।

(ख) मुख्य निर्णय ये थे :—

(१) विश्व स्वास्थ्य संगठन से निवेदन किया गया है कि वह गर्भ निरोध संबंधी जानकारी को अपने स्वास्थ्य कार्यक्रम का ही अंग बना ले ।

(२) खाद्य तथा कृषि संगठन अपने सदस्य देशों से यह सिफारिश करे कि परिवार नियोजन को खाद्य की उपज बढ़ाने संबंधी प्रयत्नों के साथ मिला दें ।

(३) आर्थिक तथा सामाजिक परिषद से प्रार्थना की गई है कि वह परिवार नियोजन को जीवन स्तर सुधारने का मुख्य साधन मान कर इस पर ध्यान दे ।

(४) मानव अधिकार आयोग से निवेदन किया गया है कि वह स्वेच्छा से सन्तान उत्पन्न करने और परिवार नियोजन संबंधी शिक्षा प्राप्त करने को मूल मानव अधिकार मान ले ।

(५) यह निश्चय किया गया कि बन्धीकरण के बारे में अध्ययन दल की सिफारिशें सदस्य देशों को भेज दी जायें ताकि वे उचित कार्यवाही कर सकें :—

(१) बन्धीकरण के बारे में फैलती हुई जानकारी को गर्ट्टरी और साधारण जनता तक पहुंचाया जाये ।

---

†मूल अंग्रेजी में

(२) प्रतिनिधि सरकारें जहां कहीं कानून संबंधी आशकायें हों उन्हें दूर करें और शर्तों और परित्राणों की परिभाषा बतायें जिन के अधीन वैध आप्रेशन किये जायेंगे ।

(३) इच्छुक व्यक्तियों के लिये नि:शुल्क ये सुविधायें उपलब्ध की जायें ।

(ग) कार्यवाही के बारे में मुख्य निर्णय अन्तर्राष्ट्रीय निकायों को करने हैं और अन्य देशों के अतिरिक्त भारत को इस से क्या लाभ होगा यह तभी पता चल सकता है जब अन्तर्राष्ट्रीय निकाय इन निर्णयों को कार्यान्वित करें।

सम्मेलन ने भारत के लोगों को यह स्पष्टत: बता दिया है कि परिवार नियोजन कार्यक्रम की आवश्यकता बहुत अधिक है ।

भारतीय नाविकों के साथ बुरा बर्ताव

†२४२६ { **श्री अ० क० गोपालन :**
श्री कोडयान :

क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कुछ भारतीय नाविकों ने चंद्रीज लिमिटेड नौवहन समवाय, जिसके मालिक कुछ ब्रिटिश राष्ट्रजन हैं, के खिलाफ ये आरोप लगाये कि उन्होंने उनके साथ अच्छा बर्ताव नहीं किया और उनके साथ की गई संविदा को भंग किया;

(ख) यदि हां, तो क्या आरोप लगाये गये ; और

(ग) सरकार ने इस मामले में क्या कार्यवाही की है ?

†**परिवहन तथा संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राज बहादुर)** : (क) से (ग) सरकार को इन दो शिकायतों के अतिरिक्त और कोई शिकायतें नहीं मिली कि बम्बई में गोदी विभाग के दो नाविकों को अन्तिम भुगतान करते समय कम राशि दी गई थी। नौवहन समवाय से इस बारे में बातचीत की गई थी परन्तु उन्होंने इस आधार पर खेद प्रकट किया कि अतिरिक्त कर्मचारी नियुक्त किये जा चुके थे इस लिये नाविकों का दावा जायज नहीं था।

मनीपुर में समुसंग बंजर भूमि

†२४२७. **श्री ले० अचौ० सिंह** : क्या **सामुदायिक विकास तथा सहकार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार की यह नीति है कि सहकारी संस्थाओं के पास जो फालतू और बंजर जमीन पड़ी है उसका सहकारी आधार पर बन्दोबस्त किया जाये ; और

(ख) यदि हां, तो मनीपुर में सहकारी संस्था के पास जो समुसंग बंजर भूमि है उसका बन्दोंवस्त करने का सुझाव मनीपुर प्रशासन ने ठुकरा दिया है ?

†**सामुदायिक विकास तथा सहकारिता उपमंत्री (श्री ब० स० मूर्ति)**: (क) भारत सरकार की यह नीति है कि खेती की जमीन की उच्चतम सीमा निर्धारित किये जाने के परिणामस्वरूप जो फालतू भूमि और बंजर भूमि बच जाये उसका बन्दोवस्त सहकारिता के आधार पर कर दिया जाये ।

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) समुसंग चरागाह हाथियों के चरने के लिये रक्षित है और उसका बन्दोबस्त करने का प्रश्न तभी उत्पन्न होगा जब हाथियों की चरागाह के लिये किसी दूसरे स्थान की व्यवस्था कर दी जायेगी परन्तु अभी तक हाथियों के लिये कोई उपयुक्त स्थान नहीं ढूंढा जा सका है।

मचकुंड जल विद्युत परियोजना

†२४२८. **श्री संगण्णा :** क्या **सिचाई और विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा और आंध्र प्रदेश की सरकारों ने मचकुंड जल विद्युत परियोजना संबंधी कोई विवाद भारत सरकार द्वारा मध्यस्थ निर्णय के लिये सौंपा है ; और

(ख) यदि हां, तो उसका क्या परिणाम निकला ?

†**सिंचाई और विद्युत उपमंत्री (श्री हाथी) :** (क) नहीं।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

गाड़ी का पटरी से उतर जाना

†२४२९. **श्री रघुनाथ सिंह :** क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि १५ फरवरी, १९५९ को प्रातः काल के समय उत्तरपूर्व सीमांत रेलवे के कटिहार–सिलिगुड़ी सेक्शन के राशनगंज स्टेशन के उत्तर में सिलिगुड़ी से कटिहार जाने वाली मालगाड़ी के ग्यारह डिब्बे पटरी से नीचे उतर गये थे ; और

(ख) यदि हां, तो गाड़ी के पटरी से उतर जाने के क्या कारण थे ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री से० वें० रामस्वामी) :** (क) १५–२–५९ को लगभग ९ बजे जब डाऊन बोलडर स्पेशल माल गाड़ी किशनगंज (न कि राशनगंज) जो कि उत्तर पूर्व रेलवे के सिलि-गुड़ी–कटिहार सैक्शन पर है–के यार्ड में ही इसका इंजन और साथ के १३ माल डिब्बे पटरी से उत्तर गये।

(ख) कांटा ठीक से नहीं रखा गया था।

पंजाब में बिजली से चलने वाली गाड़ियां

†२४३०. **श्री अजित सिंह सरहदी :** क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भाखड़ा नंगल परियोजना से प्राप्त होने वाली बिजली का उपयोग करने के लिये पंजाब में बिजली की गाड़ियां चलाने का कोई प्रस्ताव है ; और

(ख) यदि हां, तो प्रस्ताव क्या है ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री से० वे० रामस्वामी) :** (क) और (ख) जी नहीं। बिजली की गाड़ियां चलाने के लिये बहुत अधिक पूंजी व्यय की जरूरत है जिसका कुछ अंश इस समय विदेशों से इंजन, डिब्बे आदि खरीदने पर तथा अन्य स्थावर उपकरण खरीदने पर खर्च किया जाना है। बिजली की गाड़ियां वहां चलाई जाती हैं जहां यातायात बहुत अधिक हो और दूसरी गाडियां उसे न संभाल सकें। पंजाब के किसी सैक्शन में अभी ऐसी स्थिति उत्पन्न नहीं हुई है।

†मूल अंग्रेजी में

मद्रास राज्य में सार्वजनिक टेलीफोन

†२४३१. **श्री इलयापेरूमाल :** क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९५८–५९ में मद्रास राज्य में कितने सार्वजनिक टेलीफोन लगाये गये ; और

(ख) द्वितीय पंच वर्षीय योजना की शेष अवधि में उस राज्य में और कितने लगाये जायेंगे ?

†**परिवहन तथा संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राज बहादुर) :** (क) १७।

(ख) २७।

कोचिंग क्लर्क

†२४३२. **श्री भा० कृ० गायकवाड़ :** क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९५८–५९ में अनुसूचित जाति के कितने उमीदवार कोचिंग क्लर्क नियुक्त करके प्रशिक्षण के लिये विभिन्न स्थानों को भेजे गये ;

(ख) उसी अवधि में अनुसूचित जातियों के अतिरिक्त और कितने उम्मीदवार कोचिंग क्लर्क नियुक्त करके प्रशिक्षण के लिये विभिन्न स्थानों को भेजे गये ; और

(ग) उनमें से कितनों को प्रशिक्षण समाप्त होने पर नियुक्त कर लिया गया था और उनमें से कितने अनुसूचित जातियों के थे ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां) :** (क) से (ग). जानकारी एकत्र की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जायेगी।

रेल कर्मचारियों को चिकित्सा सुविधायें

†२४३३. **श्री इलयापेरूमाल :** क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे के तीसरी और चौथी श्रेणी के कर्मचारियों को चिकित्सा सुविधायें दी जाती हैं ; और

(ख) यदि हां, तो ऐसे कितने कर्मचारियों को १९५८ में यह सुविधा प्राप्त हूई ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां) :** (क) जा हां। वे निःशुल्क चिकित्सा प्राप्त कर सकते हैं।

(ख) १९५८ के पत्री वर्ष में रेलवे अस्पतालों और स्वास्थ्य एककों में रजिस्टर किये गये रोगियों की संख्या यह है :—

अस्पताल	स्वास्थ्य एकक
३,०९,९३५	४,४६,९१५

†मूल अंग्रेजी में

रेलवे कर्मचारियों के विरुद्ध शिकायतें

२४३४. { **श्री नवल प्रभाकर :**
श्री पा० ला० बारूपाल :
श्री दलजीत सिंह :

क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष १९५८–५९ में रेलवे के प्रत्येक महा खंड में रेलवे कर्मचारियों के विरूद्ध कितनी शिकायतें प्राप्त हुई ;

(ख) ये शिकायतें किस प्रकार की थीं ;

(ग) उनमें से कितने कर्मचारियों के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही की गई ; और

(घ) कितने कर्मचारियों को दण्ड दिया गया ?

रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां) : (क) से (घ) एक बयान सभा-पटल पर रखा गया गया है । [**देखिये परिशिष्ट ५, अनुबंध संख्या ५२**]

रेल दुर्घटना

†२४३५. **श्रीमती इला पाल चौधरी** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि २५ फरवरी, १९५९ की रात को मैसूर-बंगलौर सवारी गाड़ी के इंजन-ड्राइवर की होशियारी से बड़ी दुर्घटना से बचाव हो गया ; और

(ख) यदि हां, तो घटना का व्योरा क्या है ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां)**: (क) यह सच है कि २६ फरवरी, १९५९ को प्रातःकाल मैसूर-बंगलौर सवारी गाड़ी के इंजन-ड्राइवर की होशियारी से एक बड़ी दुर्घटना होने से बच गई ।

(ख) सुबह ५ बजे जब गाड़ी पांडवपुर-ब्यद्रहलली के बीच लोटपवनी नदी पर १५० फुट स्थान गार्डर वाले इकहरे पुल पर पहुंची तब ड्राइवर ने गाड़ी को रोक दिया । इंजन में कोई खराबी नहीं थी और गाड़ी पटरी से नीचे नहीं उतरी । बंगलौर की तर्फ की पटरी अपनी जगह से काफी हट गई थी । निरीक्षण करने पर पता चला कि मैसूर की तर्फ गार्डर के बायें बीयरिंग का राकर निकल गया था । इन्टर और जुनियर प्रशासन पाधिकारियों की विभागीय जांच की गई है और राकर बीयरिंग के निकलने के कारण संबंधी के प्रतिवेदन को अन्तिम रूप दिया जा रहा है ।

माल गाड़ी दुर्घटना

†२४३६. **श्रीमती इला पालचौधरी** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने का कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि २४ फरवरा, १९५९ को उत्तर रेलवे के गाजियाबाद स्टेशन से आने वाली एक मालगाड़ी हापुड़ के निकट दुर्घटना का शिकार हो गई ;

(ख) यदि हां, तो दुर्घटना का व्योरा क्या है ; और

(ग) दुर्घटना के कारण कितनी हानि हुई है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**रेलवे उपमंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी)** : (क) और (ख). २४–२–५९ को लगभग १२.५५ बजे जब नं० ६०३४ डाऊन माल गाड़ा हापुड़ स्टेशन में प्रवेश कर रही थी उस समय एक वैगन का लीडिंग ब्रेक ब्लाक हैंगर गिरकर कांटे में फंस गया जिसके फलस्वरूप तीन माल डिब्बे पटरी से उतर गये और अन्य गाड़ियों का रास्ता रूक गया, कोई व्यक्ति जख्मी नहीं हुआ। उसी दिन १५–४० बजे गाड़ियों का आना जाना पुन: शुरू हो गया।

(ग) रेल सम्पत्ति की केवल ६०० रुपये की क्षति हुई है।

टेलीफोन के कनैक्शन

†२४३७. **श्री सुबिमन घोष** : क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि बरद्वान नगर (पश्चिमी बंगाल) के प्रार्थियों से अक्तूबर, १९५८ में टेलीफोन का वार्षिक किराया टेलीफोन लगने से पूर्व ले लिया गया था ;

(ख) यदि हां, तो ऐसे कितने लोग हैं ; और

(ग) कनैक्शन देने में विलम्ब के क्या कारण हैं ?

†**परिवहन तथा संचार मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री राज बहादुर)** : (क) जी हां

(ख) ३६ ।

(ग) आवश्यक स्टोर की कमी ।

चलते फिरते डाक-घर

†२४३८. **श्री कोरटकर** : क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार शहरी चलते फिरते डाक-घरों की सुविधा १९५९ में कुछ और नगरों में आरम्भ करने वाली है ; और

(ख) यदि हां, तो ऐसे कितने नये डाकघर चलाये जायेंगे ?

†**परिवहन तथा संचार मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री राज बहादुर)** : (क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

डाकखानों में हिन्दी में तार भेजने की सुविधा

२४३९. **श्री कोरटकर** : क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अब तक देश के कुल कितने तारघरों में हिन्दी में तार भेजने की सुविधाओं की व्यवस्था की गयी है ;

†मूल अंग्रेजी में

(ख) क्या सरकार और भी तारघरों में इन सुविधाओं की व्यवस्था करने वाली है ; और

(ग) यदि हां, तो १९५९ में कितने तारघरों में यह व्यवस्था की जायेगी ?

†**परिवहन तथा संचार मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री राज बहादुर)**: (क) १,३९४।

(ख) जी हां ।

(ग) लगभग २०० ।

गिन्डी, मद्रास में बी० सी० जी० के टीके की प्रयोगशाला

†२४४०. **श्री कोरटकर** : क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गिन्डी, मद्रास के बी० सी० जी० के टीके की प्रयोगशाला की दैनिक उत्पादन क्षमता कितनी है ; और

(ख) १९५८ में भारत ने दक्षिण पूर्वी देशों को कुल कितनी ट्यूबरक्यूलिन का संभरण किया था ?

†**स्वास्थ्य मंत्री (श्री करमरकर)** : (क) गिन्डी, मद्रास के बी० सी० जी० के टीके की प्रयोगशाला में हफ्तेभर की तैयारी के बाद सप्ताह में एक बार बी० सी० जी० का टीका तैयार किया जाता है। ट्यूबरक्यूलिन एक स्टाक घोल[1] से आवश्यकतानुसार सप्ताह या पखवारे में एक दिन तैयार की जाती है। हफ्ते में ५०,००० क्यूबिक सेंटीमीटर बी० सी० जी० का टीका और ८५,८५० क्यूबिक सेंटीमीटर ट्यूबरक्यूलिन तैयार होती है ।

(ख) १९५८ में गिन्डी, मद्रास, के बी० सी० जी० के टीके की प्रयोगशाला ने दक्षिण पूर्वी देशों को २५,१५,१०० क्यूबिक सेंटीमीटर ट्यूबरक्यूलिन का संभरण किया था ।

पोतों की खरीद

†३४४१. **श्री राम कृष्ण गुप्त** : क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पुराने पोतों की खरीद के संबंध में औद्योगिक विनियोग तथा वित्त निगम और कुछ भारतीय नौवहन-फर्मों के बीच चलने वाली वार्ता पूरी हो गयी है ; और

(ख) यदि हां, तो उसके क्या परिणाम निकले हैं ?

†**परिवहन तथा संचार मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री राज बहादुर)** : (क) और (ख) माननीय सदस्य का प्रयोजन संभवतः भारत के औद्योगिक ऋण तथा विनियोग निगम से है। पता चला है कि बम्बई की दि सिंधिया स्टीम नैवीगेशन कम्पनी लिमिटेड ने दो पोतों की क़ीमत का कुछ अंश पूरा करने के लिये इस निगम से ५,२५,००० पौंड का विदेशी मुद्राओं का ऋण प्राप्त करने के बारे में बातचीत पक्की कर ली है। और तो कोई नौवहन कम्पनी निगम से इस प्रकार का ऋण प्राप्त करने के लिये बातचीत नहीं कर रही है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

[1] Stock solution.

परिवार नियोजन

†२४४२. **श्री रामकृष्ण रेड्डी** : क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन्हें हार्वर्ड विश्वविद्यालय के प्रो० रॉक के एक पत्रकार-सम्मेलन में दिये गये इस वक्तव्य का पता है कि जन्म निरोध के लिये एक सस्ती गोली उपलब्ध है ; और

(ख) क्या अपेक्षाकृत निर्धन वर्गों में जन्म निरोध के तरीकों को लोकप्रिय बनाने के लिये इन गोलियों का वितरण किया जा सकता है ?

†**स्वास्थ्य मंत्री (श्री करमरकर)** : (क) जी नहीं । लेकिन जिस गोली के साथ डा० रॉक और डा० पिंकस का संबंध है, उसके बारे में जानकारी परिवार नियोजन संबंधी छठे अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलन में परिचालित किये गये एक प्रबन्ध में दी गयी है ।

(ख) इस प्रकार की गोलियों के बारे में अब भी गवेषणा चल रही है और अभी उनके वितरण का तो प्रश्न ही नहीं उठता ।

पंजाब में उद्वहन सिंचाई[1]

†२४४३. **श्री दलजीत सिंह** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि पंजाब में उद्वहन सिंचाई योजनाओं के लिये पंजाब राज्य को द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अधीन अब तक कितनी राशि के आवंटन किये गये हैं ?

†**खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री अ० प्र० जैन)** : उद्वहन सिंचाई की योजनाओं के लिये द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अधीन पंजाब को अब तक आवंटित की गयी राशियां इस प्रकार हैं :—

वर्ष		आवंटित राशि
		(लाख रुपयों में)
१९५६–५७ .		८७.०७
१९५७–५८ .		१४९.१२
१९५८–५९ .		१०२.००
१९५९–६० .		१०५.०५
	जोड़	४४३.२४

पंजाब में भाण्डागार

†२४४४. **श्री दलजीत सिंह** : क्या **खाद्य तथा कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि पंजाब में केन्द्रीय भांडागारों की स्थापना के लिये १९५९–६० में कितनी राशि आवंटित की गयी है ?

†**खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री अ० प्र० जैन)** : पंजाब में केन्द्रीय भांडागारों की स्थापना के लिये १९५९–६० के संबंध में कुछ भी निश्चित राशि अलग नहीं की गयी है ।

†मूल अंग्रेजी में

[1] Lift Irrigation.

माल डिब्बे बनाने के लिये ठेके

२४४५. **श्री जगदीश अवस्थी** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले दो वर्षों में किन-किन गैर-सरकारी सार्थों को माल डिब्बे तथा रेलवे का अन्य सामान बनाने के लिये एजुकेशनल ठेके दिये गये ; और

(ख) प्रत्येक ठेके की अवधि क्या थी और प्रत्येक के संबंध में अब तक क्या प्रगति हुई है ?

रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज़ खां) : (क) और (ख). बयान लोक-सभा पटल पर रखा जाता है । [**देखिये परिशिष्ट ५, अनुबंध संख्या ५३**]

बम्बई में नलकूप

†२४४६. **श्री मो० ब० ठाकुर** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि गुजरात क्षेत्र में नलकूपों का निर्माण करने के लिये १९५६–५७ और १९५७–५८ में बम्बई सरकार को कुल कितनी राशि आवंटित की गयी थी ?

†**खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री अ० प्र० जैन)** : उत्तर गुजरात क्षेत्र में सिंचाई के प्रयोजन से नलकूपों के निर्माण के लिये १९५६–५७ और १९५७–५८ में बम्बई सरकार को मंजूर की गयी कुल राशि क्रमशः २० लाख और ७५ लाख रुपये थी ।

इन्डामेर एयर कम्पनी

†२४४७. **श्री हाल्दर** : क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि हन्डामेंर एंड कम्पनी के प्रबन्ध में अनियमितताओं के लिये जिन अधिकारियों को दंडित किया गया उन्हें ही अब मेसर्स कालिंग एयर लाइन्स में रख लिया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

†**असैनिक उड्डयन उपमंत्री (श्री मुहीउद्दीन)** : (क) बताया जाता है कि कुछ विमान चालक और इंजीनियर, जिनको हंडामेर कम्पनी में नौकरी के समय कुछ अनयिमितताओं के कारण असैनिक उड्डयन के महानिदेशक ने चेतावनी दी थी और उनके खिलाफ कार्यवाही की थी वे अब कालिंग एयर लाइन्स में कार्य कर रहे हैं ।

(ख) इन विमान-चालकों और इंजीनिरियरों के खिलाफ जो कार्यवाही की गयी थी उसका मतलब यह थोड़े ही था कि उन्हें नौकरी ही न दी जयेगी ।

त्रिपुरा में ढोर

†२४४८. **श्री बांगशी ठाकुर** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि महामारी फैलने के कारण त्रिपुरा में खोवाई के आश्रमबाड़ी क्षेत्र में गाय और बैल बड़ी संख्या में मर रहे हैं जिससे किसानों को बड़ी कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है ; और

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) इस स्थिति में सुधार करने के लिये सरकार ने अब तक क्या कार्यवाही की है ?

†**खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री अ० प्र० जैन)** : (क) और (ख). यह जानकारी त्रिपुरा प्रशासन से मंगायी गयी है और आते ही यथाशीघ्र सभा-पटल पर रख दी जायेगी।

रेलवे कर्मचारियों के बच्चों के लिये होस्टल

†२४४९. **सरदार इकबाल सिंह** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तर रेलवे के कर्मचारियों के बच्चों के लिये राज सहायता प्राप्त होस्टलों की स्थापना के प्रस्ताव में कितनी प्रगति हुई है ;

(ख) क्या स्थानों का चुनाव कर लिया गया है ;

(ग) इन होस्टलों में कितने विद्यार्थियों का इन्तजाम हो सकता है ;

(घ) इन होस्टलों की निर्माण लागत कितनी कूती गयी है ; और

(ङ) इन होस्टलों में रहकर विद्यार्थी किन-किन शिक्षा संस्थाओं का लाभ उठा सकेंगे ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां)** : (क) चार बाग, लखनऊ में यथा समय एक स्थायी होस्टल का निर्माण किया जायेगा। नक्शों और प्राक्कलनों की जांच की जा रही है। इस बीच, आलम बाग, लखनऊ में एक अनाज की दूकान की इमारत से जुलाई, १९५९ से सीमित संख्या में विद्यार्थियों के लिये एक अस्थायी होस्टल का काम लिया जायेगा।

(ख) जी हां।

(ग) स्थायी होस्टल में १५० और जुलाई १९५९ से जो अस्थायी होस्टल चलेगा उसमें ६०।

(घ) स्थायी होस्टल के लिये ३ लाख रुपये। अस्थायी होस्टल के लिये उस इमारत में थोड़ा हेरफेर करना पड़ेगा।

(ङ) लखनऊ के हाई स्कूलों, इंटर कालेजों, विश्वविद्यालय के कालेजों, प्रविधिक संस्थाओं, मेडिकल कालेज आदि का।

पंजाब के डाकखानों से लापता धन

†२४५०. **सरदार इक़बाल सिंह** : क्या **परिवहन तथा संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि पंजाब सर्किल के विभिन्न डाकखानों से १९५५–५६ में कुल कितनी राशि लापता होने की खबर है ?

†**परिवहन तथा संचार मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री राज बहादुर)** : १७,४६९.३९ रुपये।

---

†मूल अंग्रेजी में

खाद्य तथा कृषि मंत्रालय की मंत्रणा समितियां

†२४५१. **सरदार इकबाल सिंह :** क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि खाद्य तथा कृषि मंत्रालय ने १९५८–५९ में जो विभिन्न मंत्रणा समितियां गठित की थीं उन पर कुल कितना व्यय हुआ है ?

†**खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री अ० प्र० जैन) :** १९५८ के पत्री वर्ष में हुये व्यय का एक विवरण लोक-सभा पटल पर रखा जाता है। **[देखिये परिशिष्ट ५, अनुबंध संख्या ५४]**

पंजाब सर्किल के सार्वजनिक टेलीफोन

†२४५२. **सरदार इकबाल सिंह :** क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि पंजाब सर्किल के किन किन स्थानों में अलग-अलग वर्षों में कुल कितने कितने सार्वजनिक टेलीफोन खोले गये हैं ?

†**परिवहन तथा संचार मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री राज बहादुर) :** एक विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है। **[देखिये परिशिष्ट ५, अनुबंध संख्या ५५]**

उत्तर रेलवे पर डीज़ल कारें

†२४५३. **सरदार इक़बाल सिंह :** क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय उत्तर रेलवे पर कुल कितनी डीजल कारें चलती हैं;

(ख) क्या भटिंडा-हिन्दू मलकोट लाइन पर डीजल कारें चलाने के लिये कोई अभ्यावेदन किया गया है; और

(ग) यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई है ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां) :** (क) दो जुड़ी हुई डीजलकारों की एक यूनिट इस समय नई दिल्ली—फरीदाबाद—नयी दिल्ली सोनीपत—दिल्ली शकूर बस्ती सेक्शनों पर चलती है।

(ख) और (ग). जी नहीं। इस सेक्शन पर डीज़लकार सर्विस चलाना व्यवहारिक भी नहीं है क्योंकि डीजल कारें टॉप गियर में ४५ से ५० मील प्रति घंटे से कम रफ्तार पर नहीं चल सकती जब कि भटिंडा—हिन्दूमलकोट सेक्शन पर अधिकतम अनुमत रफ्तार सिर्फ ३५ मील प्रति घंटा है।

फीरोजपुर डिवीजन में रेलवे डिस्पेन्सरियां

†२४५४. **सरदार इकबाल सिंह :** क्या **रेलवे मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तर रेलवे के फीरोजपुर डिवीज़न की रेलवे डिस्पेन्सरियों में प्रतिदिन औसतन कितने आउट-डोर के मरीज़ आते हैं; और

(ख) उपर्युक्त डिस्पेन्सरियों में से प्रत्येक में कुल कितने असिस्टेंट सर्जन काम करते हैं ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज़ खां) :

	डिस्पेन्सरी	मरीजों की प्रतिदिन की औसत संख्या (क)	असिस्टेंट सर्जनों की संख्या (ख)
१.	फीरोजपुर	३५९.३९	४
२.	लुधियाना	१६८.१२	२
३.	जलन्धर छावनी	१४३.६३	१
४.	जलन्धर सिटी	१८०.१४	३
५.	अमृतसर	१९१.७४	२
६.	अमृतसर वर्कशाप	२५४.९३	३
७.	पठानकोट	१०९.७१	२
८.	बैजनाथ पपरोला	३२.८५	१

नोट : इनमें से कुछ डाक्टरों के पास लाइन का क्षेत्राधिकार भी है और लाइन पर देखे गये मरीजों की संख्या भी (क) के उत्तर में जोड़ लिये गये हैं ।

रास्ते में खोई सम्पत्तियों के लिये दावे

†२४५५. **सरदार इकबाल सिंह** : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) फीरोजपुर डिवीजन में रास्ते में खोयी सम्पत्तियों के सम्बन्ध में १९५५–५६ और १९५७–५८ में कुल कितने मूल्य के कितने दावे किये गये ;

(ख) कितनी राशि के दावे स्वीकार कर लिये गये हैं ;

(ग) किस हद तक ये दावे पूरे हो चुके हैं;

(घ) कितनी राशि के दावे अभी शेष हैं; और

(ङ) इन सम्पत्तियों के लापता होने के लिये मुख्य रूप से कौन जिम्मेदार है ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी)** : (क) से (ङ). यह जानकारी एकत्र की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जायेगी ।

जनांकिकीय अध्ययन[1]

†२४५६. **श्री बै० च० मलिक** : क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि जनांकिकीय अध्ययन के लिये चार गवेषणा केन्द्र खोले गये हैं;

(ख) क्या द्वितीय पंचवर्षीय योजना के शेष भाग में देश में जनांकिकीय अध्ययन के लिये और भी केन्द्र खोलने का कोई प्रस्ताव है; और

†मूल अंग्रेजी में

[1]Demographic Studies.

(ग) यदि हां, तो कितने, और उन्हें किन किन राज्यों में खोला जायगा ?

†**स्वास्थ्य मंत्री (श्री करमरकर)** : (क) जी हां ।

(ख) जी नहीं ।

(ग) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

गुना–उज्जैन लाइन

२४५७. **श्री लीलाधर जोशी** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गुना-उज्जैन लाइन का, जो अभी स्वीकृत हुई है, मार्ग क्या होगा ;

(ख) कौन-कौन से अन्य वैकल्पिक मार्गों का सर्वेक्षण किया गया था ;

(ग) इस मार्ग पर कौन-कौन से बड़े ग्राम तथा नगर स्थित हैं; और

(घ) इस लाइन पर काम कब आरम्भ होगा ?

रेलवे उपमंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी): (क) और (ख). प्रस्तवित गुना-उज्जैन रेलवे लाइन के लिये नीचे दिये गये रास्तों का सर्वे किया गया :

१. गुना—बियावरा-आगरा-उज्जैन

२. गुना-बियावरा-शाहजापुर–मक्की

३. गुना–बियावरा–आगर–नागदा

इन तीन रास्तों में से गुना-बियावरा-आगर-उज्जैन रास्ते को अस्थायी रूप से सबसे अधिक उपयुक्त समझा गया है ।

(ग) जब तक लाइन का अन्तिम मार्ग-निर्धारण सर्व[1] पूरा न हो जाय, तब तक अन्तिम रूप से यह नहीं कहा जा सकता कि इस लाइन पर कौन से गांव और कस्बे पड़ेंगे ।

(घ) इस लाइन पर काम अगले वित्त-वर्ष १९५९–६० में शुरू होगा और काम इस ढंग पर किया जायेगा ताकि दूसरी पंचवर्षीय योजना में इस पर जो खर्च हो, वह अन्तिम मार्ग-निर्धारण सर्वे, जमीन के अधिग्रहण[2] और लाइन के कुछ हिस्से पर मिट्टी दालने और पुलों के पाये आदि बनाने तक सीमित रहे। इस समय लाइन के अन्तिम मार्ग-निर्धारण सर्वे पर खर्च के अनुमान की जांच रेलवे बोर्ड में की जा रही है ।

रेलवे कर्मचारियों के लिये 'फ्री पास'

†२४५८. **श्री वारियर** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सेवा-निवृत रेलवे कर्मचारियों को 'फ्री पास' दिये जाते हैं ;

(ख) यदि हां, तो १९५४–५५ से १९५८–५९ तक कुल कितने 'फ्री पास" दिये गये हैं; और

(ग) उपर्युक्त अवधि में प्रतिवर्ष (१) स्थानांतरण; (२) सेवा-निवृत्ति; और सावधिक छुट्टियों पर घर जाने के लिये कर्मचारियों, उनके परिवारों और घरेलू सामान के लिये मुफ्त यातायात की व्यवस्था करने में कितना व्यय हुआ है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

[1]Final Location survey.

[2]Acquisition.

†**रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां)** : (क) जी हां ।

(ख) और (ग). यह जानकारी तत्काल उपलब्ध नहीं है। रेलवे प्रिविलेज खाते या स्थानांतरण के समय दिये जाने वाले पासों की लागत का हिसाब नहीं रखती। ११ लाख रेलवे कर्मचारी ये पास पाने के अधिकारी हैं जो विभिन्न गन्तव्य स्थानों के लिये दिये जाते हैं और इसमें उनके परिवारों को भी शामिल किया जाता है। इसका हिसाब लगाने में बड़ा परिश्रम लगेगा और तब भी कुल लागत बिल्कुल सही सही नहीं निकाली जा सकती, क्योंकि :

(१) होसकता है कि पास में शामिल किये गये सभी व्यक्तियों ने यात्रा न की हो।

(२) हो सकता है यात्रा उस गन्तव्य स्थान से, जो पास पर दिखाया गया हो, पहले ही खत्म कर दी गई हो।

(३) कई बार ऐसा भी हो सकता है कि यात्रा ही न की गयी हो।

कर्मचारियों की पदोन्नति

२४५९. { **श्री प्र० ना० सिंह :**
श्री अर्जुन सिंह भदौरिया :

क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने का कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे बोर्ड ने अनुसचिवीय पदालि के कर्मचारियों को गैर-अनुसचिवीय पदालि में पदोन्नति देने पर प्रतिबन्ध लगाने के लिये कोई निर्णय किया है; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्योरा क्या है ?

रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां) : (क) और (ख). जो मिनिस्टीरियल रेल-कर्मचारी १-४-१९३८ के पहले से नौकरी कर रहा है, यदि वह कार्यकुशल बना रहे और डाक्टरी परीक्षा में पास होता रहे, तो साधारणतः वह ६० साल की उमर तक नौकरी में रखा जा सकता है। इस तरह का मिनिस्टीरियल रेल-कर्मचारी तरक्की के सामान्य मार्ग में जब नान-मिनिस्टीरियल पद (जिसके रिटायर होने की उमर ५५ साल है) पर तरक्की पाने का हकदार होता है, तो उसे उसी सूरत में तरक्की दी जाती है जब वह इस बात की लिखित रजामन्दी दे दे कि ५५ साल की उमर पूरी कर लेने के बाद नौकरी में बने रहने के लिये उसे अपने मिनिस्टीरियल पद पर वापस नहीं आने दिया जायेगा।

इसके अलावा कोई दूसरा प्रतिबन्ध नहीं है।

रेलवे कर्मचारियों की वरिष्ठता का निर्धारण

२४६०. { **श्री प्र० ना० सिंह :**
श्री अर्जुन सिंह भदौरिया :

क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने का कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे के पुनर्गठन के पश्चात् रेलवे कर्मचारियों का वरिष्ठता निर्धारण के बारे में विभिन्न रेलवे महा खंडों ने समान सिद्धान्त और प्रक्रिया को अपना लिया है ;

(ख) यदि नहीं, तो विभिन्न रेलों ने कौन सी भिन्न-भिन्न पद्धतियां अपना रखी हैं;

†मूल अंग्रेजी में

(ग) क्या यह सच है कि एक ही रेलवे में वरिष्ठता निर्धारण के लिये दो विभिन्न प्रक्रियायें हैं; और

(घ) यदि उपरोक्त भाग (ग) का उत्तर स्वीकारात्मक हो, तो किन रेलों और किन विभागों में दो विभिन्न प्रक्रियायें अपनाई गई हैं ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां):** (क) जी हां, केवल भूतपूर्व सौराष्ट्र रेलवे के कर्मचारियों को छोड़ कर ।

(ख) एक बयान सभा-पटल पर रखा जाता है। **[देखिये परिशिष्ट ५, अनुबंध संख्या ५६]**

(ग) जी हां ।

(घ) पश्चिम रेलवे में मिलायी गयी भूतपूर्व सौराष्ट्र रेलवे के सभी विभागों के कर्मचारियों के सम्बन्ध में ।

पंजाब में गेहूं के भाव निर्धारित करना

†**२४६१. श्री रामकृष्ण गुप्त :** क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नये गेहूं के भाव निर्धारित करने के सम्बन्ध में पंजाब सरकार के साथ बात-चीत पूरी हो गई है ;

(ख) यदि हां, तो इस बात-चीत का क्या फल निकला है; और

(ग) क्या नया भाव निर्धारित हुआ है ?

†**खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री अ० प्र० जैन) :** (क) से (ग). भारत सरकार द्वारा गेहूं की खरीद के पूरे प्रश्न पर, जिसमें उपयुक्त वसूली मूल्य निर्धारित करने का प्रश्न भी शामिल है, गौर कर रही है। पंजाब सरकार से यथा समय राय ले ली जायगी।

टेलीफोन डायरेक्टरी

२४६२. श्री भक्त दर्शन : क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अक्तूबर, १९५८ में दिल्ली में जो टेलीफोन डायरेक्टरी प्रकाशित हुई थी, वह कई ग्राहकों को फरवरी, १९५९ के प्रथम सप्ताह तक भी नहीं मिल पाई थी ;

(ख) यदि हां, तो देरी हो जाने का क्या कारण था ;

(ग) भविष्य में उस डायरेक्टरी का संशोधित संस्करण ग्राहकों को तत्काल पहुंचाने के लिये क्या व्यवस्था की जा रही है; और

(घ) डायरेक्टरी को हिन्दी में भी प्रकाशित करने के लिये क्या कार्यवाही की जा रही है ?

परिवहन तथा संचार मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) जी हां।

(ख) दिल्ली की टेलीफ़ोन डायरेक्टरी गवर्नमेण्ट आफ इण्डिया प्रेस में छापी गई थी। चूंकि इस प्रेस को सरकार के और दूसरे जरूरी और जल्दी के काम भी करने थे; अतः ग्राहकों को डायरेक्टरी की प्रतियां देने में अनिवार्य देरी हो गई।

---

†मूल अंग्रेजी में

(ग) दिल्ली टेलीफ़ोन डायरेक्टरी के आगामी संस्करणों को किसी प्राइवेट प्रेस में छापे जाने का प्रस्ताव है ।

(घ) दिल्ली टेलीफ़ोन-प्रणाली के ग्राहकों की निश्चित राय जान लेने पर यह पता चला कि हिन्दी में डायरेक्टरी की मांग बहुत थोड़ी है, इसलिये डायरेक्टरी का हिन्दी संस्करण छापने के प्रस्ताव पर आगे कार्यवाई नहीं की गई ।

केसर का उत्पादन

†२४६३. **श्री अ० मु० तारिक :** क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विभिन्न राज्यों में केसर का उत्पादन बढ़ाने के लिये कोई कार्यवाही की गई है;

(ख) क्या भारत सरकार ने इस दिशा में कोई गवेषणा कराई है; और

(ग) यदि हां, तो इसका ब्योरा क्या है ?

†**खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री अ० प्र० जैन) :** (क) और (ख) जी नहीं ।

(ग) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

गो मांस का निर्यात

†२४६४. **श्री मो० ब० ठाकुर :** क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९५६–५७ और १९५७–५८ में विदेशों को कुल कितने गो मांस का निर्यात किया गया और इससे कितनी विदेशी मुद्रायें प्राप्त हुई; और

(ख) क्या यह सच है कि गो मांस का निर्यात १९५४–५५ में बन्द कर दिया गया था लेकिन १९५६–५७ और १९५७–५८ में फिर से इसके लिये अनुमति दे दी गई ?

†**खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री अ० प्र० जैन) :** (क) एक विवरण लोक-सभा पटल पर रखा जाता है । **[देखिये परिशिष्ट ५, अनुबन्ध संख्या ५७]**

(ख) जहाजों के स्टोर के सम्बन्ध में छोड़ कर गो मांस के शेष प्रकार के निर्यात पर ११–५–१९५४ से प्रतिबन्ध लगा दिया गया था । भारत सरकार ने निर्यात का जो आन्दोलन आरम्भ किया उसके अनुसरण में ८–७–१९५८ से इसे पुनः ओ० जी० एल०[1] में शामिल कर लिया गया ।

श्री कला वेंकटराव का निधन

†**अध्यक्ष महोदय :** मुझे सभा को बताना है कि श्री कला वेंकटराव का आज प्रातः हैदराबाद में ५९ वर्ष की आयु में देहान्त हो गया ।

---

†मूल अंग्रेज़ी में

[1] O. G. L.—Open General Licence.

श्री वेंकटराव २२ जुलाई, १९४६ से ८ जनवरी, १९४८ तक भारत की संविधान सभा के सदस्य थे और १९५० में अन्तःकालीन संसद् के सदस्य भी चुने गये। २६ सितम्बर, १९५१ को उन्होंने सदस्यता से त्याग पत्र दे दिया। वह सितम्बर, १९५१ से फरवरी, १९५२ तक मद्रास सरकार के भू-राजस्व तथा लोक स्वास्थ्य मंत्री रहे। मृत्यु के समय भी वह राजस्व मंत्री थे। उनको आंध्र प्रदेश के कुशल प्रशासकों तथा मंत्रियों में गिना जाता था। हम उनके निधन पर शोक प्रकट करते हैं; मैं समझता हूं कि उनके परिवार के प्रति समवेदना प्रकट करने में सभा मेरा साथ देगी।

माननीय सदस्य एक मिनट के लिये मौन खड़े हों।

इसके पश्चात् माननीय सदस्य एक मिनट के लिए मौन खड़े रहे।

स्थगन प्रस्ताव के बारे में

†**श्री हेम बरुआ** (गोहाटी) : श्रीमान्, मैंने एक स्थगन प्रस्ताव की सूचना दी थी। अभी ८ मार्च को जो युद्धविराम समझौता हुआ था उसका उल्लंघन किया गया है और एक भारतीय को गोली भी लगी है। मैं चाहता हूं कि प्रधान मंत्री इस पर प्रकाश डालें।

†**अध्यक्ष महोदय** : मैंने उसको अपनी अनुमति नहीं दी है। मुझे इस बात का बड़ा आश्चर्य है कि मेरे आदेशों को बार बार भंग किया जाता है। मुझे बाध्य हो कर इस सम्बन्ध में कोई कठोर कार्यवाहा करनी होगा।

मैंने बताया था कि यह मामला बहुत दिनों से चला आ रहा है। यह मामला यहां उठाया गया था और प्रश्न भी पूछे गये थे। इस बात को सभी जानते हैं कि बहुत दिनों से चले आने वाले मामलों से सम्बन्धित स्थगन प्रस्तावों को उठाने की अनुमति नहीं दी जाती है। जब हाल में ही इस पर सभा में चर्चा हो चुकी है फिर यहां रोज़ इस विषय पर स्थगन प्रस्ताव लाना ठीक नहीं। माननीय सदस्यों को मेरा परामर्श है कि ऐसी स्थिति में वे चर्चा के लिये अन्य उपाय ढूढें। क्या प्रधान मंत्री कुछ कहना चाहते हैं?

†**प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक कार्य मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू)** : यदि आप अनुमति देंगे तो इस घटना के बारे में, मैं कुछ कहूंगा।

मैं कोई वक्तव्य देना नहीं चाहता, परन्तु मैं सदा उत्सुक रहता हूं कि जो बातें मुझे मालूम हों उनको सभा के सामने रख दूं। मैं केवल यही बताना चाहता हूं कि गोली वर्षा हुई और दोनों पक्षों ने एक दूसरे की ग़लती बताई और कहा कि हमने नहीं उसने शुरुआत की है। हमने उनके पास शिकायत भेजी, उन्होंने हमारे पास शिकायत भेजी। हमने उनकी शिकायत का यही जवाब दिया कि उनकी शिकायत ठीक नहीं है। आपने ठीक ही कहा कि यह मामला बहुत दिनों से चला आ रहा है और हम कार्यवाही कर रहे हैं।

---

†मूल अंग्रेज़ी में

†**श्री स० म० बनर्जी** (कानपुर) : मैंने भी एक स्थगन प्रस्ताव की सूचना दी थी ? मेरा निवेदन है कि उन लोगों ने गोली चलाई है, और वे भारतीय प्रदेश में घुस कर एक आदमी को भगा ले गये हैं ।

†**अध्यक्ष महोदय :** मैंने स्थगन प्रस्ताव की अनुमति नहीं दी है । हां, माननीय सदस्य यदि मुझे संतुष्ट कर देंगे कि प्रश्न अत्यावश्यक है तो मैं अगले दिन उसको अल्प सूचना प्रश्न के रूप में पूछने की अनुमति दे दूंगा ।

सभा पटल पर रखे गये पत्र

दिल्ली में बाढ़ों की रोकथाम के उपायों की योजना बनाने वाली समिति का प्रतिवेदन

†**निर्माण, आवास और संभरण मंत्री (श्री क० च० रेड्डी):** मैं दिल्ली में बाढ़ों और इसी प्रकार की अन्य विपत्तियों की रोकथाम के उपायों की योजना बनाने वाली समिति के प्रतिवेदन की एक प्रति सभापटल पर रखता हूं । **[पुस्तकालय में रखी गयी । देखिये संख्या एल टी—३११८/५९]**

पंजाब गन्ना (गुड़ बनाने के प्रयोग पर रोक) आदेश

†**खाद्य तथा कृषि उपमंत्री (श्री अ० म० थामस):** मैं अत्यावश्यक पण्य अधिनियम, १९५५ की धारा ३ की उप धारा (६) के अन्तर्गत दिनांक २३ फरवरी, १९५९ की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० २२० / ई० एस० एस० कोम / एस० में प्रकाशित पंजातु गन्ना (गुड़ बनाने के लिये प्रयोग पर रोक) आदेश, १९५९ की एक प्रति सभा पटल पर रखाता हूं । **[पुस्तकालय में रखी गई । देखिये संख्या एल टी—१३१९/५९]**

कृषि उत्पाद (विकास तथा भाण्डागार) निगम अधिनियम के अधीन अधिसूचना

†**सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्री (श्री स० कु० डे):** मैं अधिनियम कृषि उत्पाद (विकास तथा भण्डार) निगम अधिनियम, १९५६ के अन्तर्गत निकाली गई निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति सभा-पटल पर रखता हूं ।

(१) जी० एस० आर० संख्या ३१८, दिनांक १४ मार्च, १९५९ ।

(२) जी० एस० आर० संख्या ३१९, दिनांक १४ मार्च, १९५९ ।

(३) जी० एस० आर० संख्या ३२०, दिनांक १४ मार्च, १९५९ ।

[पुस्तकालय में रखी गई । देखिये संख्या एल टी—१३२०/५९]

---

†मूल अंग्रेजी में

प्राक्कलन समिति

चालीसवां तथा इकतालीसवां प्रतिवेदन

†**श्री ब० गो० मेहता** : (गोहिलवाड़) : श्रीमान्, मैं प्राक्कलन समिति के निम्नलिखित प्रतिवेदन उपस्थापित करता हूं :

(१) प्रतिरक्षा मंत्रालय—सैनिक सामान के बारे में प्राक्कलन समिति (पहला लोक-सभा) के छप्पनवें प्रतिवेदन में की गई सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही के बारे में चालीवां प्रतिवेदन ।

(२) परिवहन मंत्रालय—प्रकाश-स्तम्भों के बारे में प्राक्कलन समिति (पहली लोक-सभा) सैंतालीसवां प्रतिवेदन में की गई सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही के बारे में इकतालासवां प्रतिवेदन ।

सभा का कार्य

†**संसद्-कार्य मंत्री (श्री सत्य नारायण सिंह)** : आपकी अनुमति से मैं यह घोषणा करता हूं कि ३० मार्च से प्रारम्भ होने वाले सप्ताह में निम्न सरकारी कार्य लिया जायेगा :

(१) आज की कार्य-सूची में दिये गये, ऐसे सरकारा कार्य पर विचार करना जो असमाप्त रह गया हो ;

(२) इन मंत्रालयों से सम्बन्धित अनुदानों की मांगों पर चर्चा और मतदान —
निर्माण, आवास और संभरण
वैज्ञानिक गवेषणा तथा सांस्कृतिक कार्य
परिवहन तथा संचार
श्रम तथा रोजगार

(३) २ अप्रैल, को ५ बजे शाम को श्रीमती रेणु चक्रवर्ती तथा अन्य सदस्यों द्वारा प्रस्तुत किये जाने वाले प्रस्ताव पर, चिनाकुरी कोयला खान दुर्घटना की जांच के उस प्रतिवेदन पर चर्चा, जो १६ फरवरी, १९५९ को सभा-पटल पर रखा गया था ।

अनुदानों की मांगें

सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय

†**अध्यक्ष महोदय** : अब सभा सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय से सम्बन्धित अनुदानों की मांग संख्या ६१,६२,६३ और १२४ पर चर्चा करेगी ।

---

†मूल अंग्रेजी में

[अध्यक्ष महोदय]

वर्ष १९५९–६० के लिये सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय की अनुदानों की निम्नलिखित मांगें प्रस्तुत की गई :—

मांग संख्या	शीर्षक	राशि
		रुपये
६१	सूचना और प्रसारण मंत्रालय	१३,१७,०००
६२	प्रसारण	४,२५,७७,०००
६३	सूचना और प्रसारण मंत्रालय के अधीन विविध विभाग तथा व्यय	३,१४,८८,०००
१२४	प्रसारण पर पूंजी व्यय	१,८३,३३,०००

†**श्री प्रभात कार** (हुगली) : सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय ने देश के एक सबसे पुराने समाचार अभिकरण को खत्म हो जाने दिया है। 'यूनाइटेड प्रेस ऑफ इंडिया' देश का एक सबसे पुराना समाचार अभिकरण था। उसने देश के राष्ट्रीय आन्दोलन में सबसे अधिक योग दिया था। देश स्वतंत्र होने के बाद, राष्ट्रीय सरकार से आशा यह था कि वह ऐसे अभिकरण को सहायता देगी। लेकिन भारत सरकार ने उसे आर्थिक सहायता देने से इन्कार कर दिया। और वह अभिकरण अपर्याप्त वित्तीय संसाधनों के कारण ही बैठ गया है।

उस अभिकरण ने मई १९५८ से अपना आमद–खर्च में संतुलन कर लिया था और अपने मौजूदा खर्च में इतनी कमी कर ली थी कि उसकी देयतायें और न बढ़ पायें। अभिकरण के निदेशक बोर्ड ने पहले की देयताओं का, पहले के ऋणों को चुकाने के लिये, ऋणदाताओं से समझौता करने को एक योजना भी तैयार कर ली थी। उसने समवाय अभिधनियम की धारा ३९१ के अन्तर्गत एक याचिका भी कलकत्ता उच्च न्यायालय के सामने पेश की थी। उच्च न्यायालय ने उसे मंजूर भी कर लिया था, और उसके सम्बन्ध में २२ नवम्बर, १९५८ को ऋणदाताओं और अंशधारियों की एक बैठक भी निश्चित कर दी थी और समझौते की वार्ता भी चलने लगी थी। ऋणदाताओं में पश्चिमी बंगाल सरकार भी थी, और वह दस वर्ष के लिये अपना ऋण न मांगने पर राजी हो गई थी। अभिकरण ने डा० बी० सी० राय और कलकत्ता के शेरिफ की सहायता से ७०,००० रुपयों का चन्दा भी इकट्ठा कर लिया था। लेकिन भारत सरकार दस वर्ष के लिये अपने ऋण की वसूली स्थगित करने पर तैयार नहीं हुई और इसीलिये भारत के सबसे पुराने समाचार अभिकरण को अपना अस्तित्व खतम करना पड़ा। इसका सारा दोष मंत्रालय पर ही है।

भारत सरकार प्रेस आयोग की पृष्ठों के अनुसार मूल्य निर्धारित करने की सिफारिश के सम्बन्ध में भी कोई निर्णय नहीं कर रही है। इसका कारण यह है कि सरकार बड़े-बड़े समाचार-पत्रों के मालिक पूंजोपतियों के आगे घुटने टेकती रही है। इससे छोटे-मोटे समाचार-पत्रों और उनके मालिकों को बड़ी कठिनाई पड़ रही है। माननीय मंत्री को इसका संतोषप्रद उत्तर देना चाहिये कि उस सिफारिश को कार्यान्वित क्यों नहीं किया जा रहा है। मेरा अनुरोध है कि शीघ्र ही उसे कार्यान्वित करने के निर्णय की घोषणा की जाये।

†मूल अंग्रेजी में

दूसरी चीज यह है कि प्रेस सूचना विभाग ने श्री एम० ओ० मथाई के त्याग-पत्र को अपने यहां से प्रचारित क्यों किया था ? व्यक्तिगत ढंग के त्यागपत्रों को सामान्यतया प्रेस सूचना विभाग द्वारा प्रचारित नहीं किया जाता ।

आकाशवाणी में काम करने वाले कलाकारों की शिकायत है कि उनके साथ उचित बर्ताव नहीं किया जाता । माननीय मंत्री ने इन शिकायतों में खुद कोई दिलचस्पी दिखाने की बजाय, उनकी जांच का काम उन्हीं अधिकारियों को सौंप दिया है जिनके खिलाफ वे शिकायतें की गई थीं ।

आश्रवण पद्धति के विरुद्ध भी कलकत्ता के कलाकारों की कई शिकायतें थीं । लेकिन माननीय मंत्री ने उनमें भी कोई दिलचस्पी नहीं ली । अभी भी वह पद्धति ज्यों को त्यों जारी है ।

आकाशवाणी से रोज समाचारों का जो प्रसारण किया जाता है उसमें भी समाचारों को एक खास दृष्टिकोण से पेश किया जाता है ।

मध्य-पूर्व की गड़बड़ के दिनों में जब लेबनान और जोर्डन में विदेशी फौजें उत्तरी थीं, तो आकाशवाणी ने उन समाचारों को इस ढंग से पेश किया था जैसे वह कोई ब्रिटिश समाचार अभि-करण हो । हमारी जनता के सामने संसार के जनमत की सही तसवीर रखने की कोशिश नहीं की गई थी । माननीय मंत्री ने इस पर कोई ध्यान ही नहीं दिया है । देवीकुलम के निर्वाचन के सम्बन्ध में भी इसी प्रकार से पूरा समाचार नहीं दिया गया था । माननीय मंत्री को स्वयं इसमें रुचि लेनी चाहिये ।

इसी प्रकार, आकाशवाणी देश के विभिन्न राजनीतिक दलों और कर्मिक संघों के सम्मेलनों और उनकी कार्यवाहियों को समान रूप से, निष्पक्षता से प्रचारित नहीं करती । आकाशवाणी को ऐसा दलगत दृष्टिकोण नहीं अपनाना चाहिये ।

और, बड़े आश्चर्य की बात तो यह है कि आकाशवाणी को देश भर में कोई भी योग्य संसदीय समीक्षक नहीं मिला । अब वह पद ही हटा दिया गया है ।

चलचित्रों के क्षेत्र में, हालत यह है कि देश में विदेशी मुद्रा का संकट चाहे जितना रहे, लेकिन हमारे बड़े शहरों के चलचित्रगृहों में विदेशी चलचित्रों की भरमार रहती है । और, हमें अपने उत्कृष्ठ चलचित्रों को विदेशों में भेजने में काफी कठिनाइयां पड़ती हैं । इसे रोका जाना चाहिये ।

हमारा देश क्रूरता में विश्वास नहीं करता, लेकिन क्रूरता से भरे ब्रिटिश समाचार-चलचित्र अभी भी हमारे देश में दिखाये जाते हैं और हम उनके लिये विदेशी मुद्रा भी अदा करते हैं ।

एक और आश्चर्य की बात यह है कि हमारे देश के जिन चलचित्रों ने अन्तर्राष्ट्रीय ख्याति पाई है, उनको राज्य पुरस्कार समिति ने कोई भी सम्मान नहीं दिया है । इसमें जरूर कहीं कोई ग़लती है, और माननीय मंत्री को इस पर विचार करना चाहिये ।

[श्री प्रभात कार]

साथ ही, हम कच्ची फिल्मों के आयात पर लगभग २ करोड़ रुपये की विदेशी मुद्रा खर्च करते हैं। इस पर कुछ नियंत्रण किया जाना चाहिये। नियंत्रण की आवश्यकता इसलिये भी है कि आयात को जाने वाली कच्ची फिल्मों का अपव्यय बहुत होता है। इसे रोका जाना चाहिये।

चलचित्र शिक्षा का एक महत्वपूर्ण माध्यम है। लेकिन मंत्रालय ने इस मामले में चलचित्र निर्माताओं और निदेशकों को मनमानी करने की छूट दे रखी है। वे ऐसे चलचित्र बनाते हैं जो राष्ट्रीय हित के विरुद्ध पड़ते हैं। मंत्रालय को इस पर ध्यान देना चाहिये।

मंत्रालय भारतीय नाट्य रंगमंच को कोई भी प्रोत्साहन नहीं देता। बंगाल के रंगमंच ने राष्ट्रीय चरित्र के निर्माण में बड़ा योग दिया है।

†**सूचना तथा प्रसारण मंत्री (डा० केसकर) :** रंगमंच इस मंत्रालय के अधीन नहीं है। वह सांस्कृतिक-कार्य मंत्रालय से सम्बन्धित है।

†**श्री प्रभात कार :** मंत्रालय ने केन्द्रीय सूचना सेवा आरम्भ करके, एक सही दिशा में कदम उठाया है। लेकिन उसके जो नियम बनाये गये हैं, वे न्याय, समन्याय और औचित्य के विरुद्ध हैं। उसमें सिर्फ वही लोग लिये जायेंगे जो सूचना विभाग में १ नवम्बर, १९५७ से पहले काम करते आये हैं। माननीय मंत्री को इन नियमों को फिर से देखना चाहिये।

अन्त में, मेरा अनुरोध है कि भारतीय समाचार चलचित्रों को वदेशों में, खास तौर से दक्षिण-पूर्व एशियाँ में भी भेजणे की व्यवस्था करनी चाहिये। उससे हमें विदेशी मुद्रा मिल जायेगी।

†**डा० केसकर :** उनका आदान-प्रदान होता है।

†**श्री प्रभात कार :** उसे और बढ़ाना चाहिये।

†**श्री क० उ० परमार :** (अहमदाबाद-रक्षित-अनुसूचित-जातियां) : अस्पृश्यता निवारण की दृष्टि से यह मंत्रालय बड़ा महत्व रखता है।

संविधान और अधिनियम की व्यवस्था के अनुसार तो हम अस्पृश्यता का निवारण कर चुके हैं, लेकिन व्यवहार में वह अभी भी मौजूद है। यह मंत्रालय उसके निवारण के लिये प्रचार कर सकता है।

मंत्रालय ने गांवों को ४०,००० रेडियो सैट तो वितरित किये हैं, लेकिन गांव वालों की दिलचस्पी लायक अच्छे कार्यक्रम अभी तक प्रसारित नहीं किये जा सके हैं। माननीय मंत्री को कोशिश करनी चाहिये कि मंत्रालय इस राष्ट्रीय कार्यक्रम को पूरा कर दिखाये।

वर्ष १९५९-६० के लिये तयार किये गये फिल्म्स डिवीज़न के आय-व्ययक प्राक्कलनों में, अन्य कई मदों के साथ, एक मद यह भी रखी गई है कि अस्पृश्यता के बारे में एक पूरा चलचित्र तयार किया जायेगा। अभी तक उसमें कितनी प्रगति हुई है और उसका निर्माण निजी निर्माता को सौंपने की बात क्यों रखी गई है? अस्पृश्यता देश के लिये एक लांछन है, और उसे दूर करने के लिये पूरा प्रयत्न किया जाना चाहिये।

---

†मूल अंग्रेजी में

देश में चलचित्रों का स्तर दिन-दिन गिरता जा रहा है । उनमें, ऐसे गाने और दृश्य होते हैं जिनका नई उमर के लोगों पर बड़ा बुरा प्रभाव पड़ता है । विवाचक बोर्ड उनको अनुमति कैसे दे देता है ?

मंत्रालय ने १९५८ में विज्ञापनों पर १४,५३,००० रुपये खर्च किये थे । लेकिन प्रादेशिक भाषाओं के समाचार पत्रों को उनसे वंचित रखा जाता है । और जिन प्रादेशिक समाचारपत्रों को विज्ञापन दिये भी जाते हैं, तो वें राजनीतिक विचारधारा के आधार पर दिये जाते हैं । यह भेद भाव मिटाया जाना चाहिये ।

मंत्रालय ने अभी तक प्रेस आयोग की सिफारिशों को कार्यान्वित क्यों नहीं किया ? फिर आयोगों की स्थापना करने का लाभ क्या है ?

मंत्रालय देश में और देश के बाहर दौरा करने के लिये पत्रकारों के चुनाव में भी बड़ा पक्षपात करता है । बार-बार उन्हीं पत्रकारों को भेजा जाता है ।

भारतीय समाचरपत्रों में मंत्रियों और कांग्रेसी नेताओं के भाषणों, इत्यादि के अलावा अन्य कोई अधिक समाचार रहते ही नहीं ।

कुछ गुजराती समाचार पत्र ऐसे हैं जो सरकारी विज्ञापनों के बल पर ही चलते हैं और इसी से सरकार के गुलाम बने रहते हैं । वे विरोधी दलों को महत्व ही नहीं देते । लोकतांत्रिकता की दृष्टि से, यह मंत्रालय के लिये लज्जास्पद है । प्रेस को शासक दल का गुलाम बना कर नहीं रखना चाहिये ।

मेरे निर्वाचन क्षेत्र के एक प्रमुख कलाकार और नाटककार ने मुझे आकाशवाणी के सम्बन्ध में एक पत्र लिखा है । उनके एक गुजराती नाटक को बम्बई राज्य की ओर से १५०० रुपये का पुरस्कार मिल चुका है और उन्हें स्वयं भी रजत पदक मिल चुका है । फिर भी आकाशवाणी के अहमदाबाद केन्द्र के केन्द्र निदेशक ने उस नाटक को इसलिये अपने कार्यक्रम में शामिल नहीं किया कि नाटककार अखिल भारतीय महिला सम्मेलन की सचिव के दामाद को उसमें अभिनय करने के लिये रखने को तयार नहीं थे ।

अहमदाबाद केन्द्र में लालफीताशाही, भाई-भतीजाबाद और पक्षपात का जोर है । बिना कोई विज्ञापन दिये ही, कुछ निर्माताओं को ५०० रुपये प्रति मास पर रख लिया गया है । कला का नाम भी न जानने वालों को कलाकारों में भर्ती कर लिया जाता है ।

वहां 'हरिजन सप्त' के कार्यक्रमों के लिये बड़े मामूली आदमियों को भाषण करने के लिये बुलाया जाता है । समाज कल्याण का कार्य करने वालों को बुलया ही नहीं जाता । अस्पृश्यता निवारण में इस मत्रालय को अधिक प्रभावशाली योगदान देना चाहिये ।

श्रीमती उमा नेहरू (सीतापुर) : अध्यक्ष महोदय, इनफार्मेशन और ब्राडकास्टिंग (सूचना तथा प्रासारण) का महकमा बहुत जिम्मेदारी का महकमा है । इस महकमे की शक्ति से आप देश को बना और बिगाड़ सकते हैं । और यही वजह है कि इस महकमे के मुलाजिमों की जिम्मेदारी

[श्रीमती उमा नेहरू]

बहुत ज्यादा है । लेकिन ताज्जुब की बात तो यह है कि इतने ज्यादा जरूरी महकमे के लिये केवल चार घंटे रखे गये हैं और उसमें से भी कुछ वक्त तो आनरेबल मिनिस्टर साहब ले जायेंगे और बाकी बहुत ही कम समय माननीय सदस्यों को बोलने के लिये रह जायेगा । जो वक्त माननीय मंत्री महोदय लेंगे उसका उपयोग वह हमें समझाने में करेंगे । इस वास्ते मैं चाहती थी कि इसके लिये अधिक समय रखा जाता ।

इस महकमे ने जो उन्नति की है, उसके लिये मैं माननीय मंत्री महोदय को बधाई देती हूं । जो रिपोर्ट छपी है उसको देखने से पता चलता है कि हर दिशा में इस महकमे ने उन्नति की है और उन्नति करता चला जा रहा है ।

चन्द बातें हैं जो मैं मिनिस्टर साहब से पूछना चाहती हूं या उनके सामने रखना चाहती हूं । पहली बात जो मैं पूछना चाहती हूं वह यह है कि जो लो-पेड आर्टिस्टस (कम वेतन वाले कलाकार) हैं, उनकी जो शिकायतें हैं, वे रफा हुई हैं या नहीं हुई हैं । दूसरी बात यह है कि बराबर यह कहा जाता है कि सिक्योरिटी (सुरक्षितता) आफ सर्विस इस महकमे में नहीं है, यह कहां तक सच है और अगर सच है तो इनसिक्योरिटी को दूर करने के लिये क्या कदम उठाये गये हैं ।

तीसरी बात जो मैं पूछना चाहती हूं वह यह है कि टैम्पोरेरी सर्विस की बीमारी इस महकमे में ज्यादा है, वह कुछ कम हुई है या नहीं हुई है । मैं जानना चाहूंगी कि परमानेंट बेसिस पर लोग रखे जा रहे हैं या नहीं रखे जा रहे हैं ।

मैं यह भी जानना चाहती हूं कि जो नया केडर सर्विसस का निकला है उसके अन्दर जो लोग लिये जाते हैं वे कौन लोग लिये जाते हैं । क्या जो टैम्परोरेरी हैंड्स हैं और जो योग्य हैं, जो काबिल हैं, उनको इस केडर के ज़रिये से परमानेंट बैसिस पर लिया जाता है या नहीं लिया जाता है या लिये जा सकते हैं या नहीं लिये जा सकते हैं या इस केडर को केवल इसलिये खोला गया है कि बाहर के लोगों को ही केवल उसके अन्दर दाखिल किया जा सके ।

अकसर यह सुनाई देता है और पता नहीं कहां तक सत्य है कि जब कोई ऊंची या बड़ी सर्विस खोली होती है या जब आप कोई नई सर्विस पैदा करते हैं तो जो आपके रेडियो में बहुत दिनों से और बहुत वर्षों से लोग काम कर रहे हैं और जो अभी भी टैम्पोरेरी हैं और परमानेंट न करने की कोई वजह होगी जोकि मुझे मालूम नहीं है, उनको मौका न देकर, उनको तरक्की न दे करके, उनको आगे बढ़ने का अवसर प्रदान न करके, बाहर से अकसर लोगों को ले लिया जाता है और यह कह कर रख लिया जाता है कि ये इंटरनैशनल फिगर हैं या उन्होंने बहुत ज्यादा ट्रेवल किया है, पश्चिम के मुल्कों में बहुत घूमे हैं, सलिए इनको ज्यादा मुनासिब समझा गया कि रखा जाये । अगर ऐसा होता है तो मैं समझती हूं कि वे हमारे काम के लिए बिल्कुल कोरे होते हैं । हिन्दुस्तान की जो परिस्थितियां हैं, हिन्दुस्तान के रेडियो के जो काम हैं, जो प्रचार है, उसके लए वे बिल्कुल कोरे होते हैं । यह मुम्किन हो सकता है कि इंटरनेशनल फील्ड में उन्होंने बड़ी इज्ज़त पाई हो या बड़े उस्ताद हों और बहुत से मुल्कों में घूमे हों लेकिन उनको हिन्दुस्तान को बढ़ाना है, हिन्दुस्तान में काम करना है और इस काम की उनको कितनी वाकफियत है यह देखा जाना बहुत जरूरी है । जो बातें मैंने कही हैं अगर ये सब गलतफहमियां हैं, तो मैं चाहती हूं कि मिनिस्टर महोदय मेरी इन गलतफहमियों को रफ़ा कर दें ।

अब मैं दो तीन सुझाव मिनिस्टर साहब के सामने रखना चाहती हूं। पहली बात तो यह है कि जो सेंसर बोर्ड है यह किस तरह के काम कर रहा है यह मैं जानना चाहती हूं। मैं देख रही हूं कि कुछ भी तरक्की नहीं हो पा रही है। आज भी मैं देख रही हूं कि हौरर फिलम्स बहुत ज्यादा आती हैं, हौरर लिट्रेचर बहुत ज्यादा मार्किट में दिखाई देता है। इसका नतीजा यह है कि जो हमारे बच्चे हैं, जो १६-१७ वर्ष की उम्र के हैं, जिनको टीन एजर्स कहते हैं, उनकी हालत यह है कि रात दिन इसी को पढ़ते रहते हैं, ऐसी ही फिलम्स देखते रहते हैं। अगर इम्तिहान देने भी जाते हैं तो उनके एक हाथ में इम्तिहान की किताब होती है और दूसरे हाथ में हौरर पिक्चर का मैगेज़ीन। मैं जानना चाहती हूं कि यह चीज़ क्यों नहीं बन्द होती है। मैं यह इसलिए कहती हूं कि मैं समझती हूं कि यह हौरर पिक्चर्स और यह हौरर सिनेमाज़ जब तक अलग नहीं होंगे तब तक हम उन्नति नहीं कर सकते हैं। आप तरक्की की हज़ारों योजनायें बना लें हज़ारों प्लान बना डालें लेकिन जब तक यह जो कीड़ा लगा हुआ है, यह दूर नहीं होता है, समाज को आप नहीं बदलते हैं, तब तक नामुम्किन है कि हम ठीक तरह से आगे बढ़ सकें। सेंसर बोर्ड को ज़रा आप कसिये, सेंसर बोर्ड से आप ज़रा कहें कि इस तरह की फिजूल चीज़ें नहीं निकलने दे। अभी एक मेरे भाई ने कहा और मैंने भी सुना है कि सिलोन रेडियो से इस तरह के गाने आते हैं। अभी मेरे भाई ने "लाल लाल सी-ए-टी--कैट--कैट माने बिल्ली" जैसे कुछ गानों का ज़िक्र किया है। ये सब सीलोन से आते हैं और इसमें कोई शक नहीं है कि वे तकलीफदेह होते हैं। मैं समझती हूं बेमानि चीज़ों का कहना बेकार होता है। मैं चाहती हूं कि इस ओर भी आपका ध्यान जाना चाहिए।

बच्चों की फिलम्स, जिनको चिल्डरंस फिलम्स कहा जाता है वे संतोषजनक नहीं हैं और उनके बारे में और ज्यादा मेहनत करने की जरूरत है। मैं समझती हूं कि इन फिलम्स को वे लोग तैयार कर सकते हैं जो चाइल्ड साइकौलोजी को समझ सकते हैं, वे लोग तैयार कर सकते हैं जिन में कुछ इमेजिनेशन ज्यादा हो, जोकि बच्चों के प्रश्नों को समझते हैं, जोकि जानते हैं कि बच्चों के लिए प्लाटस कैसे होने चाहियें, कहानियां कैसी होनी चाहिये, कास्ट्यूम्स कैसे होने चाहियें, सैटिंग भी कैसी होनी चाहिए। जब तक जो लोग इन फिल्मों को बनाते हैं, वे इन चीज़ों से वाकिफ नहीं होंगे, तब तक मैं समझती हूं कि जो भी फिलम्स तैयार करेंगे वे थर्ड क्लास फिलम्स कहलाई जायेंगी।

आप योजना का प्रचार भी बराबर करते रहे हैं और करते रहेंगे। लेकिन इस प्रचार के साथ साथ मैं चाहती हूं कि आप शिक्षा का प्रचार और स्वास्थ्य का प्रचार भी करें। ये दोनों चीज़ें इस वक्त समाज के वास्ते बहुत जरूरी हैं।

मौ खास तौर पर टैम्पोरेरी सर्विसिस के बारे में कहना चाहती हूं। आपके पास जितनी भी टैम्पोरेरी सर्विसस है, उनका जब मैं विचार करती हूं या जब मुझ से लोग मिलने आते हैं और इसका ज़िक्र करते हैं, मुझे बड़ी शर्म सी महसूस होती है और मैं समझती हूं कि इन बेचारों को आपने ऐसे ही इस तरह से टांग रखा है यह कह कर कि आप मजबूर हैं यह समस्या हल नहीं हो सकती है। सरकार लाखों रुपया ऐसे ही खर्च कर रही है और मैं समझती हूं कि ये सर्विसिस ऐसी हैं कि इन पर कुछ खर्च करना या इनके लिए, इनकी भलाई के लिए कुछ करना सरकार के लिए कोई बड़ी बात नहीं है। यह महकमा बहुत जरूरी महकमा है। इस वास्ते इन गरीब लोगों को आगे न बढ़ा कर, इनको सहूलियतें न देकर, मैं समझती हूं महकमा आगे नहीं बढ़ाया जा सकता है। मैं आशा करती हूं कि मिनिस्टर साहब इस पर जरूर विचार करेंगे।

मैं यह भी चाहती हूं कि जो हमारे यहां इस महकमे में सर्विस में हैं, इनको जरूर मौक़ा मिलना चाहिए कि ये फर्दर स्टडी के लिए विदेशों में जा सकें, पश्चिमी मुल्कों में जा सकें और मैं यह भी चाहती हूं कि इनको इसके लिए स्कालरशिप्स मिलें। वहां पर ये लोग जा कर यह देख सकते हैं कि उन

[श्रीमती उमा नेहरू]

मुल्कों ने कितनी तरक्की है, किस तरह से वहां का काम होता है और कौन कौन सुधार यहां पर किये जा सकते हैं और इस काम के लिए मैं चाहती हूं कि जो हमारी सर्विसिस के लोग हैं उन्हीं को भेजा जाये। मैं यह हर्गिज़ नहीं चाहती कि हमारी अपनी सर्विस वाले लोगों को न लेकर बाहर वालों को इस काम के लिए ले लिया जाये। मैं आपकी सर्विस वालों से वाकिफ हूं और मैं समझती हूं कि वे काफी काबिल हैं, काफी अच्छे लोग हैं, काफी दिलचस्पी काम में लेते हैं।

अन्त में मैं मिनिस्टर साहब को यही समझाना चाहती हूं कि याद रखिये कि अगर आपने अपनों का साथ न दिया, अपनों को न बढ़ाया तो जो गाड़ी है और जोकि अपनों से ही चल सकती है, बाहर वालों से नहीं चल सकती है, वह अच्छी तरह से नहीं चल पायेगी।

इन शब्दों के साथ इस महकमे ने जो तरक्की की है, उसके लिए मैं इसको बधाई देती हूं और जो डिमांड्स पेश की गई हैं, उनका समर्थन करती हूं।

†**श्री मनायन** (दार्जिलिंग) : वास्तव में सरकार इस मंत्रालय को कोई अधिक महत्व नहीं देती; इसीलिए सूचना तथा प्रसारण मंत्री को मंत्रिमंडल का सदस्य नहीं बनाया जाता।

सरकार इसे अन्य मंत्रालयों जितना उपयोगी नहीं मानती। लेकिन मैं समझता हूं कि यह गलत है। हमारे देश की जनता को जाग्रत करने के लिए आकाशवाणी और फिलम्स डिवीजन—दोनों ही बड़े लोकप्रिय माध्यम हैं। रेडियो अनुज्ञप्तियों की संख्या दिन-दिन बढ़ती जा रही है। इस वर्ष वह शायद १५ लाख हो जायेगी।

†**डा० केसकर :** इससे भी ज्यादा।

†**श्री मनायन :** इसका मतलब है कि करोड़ों लोग रेडियो सुनेंगे। अब सवाल यह है कि क्या इस जन-माध्यम का पूरा उपयोग किया जा रहा है। रेडियो की उपयोगितायें दो प्रकार की हैं—मनोरंजन और जानकारी। आम आदमी रेडियो को मनोरंजन का साधन भर समझते हैं। रेडियो सीलोन और रेडियो पाकिस्तान इसीलिये इतने लोकप्रिय हैं कि वे सरल संगीत यानी सिनेमा के गाने प्रसारित करते हैं। आकाशवाणी के कार्यक्रमों को इसीलिए पसंद नहीं किया जाता कि वह जनता की रुचि का परिष्कार करने की चेष्टा करती है। आकाशवाणी को भी, रेडियो सीलोन की तरह, सरल संगीत के कार्यक्रमों के बीच-बीच में जानकारी बढ़ाने वाले समाचार और विचारों का प्रसारण करना चाहिए। तभी लोग दोनों चीजों को सुनेंगे। हमारे विविध भारती कार्यक्रम की लोकप्रियता इसीलिये बढ़ी है।

[**उपाध्यक्ष महोदय** पीठासीन हुए]

इसलिए आकाशवाणी को सरल संगीत की इतनी उपेक्षा नहीं करनी चाहिए। मंत्रालय को श्रोताओं की राय जानने की कोशिश करनी चाहिए।

आकाशवाणी ने बाहरी देशों के लिए किये जाने वाले प्रसारणों का काम बड़े सराहनीय ढंग से किया है। विदेशों के सामने अपने देश की सही और तथ्यपूर्ण तसवीर पेश की जानी चाहिए। तिब्बत के लिए प्रसारित किये जाने वाले हमारे कार्यक्रम इतने अच्छे नहीं होते। और, दूसरी बात यह भी है कि पीकिंग रेडियो एक ही समय और एक ही मीटर बैन्ड पर अपने कार्यक्रम प्रसारित करके, उन्हें हमारे कार्यक्रम नहीं सुनने देता।

†मूल अंग्रेजी में

विदेशों के लिये प्रसारित किये जाने वाले कार्यक्रमों के मामले में, यऊ मंत्रालय नेपाल की बड़ी उपेक्षा करता है । इस समय आवश्यकता यह है कि ये दोनों देश भावात्मक रूप से एक दूसरे के अधिक से अधिक समीप आयें । इसलिये आकाशवाणी की नेपाली यूनिट के लिये अच्छे से अच्छे कलाकार चुने जाने चाहिये । अभी कुछ दिन पहले नेपाली भाषा में समाचार पढ़ने के लिये समाचार-वाचकों का चुनाव एक ऐसे चुनाव बोर्ड ने किया था जिसके एक भी सदस्य को नेपाली भाषा नहीं आती । जाहिर है कि जो व्यक्ति चुना गया उसे नेपाली भाषा की थोड़ी भी जानकारी नहीं थी । इसे रोका जाना चाहिये ।

आकाशवाणी के गौहाटी केन्द्र से लगभग २२ बोलियों में कार्यक्रम प्रसारित किये जाते हैं, लेकिन नेपाली भाषा में नहीं । आसाम में काफी नेपाली लोग रहते हैं । क्या माननीय मंत्री बतायेंगे कि यह भेद भाव क्यों किया जाता है ?

दार्जिलिंग और जलपाईगुड़ी में भी नेपाली बोलने वालों की काफी संख्या है । इस लिये मेरा अनुरोध है कि गौहाड़ी और कलकत्ता से नेपाली भाषा में कार्यक्रम प्रसारित किये जाये ।

फिल्म्स डिवीजन के बारे में, माननीय मंत्री को बताना चाहिये कि अस्पृश्यता निवारण के सम्बन्ध में एक पूरा चलचित्र तैयार करने का निजी निर्माता को सौंपने की बात क्यों सोची जा रही है ?

मंत्रालय १९५९ में एक 'चलचित्र प्रतिष्ठान' और एक 'चलचित्र निर्माण ब्यूरो' स्थापित करेगा । इसकी क्या जरूरत है ? इसकी जरूरत तो तभी हो सकती थी, जब कि मंत्रालय चलचित्र उद्योग को राष्ट्रीयकृत करना चाहता हो । वैसे इन दोनों निकायों द्वारा चलचित्र संबंधी कलाओं के प्रशिक्षण के बना भी, देश में वे सभी कलायें काफी उन्नत हैं । उनको सरकारी सहायता या पथ-प्रदर्शन की आवश्यकता नहीं । माननीय मंत्री को इसकी जांच करनी चाहिये ।

एक प्रस्ताव यह भी है कि द्वितीय पंच वर्षीय योजना काल में दिल्ली में एक टेलीविजन यूनिट बनाई जायेगी । हमारे देश की जनता अभी कई वर्षों तक टेलीविजन का खर्च बरदाश्त नहीं कर सकती । इसलिये इसके परीक्षण पर धन का अपव्यय नहीं किया जाना चाहिये ।

केंन्द्रीय विवाचक बोर्ड की सख्ती की बहुत सी शिकायतें सुनने में आई हैं । सख्ती और नरमी की बात तो मैं नहीं जानता, लेकिन हां विवाचन उचित ढंग से नहीं किया जाता । बोर्ड पर जैसे अश्लीलता का हौवा सवार है । उनको अश्लीलता की सही समझ नहीं है, इसलिये बोर्ड के निर्णय भी गलत होते हैं । नतीजा सिर्फ यह होता है कि बोर्ड जिस चलकित्र को 'केवल बालिगों के लिये' का प्रमाणपत्र देता है, उसे देखने के लिये समूची जनता टुट पड़ती है । मेरी समझ में यह तर्क नहीं आता कि १८ वर्ष से कम अवस्था के लोगों के लिये जो चीज़ बुरी है, वह १८ वर्ष से अधिक अवश्स्था के लोगों के लिये अच्छी कैसे हो जाती है ।

बोर्ड को सामाजिक मान्यताओं और दृष्टिकोणों के प्रति अधिक सजग रहना चाहिये । हमारे देश के चलचित्र निर्माताओं को केवल धन कमाने की ही चिन्ता रहती है और वे उसके लिये लोगों में अनैतिक भावनायें फैलाने से भी नहीं हिचकते । इसे रोका जाना चाहिये ।

कुछ माननीय सदस्यों ने कच्ची फिल्मों के अपव्यय की बात कही थी । हमारे चलचित्र जरूरत से ज्यादा लम्बे होते हैं । उनकी लम्बाई कम की जानी चाहिये । साथ ही हर

[श्री मनायन]
पूरे चलचित्र के साथ एक कोई यात्रा चलचित्र या कानून कार्टून चलचित्र भी तैयार किया जाना अनिवार्य बना देना चाहिये ।

मैं सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय की अनुदानों की इन मांगों का समर्थन करता हूं।

श्री जगदीश अवस्थी : (बिल्हौर) : उपाध्यक्ष महोदय, सूचना और प्रसार मंत्रालय के मामलों को अगर हम देखें तो उस के अन्तर्गत आकाशवाणी, पत्र सूचना कार्यालय, पंचवर्षीय योजना प्रसार विभाग तथा फिल्म विभाग आते हैं । फिल्म विभाग को छोड़ कर के जितने भी विभाग इस के अन्तर्गत हैं अगर हम उन की कार्यपद्धतियों को देखें तो उन की कार्यपद्धतियों में कोई सामन्जस्य, कोई भी तारतम्य नहीं है । इस बात की नितान्त आवश्यकता है कि फिल्म विभाग को छोड़ कर जितने विभाग इस मंत्रालय के अन्तर्गत आते हैं, जिन का कार्य मुख्य रूप से प्रचार मात्र है, उन में आपस में सामन्जस्य हो । विभिन्न प्रदेशों में उन के कार्यालय स्थापित हैं लेकिन उन में भी कोई सामन्जस्य नहीं है जिस के कारण बहुत असुविधा उत्पन्न होती है ।

इस के साथ ही साथ हम जो आकाशवाणी से समाचारों के बुलेटिनों को सुनते हैं, यदि उन की ध्यान से सुना जाय तो मेरी दृष्टि में उन की जो प्रसारण नीति है वह अत्यन्त दोषपूर्ण और पक्षपातपूर्ण है । अधिकांश समाचार बुलेटिनों में, जो कि प्रकाशित अथवा प्रसारित होते हैं, अधिकांश रूप में मंत्रियों और मुख्यतया प्रधान मंत्री महोदय के भाषणों को सुनाया जाता है, चाहे उन की कोई उपयोगिता हो अथवा न हो । ११ वर्षों में शायद ही कोई दिन ऐसा रहा हो जिस दिन आकाशवाणी के श्रोताओं ने किसी मंत्री अथवा प्रधान मंत्री की वाणी को न सुना हो । मैं समझता हूं कि इस की आवश्यकता है लेकिन अति सर्वत्र वर्जयेत । जब किसी चीज की अति हो जाय तो उसे वर्जित होना चाहिये । हमारे प्रधान मंत्री बहुत लोकप्रिय हैं, काफी लोग उन की बातों को समझते हैं, उन के भाषणों को प्रसारित होना चाहिये, लेकिन समाचार बुलेटिनों में उन के कारण जिन समाचारों का होना चाहिये उन का बहुत कम समावेश होता है । मुख्य रूप से इन समाचार बुलेटिनों में मंत्रियों, खासकर प्रधान मंत्री, के भाषणों और अन्तर्राष्ट्रीय घटनाओं का ही समावेश होता है । क्षेत्रीय समाचारों का समावेश उन में बहुत कम होता है । इस में निश्चित रूप से सुधार होने की आवश्यकता है ।

इसी प्रकार यदि हम आकाशवाणी के न्यूज सर्विस डिवीजन को देखें तो उस के अन्तर्गत हिन्दी अथवा जो देशी भाषाओं के बोलने वाले हैं उन के और अंग्रेज़ी के कार्यक्रमों का संगठन बड़ा दोषपूर्ण है । आज जब कि सरकार और हमारे मंत्री सारे देश में यह चाहते हैं कि कुछ समय बाद हिन्दी इस देश की राजभाषा हो, राष्ट्रभाषा तो वह आज है ही, तब भी इस मंत्रालय की गतिविधियों में और इस समाचार सेवा खंड में बड़ी पक्षपातपूर्ण नीति बरती जा रही है । हिन्दी के कार्यक्रमों की सेवाओं के साथ और अंग्रेज़ों के कार्यक्रमों की सेवाओं के साथ बड़ी भेदपूर्ण नीति बरती जा रही है । इस समाचार सेवा खंड में अंग्रेज़ी और हिन्दी का कितना अनुपात रक्खा जा रहा है । मैं इस की तालिका आप के सामने रखना चाहता हूं । वह इस प्रकार है :

मुख्य समाचार सम्पादक अंग्रेज़ी में एक और हिन्दी में कोई नहीं ।

समाचार सम्पादक अंग्रेज़ी में ११ और हिन्दी में केवल एक ।

सहायक समाचार सम्पादक अंग्रेज़ी में जो हैं उन की संख्या ३१ है और हिन्दी में केवल ३ हैं ।

जो उपसम्पादक हैं अंग्रेज़ी के उन की संख्या ४ है और जो हिन्दी के हैं उन की संख्या ५ है, लेकिन जो ४ उपसम्पादक अंग्रेज़ी के हैं उन को अगर आप देखें तो वे गजेटेड आफिसर्स हैं जब कि हिन्दी के नानगजेटेड आफिसर्स हैं ।

जो हमारे संवाददाता हैं उन की संख्या अंग्रेज़ी में तो ६ हैं, लेकिन हिन्दी में एक भी नहीं ।

जो स्टेनोज हैं, अंग्रेज़ी में उन की संख्या ४० है और हिन्दी में केवल ३ है ।

जो हमारे अनुवादक हैं वह अंग्रेज़ी में तो एक भी नहीं हैं जब कि हिन्दी में ७ हैं । होना तो यह चाहिये कि अंग्रेज़ी के अनुवादक हों और हिन्दी से अंग्रेज़ी में अनुवाद करें । लेकिन हो यह रहा है कि अंग्रेज़ी से हिन्दी में अनुवाद होता है । इस प्रकार से अगर आप देखें तो अंग्रेज़ी के कर्मचारियों का टोटल तो ६६ होता है और हिन्दी के कर्मचारियों का टोटल १६ होता है ।

यही पब्लिकेशन्स डिवीजन के प्रकाशन विभाग का हाल है । जो वहां पर अंग्रेज़ी के सम्पादक हैं उन की संख्या १३ है और हिन्दी के सम्पादकों की संख्या २ है, सहायक सम्पादक अंग्रेज़ी के १४ हैं और हिन्दी के ६, जो उपसम्पादक हैं वे केवल हिन्दी में हैं और उन की संख्या ७ है ।

इस प्रकार से यदि आप देखें तो प्रकाशन विभाग में भी अंग्रेज़ी के कर्मचारियों की संख्या २७ है और हिन्दी के कर्मचारियों की संख्या १५ है । इस तालिका से स्पष्ट है कि भले ही आज भारत सरकार और उस के मंत्रिगण सदन में या बाहर रात दिन घोषणा करते हैं कि हिन्दी को बहुत ही अधिक प्रोत्साहन दिया जा रहा है लेकिन यह सूचना और प्रसारण मंत्रालय या इस के अधीन जो अन्य विभाग हैं, जिन पर इस देश में हिन्दी का प्रसार करने की जिम्मेदारी है, जिन पर इस बात का उत्तरदायित्व है कि वे अंग्रेज़ी के प्रसार को कम कर के हिन्दी का प्रसार अधिक करें, वे अपना काम ठीक से नहीं कर रहे हैं । यह मंत्रालय अंग्रेज़ी को विशेष रूप से प्रश्रय दे रहा है । इस बात को देखते हुए ऐसा लगता है कि आज जो यह घोषणा की जा रही है कि हिन्दी की प्रगति हो रही है यह बिल्कुल गलत है । मैं आंकड़े दूंगा जिन से मालूम होगा कि हिन्दी की अपेक्षा दिनों दिन बढ़ती जा रही है । इतना ही नहीं यदि आप समाचार सेवा खंड अथवा अन्य विभिन्न विभागों में काम करने वाले कर्मकारियों को देखें तो पता चलेगा कि उन की हालत तो बहुत ही खराब है । जिन को स्टाफ आर्टिस्ट कहा जाता है उन की सेवाओं को आप ले लें । आकाशवाणी विभाग में आज भी कंट्रेक्ट सिस्टम विद्यमान है । ऐसे ऐसे कलाकार जो आप की आकाशवाणी के लिये बहुत उपयोगी हैं उन को हर तीसरे वर्ष कंट्रेक्ट दिया जाता है । जहां तक एसेन्शल सर्विसेज का प्रश्न है, जो भी अन्य मंत्रालयों के नियम हैं वे उन पर लागू होते हैं, लेकिन जहां तक सुख सुविधाओं का प्रश्न है वह उन पर लागू नहीं होतीं । उदाहरण के लिये उन को प्राविडेंट फंड नहीं मिलता, मंहगाई भत्ता नहीं मिलता, उन को पी० टी० ओ० कंसेशन नहीं मिलता । हर तीसरे वर्ष उन का कंट्रैक्ट रिन्यू किया जाता है । कभी भी उन की सेवायें खत्म की जा सकती हैं । उन की सेवाओं की कोई सुरक्षा नहीं है । यह ठेकेदारी सिस्टम अंग्रेज़ों के जमाने में आरम्भ हुआ था । हिन्दुस्तान आजाद हो चुका है और उस के ११ वर्ष हो गये हैं । समय आ गया है जब कि इस प्रथा को समाप्त होना चाहिये । यह हमारे मंत्रालय के लिये एक बड़े भारी कलंक की बात है कि उनकी स्थायी करने के विरुद्ध तर्क यह दिया जाता है कि हम तो कलाकार की वाणी पर पैसा देते हैं, अगर उन की वाणी ठीक नहीं होगी तो उन को निकाला जायगा । लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि जो लोग आकाशवाणी के स्थायी कर्मचारियों के रूप में काम करते हैं वे उसी प्रकार से हैं जैसे कि आप के नियमित कर्मचारी होते हैं । कोई भी आफिसर हो यदि उस का कोई अंग भंग हो जाता है उस के कार्यकाल में तो क्या आप उस को अलग कर देते हैं ? जो

[श्री जगदीश अवस्थी]

प्राविजन उन के लिये है क्या वजह है कि वह उन के लिये भी न रक्खा जाय जिन की वाणी में कोई दोष आ जाय ? क्या किसी की वाणी खराब हो जाय तो आप उस को निकाल देंगे ? इस लिये यहां पर कंट्रैक्ट सिस्टम का रखना बहुत गलत है और उस को हटाना चाहिये जो आप के नियमित या स्थायी कर्मचारी हैं उन को जो सुविधा मिलती है निश्चित रूप से ही वही सुविधा इन लोगों को भी मिलनी चाहिये ।

दो एक वर्ष पूर्व घोषणा की गई थी कि आकाशवाणी का जो समाचार विभाग है, उस में हिन्दी को प्रोत्साहन देने के लिये पुनर्संगठन किया जायेगा । लेकिन मैं समझता हूं कि केवल सम्पादकों की नियुक्ति के अलावा वहां पर कोई काम नहीं हुआ है । इस बात की नितांत आवश्यकता है कि उस में हिन्दी के डायरेक्टारेट को अलग कर दिया जाय और हमारे सूचना और प्रसारण मंत्रालय के विभिन्न स्थानों पर जो हिन्दी के टेलिप्रिंटर्स लगे हुए हैं उन से सीधे सूचना आये और वही हिन्दी विभाग को दी जाय । यह देख कर बड़ा दुःख होता है कि इस लोक सभा में या बाहर जो भाषण दिये जाते हैं हिन्दी में, उन को वहां पर अनुवाद अंग्रेज़ी में किया जाता है; उस के बाद पुन : हिन्दी में उस का अनुवाद किया जाता है और तब वह प्रसारित किया जाता है। इस प्रकार से न केवल खर्च ही बढ़ता है बल्कि परेशानी भी होती है । जो भाषण हिन्दी में दिये जाते हैं उन को हिन्दी में दिया जाय और जो भाषण अंग्रेज़ी में दिये जाते हैं उन को अंग्रेज़ी में दिया जया । जिन भाषणों का अनुवाद पहले हिन्दी से अंग्रेज़ी में होता है उस के बाद अंग्रेज़ी से हिन्दी में होता है उस से उन की आत्मा मर जाती है और बहुत सी गलतफहमियां पैदा हो जाती हैं । इस लिये यह चीज़ बन्द होनी चाहिये ।

यहां पर यह भी कहा जाता है कि आकाशवाणी के समाचार विभाग में कुछ स्टाफ की आवश्यकता है, लेकिन उसको इसलिये नहीं रक्खा जाता है कि पैसे की कमी है । लेकिन हम देखते हैं कि दिल्ली आकाशवाणी की ओर से प्रायः प्रति सप्ताह किसी न किसी राष्ट्रीय आयोजना अथवा संगीत सम्मेलन के लिये एक पंडाल बनाने का प्रबन्ध किया जाता है । हमारे मंत्री जी बतला सकेंगे कि पिछले दो तीन सालों में इस चीज पर कितना रुपया व्यय किया गया । अगर वह पैसा आप बचा लें और स्टूडियोज के अन्दर बैठ कर ही उन आयोजनों को करें तो क्या हानि है ? सारा देश उनको वहीं से सुन सकता है । कोई आवश्यकता नहीं है कि इस प्रकार विशेष आयोजन करके पैसे को बरबाद किया जाय । इस पैसे को बचा कर आप अपने आर्टिस्ट्स को दे सकते हैं और काम ज्यादा अच्छी तरह से कर सकते हैं ।

मैं कुछ थोड़ी सी बातें प्रकाशन विभाग के सम्बन्ध में भी कहना चाहता हूं । अगर आप प्रकाशन विभाग की सन् १९५८ की रिपोर्ट को देखें तो बड़ा दुःख होता है । अंग्रेजी भाषा की ७८ पुस्तकों का प्रकाशन हुआ जबकि हिन्दी की कुल २० पुस्तकों का प्रकाशन हुआ है । यह हमारे सूचना और प्रसारण मंत्रालय की नीति है जिसे देख कर मालूम होता है कि अन्य भाषाओं की बात तो दूर हिन्दी की पुस्तकों का प्रकाशन भी अंग्रेजी की तुलना में कम है । हर वर्ष कहा जाता है कि हम हिन्दी का प्रसार कर रहे हैं, लेकिन होता इसका उल्टा ही है । इसी प्रकाशन विभाग की नीति का परिणाम हमारी पुस्तक १९५७ है । मुझे विश्वास था कि मंत्री महोदय इस पुस्तक के सम्बन्ध में उचित कदम उठायेंगे जो कि हमारी राष्ट्रीयता के लिये कलंक है । इसमें इतिहास को न रख कर जो हमारी वीर आत्मायें हैं सन् १८५७ की उन पर आक्षेप किया गया है जिन आदमियों ने हमारी आजादी की लड़ाई में योगदान दिया उनके ऊपर बहुत कलंकपूर्ण और अपमानजनक आक्षेप किये गये हैं । यह बहुत दुःखदायी बात है और यह पुस्तक हमारी भावनाओं को ठेस पहुंचाती है । जिस प्रकार मिस मेयो ने "मदर इंडिया" नामक पुस्तक

लिख कर भारतीय जनता को अपमानित किया था, ठीक वही भारतीयों को अपमानित करने का काम डा० सेन ने इस पुस्तक को लिख कर किया है। यह बड़े खेद का विषय है कि भारत सरकार ने हजारों रुपये खर्च करके उस पुस्तक को छपवाया। गत वर्ष मैंने इसकी आलोचना की थी कि इस पुस्तक के कुछ अंश कलंक रूप हैं और वे तुरन्त निकाल दिये जाने चाहियें और इस पुस्तक का प्रकाशन बन्द होना चाहिए। यह पुस्तक सचमुच में इस मंत्रालय के लिए और इस देश की सरकार के लिए कलंक की बात है और इस पुस्तक का प्रकाशन अविलम्ब बन्द हो जाना चाहिये। मैं समझता हूं कि मंत्री महोदय जब सदन में जवाब देंगे तो इसका पुनः प्रकाशन करने के लिये इसका औचित्य सिद्ध करेंगे कि क्या वजह है कि सारे देश में हालांकि इस पुस्तक का बहिष्कार हुआ फिर भी इस पुस्तक को छाप कर भारतीय जनता को क्यों अपमानित किया जाता है और क्यों उनके साथ खिलवाड़ किया जाता है।

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के संगठन को यदि आप देखें तो आप पायेंगे कि जिस तरीके से अंग्रेज़ी राज्य में भारतीयों के साथ उपेक्षापूर्ण व्यवहार किया जाता था उसी प्रकार इस मंत्रालय में जो हमारे हिन्दी भाषा या अन्य देशी भाषाओं के कर्मचारी हैं उनके साथ ठीक वही उपेक्षापूर्ण और अपमानपूर्ण व्यवहार किया जाता है। अंग्रेज़ी के जो विशेषज्ञ और अधिकारी हैं उनकी पदोन्नति होती है जबकि हिन्दी भाषा और अन्य क्षेत्रीय भाषाओं के जो अधिकारी कर्मचारी और अनुवादक लोग हैं उनके साथ विमाता जैसा व्यवहार किया जाता है। इस मंत्रालय में जितना धन व्यय होता है उसका शायद ५ प्रतिशत देशी भाषाओं के प्रचार कार्य पर व्यय होता है और बाक़ी अंग्रेज़ी भाषा के प्रचार में ख़र्च होता है।

अभी आप एक सेंट्रल एनफ़ार्मेशन सर्विस (केन्द्रीय सूचना सेवा) का संगठन करने जा रहे हैं, यह जो सेंट्रल एनफ़ार्मेशन सर्विस बनायी जा रही है उसमें भी हिन्दी और अन्य देशी भाषाओं के उप-सम्पादकों को ग्रेड ४ में रखा गया है और अंग्रेज़ी के उपसम्पादकों को ग्रेड ३ में और मालूम ऐसा देता है कि यहां पर भी अंग्रेज़ी के भक्तों का बोलबाला रहेगा। इसलिये यदि आप सचमुच में देशी भाषाओं के सम्पादकों को चाहते हैं कि वे पनपें तो उनकी संख्या निश्चित हो जानी चाहिये और उनकी नियुक्ति उस संख्या के अनुसार होनी चाहिये। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो जैसे आज अंग्रेजी का बोलबाला है उसी प्रकार से अंग्रेज़ी का यह बोलबाला बना रहेगा।

मैं समझता हूं कि किसी भी देश में शायद विदेशी भाषा में कोई दैनिक पत्र न निकलता होगा विदेशी भाषा में दैनिक पत्र का प्रकाशन न होता होगा लेकिन यह बड़े दुःख का विषय है कि यह हमारा ही देश है जहां कि आज स्वाधीन भारत में भी अंग्रेज़ी अर्थात् विदेशी भाषा में दैनिक पत्र प्रकाशित होते हैं। हमारे देश में समाचार एजेंसियों द्वारा आज भी अंग्रेजी में समाचार भेजे जाते हैं जबकि हमारा डाक और तार विभाग हिन्दी टेलीप्रिन्टर्स का प्रयोग कर रहा है और आज आवश्यकता इस बात की है कि सूचना और प्रसारण मंत्रालय भी डाक तार विभाग की तर हिन्दी टेलीप्रिन्टर्स का प्रयोग आरम्भ करे और हिन्दी में समाचार भेजें। हमारी जो प्रेस ट्रस्ट आफ इंडिया की सर्विस है उसको इसके लिए बाध्य किया जाय कि वह हिन्दी भाषा में और देशी भाषाओं में समाचार भेजे। जब डाक और तार विभाग हिन्दी टेलीप्रिन्टर्स का कामयाबी के साथ इस्तैमाल कर रहा है तो कोई कारण नहीं है कि इस विभाग द्वारा उनका प्रयोग क्यों न आरम्भ किया जाय और हिन्दी में समाचार भेजा जाना हमारे देश के लिए गौरव की बात होगी।

आखिर में मैंने इसमें देखा कि पंचवर्षीय योजना के प्रचार के लिए इस मन्त्रालय को बहुत काफ़ी रुपया ख़र्च करने के लिये मंजूर हुआ है। अब जहां तक भारत सेवक समाज का सम्बन्ध है अगर मैं उसको कांग्रेस पार्टी की दूसरी रक्षा पंक्ति कहूं तो कुछ अनुचित न होगा और देश की जनता का काफ़ी धन इस भारत सेवक समाज के संगठन और कार्यों पर खर्च हो रहा है। अब भारत सेवक समाज में कुछ पढ़े लिखे लोग जो केवल अपने सुख सुविधा के लिये और एक सत्ता विशेष राजनैतिक पार्टी के स्वार्थ पूर्ति

[श्री जगदीश अवस्थी]

के लिये जो भारतीय जनता का धड़ल्ले से धन खर्च किया जा रहा है वह मैं समझता हूं कि उचित नहीं है और भारत सरकार को जनता के पैसे से इस तरह से खिलवाड़ नहीं करना चाहिये। भारत सेवक समाज में कोई खास काम नहीं हो रहा है और मैं समझता हूँ कि उसकी उपयोगिता सिवाय इसके कुछ नहीं है कि कुछ व्यक्तियों को आप काम पर लगा दें।

इसलिए मैं निवेदन करूंगा कि जो कुछ मैंने कहा है मंत्री महोदय उन पर विचार करेंगे और भविष्य में इस मंत्रालय को इस योग्य बनायेंगे कि यह हमारी भारतीय जनता की भावनाओं को सही तौर पर व्यक्त करने का सफल साधन बन सके।

सूचना और प्रसार मंत्रालय की मांगों के सम्बन्ध में निम्नलिखित कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत किये गये

मांग संख्या	कटौती प्रस्ताव संख्या	प्रस्तावक का नाम	कटौती का आधार	कटौती की राशि
१	२	३	४	५
६१	२९०	श्री मो० व० ठाकुर	बड़ी संख्या में अमरीकी फिल्मों का आयात	राशि घटा कर १ कर दी जाये
६१	२९१	श्री मो० व० ठाकुर	आकाशवाणी तथा भारत स्थित उसके अन्य केन्द्रों से भारतीय सिनेमा संगीत का प्रसारित नहीं किया जाना	राशि घटा कर १ कर दी जाये
६१	१०४९	श्री जगदीश अवस्थी	आकाशवाणी में विभागीय कलाकारों के सम्बन्ध में ठेके की पद्धति को समाप्त करने की आवश्यकता	१०० रुपये
६१	१०५०	श्री जगदीश अवस्थी	'१८५७' और 'दि ग्रेट अपराइजिंग ऑफ़ १८५७' के अग्रेतर प्रकाशन को रोकने में असफल रहना	१०० रुपये
६१	१०५१	श्री जगदीश अवस्थी	आकाशवाणी के विभागीय कलाकारों को भी केन्द्रीय सरकार के अन्य कर्म-चारियों की तरह अधिक सुविधायें देने की आव-श्यकता	१०० रुपये

१	२	३	४	५
६१	१०५२	श्री जगदीश अवस्थी	आकाशवाणी के समाचार विभाग में हिन्दी तथा अन्य प्रादेशिक भाषाओं के समाचार-वाचकों और सम्पादकों के साथ भेद-भाव का व्यवहार	१०० रुपये
६१	१०५४	श्री जगदीश अवस्थी	मन्त्रालय द्वारा अंग्रेजी भाषा के प्रकाशनों को बन्द करने में असफल रहना	१०० रुपये
६१	१०५४	श्री जगदीश अवस्थी	केन्द्रीय सूचना सेवा में, प्रत्येक भाषा में विभिन्न पदों की संख्या निश्चित करने की आवश्यकता	१०० रुपये

†**श्री हेडा** (निजामाबाद) : मैं सदा से ही आकाशवाणी का आलोचक रहा हूं और आज भी मैं उसका आलोचक हूं । मैं इस बात से सहमत हूं कि आकाशवाणी को भारत में १६ मुख्य भाषाओं, २६ आदिम जाति भाषाओं और ४८ बोलियों में अपने कार्यक्रम प्रसारित करने होते हैं । इतना ही नहीं विदेशों को किये जाने वाले प्रसारणों में १६ अन्य भाषाओं का प्रयोग किया जाता है । इस दृष्टि से भारत की रेडियो प्रणाली अद्वितीय है । एक विशेष बात यह भी है कि भारत के अधिकांश रेडियो स्टेशनों से कम से कम तीन भाषाओं में समाचार प्रसारित किये जाते हैं । प्रतिवेदन के अनुसार एक स्टेशन से ६ भाषाओं में दो स्टेशनों से ७ भाषाओं में और २ स्टेशनों से ६ भाषाओं में समाचार प्रसारित किये जाते हैं । भाषाओं की अधिकता तथा उन के महत्व पर विचार करते हुए हमें रेडियो स्टेशनों की संख्या भी बढ़ानी पड़ी है इसीलिये १९४७ में केवल १६ स्टेशन थे जब कि अब उन की संख्या बढ़ कर २८ हो गई है ।

हमारे देश में केवल भाषा भिन्नता ही नहीं है अपितु हमारे यहां का शास्त्रीय संगीत भी दो प्रकार का है । इतना ही नहीं हमारे २७ स्टेशनों से देहाती कार्यक्रम भी प्रसारित किये जाते हैं जो विभिन्न बोलियों में होते हैं ।

भारत के गांवों में १७०००० रेडियो सैट हैं, जिन में से ५०००० सामुदायिक प्रकार के रेडियो हैं । इस योजना का विस्तार संतोषजनक रूप से नहीं हो रहा है इस का कारण यह है कि इन सैटों के मरम्मत व संधारण के लिये आकाशवाणी के गवेषणा विभाग ने जो योजना बनाई है वह खर्चीली है इसलिये इस का समुचित प्रचार नहीं हो रहा है ।

आकाशवाणी से कार्यक्रम प्रसारित किये जाते हैं । वे मनोरंजक और सूचनापूर्ण होते हैं । इन्हें और अधिक प्रभावशाली बनाने के लिये हमें केन्द्रों की परामर्शदाता समितियों के सदस्यों का चुनाव उन की योग्यता और स्वतन्त्र दृष्टिकोण के आधार पर करना चाहिये । तथा समिति के सुझावों को अधिकतर स्वीकार करना चाहिये ।

राष्ट्रीय विकास कार्यों और परियोजनाओं के संबंध में जानकारी देने के लिये आकाशवाणी ने महत्वपूर्ण कार्य किया है । इस प्रयोजन के लिये देश व्यापी कार्यक्रम प्रसारित किये गये हैं और उन में संगीत, नाटक, वार्ता, रूपकों तथा झलकियों का आश्रय लिया गया ।

†मूल अंग्रेजी में

[श्री हेडा]

प्रलेख चित्रों के निर्माण में बहुत परिश्रम की उपेक्षा होती है। इस के लिये परियोजना के मौके पर जाना होता है और तत्पश्चात् इसे मनोरंजक तरीके से प्रस्तुत करना होता है। तथापि यह कार्य बहुत सफलतापूर्वक किया गया है। वस्तुतः योजना के प्रचार के निमित्त १९५८ में ६२४ नाटक, ७५ कवि सम्मेलन, ४०३ अन्य कार्यक्रम किये गये हैं। इस संबंध में "गंगावतरण" नाटक बहुत सफल रहा है। रेडियो से भाषायें सिखाने का जो कार्यक्रम प्रसारित किया जाता है मैं उस का बहुत प्रसंशक हूं। दिल्ली से तामिल तथा हैदराबाद से तेलुगु के पाठ प्रसारित किये जाते हैं।

अब मैं राष्ट्रीय कवि गोष्ठी तथा साहित्य समारोह का उल्लेख करता हूं। ये दोनों कार्यक्रम काफी सफल रहे हैं। इस से विभिन्न भाषाओं के उच्च कोटि के साहित्यिकों को एक साथ मिलने का अवसर मिलता है और इस से भाषा तथा साहित्य की समृद्धि होती है। आज कल पत्रिका भी अपने उद्देश्य में सफल रही है। मेरे विचार से फिल्मों की लम्बाई कम करनी चाहिये हिन्दी फिल्में १४००० फीट और अन्य भाषा भाषी फिल्में १५,००० फीट से अधिक लम्बी नहीं होनी चाहियें। जहां तक बाल-चित्रों का सम्बन्ध है मंत्रालय का फिल्म डिवीजन इस विषय में पूरी तरह सफल नहीं हुआ है। अच्छे बाल चित्र अभी भी गैर सरकारी निर्माता व निर्देशक ही बना रहे हैं। इन्हें हर प्रकार की सुविधायें व सहायता दी जानी चाहिये।

श्री भक्त दर्शन (गढ़वाल) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं सुचना व प्रसारण मंत्रालय को एक अत्यन्त सफल व प्रगतिपूर्ण वर्ष के लिये बधाइयां देता हूं क्योंकि सभी दिशाओं में उस ने निरन्तर प्रगति की है।

अभी मुझ से पहले कुछ वक्ताओं ने अपने भाषण देते हुए आकाशवाणी तथा उस के अन्य अंगों के सम्बन्ध में कुछ आक्षेप किये और कुछ आलोचनायें कीं लेकिन उन के बावजूद मैं अपने इस निष्कर्ष पर दृढ़ हूं कि आकाशवाणी विभाग अपने विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से साहित्य, संस्कृति और ललित कलाओं की उन्नति तथा प्रोत्साहन के लिये सक्रिय कदम उठाता रहा है। यह सुविधायें पहले केवल कुछ धनिक और पढ़े लिखे व्यक्तियों तक ही सीमित थीं लेकिन अब आम जनता को वे बड़ी सरलता व साधारण खर्च में उपलब्ध हैं।

मेरे एक मित्र ने अभी कुछ देर पहले आकाशवाणी के सम्बन्ध में बोलते हुए यह कहा कि उस में माननीय मंत्रियों के भाषणों की भरमार रहा करती है और कुछ सज्जन तो यहां तक आगे बढ़ गये कि उन्हों ने कहा कि आकाशवाणी तथा हमारे समाचारपत्रों में जो समाचार निकलते हैं वे जहरीले खाद्य पदार्थ हैं, "प्वायजनस फुड्स" से उन्हों ने उपमा दी। मैं समझता हूं कि जिन लोगों को केवल आलोचना करने का ही अभ्यास है और जिन्हों ने कि अपनी आंखों पर हरा चश्मा लगाया हुआ है, वे ही ऐसी बातें कह सकते हैं।

एक माननीय सदस्य : लाल रंग का चश्मा।

श्री भक्त दर्शन : जी हां। लाल भी हो सकता है। जिस रंग का चश्मा होगा वैसा ही वह देखेंगे। मैं इस सम्बन्ध में बहुत ही दृढ़ता के साथ कह सकता हूं कि जहां तक आकाशवाणी का सम्बन्ध है उस ने अपने समाचारों के प्रसारण में बहुत ही निष्पक्षता का परिचय दिया है। इस बारे में पिछले दिनों जो सन् १९५२ और १९५७ के निर्वाचन हुए थे वे इस बात के साक्षी हैं कि किस कदर निष्पक्षता से हमारे आकाशवाणी ने अपने साधनों का उपयोग किया और किसी ने भी उस पर कोई लांछन और आक्षेप नहीं किया।

अभी मुझ से पहले एक वक्ता महोदय ने अपने भाषण में हिन्दी के प्रति जो आकाशवाणी की तथा इस मंत्रालय के विभिन्न अंगों की जो नीति और रुख है उस के बारे में आक्षेप किया और कुछ कमियां बतलाई। मैं स्वयं एक हिन्दी का विनम्र सेवक हूं उस के नाते मुझे यह कहने में कोई संकोच नहीं कि पिछले कुछ वर्षों के अन्दर आकाशवाणी ने हिन्दी के प्रचार और प्रसार के लिये काफी प्रयत्न किया है और अनेक प्रसिद्ध साहित्यकारों की सेवायें आकाशवाणी के लिये प्राप्त कर ली गई हैं। अनेक अहिन्दी केन्द्रों से हिन्दी पाठों का प्रसारण किया जा रहा है और साथ में हिन्दी के समाचार बुलेटिन भी वहां से प्रसारित किये जाते हैं। हिन्दी के माध्यम से भारतीय भाषाओं के कार्यक्रमों का आदान प्रदान प्रारम्भ कर दिया गया है और इस प्रकार सारे भारत में भाषाई एकता और मनोवैज्ञानिक एकता लाने का प्रयत्न किया जा रहा है। इस सम्बन्ध में चलते चलाते कुछ थोड़े से सुझाव भी मैं रखना चाहता हूं।

यह बतलाया गया है कि एक कमेटी की स्थापना की गई है जिस के द्वारा हिन्दी के पर्यायों, (समानार्थक शब्दों) का कोष बनाया जायेगा। उस के लिये जो समिति नियुक्त की गई है वह सही दिशा में एक कदम है लेकिन मैं यह जानना चाहता हूं कि इस कार्य को पूरा करने में इतनी देरी क्यों की जा रही है ?

आकाशवाणी द्वारा प्रयोग में लाई जाने वाली हिन्दी भाषा के सम्बन्ध में आये दिन समाचारपत्रों में और विभिन्न राजनैतिक दलों के मंचों से भी आलोचनायें होती रहती हैं और जिन का कि थोड़ा बहुत मैं भी समथन करता हूं। और वह यह है कि हमें हिन्दी की सरलता को ध्यान में रखते हुए यह सावधानी जरूर रखनी चाहिये कि कहीं भाषा की सरलता के नाम पर हम उस की आत्मा की तो उपेक्षा नहीं कर रहे हैं। अब उदाहरण के लिये मैं आप को बतलाऊं कि जैसे कि कुछ दिनों पहले हिन्दी में जो समाचार प्रसारित किये जाते थे उन में "सिक्यूरिटी कौंसिल" का अनुवाद सुरक्षा परिषद् किया जाता था लेकिन कुछ दिनों से फिर उल्टी गंगा बहती हुई मालूम पड़ती है और सुरक्षा परिषद् के बदले "सिक्युरिटी कौंसिल" हिन्दी में भी प्रसारित हो रहा है। मैं नहीं समझता कि सुरक्षा परिषद् से और सरल अनुवाद हिन्दी में क्या किया जा सकता है।

इसी तरीके से हमारे अंग्रेजी उच्चारण के कारण केरल को "केरला" अभी तक कहा जाता है। बहुत से लोग तो केरल को करेला तक कहते हैं क्योंकि वह उन को बहुत कड़वा मालूम होता है। केरल का वास्तव में मलयालम में उच्चारण "केरलम्" है और उस का हिन्दी अनुवाद शब्द केरल ही बन सकता है न कि केरला। लेकिन यह गलती अभी तक चली आ रही है।

अभी मुझ से पहले एक वक्ता महोदय ने यह आक्षेप किया था कि आकाशवाणी के द्वारा लाइट म्यूजिक का प्रसार नहीं किया जाता। मैं समझता हूं कि हमारे माननीय मंत्री ऊंचे दरजे के शास्त्रीय संगीत के बड़े पक्षपाती रहे हैं, लेकिन बाद में लोकमत को देखते हुए उन को झुकना पड़ा और अब आकाशवाणी द्वारा विविध भारती कार्यक्रम के अन्तर्गत जो सुगम संगीत प्रसारित किया जा रहा है वह बहुत लोकप्रिय हो रहा है। और हजारों लाखों लोग उस को सुनते हैं। मैं इस सम्बन्ध में आपसे यह निवेदन करना चाहता हूं कि आज से तीन महीने पहले तक साधन हीनता के कारण मेरे पास रेडियो नहीं था। लेकिन तीन महीने पहिले ही मैं ने एक रेडियो खरीदा है . . . . .

एक माननीय सदस्य : मेरे पास अभी भी रेडियो नहीं है।

श्री भक्त दर्शन : इन तीन महीनों में मैं यह प्रयत्न करता रहता हूं कि इस कार्यक्रम को ज्यादा से ज्यादा सुन सकूं।

उपाध्यक्ष महोदय : अगले तीन महीनों में आप के पास भी हो जायेगा।

श्री भक्त दर्शन : जहां तक कि विविध भारती द्वारा प्रसारित सुगम संगीत का सम्बन्ध है उस में बहुत अच्छा संगीत प्रसारित किया जाता है। लेकिन फरमायशी गानों के चयन के बारे में कुछ ढिलाई बरती जाती है। अगर इस सम्बन्ध में गानों के चयन में कुछ सख्ती बरती जाये तो ज्यादा उचित होगा।

आकाशवाणी के द्वारा इस समय जो बहुत बड़ा कार्य हो रहा है वह लोक संगीत के उद्धार का कार्य है। हिन्दी की जो उपभाषायें हैं जैसे मैथिली, राजस्थानी, भोजपुरी, ब्रज भाषा, हरियानी आदि उन भाषाओं के लोक संगीत का काफी मात्रा में प्रसारित किया जा रहा है। इस मामले में मैं भी स्वयं अनुग्रहीत हूं क्योंकि गढ़वाली लोक संगीत को भी आकाशवाणी द्वारा प्रसारित किया जाता है यद्यपि मेरा निर्वाचन क्षेत्र गढ़वाल जनसंख्या के लिहाज से छोटा है। वहां की जनसंख्या केवल १५ लाख है लेकिन गढ़वाली लोग आज सारे देश में फैले हुए हैं। ये लोग भारतीय सेना में काफी संख्या में काम कर रहे हैं और जम्मू काश्मीर से लेकर नागा पहाड़ियों तक और राजस्थान की सीमा से कन्या कुमारी तक फैले हुए हैं। और वे इस कार्यक्रम को बहुत महत्व देते हैं। इसलिए मैं बहुत अनुग्रहीत हूं कि आकाशवाणी ने गढ़वालियों के लिये यह सुविधा की है। लेकिन इस सम्बन्ध में मेरा यह निवेदन है कि इस कार्यक्रम के लिए समय कम दिया जाता है और इसके लिए कोई अलग से विभाग भी नहीं बनाया गया है। मैं ने इस सम्बन्ध में कुछ सुझाव दिये हैं। मुझे आशा है कि उन पर विचार किया जायेगा।

आकाशवाणी के सम्बन्ध में मुझे एक बात यह भी कहनी है कि जब हमारी संसद् चल रही होती है उन दिनों संसद् के कार्यों की समीक्षा प्रसारित की जाती है। हमारे बहुत से माननीय सदस्यों का यह भी रवैया हो गया है कि जब वे भाषण करते हैं तो वे यह भी जानना चाहते हैं कि उनका नाम इस समीक्षा में आता है या नहीं, जैसा कि अधिकांश सदस्य अखबारों में भी अपना नाम देखना चाहते हैं। इस सम्बन्ध में मुझे यह निवेदन करना है कि इस समीक्षा के लिए समय बहुत कम दिया जाता है। पांच मिनट का समय यहां की ६ या ७ घंटे की कार्रवाई के लिए बहुत कम है। और कोई प्रवक्ता चाहे वह कितनी भी योग्यता से अपने काम को करे, पांच मिनट में पूरा न्याय नहीं कर सकता। इसलिए मेरा यह सुझाव है कि इस समीक्षा का समय कुछ बढ़ाना चाहिए।

श्री श्रीनारायण दास (दरभंगा) : पांच मिनट में जितना न्याय हो सकता है वे कर रहे हैं।

श्री भक्त दर्शन : यह ठीक है लेकिन अधिक न्याय करना चाहिए।

दूसरी बात इस सम्बन्ध में मुझे यह कहनी है कि हिन्दी में शाम को ८-१५ से ८-३० तक समाचार प्रसारित किये जाते हैं और उस के बाद ८-५५ पर समीक्षा प्रसारित की जाती है। लेकिन अंग्रेज़ी के समाचार ९ से ९-१५ तक प्रसारित किये जाते हैं पर समीक्षा अंग्रेजी में भी ८-५५ से ९-०० तक प्रसारित की जाती है। मैं समझता हूं कि समाचार होने के बाद समीक्षा प्रसारित की जाये तो उचित होगा। इसलिए मेरा सुझाव है कि अंग्रेजी की समीक्षा अंग्रेजी के समाचार प्रसारित हो जाने के बाद की जानी चाहिए।

मुझ से पहले श्री जगदीश अवस्थी जी ने हिन्दी के सम्बन्ध में पत्र सूचना कार्यालय के सम्बन्ध में एक दो बातें आपके सामने रखीं। मैं इस सम्बन्ध में यह निवेदन करना चाहता हूं कि अभी भी मंत्री महोदय की इच्छा होते हुए भी दुर्भाग्यवश प्रेस इनफारमेशन ब्यूरो में हिन्दी को वह स्थान प्राप्त नहीं हो पाया है जो कि उसको संविधान में दिया गया है और जिसके लिए हम सब कृतसंकल्प और दृढ़ प्रतिज्ञ हैं। हिन्दी को हम आगे जाकर राज्य भाषा बनाने जा रहे हैं और उसका उपयोग

उत्तरोत्तर बढ़ाने के लिए प्रयत्नशील हैं। लेकिन मैं देखता हूं कि प्रेस इनफारमेशन ब्यूरो में यह काम अभी भी एक साधारण इनफारमेशन आफिसर के अधीन है। इस विभाग में ११ या १२ डिप्टी प्रिन्सिपल इनफारमेशन आफिसर हैं लेकिन उनमें से शायद एक भी सज्जन ऐसे नहीं हैं जो हिन्दी या किसी दूसरी भारतीय भाषा के पत्रकार रहे हों। इसीलिए उनको भारतीय भाषाओं के साथ कोई विशेष हमदर्दी नहीं हो सकती। इसलिए मेरा सुझाव है कि कम से कम एक डिप्टी प्रिंसिपल इनफारमेशन आफिसर के चार्ज में हिन्दी का विभाग होना चाहिए।

पिछले साल की रिपोर्ट में बताया गया है कि जो २३२ लेख हिन्दी में प्रेस इनफारमेशन ब्यूरो द्वारा पत्रों को दिये गये उनमें से केवल ९० मूल रूप से हिन्दी में लिखे गये थे। बाकी अनुवादित थे। इसका अर्थ यह है कि इस विभाग में हिन्दी के मूल लेख लिखने वालों की कमी है और अधिकांश कार्य अनुवाद करके किया जाता है। इस ओर भी ध्यान देने की आवश्यकता है।

मुझे एक बात हिन्दी टेलीप्रिंटर के बारे में कहनी है। इसकी व्यवस्था केवल लखनऊ, वाराणसी और पटना में है। मुझे बड़ी प्रसन्नता है कि पत्र सूचना कार्यालय और स्थानों पर भी अपनी शाखायें खोल रहा है। लेकिन मैं चाहता हूं कि हिन्दी के समाचार हिन्दी में भी मिलने चाहिए और उनके लिए अधिक स्थानों पर हिन्दी टेलीप्रिंटर की व्यवस्था करनी चाहिए खासकर उन स्थानों पर जहां से हिन्दी दैनिक पत्र निकलते हैं जैसे प्रयाग, कानपुर और आगरा हैं। इन स्थानों से दैनिक हिन्दी पत्र निकलते हैं। यहां पर हिन्दी टेलीप्रिंटर की व्यवस्था होनी चाहिए। इसी प्रकार भोपाल, जयपुर और इन्दौर में भी यह व्यवस्था होनी चाहिए क्योंकि यहां से भी हिन्दी के दैनिक पत्र निकलते हैं। इसलिए मेरा निवेदन है कि हिन्दी टेलीप्रिंटर की शाखाओं को दूसरे स्थानों पर भी खोलने का प्रयत्न होना चाहिए।

मुझे बड़ी प्रसन्नता है कि अब जहां कहीं हमारे राष्ट्रपति जी तथा प्रधान मंत्री जी विदेश यात्रा के लिए जाते हैं तो हिन्दी और भारतीय भाषाओं के पत्रकारों के प्रतिनिधि भी साथ ले जाये जाते हैं। पिछली बार मैंने संसद् में यह प्रश्न उठाया था कि हिन्दी और भारतीय भाषाओं के प्रतिनिधियों को क्यों इस प्रकार की यात्राओं में नहीं ले जाया जाता। उसके फलस्वरूप हम ने देखा कि जापान में प्रतिनिधि मंडल गया था उसमें भारतीय भाषाओं के बहुत कम प्रतिनिधि गये थे और मुझे बड़ी प्रसन्नता है कि जब हमारे राष्ट्रपति इंडोनेशिया और मलाया गये थे तो उस समय भारतीय भाषाओं के कुछ अधिक प्रतिनिधि उनके साथ गये थे। लेकिन यह देखा गया कि जब अभी राष्ट्रपति हाल में १२ दिन की यात्रा पर इंडोचाइना के दौरे पर गये तो उनके साथ एक भी भारतीय भाषाओं का प्रतिनिधि नहीं ले जाया गया। तो मैं इस सम्बन्ध में यह निवेदन करना चाहता हूं कि यदि हमको हिन्दी और दूसरी भारतीय भाषाओं को उनका उचित स्थान देना है तो उनके प्रतिनिधित्व के बारे में भी हमको पूरा ध्यान देना चाहिए।

मैं अन्त में थोड़े से शब्द जो केन्द्रीय सूचना सेवा (सेंट्रल इनफारमेशन) सरविस बनायी गयी है उस के सम्बन्ध में कहना चाहता हूं। मुझ से पहले भी कुछ मित्रों ने इस बारे में अपने विचार आपके सामने रखे हैं। इन नौकरियों के सम्बन्ध में श्रीमती उमा नेहरू ने भी जिक्र किया है। इसी सम्बन्ध में मैं भी दो एक बात कहना चाहता हूं। यह सही दिशा में कदम है। लेकिन जो नियम प्रकाशित किये गये हैं उनसे कुछ अन्याय होने की आशंका प्रतीत होती है। इन नियमों में कहा गया है कि जो लोग १ नवम्बर १९५७ को नौकरी पर थे उनके नाम ही कमीशन के सामने भेजे जायेंगे। यह बात मेरी समझ में नहीं आयी कि १ नवम्बर १९५७ की ही तारीख क्यों निश्चित की गयी। जो लोग उस तारीख के बाद लोक सेवा आयोग द्वारा चुने गये और जिनका काम अभी तक संतोषजनक है उनके नाम क्यों नहीं कमीशन के सामने भेजे जायेंगे। मैं यह जानना चाहता

[श्री भक्त दर्शन]

हूं कि यह तारीख किस आधार पर निश्चित की गयी है । और यह मेरी समझ में नहीं आता कि जो उस तारीख के पहिले या बाद में लिए गये हैं उनका विचार कमीशन क्यों नहीं करेगा । अतः इस प्रश्न पर फिर से विचार किया जाना चाहिए । अन्य लोगों को मंत्रालय की इच्छा पर छोड़ दिया गया है । मैं समझता हूं कि इस में पक्षपात की बहुत गुंजाइश हो सकती है क्योंकि हो सकता है कि वे अपने आदमियों को तो रख लेंगे और बाकियों को अलग कर देंगे । यह चीज़ न्यायोचित नहीं है । इसलिए मेरा निवेदन है कि इस प्रश्न पर फिर से विचार किया जाये ।

इसके अतिरिक्त मैं यह कहना चाहता हूं कि जो कर्मचारियों को ६ श्रेणियों में विभक्त किया गया है इसमें तो मेरा कोई मतभेद नहीं है । लेकिन जो ग्रूपिंग किया गया है वह मुझे ठीक नहीं मालूम होता । उदाहरण के तौर पर चौथी ग्रेड में उन लोगों को रखा जाना चाहिए जिनका वेतन २०० से ४०० तक है । पर हो यह रहा है कि इस ग्रेड में १६० से ३०० वालों को, २०० से ४०० वालों को, २५० से ३५० वालों को और ३५० से ५०० पाने वालों को सब को रखा गया है । मुझे यह न्यायोचित नहीं मालूम पड़ता कि ३५० से ५०० वालों को भी इस में रखा जाये । यह तो उनको डाउन ग्रेडिंग करना होगा । यह ग्रेड तो केवल उन लोगों के लिए है जिनका वेतन २०० से ४०० तक है । इसलिए मेरा सुझाव है कि इस प्रश्न पर भी फिर से विचार किया जाना चाहिए ।

इसके अलावा नियम ५ (१) में यह दिया गया है कि कमीशन "सूटेबिलिटी" के आधार पर निर्णय करेगा । अब इस शब्द का कुछ भी अर्थ लगाया जा सकता है और इस कारण लोगों के साथ अन्याय भी हो सकता है । इसलिए मेरा निवेदन है कि इस शब्द की ठीक व्याख्या दी जानी चाहिए कि जिससे मालूम हो कि इस के मंत्रालय का तात्पर्य क्या है और इस सम्बन्ध में मंत्रालय के दिमाग में क्या बात है अर्थात् वे ऐसी कौन सी योग्यतायें हैं जिनको रखने वाले को सूटेबिल समझा जायेगा ।

इस सम्बन्ध में मैं अन्त में यह निवेदन करना चाहता हूं कि जब पिछले दिनों देशी रजवाड़ों का विलिनीकरण किया गया था, आप पटियाला संघ से आते हैं और मेरे इलाके में टेहरी की एक रियासत थी, वहां के कर्मचारियों को भारतीय सेवाओं में विलीन किया गया था तो उनको आश्वासन दिया गया था कि उस विलीनीकरण के कारण उन कर्मचारियों को कोई वित्तीय हानि नहीं उठानी होगी । इसी तरीके से मैं यह भी आश्वासन चाहता हूं कि जो व्यक्ति इन पदों पर नियुक्त हैं, उन को किसी भी स्केल में रखा जाय--हालांकि उस के सम्बन्ध में भी निष्पक्षता का व्यवहार किया जाना चाहिए--लेकिन उन को किसी प्रकार का फ़ाइनेंशियल लास न होने पाये । उदाहरण के तौर पर यदि कोई व्यक्ति ४५० रुपये के स्केल में काम कर रहा है और अगर उस को ४०० रुपये के स्केल में रखा जाय, तो भी उस को ४५० रुपये ही दिये जायें और उस अन्तर को उस व्यक्ति की पर्सनल पे--व्यक्तिगत पे--मान लिया जाये ।

अन्त में मैं केवल एक बात की ओर इशारा कर के अपना वक्तव्य समाप्त करता हूं । इस मंत्रालय के अन्तर्गत जो रिसर्च एण्ड रेफ़रेंस सैक्शन--गवेषणा तथा संदर्भ विभाग है,--उस ने अच्छा कार्य किया है । उस की ओर से जो "इंडिया--ए रेफ़रेंस मैनुअल" अर्थात् "भारतवर्ष--बोध" प्रकाशित किया जाता है, वह सारे भारत के लिए एक अधिकारपूर्ण--अथारिटेटिव--पब्लिकेशन हो गया है । हम देखते हैं कि आई० ए० एस०, आई० पी० एस० और आई० एफ० एस० के परीक्षार्थी अन्य पुस्तकों की अपेक्षा इस पुस्तक पर ज्यादा निर्भर करते हैं और उस को अधिक विश्वासनीय मानते हैं । पर इस सम्बन्ध में मुझे एक शिकायत करनी है । इस पुस्तक का जो हिन्दी संस्करण निकाला जाता है, वह पूरा नहीं होता है । उदाहरणार्थ यदि इस का अंग्रेज़ी संस्करण ५०० पष्ठों का होता है,

परन्तु हिन्दी संस्करण केवल २०० पृष्ठों का होता है । प्रश्न यह है कि हिन्दी संस्करण संज्ञिप्त क्यों निकाला जाता है और वह पूरा क्यों नहीं निकाला जाता । इस के अतिरिक्त उस में यह भी भेद किया जाता है कि अंग्रेज़ी संस्करण तो मई मास के प्रथम सप्ताह में निकाला जाता है और हिन्दी संस्करण कहीं जा कर अक्तूबर नवम्बर में निकाला जाता है । यह आवश्यक है कि इस पुस्तक के दोनों संस्करणों को समान रूप से और एक समय में निकाला जाये ।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं आप का और अध्यक्ष महोदय का अनुगृहीत हूं कि आप ने इस सदन के प्रक्रिया सम्बन्धी---प्रोसीड्यर सम्बन्धी---नियमों का एक द्विभाषी एडीशन निकाला है, जिस में एक ओर हिन्दी है और दूसरी ओर अंग्रेज़ी । इसी प्रकार कांस्टीच्यूशन का भी एक द्विभाषी संस्करण निकाला गया है । मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि इस समय हमारा देश एक प्रकार से बाइलिंग्वल स्टेज पर है । अगर इस देश में हम ने हिन्दी को लाना है, तो वह इस तरह नहीं होगा कि रात को एक चाबी घुमा दी या बटन दबा दिया और दूसरे दिन हिन्दी आ जायगी । आवश्यकता इस बात की है कि इस समय हिन्दी को अंग्रेज़ी के समानान्तर चलाया जाय और सब अधिकारपूर्ण और महत्वपूर्ण प्रकाशनों को अंग्रेज़ी के साथ साथ हिन्दी में भी प्रकाशित किया जाय ।

इन शब्दों के साथ मैं माननीय मंत्री जी और उन के सहकारियों को हार्दिक बधाई और धन्यवाद देता हूं और मुझे आशा है कि वह अपने प्रयत्न को जारी रखेंगे । जहां तक मुझे मालूम है, डा० केसकर बहुत निष्पक्षता, न्यायप्रियता और दृढ़ता के साथ अपने कर्त्तव्य पर चल रहे हैं । मैं चाहता हूं कि वह अपने बाजुओं में ज़रा और बल और हृदय में ज़रा और साहस ले कर आगे बढ़ें और मैं ने जो सुझाव दिये हैं, उन पर विचार करें ।

†**श्री हेम बरुआ** (गौहाटी) : सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने प्रतिवेदन प्रकाशित किया है उस के लिये मैं मंत्री महोदय को बधाई देता हूं । तथापि इस प्रतिवेदन से देश की सूचना तथा प्रसार सम्बन्धी नीति स्पष्ट नहीं होती है न यही ज्ञात होता है कि यह जानकारी किस के लिये है और इस के लिये किन किन साधनों का उपयोग किया जाता है । प्रतिवेदन पढ़ने से ऐसा ज्ञात होता है जैसे कि इस का उद्देश्य सरकारी कार्यों का प्रचार करना ही हो क्योंकि प्रत्येक पृष्ठ में योजना तथा योजना में सहयोग करों ऐसे शब्ब दिखाई देते हैं ।

उक्त प्रतिवेदन के पृष्ठ २२ में यह बताया गया है कि कुल ६२ प्रलेख चित्र बनाये जायेंगे जिनमें से ३९ योजना के कार्यों से सम्बन्धित होंगे । मेरे विचार से यह बात ठीक नहीं है कि हम इस प्रकार सभी साधनों का उपयोग केवल प्रचार मात्र के लिये करें । हमें जनता की कला भावना का भी विचार करना चाहिये । निस्सन्देह हमें योजना की सफलता के लिये जनता का सहयोग प्राप्त करना चाहिये तथापि इस प्रकार तो सारा विभाग ही प्रचार यंत्र में बदल जायेगा ।

इसी लिये जब कोई लेखक या कलाकार सूचना और प्रसार मंत्रालय में शामिल होता है तो जनता यह अनुभव करती है कि उस कलाकार ने चन्द चांदी के टुकड़ों के लिये अपने को बेच दिया । हमें जनता के हृदय से इस भावना को निकालने का प्रयत्न करना चाहिये ।

जो समाचार चित्र या प्रलेख चित्र बनाये जाते हैं वे त्रुटिपूर्ण और पुरानी बातों को दुहराने वाले होते हैं । उदाहरणार्थ सामुदायिक योजना सम्बन्धी समाचार चित्र चाहे वे बंगाल का हो या उड़ीसा का उसमें पृष्ठभूमी एक सी ही रहती है । केवल किसी बड़े आदमी का चित्र बदल जाता है । वस्तुतः उनमें योजना के प्रति जनता की प्रतिक्रिया दिखलाने का कोई प्रयत्न नहीं किया जाता है । मेरे विचार से जब तक जनता की यही प्रतिक्रिया नई दिखाई जाये । इन चित्रों का उद्देश्य सफल नहीं हो सकता है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री हेम बरुआ]

किसी घटना के संवाद प्रकाशन और उसका समाचार चित्र तैयार होने में कभी कभी काफी समय का अन्तर होता है। समाचार चित्रों में जो त्रुटियां होती हैं उन के मैं सिर्फ दो उदाहरण लूंगा। उदाहरणार्थ टर्की के प्रधान मंत्री के भारत भ्रमण के समय बनाया गया चित्र। यह चित्र अन्य दृष्टि से काफी अच्छा है। लेकिन इस में एक कमी है वह यह कि इसमें हमारे प्रधान मंत्री का भाषण बहुत संक्षेप तथा नपे तुले शब्द दों में सुनाया गया है। इस से स्वयं प्रधान मंत्री का व्यक्तित्व प्रभावहीन व नीरस हो गया है। इसी प्रकार दलाई लामा के सम्बन्ध में जो चित्र बनाया गया है उसमें उन के भाषण को बहुत संक्षिप्त और कांट छांट कर दिया गया है। मंत्रालय को चाहिये कि वह इस बात को जानने का प्रयास करें कि इन बातों का चित्र दर्शकों पर क्या प्रभाव पड़ता है और तदनुसार उसमें सुधार करने का प्रयत्न करें। इस सम्बन्ध में यह भी आवश्यक है कि केमरा मैन को आवश्यक स्वतंत्रता दी जाये कि वह असाधारण प्राकृतिक दृश्यों का चित्रण करे तथा उन्हें समाचार चित्रों में संलग्न करे। जब तक उसे इस प्रकार की स्वतंत्रता नहीं मिलेगी तब तक ये समाचार चित्र सरकारी गजटों की तरह नीरस और प्रचार के साधनमात्र ही बन कर रह जायेंगे।

अभी हाल दिल्ली में भारतीय प्रलेख चित्र निर्माता संघ की ओर से एक चित्र उत्सव हुआ था। इस उत्सव से हमारे देश की प्रलेख चित्र सम्बन्धी महान संभावनायें प्रगट हुई थी। वस्तुतः उद्योग के इन दोनों क्षेत्रों में पूरा सहयोग रहना चाहिये और हमें अपने देश की प्रतिभा का पूरा पूरा उपयोग करना चाहिये। देश अच्छे प्रलेख चित्रों के निर्माण के लिये मंत्रालय के फिल्म विभाग पर ही निर्भर रहता है अतः उन्हें चाहिये कि वे ऊंचे स्तर के बढ़िया चित्र बनायें।

अब मैं आकाशवाणी को लेता हूं। लंका के रेडियो के व्यापार के कार्यक्रम पर काफी चर्चा की गई है। मुझे खुशी है कि आकाशवाणी ने भी उसी प्रकार का कार्यक्रम 'विविध भारती' के नाम से प्रारम्भ कर दिया है। सरकार को यह जानने का प्रयत्न करना चाहिये कि रेडियो सीलोन के व्यापार विभाग का कार्यक्रम इतना जनप्रिय क्यों है। इस के साथ ही यह भी जानना चाहिये कि लंका की सरकार द्वारा नियुक्त एक जांच समिति की सिफारिश के आधार पर लंका से सिंहली भाषा में यह कार्यक्रम प्रसारित नहीं किया जाता है तब क्या कारण है कि भारत सरकार ने इस कार्यक्रम को भारत में प्रसारित करने की अनुमति दी हुई है। इस सम्बन्ध में सरकारी स्तर पर बातचीत प्रारम्भ करनी चाहिये।

प्राक्कलन समिति ने इस बात पर जोर दिया है कि रेडियो श्रोताओं की प्रतिक्रिया का संगठित रूप में सर्वेक्षण किया जाये। १९५६ में एक प्रश्नावली तैयार कर प्रत्येक रेडियो वाले को दी गई थी। जब हमने उस सम्बन्ध में पूछताछ की तो पता चला कि उनकी तालिका तैयार की जा रही है और अध्ययन किया जा रहा है। तीन वर्ष बीत गये हैं। इस सम्बन्ध में निश्चयपूर्वक कुछ नहीं किया गया है।

जनता के लिये सस्ते रेडियो सैटों की व्यवस्था करने की बात वर्षों से कही जा रही है। इस सम्बन्ध में जनसम्पर्क समिति में चर्चा भी हुई थी लेकिन कोई परिणाम आज तक नहीं निकल सका है। अब यह सुना जा रहा है कि उन्होंने आकाशवाणी के गवेषणा विभाग से सस्ते प्रकार के 'रिसीवर सैट' बनाने को कहा है। मैं नहीं कह सकता कि योजना किस स्थिति में है।

प्रतिवेदन से ज्ञात होता है कि आकाशवाणी में आधे समय में केवल गानों का कार्यक्रम होता है। मेरे विचार से गानों में और अधिक समय दिया जाना चाहिये। रेडियों में विशेषतः अंग्रेजी का जो टुडे इन पार्लियामेंट कार्यक्रम आता है उस में सुधार की आवश्यकता है क्यों कि उस में अधिकतर

मंत्री का भाषण दुहरा दिया जाता है। प्रैस आयोग की पृष्ठों के अनुसार मूल्य वाली सिफारिश को तत्काल क्रियान्वित किया जाना चाहिये। पत्रकार मजूरी बोर्ड की सिफारिशों को तत्काल क्रियान्वित करना चाहिये क्यों कि कहीं कहीं पत्रकारों को बहुत कम वेतन मिलता है। हमारे देश में केवल एक ही समाचार एजेंसी है। मंत्री महोदय को चाहिये कि समाचार एजेंसियों की संख्या बढ़ायें क्यों कि ऐसा न होने पर देश में स्वस्थ पत्रकारिता का विकास संभव नहीं होगा।

श्री मू० चं० जैन (कैथल) : माननीय डिप्टी स्पीकर साहब, जिस मिनिस्ट्री की डिमांड्ज़ पर बहस हो रही है, उस के मुताल्लिक मुझ से पहले कई कलीग्ज़ ने कहा है कि वह बहुत अहम मिनिस्ट्री है—न सिर्फ एन्टरटेनमेंट के लिहाज से बल्कि उस से भी ज्यादा उस का जो एजूकेशनल प्रोग्राम है और हुकूमत और नेताओं की पालिसी को लोगों तक पहुंचाने का काम है, वह बहुत अहम है। जैसा कि मुझसे पहले कहा गया, मैं समझता हूं कि इस काम की अहमियत को देखते हुए यह जरूरी है कि इस मिनिस्ट्री के मिनिस्टर इनचार्ज को कैबिनेट रैंक का होना चाहिये। पिछले कई बरसों में जब हम हिटलर के मुताल्लिक पढ़ा करते थे, तो उस के प्रापेगेण्डा मिनिस्टर, गाबल्ज, के मुताल्लिक भी बहुत कुछ पढ़ते और सुनते थे। मैं देखता हूं कि माननीय मिनिस्टर साहब मुसकरा रहे हैं कि मैं ने कैसी निकम्मी तशबीह दी है, लेकिन इस सिलसिले में यह मिसाल देने में मेरा मकसद यह है कि चाहे डिक्टेटरशिप हो और चाहे डेमोक्रेटिक फार्म आफ गवर्नमेंट हो, इन्फर्मेशन और ब्राडकास्टिंग का महकमा इस तरह का नहीं होना चाहिये, जिस तरह का कि हमारे यहां है। मैं कोई मुंह पर तारीफ करने का आदी नहीं हूं। ज्यादतर लोग मुझे नुक्ताचीं ही कहते हैं, लेकिन मैं समझता हूं कि वह इस के अहल हैं कि उन को कैबिनेट रैंक पर रखा जाये।

एक माननीय सदस्य : मिनिस्टर साहब ने तो सुना ही नहीं—वह तो जा रहे हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : वह इसी सम्बन्ध में जा रहे होंगे।

श्री मू० चं० जैन : जहां तक इस महकमे का ताल्लुक है, १९५७–५८ के मुकाबले में जो काम हुआ है, उस की तारीफ़ किये बगैर नहीं रहा जा सकता है। लेकिन अगर हम इस महकमे के कामों के नतीजों को देखें, तो मैं समझता हूं कि अभी बहुत तरक्की की गुंजायश है। कितने ही महकमों की एवैल्युएशन रिपोर्ट्स होती हैं, लेकिन प्लानिंग कमीशन की तरफ़ से या खुद इस महकमे की तरफ से कोई एवेलुएशन रिपोर्ट हमारे सामने नहीं आई है, जिस से पता चल सके कि इस महकमे के मुख्तलिफ़ विभागों में जो रुपया खर्च किया जा रहा है, उस का जो असर होना चाहिये, वह हो रहा है या नहीं—उसका जो नतीजा निकलना चाहिए, वह निकल रहा है या नहीं। वैसे अगर पिछले सालों की रिपोर्ट के को ग़ौर से पढ़ा जाय, तो पता चलता है कि इस महकमें ने कुछ काम अपने जिम्मे लिए, लेकिन उन के जो मकसद थे, वे पूरे हुए या नहीं, उन के कुछ नतीजे निकले या नहीं, अगर उस तरफ़ तवज्जह दी जाये, तो हम देखते हैं कि हमारी गवर्नमेंट और हमारे नेताओं के जो आदर्श हैं, जिन को पार्लियामेंट ने मुल्क के सामने रखा है, उन को पूरा करने में और सैकंड फाइव ईअर प्लान की कामयाबी के लिए लोगों में जोश भरने में—जो कि यह महकमा कर सकता है उसे करना चाहिए अभी बहुत कसर है। वैसे पिछले साल में एन्टरटेनमेंट विभाग ने काफ़ी तरक्की की है। मेरी राय में एन्टरटेनमेंट भी इस किस्म की होनी चाहिए, जिस से कौम को ज्यादा एजूकेशन मिले, लेकिन अगर उस को एक तरफ़ रखें और प्रापेगेंडा के पहलू की तरफ़ देखें, तो हम पाते हैं कि इस महकमें ने क्लेम किया है कि फ़ील्ड पब्लिसिटी के मातहत तमाम हिन्दुस्तान में सोलह, सत्रह हज़ार मिटिंग्ज़ की गई, जिन में डेढ़ करोड़ के करीब आदमी शामिल हुए। मैं समझता हूं कि पिछले साल के मुकाबले में यह काम ज्यादा है, लेकिन अगर ३६, ३७ करोड़ में से हमारा महकमा सिर्फ़ डेढ़ करोड़ आदमियों तक एक साल में पहुंचे, तो यह कोई क्रेडिट की बात नहीं है। अगर क्रेडिट की कोई बात है, तो वह

[श्री मू०च० जैन]

यह है कि पिछले साल से ज्यादा काम किया गया है, लेकिन अपने आदर्शों को पूरा करने के लिए, सैकंड फ़ाइव यीअर प्लान के टारगेटस को पूरा करने के लिए, उसकी कामयाबी के लिये जनता में जोश भरने के लिये और सोशलिस्टिक पैटर्न के समाज को कायम करने के लिए मुख्तलिफ़ सैक्शन्ज़पर जो स्ट्रेसिज़ और स्ट्रेन्ज़ पड़ रहेहैं, उनको बर्दाश्त करवाने के लिए और लोगों को इस बारे में समझाने के लिए अगर सिर्फ़ डेढ़ करोड़ जनता तक पहुंचाया जाय, तो वह कतई नाकाफ़ी है। जैसा कि यह रिपोर्ट बताती है। पब्लिसिटी के सिर्फ़ ६२ यूनिट मुख्तलिफ़ जगहों पर काम कर रहेहैं। उन को दुगुना किया जाय, तिगुना किया जाय या चार गुना किया जाय, यह मैं नहीं जानता, लेकिन यह ज़रूरी है कि एक बरस में कम से कम तमाम लोगों के पास इस महकमें को पहुंचना चाहिए, तभी कुछ नतीजा निकल सकता है। यह एक तजुर्बे की बात है कि जहां जहां इन्क्लाब आए हैं, कहीं भी वैस्टिड इन्ट्रेस्ट्स अपनी खुशी से त्याग नहीं करते हैं। हमारे देश में भी यही हाल है। हमारे नेता ने यह रुख अपनाया है कि हम कनवर्शन और तव्दीलिए-ख्यालात के ज़रिये, पर्स्वेशन और तरग़ीब के जरिये यहां के वेस्टिड इन्ट्रेस्ट्स को तब्दील कर लेंगे। मैं बहुत हद तक इसको नहीं मानता हूं। जैसा दूसरे देशों में उन के साथ सलूक हुआ है, वैसा ही यहां हो। उसके वगैर वे नहीं मानतें हैं। अगर हमारे नेताओं का यह ख्याल है कि हम उन को कनवर्ट कर सकेंगे, तो हम को देखना है कि हमारी प्रापेगेंडा मशीनरी काफ़ी है या नहीं। मैं समझता हूं कि अभी वह कतई नाकाफ़ी है। मिसाल के तौर पर हमारे देश के अख़बारात को ले लीजिए। १९४७ तक उन में से अक्सर नैशनलिस्ट थे और देशकी आज़ादी की लड़ाई में तकबियत देते थे, लेकिन अब सरमायादारों पर टैक्सेशन और प्राग्रेसिव लाज़ के ज़रिये बंदिशें लग रही हैं। उन के इट्रेस्ट्स को नुक्सान पहुंच रहा है। वह नेशन के इन्टिरेस्ट के लिए है। परन्तु उन के इंटिरेस्ट को तो मुक्सान पहुंचता है और क्योंकि पेपर अकसर उनके हाथों में है इसलिए जो भी हमारे प्रोग्राम हैं, जो भी हमारी पालिसीज़ हैं उनके खिलाफ पोयज़नस प्रापेगंडा किया जाता है। फोरम आफ फ्रीएंटरप्राइज़ के माम से पैम्फ्लैट्स निकाले जाते हैं। आप कोई भी नैशनल पैपर को उठा कर देखें उन में आप पायेंगे कि रात और दिन हमारी जो डिकलेयर्ड नैशनल पालिसीज़ हैं—यह नहीं कि वे कांग्रेस पार्टी की पालिसीज़ हो—वे पालिसीस हैं हैं जिनको पार्लियामेंट ने तय किया है, जो नेशन की पालिसीस हैं, उनके खिलाफ वे प्रापैगंडा करते हैं और जहरीला प्रापैगंडा करते हैं। मैं चाहता हूं कि . . .

श्री वाजपेयी (बलरामपुर) : विचारों की यहां आज़ादी है।

श्री मू० चं० जैन : उनको मैं मना नहीं करता हूं। मैं तो सिर्फ मिनिस्टर साहब की सेवा में यह निवेदन करना चाहता हूं कि उस तरह के प्रापेगंडा को काउन्टरएक्ट करने के लिए कौन से कदम उठाये गये हैं, क्या चीज़ की गयी है, कौन सी बात गवर्नमेंट कर रही है। जब उनकी तरफ़ से ज़हरीला प्रापैगंडा रात और दिन होता है और काफी तेज़ी से वह प्रापैगंडा चलाया जाता है, तूफान की तरह से चलाया जाता है, उस का किस तरह से मुकाबला करने का वह विचार कर रहे हैं। हम तो कनवर्शन में यकीन करते हैं लेकिन वे लोग बराबर अपना प्रोपैगंडा जारी रखे हुए हैं और लोगों को मिस लीड करते हैं रहे। नुकसान तो उनके हितों को पहुंचता है लेकिन वे जनता को भड़काते हैं और कहते हैं कि उसके हितों को इन पालिसीस से नुकसान पहुंचता है। रिपोर्ट में बताया गया है कि हम लोगों के सामने फाइव ईअर प्लान की सकसैस के लिए जाते हैं और इसके बारे में मैं पहले ही अर्ज़ कर चका हूं कि और मैं इसको दौहराने की आवश्यकता महसूस नहीं करता हूं कि डेढ़ करोड़ लोगों तक पहुंचाना कतई नाकाफी है। इस वास्ते मैं समझता हूं कि और ज्यादा लोगों तक पहुंचाया जाए और साथ ही साथ हमारी गवर्नमेंट की तरफ से एक नैशनल डैली पैपर निकालना चाहिये. . . . . .

श्री नाथ पाई (राजापुर) : सब नैशनल डैलीस आपके ही पेपर हैं ।

श्री मू० चं० जैन : ये जो नैशनल डैलीस हैं, ये आज़ादी से पहले तो हमारी नैशनल पालिसी को सपोर्ट करते थे और उस वक्त सही मानों में नैशनल डैली पेपर्स थे। लेकिन उसके बाद से उन में से कितने हकीकी मानों में नैशनल डेली पेपर्स रह गये हैं, यह सोचने की बात है। मैं समझता हूं कि जितने भी पेपर्स हैं वे भिन्न २ सरमायेदारों के हाथों में हैं, उनके हितों की रक्षा करते हैं, और शायद ही कभी दबी ज़बान में नैशनल पलिसी की हिमायत करते हों। उसी नैशनल पालिसी की वे हिमायत करते हैं, जोकि उन के अपने हित में जाती हो, वर्ना वे किसी भी नैशनल पालिसी की हिमायत नहीं करते हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : जिन माननीय सदस्यों को समय मिल चुका है, उनको फिर अपनी स्पीच जारी नहीं रखनी चाहिए ।

श्री नाथ पाई : इस वास्ते उनको बतलाना जरूरी हो गया था कि कोई गलतफहमी न फैलने पाये ।

श्री मू० चं० जैन : उपाध्यक्ष महोदय, मुझ से पहले बोलने वाले कुछ माननीय सदस्यों ने छुआछूत, अनटचेबिलिटी को मिटाये जाने का ज़िक्र किया है, । हालांकि छुआछूत के बारे में कुछ प्रोग्राम इस महकमे ने रखे हैं और कुछ हिस्सा अदा भी किया है लेकिन मैं समझता हूं कि इस सिलसिले में बहुत ही कम काम हुआ है और उस डायरेक्शन में काफी करने की अभी जरूरत है।

अब मैं कुछ फैमिली प्लानिंग के बारे में कहना चाहता हूं। फैमिली प्लानिंग से पहले लोग डरते थे कि अगर इसके बारे में काम किया गया तो पता नहीं लोग क्या समझेंगे। मगर मैं मंत्री महोदय को बतलाना चाहता हूं कि मैं ने इस प्रोग्राम को जान बूझ कर देहाती इलाकों में बढ़ाना चाहा है और आम देहाती लोगों से कहा है कि और इसके बारे में समझाया है। मैं समझता हूं कि मंत्री महोदय को इसका पता होगा, अगर पता नहीं है तो मैं कहना चाहता हूं कि देहातों के लोगों अब इस बात के उत्सुक हैं कि अगर उनको इन सब चीज़ों का पता हो कि कहां पर मर्दों के लिए इंतिज़ाम है, और कहां पर औरतों के लिये इंतिज़ाम है, क्या क्या डाक्टरी चीज़ें हैं और क्या वे सेफ हैं या नहीं हैं, तो बहुत अच्छा हो ताकि वे भी भी प्लानिंग कर सकें। अभी तक ये चीज़ें उन तक छन छन कर ही पहुंच पाई हैं, बाकायदा तौर पर इन चीज़ों का उनको पता नहीं है। मैं चाहता हूं कि इसका भी बाकायदा तौर पर इंतिज़ाम होना चाहिये ।

हमारे देश में हजारों सालों से मेले होते आये हैं और आज भी होते हैं। परम्परागत हमेशा से ही ये मेले होते आ रहे हैं। कौन सा ऐसा ज़िला है या कौन सी ऐसी जगह है, या कौन सा देश का ऐसा हिस्सा है, जहां पर आये बरस बड़े बड़े मेले न होते हों। इन मेलों पर पब्लिसिटी टीम्स बहुत कम जाती होंगी इस महकमे की तरफ से। जहां तक मुझे मालूम है बहुत कम प्रापैगंडा टीम्स जाती हैं। कुरुक्षेत्र का मेला होता है, दूसरे कई मेले होते हैं और कौन सा ऐसा जिला है जहां पर एक से एक अच्छा मेला न लगता हो। लाखों आदमी इन मेलों में इकट्ठे होते हैं, इन धर्म-स्थानों पर एकत्र होते हैं। अगर इन मेलों में इस महकमे के आदमियों का कैम्प हो, अच्छे स्पीकर्स को आमंत्रित किया जाए तथा दूसरी चीज़ें हों फाइव यीर प्लान के सिल सिले में या दूसरी बातों के सिल सिले में तो अच्छा प्रापैगंडा हो सकता है ।

श्री ब्रज राज सिंह (फिरोज़ाबाद) : कांग्रेस एम० एल० ए० जाते हैं।

श्री मू० चं० जैन : मैं ने कांग्रेस एम० एल० एस० की बात नहीं कही है या कांग्रेस की बात नहीं कही है । मैंने सोशलिस्ट एम० एल० एस० या कम्युनिस्ट एम० एल० एस० का भी जिक्र नहीं किया है । मैंने तो खास तौर पर धार्मिक मेलों का भी जिक्र किया है जहां पर हज़ारों लाखों की तादाद में लोग जाते हैं । मैं चाहता हूं कि माननीय मंत्री महोदय इस ओर भी ध्यान दें ।

अगर यह महकमा मेरे द्वारा सुझाये गये प्रस्तावों पर विचार करे और उनके अनुसार काम करे तो मैं समझता हूं कि एक बहुत बड़ा लाभ हमारे देश को हो सकता है ।

इन शब्दों के साथ जो डिमांडस रखी गई हैं, उनको मैं सपोर्ट करता हूं ।

श्री श्रीनारायण दास : उपाध्यक्ष महोदय , सूचना और प्रसारण मंत्री मंत्रालय ने अपने ने अपने विभिन्न विभागों के द्वारा अपने कर्त्तव्यों और उत्तरदायित्व का जिस तरह से पालन किया है, सचमुच में जैसे कि और माननीय सदस्यों ने कहा है , उसके लिये माननीय मंत्री महोदय और उनके साथी कार्यकर्ता बधाई के पात्र हैं ? हिन्दुस्तान जैसे देश के लिये जहां पर कि बहुत सी भाषायें और उप-भाषायें हैं और इतना बड़ा यह देश है , कई प्रकार की सांस्कृतिक व्यवस्थायें हैं, संगीत की भी बहुत सी पद्धतियां हैं, विभिन्न भाषाओं का विभिन्न साहित्य है, इन सब को देखते हुए जिस तरह का कार्य आल इंडिया रेडियो ने कहा है, मैं समझता हूं कि वह प्रशंसा के लायक है ।

फिर भी जितना उत्तर दायित्व और जितनी जबाब देही इस विभाग पर है उसको देखते हुए जो काम अब तक हुआ है वह काफी नहीं कहा जा सकता है । हिन्दुस्तान में भिन्न भिन्न भाषायें हैं, भिन्न भिन्न संगीत प्रणालियां हैं, भिन्न भिन्न सांस्कृतिक विचार धारायें हैं विभिन्न पार्टियां हैं जो कि अपने आप को राष्ट्रीय संस्थायें समझती हैं और सभी यह अपेक्षा रखते हैं कि विभिन्न मतों का प्रचार हो, विभिन्न संस्थाओं की कार्य-प्रणाली का, विभिन्न संस्थाओं की कार्य-पद्धतियों का या उन के द्वारा जो प्रस्ताव आदि समय समय पर पास किए जाते हैं, उनके प्रसारण का समुचित रूप से, समान रूप से प्रसारण किया जाए और ऐसी अवस्था में यह सम्भव है कि बहुत सी खामियां दिखाई देती हैं । चूंकि मैं देहात का रहने वाला हूं , इस वास्ते मैं खास तौर पर आल इंडिया रेडियो के द्वारा देहातियों की शिक्षा, उनके ज्ञान वर्द्धन, उनके मनोविनोद के लिये जो कार्य किया जाता है और इस दिशा में जो प्रगति हुई है, उसके बारे में कुछ कहना चाहता हूं । मैं समझता हूं कि जो इस दिशा में प्रगति हुई वह कुछ प्रशंसनीय तो अवश्य है लेकिन जैसा कि सभी जानते हैं, हिन्दुस्तान में सात लाख गांव हैं और सात लाख गांवों के अन्दर . . . . . .

श्री नाथ पाई : पांच लाख गांव हैं दो लाख पाकिस्तान में चले गये हैं ।

श्री श्रीनारायण दास : पांच लाख ही सही । इन पांच लाख गांवों के बारे में बताया गया है कि जो रेडियो सैट्स हैं वे १ लाख ७० हजार ही देहातों में हैं जिन में से ५० हज़ार कम्युनिटी सैट्स हैं । मैं माननीय मंत्री महोदय को बताना चाहता हूं कि हिन्दुस्तान के देहातों के लिये ये बहुत ही कम हैं । हमारा यह अनुभव भी है कि गांवों के अन्दर जो रेडियो हैं वे उन्हीं लोगों के पास हैं जिन के पास सम्पत्ति है औरत सम्पत्ति वालों के पास रेडियो सुनने के लिये हमारी गरीब जनता नहीं जा सकती है । इसलिए मैं समझता हूं कि दिल्ली से तथा आल इंडिया रेडियो की तमाम जितनी भी शाखायें हैं, उन से देहातों के लिये , उनके मनोविनोद के लिए , उनके शिक्षण के लिये, जो भी भी प्रोग्राम चलाये जाते हैं, उन से इन लोगों को फायदा होता है या नहीं , इसका ठीक ठीक अंदाजा

नहीं लगाया जा सकता है । आल इंडिया रेडियो से तथा उसकी जितनी शाखायें हैं, उन से देहाती भाइयों के लिये जो प्रोग्राम होते हैं, उन से किस हद तक देहाती जनता लाभ उठाती है । कितने लोग उन को सुनते हैं, देश में जो १ लाख ७० हजार रेडियो सैट हैं, उन के द्वारा देहात की कितनी जनता कार्यक्रमों का फायदा उठाती है ? इसलिये मैं कहूंगा कि यह स्कीम अभी धीमी गति से चल रही है । कम्यूनिटी सेट्स देने के सम्बन्ध में केन्द्रीय सरकार आधा खर्च देती है और राज्य सरकार तथा देहाती समाज उसका ५० प्रतिशत खर्च देता है । इस में प्रगति लाने की आवश्यकता है । यह मैं इस लिये कह रहा हूं कि जैसा माननीय सदस्य ने कहा हम ने अपने देश में प्रजातांत्रिक प्रणाली को रखा है । देश को स्वतंत्र हुए दस वर्ष से अधिक हो गये हैं लेकिन हम अभी तक अपनी जनता का ज्ञान बढ़ाने में सफल नहीं हुए हैं । वैसे तो यह शिक्षा विभाग का काम होता है, लेकिन लोग बराबर कहते हैं कि देश में शिक्षा का अभाव है, पढ़े लिखे लोगों की तादाद बहुत कम है । इस दिशा में भी बहुत कम प्रगति हो रही है । हालां कि यह इस विभाग का काम नहीं है लेकिन फिर भी जब तक हम सब लोग पढ़े लिखे न हो जायें तब तक आल इंडिया रेडियो ही एक ऐसा साधन है जिस के जरिये से देश के गांवों में बसने वाली जनता को हम शिक्षित कर सकते हैं । इस लिये देश में प्रजातांत्रिक विचारों का प्रचार करने के लिये , जो कि किसी भी पार्टी विशेष का कार्यक्रम नहीं है, ताकि हमारे अन्दर प्रजातांत्रिक विचार पैदा हो जायें, यह जरूरी है कि कम से कम हर गांव के अन्दर कम्यूनिटी सेट पहुंच जाय । जिस में कि तमाम लोगों को इस आल इंडिया रेडियो के द्वारा शिक्षा सम्बन्धी कार्यक्रम मिल सकें और जो मनोविनोद के कार्यक्रम उन के लिये प्रसारित किये जाते हैं उन से वे पूरा फायदा उठा सकें ।

इस के लिये मैं यह कहना चाहता हूं कि जितना धन दिया गया है वह ठीक है, लेकिन इस देश में ऐसे कारखाने नहीं हैं कि जो कि सस्ते दामों पर रेडियो सेट तैयार कर सकें और अपने घरों में गांवों में लोग अपने मनोविनोद के कार्यक्रम सुनने का अवसर पा सकें । अभी तक ऐसा इन्तजाम नहीं हो पाया है । अब तक ऐसे रेडियो सेट नहीं बन पाये हैं जिन को तमाम देश के लोग , अपनी अर्थव्यवस्था को देखते हुए , खरीद कर अपने घरों में रख सकें और आल इंडिया रेडियो से जो प्रचार कार्य होता है उस का लाभ उठा सकें ।

चौ० रणबीर सिंह (रोहतक) : आल इंडिया रेडियो के प्रोग्रामों से अब तक देहातों के लोग क्या लाभ उठाते हैं ।

श्री श्रीनारायण दास : यह तो मैं नहीं जानता कहना चाहता हूं कि ग्रामवासियों के लिये जो कार्यक्रम दिये जाते हैं उन से वे लोग फायदा उठाते हैं या नहीं, इसी में मुझे शक है । इसलिये जितना समय मुझे दिया गया है उस के अन्दर देहात के लोगों की जरूरतों को ही कहना चाहूंगा । जब आपको मौका मिले तो आप इस पर ज्यादा जोर दें ।

मैं इस मंत्रालय को इस बात के लिये धन्यवाद देता हूं कि उस ने जो हिन्दुस्तान की फ़िल्म एन्क्वायरी रिपोर्ट थी उस के आधार पर एक फिल्म इंस्टिट्यूट की स्थापना करने का फैसला कर लिया है यद्यपि अभी तक इसका काम चालू नहीं हुआ है, लेकिन मुझे इस बात का पक्का विश्वास है कि जब निर्णय कर लिया गया है तो इन्स्टिट्यूट का काम जल्दी से जल्दी चालू होगा ।

इस रिपोर्ट से यह भी मालूम होता है कि फिल्म प्रोडक्शन ब्यूरो की स्थापना भी सन् १९५९ में होने वाली है । इस की स्थापना हो जाने से जो हमारे फिल्म निर्माता लोग हैं उन का तमाम वैज्ञानिक और टेकनिकल सलाह यह संस्था दे सकेगी और उस से हमारे देश में अच्छी फिल्मों का उत्पादन बढ़

[श्री श्रीनारायण दास]

जायेगा। मैं यहां पर यह कहना चाहूंगा कि हमारे देश में फिल्म के उत्पादन पर कोई कंट्रोल नहीं हैं। हालां कि जो भी फिल्म प्रदर्शन के लिये आती हैं उसको देखने के लिये फिल्म सेन्सर बोर्ड है लेकिन जैसा कई माननीय सदस्यों ने कहा है कि फिल्म सेन्सर बोर्ड के जो सुझाव होते हैं वे पता नहीं ठीक तरह से कार्यान्वित होते हैं या नहीं, लेकिन फिल्म सेन्सर जिस तरह से होना चाहिये उस तरह से नहीं हो पाता है। फिल्म सेन्सर बोर्ड का काम बहुत संतोषजनक नहीं है। बहुत जगहों पर फिल्म देखने वालों का जो संरक्षक या गार्जियन लोग हैं वे इस तरह की बातें करते हैं कि फिल्मों का आज कल जिस तरह से सेन्सर होता है उस से हमारे देश में रहने वाले जो नवयुवक और बच्चे हैं उन के दिमागों पर खराब असर पड़ता है। कई दफा इस बात की चर्चा हुई है, और जहां तक मुझे याद है हमारे माननीय मंत्री जी ने बतलाया, कि जो हमारा संविधान है वह इसके रास्ते में रुकावट डालता है। समाज के कल्याण के लिये यदि आवश्यकता पड़े संविधान का संशोधित करने की, और फिल्म इंडस्ट्री को थोड़ा सा नियंत्रण में लेने के लिये, जिस का असर हमारे देश की जनता पर पड़ता है, संविधान का संशोधन करने की आवश्यकता हो तो फिर इस में देरी क्यों की जा रही है, यह बात मेरी समझ में नहीं आती है?

दूसरी बात इस सम्बन्ध में मैं यह कहना चाहूंगा कि जो फिल्म उद्योग है वह कुछ व्यक्ति गत हाथों या कुछ कम्पनियों के हाथों में है। फिल्म एक ऐसा उद्योग है जिसका असर समाज के ऊपर पड़ता है। ऐसे उद्योग के लिये आवश्यकता इस बात की है कि प्रयत्न किया जाये कि सरकार से उसे प्रोत्साहन मिले, लेकिन वह कोआपरेटिव सिस्टम, संहकारी आधार पर चले और उसी के आधार पर फिल्म का उत्पादन हो। यदि कुछ व्यक्ति विशेष के हाथों में फिल्म का उत्पादन रहेगा तो निश्चय ही सिर्फ अपने नफे की गरज से वह इस काम को करेंगे। यदि कोआपरेटिव बेसिस पर फिल्म उत्पादन का काम किया जाय और सरकार उसके लिये सहूलियत दे, धन की आवश्यकता हो तो धन दे, टेक-निकल ज्ञान की आवश्यकता हो तो टेकनिकल ज्ञान दे, तो मैं समझता हूं कि यह चीज ज्यादा अच्छी तरह से और उपयोगी रूप से चल सकती है। कोआपरेटिव सोसायटीज फिल्म उत्पादन के लिये कायम हों और सरकार की ओर से उसे हर समय सहायता मिले ताकि समाज के लिये जो भी कल्याण कारी उद्योग है वह थोड़े से लोगों के हाथों में न रह कर, वे ऐसे लोगों के हाथों में आये जो समाज निर्माण के उद्देश्य से काम करें और साथ ही स्वस्थ फिल्म उत्पादन के लिये काम करें। इस लिये मैं समझता हूं कि इस प्रकार का आयोजन होना चाहिये जिस के अन्दर सहकारिता के आधार पर फिल्म प्रोडक्शन हो।

आल इंडिया रेडियो की विभिन्न शाखायें नाटक आदि के जितने रेकार्डिंग्स तैयार करती हैं उन की स्क्रिप्टस भी तैयार होती है। यदि देहातों में उपयुक्त संस्थाओं द्वारा उनको दिखाया जाय तो जनता पर उनका ज्यादा असर पड़ता है। आज यदि कुछ लोगों का सुविधा प्राप्त है और उनकी आर्थिक अवस्था रेडियो रखने लायक है तो वे उसके संगीत और नाटक से अथवा जो उस के कलापूर्ण कार्यक्रम होते हैं उन से फायदा उठाते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कि अपने यहां रेडियो नहीं रख सकते हैं। इसलिये मैं कहता हूं कि जो रेकार्डिंग्स आल इंडियारेडियो तैयार करे उन को स्कूली संस्थाओं कालेजों तथा अन्य सामाजिक संस्थाओं का रेडियो के बजाय रेकार्डों के रूप में कम से कम पैसा ले कर दिया जाय ताकि वह अपने देहातों के अन्दर ही बैठ कर, जहां पर कि वे रहते हैं और जहां पर रेडियो सेट्स नहीं पहुंच सकते हैं, सुन सकें। गैर सरकारी संस्थाओं, सामाजिक संस्थाओं के अलावा शिक्षा संस्थाओं में इन रेकार्ड्स का उपयोग किया जा सकतां है ताकि विद्यार्थी और आस पास की जनता उन को सुन सके। मुझे ठीक मालूम नहीं है कि जो रेकार्डिंग्स आल इंडिया रेडियो दिल्ली और उसकी दूसरी शाखायें तैयार करती हैं उन के रेकार्डस बाहर उपयोग में लाये जा सकेंगे या नहीं

लेकिन उन रेकार्डिग्स का किस तरह से गैर-सरकारी संस्थायें या सरकारी संस्थायें लेकर अपने अपने क्षेत्र में उन का उपयोग कर सकती हैं, इस की जानकारी जनता को नहीं हैं। अगर इस तरह की कोई सुविधा है तो जनता को उसकी जानकारी होनी चाहिये ।

यह खुशी की बात है कि केन्द्रीय सरकार की सहायता से चिल्ड्रेन्स फिल्म सोसाइटी की स्थापना हुई है और जब आवश्यकता होती है तब केन्द्रीय सरकार उस संस्था को सहायता भी देती है । जहां तक मुझे मालूम है इस वर्ष शायद ३ लाख रुपये के करीब सरकार की तरफ से इस चिल्ड्रेन्स फिल्म सोसाइटी को मिले हैं। इस फिल्म सोसायटी ने कुछ अच्छे काम भी किये हैं, कुछ ऐसे फिल्म तैयार किये हैं जो कि बच्चों को बहुत अच्छे लगे। यह एक प्रशंसनीय कार्य है लेकिन जिस धीमी गति से यह संस्था काम कर रही है उस गति से बहुत काम नहीं हो सकेगा। सरकार के पास पैसा कितना है, यह तो हमको समय समय प बजट को देखने से पता चलता है, लेकिन यह एक ऐसा कार्य है जिसके लिये सरकार को अधिक से अधिक सहायता देनी चाहियें। जो आज के बच्चे हैं वे कल देश के नागरिक होंगे और देश को आगे बढ़ाने का भार उन्हीं पर होगा। इसलिये यदि बच्चोंको शिक्षित करने के काम में आने वाली फिल्मों का उत्पादन धीमी गति से बढ़ेगा तो मैं नहीं समझता कि देश के मौजूदा बच्चे उनसे कोई विशेष लाभ उठा सकेंगे। इसलिये मैं अनुरोध करूंगा कि केन्द्रीय सरकार इस सोसाइटी को कुछ और अधिक रुपया दे। कहां तक यह सोसाइटी इस काम को पूरा कर सकती है, इसका संगठन कैसा है, इसकी जानकारी पूरी तरह हमें नहीं है। लेकिन मैं यह भी चाहूंगा कि जो केन्द्रीय सरकार है वह उसको अधिक से अधिक सहायता दे और इस संस्था की शाखायें हर राज्य में होनी चाहिये। स्थानीय आधार पर अगर इस संस्था का निर्माण होगा तो राज्य सरकारे भी उनकी मदद कर सकेंगी। मैं यह भी कहना चाहूंगा कि यह जो सोसाइटी है उसने इस काम को चलाने के लिये कसे रुपया इकट्ठा किया, मुझे मालूम नहीं है। लेकिन मैं समझता हूं कि अगर यह संस्था धन संग्रह करे तो जनता इस काम में उसकी सहायता कर सकती है। कुछ ऐसे उत्साही लोग हैं जो इस काम में उसकी सहायता कर सकते हैं और जनता तथा सरकार दोनों की सहायता से इस काम को आगे बढ़ाया जा सकता है ।

अभी हमारे माननीय सदस्य ने प्रेस कमिशन की बात को उठाया। इस प्रेस कमिशन की रिपोर्ट को आये लगभग पांच वर्ष हो गये और उसकी जो सिफारिशें थीं वे बहुत सी बातों के लिये थीं। लेकिन इस वर्ष के अन्दर जहां तक इस मंत्रालय का ताल्लुक है उसने प्रेस कमिशन की रिपोर्ट को कहां तक कार्यरूप में परिणत किया गया है हम लोग यह जानना चाहते थे। इस रिपोर्ट में कहीं ज़िक्र नहीं है। अगर थोड़ा सा एक अंश इस मंत्रालय की रिपोर्ट में रहता तो मालूम हो जाता कि प्रेस कमिशन की जो रिपोर्ट और जो सिफारिशें थीं और जिनका कि ताल्लुक इस मंत्रालय से था वह किस हद तक मानी गई ।

अभी मेरे एक माननीय सदस्य ने प्रेस के बारे में यह कहा कि प्रेस एक स्वतंत्र संस्था है और उसको स्वतंत्र ही रहना चाहिये। सरकार का नियंत्रण उसमें नहीं रहना चाहिये और सरकारी नियंत्रण न रहना ही अच्छा है। लेकिन सरकार का काम दरअसल यह देखना होना चाहिये और जसा कि प्रेस कमिशन की रिपोर्ट में भी ज़िक्र आया है कि प्रेस की अवस्था ठीक नहीं है, प्रेस का संचालन ठीक नहीं है, वह अवस्था कैसे सुधरे।

प्रेस की मालकियत भी बड़े से इनेगिने लोगों के हाथ में है। इसके साथ ही सरकार को इस ओर भी देखना चाहिये कि प्रेस को जो नीति निर्धारित होती है वह कुछ थोड़े से आदमियों के हाथों द्वारा न हो कर सर्वसाधारण द्वारा हो। प्रेस कमिशन ने एक सुझाव यह दिया था कि कोशिश यह होनी चाहिये कि जो प्रेस एम्पलाइज़ हैं प्रेस को चलाने वाले लोग हैं उनका भी मालकियत में हिस्सा होना चाहिये। अभी प्रेस की तमाम पावर कुछ थोड़े से लोगों के हाथों में केन्द्रीभत हो गई है।

[श्री श्रीनाराण दास]

उसमें आम लोगों को भी दखल होना चाहिये। उन्होंने सजेस्ट किया था कि एक ट्रस्ट की तौर पर बना कर चलाया जाय। इस सम्बन्ध में मैं यह सुझाव देना चाहता हूं कि ट्रस्ट के साथ साथ प्रेस को चलाने के लिये कोआपरेटिव सोसाइटी हो और बिना सरकारी नियंत्रण के प्रेस को चलाना चाहिये। अगर इस तरह की कोआपरेटिव सोसाइटी की स्थापना कर के प्रेस को चलाया जाय तो मैं समझता हूं कि प्रेस में जो बहुत सी खामियां आज हैं वे दूर हो जायेंगी। इसलिये मैं समझता हूं कि सरकार को कोआपरेटिव की स्थापना के लिये कोई स्कीम जल्द चलानी चाहिये।

कुछ शब्द मैं नैपाली ब्राडकास्ट्स के बारे में कहना चाहता हूं। नैपाल से मेरा कुछ थोड़ा सा सम्बन्ध है और मेरा निर्वाचन क्षेत्र नैपाल के नज़दीक पड़ता है और मेरा आना जाना भी वहां लगा रहता है। मुझे पता है कि हिन्दुस्तानियों के खिलाफ़ नैपाल में एक साधारण वातावरण हैं। मालूम नहीं क्यों किस वजह से कौन ऐसा करता है, इसकी छानबीन करने की ज़रूरत है। नैपाल की जनता और हिन्दुस्तान की जनता में बहुत ही सम्पर्क रहा है और उस सम्पर्क को और मज़बूत बनाने के लिये ताकि हिन्दुस्तान और नैपाल में मैत्री भाव बढ़े, यह ज़रूरी है कि हम नैपाली में ज्यादा से ज्यादा ब्राडकास्ट करें ताकि नैपाल की जनता यह समझ सके कि हिन्दुस्तान उनके लिये एक विदेशी मुल्क न हो कर उनके बहुत पास है। इन शब्दों के साथ मैं इस मंत्रालय के खर्च की मांगों का समर्थन करता हूं और उम्मीद करता हूं कि जो कुछ मैंने कहा है उस पर ध्यानपूर्वक विचार किया जायेगा और मेरे सुझावों को स्वीकार किया जायेगा।

राजा महेन्द्र प्रताप (मथुरा) : उपाध्यक्ष महोदय, आज इस अवसर पर मैं हिन्दी में बोलूंगा क्योंकि ब्रजभाषा के विषय में मैं कुछ सदन के सम्मुख निवेदन करूंगा।

ब्रज भाषा एक ऐसी भाषा है जिसको कि बंगाली, गुजराती, मराठी, राजस्थानी और पंजाबी इन तमाम भाषाओं की माता कहा जा सकता है। हमारे श्रीकृष्ण चन्द्र जी ने हमारे ब्रज में एक ख़ास तरह का नया भाव उत्पन्न किया था। ५००० साल पहले हमारे ब्रज में और तमाम हिन्दुस्तान में वेदों का ज़माना था। इन्द्र की पूजा होती थी। मगर जब श्रीकृष्ण चन्द्र की माता इन्द्र की पूजा करने लगीं तो उन्होंने कहा कि नहीं इन्द्र की पूजा मत करो, गोवर्द्धन की पूजा करो, गिरिराज की पूजा करो जो कि हमारा ब्रज का पहाड़ है। हमारे ब्रज में इस प्रकार एक नया भाव उत्पन्न किया था और वह बराबर चलता आ रहा है। मेरा कहना है कि ऐसा जो हमारा ब्रज है और हमारी ब्रज भाषा है उसकी ओर आल इंडिया रेडियो ज्यादा ध्यान दे और ब्रज भाषा को और ज्यादा बढ़ाये और हमारे ब्रजभाषी तो यह भी चाहते हैं कि अगर हो सके तो मथुरा में आप एक आकाशवाणी का केन्द्र बना दीजिये जहां से कि ब्रजभाषा फैलाई जाय। ब्रजवासियों की यह मांग है जो कि मुझे आपके सामने रखनी पड़ी।

दूसरी अर्ज़ यह है कि आल इंडिया रेडियो द्वारा बहुत गाने दिये जाते हैं और मेरा पोता तो सुबह से ले कर शाम तक गाना ही सुनता रहता है और गानों के सुनने के मारे उसने अपना पढ़ना लिखना ही छोड़ सा दिया है। यह बड़ा अन्धेर हो रहा है। मैं कह सकता हूं कि बहुत से घर इस तरह बर्बाद हो रहे होंगे जब कि मैं खुद देख रहा हूं कि मेरा पोता किस तरह चौपट हो रहा है। इसलिये मेरा निवेदन है कि आल इंडिया रेडियो से आप गाने ज़रा कम सुनाइये और उसके बदले शिक्षा की बातों को उसमें ज्यादा बतलाइये।। जैसे जो हमारे किसान भाई हैं उनको आप इस रेडियो के द्वारा यह सलाह दे सकते हैं कि किस तरह बीज बोना चाहिये, किस तरह खाद

डालनी चाहिये और कैसे फसल को काटना चाहिये। जो कुछ आपको बतलाना हो मेहरबानी करके आप रेडियो द्वारा किसानों को बतलाइये। दूसरे देशों में रेडियो द्वारा बहुत कुछ शिक्षा दी जाती है। मुझे खेद है कि हमारा आल इंडिया रेडियो इस तरफ ध्यान नहीं दे रहा है।

मैं एक बात और अर्ज़ करूंगा कि दूसरे देशों में स्कूल कालिजों तक की जो तालीम है वह रेडियो द्वारा दी जा रही है और आप भी यहां पर उसके लिये वक्त मुकर्रर कर सकते हैं कि फ़लां वक्त यह तालीम दी जायेगी और अगर आप ऐसा कर सकें तो उससे बहुत सारी शिक्षा की दिक्कतें दूर दूर हो जायेंगी। मसलन् ला (कानून) को जो पढ़ने वाले हैं या जो दिन भर काम करते हैं और रात को जो रेडियो सुनने वाले हैं उनको आप तमाम शिक्षायें दे सकते हैं। तो मैं यह निवेदन करूंगा कि मेहरबानी करके इधर आप ध्यान दें और शिक्षा जो दीजिये वह रेडियो के द्वारा आप दें।

मैं यह भी उम्मीद करूंगा कि हम लोग जो कुछ यहां आपकी सेवा में निवेदन करते हैं उस पर ज़रा ध्यान दिया जाय और उनको माना जाय। हमारे भाइयों ने बहुत अच्छे अच्छे सुझाव आज दिये हैं और मुझे आशा है कि उन पर गम्भीरतापूर्वक ध्यान दिया जायेगा। हमारे एक भाई ने इस बात पर ऐतराज़ किया कि हमारे आल इंडिया रेडियो में मंत्रियों के भाषणों की भरमार रहती है। अब इसके बारे में देखा जाय कि ऐसा क्यों होता है और ऐसा होना तो नहीं चाहिये। इसलिये मैं चाहता हूं कि जो सुझाव यहां पर दिये जाते हैं उन पर सरकार को गम्भीरता से विचार करना चाहिये।

मुझे अफ़सोस के साथ कहना पड़ता है कि दो, तीन या चार रोज़ पहले मैंने प्रधान मंत्री की सेवा में यह अर्ज़ किया था कि होली के ऊपर ज़रा मेहरबानी करके लाल मुंह न किया जाय और रंग ज्यादा न डाला जाय। मगर मैंने अखबार में पढ़ा कि अब की बार तो पंडित जी ने पानी से भी होली खेली। मैं अब नेहरू जी से तीन वर्ष बड़ा हूं और उस रिस्ते में उनका बड़ा भाई हो जाता हूं और बड़े भाई को अपने छोटे भाई से यह कहने का अधिकार है।

हमारे देश में बहुत सारे ग़लत तौर तरीक़े प्रचलित हैं और मैं अपने प्रधान मंत्री महोदय से यह निवेदन करूंगा कि आप लीड (नेतृत्व) करिये, लैड (पिछलगुआ) मत हो जाइये, यानी आप रास्ता दिखाइये। और यही में मंत्री महोदय से भी कहूंगा कि आप मेहरबानी करके रास्ता दिखाइये। बहुत सारी बातें हैं मसलन् हमारे लोग तीर्थ यात्राओं में जाते हैं, लाखों की तादाद में लोग उन तीर्थस्थानों पर जमा होते हैं और अक्सर मेलों आदि में जो दुर्घटनायें हो जाती है और भीड़भाड़ और धक्कमधक्का में बहुत से लोग मर भी जाते हैं। रेडियो द्वारा आप देश वासियों को यह बतला सकते हैं कि भाई तुम सब लोग क्यों एक ही जगह इकट्ठा होते हो, भगवान तो सब जगह व्याप रहा है और कहीं पर नहा लो सभी जगह पाप धुल जायेंगे क्योंकि ईश्वर सब जगह है और एक ही तरफ सब लोग क्यों दौड़ते हो। मेरे कहने का मक़सद यह है कि आप इस तरह से लोगों को रेडियो द्वारा शिक्षित कर सकते हैं।

मैं यह कई दफ़े कह चुका हूं कि मनुष्य जो है वह दो धाराओं से काम करता है। विचारधारा और रक्तधारा। एक विचार धारा धर्म की है। इसके अलावा कांग्रेस की विचारधारा है, कम्युनिज्म की विचारधारा है और कोई विचारधारा जब मस्तिष्क को पकड़ लेती है तो मनुष्य को उसी तरह चलाती है जैसे कि गधे के गले में रस्सी बांध कर हांकते हैं। मेरे कहने का मतलब यह है कि ज़रा तो खयाल करिये कि आप किस विचारधारा के चलाये चल रहे हैं? ऐसा न हो कि कोई गलत धारा में बहे चले जायें और हमारे देश का सुधार न हो। मैं दरअसल सब प्रश्नों पर कुछ कुछ बातें पेश कर रहा हूं। मैंने माननीय मंत्री जी से निवेदन किया था कि आप मेहरबानी करके रेडियो से

मुझे संसार संघ का (प्रेम धर्म का) प्रचार कर लेने दीजिये, मुझे सदाचार गुट की बात कह लेने दीजिये। तो बहुत अच्छा खत मंत्री जी ने कृपा करके मुझे लिखा और कहा कि फलां डाइरेक्टर साहब हैं, माथुर साहब, वह करेंगे। तो माथुर साहब ने मुझे फोन पर कहा कि मिनिस्टर साहब का खत आया है, तो आप हमें अपने विदेशों के अनुभव का एक टेप बना दीजिये। पर इसको भी ६ महीने हो गये।

एक माननीय सदस्य : आपने बना दिया ?

राजा महेन्द्र प्रताप : वह बना ही नहीं।

तो मेरा कहना है कि ये बातें हमारी सरकार के सब मुहकमों में चल रही हैं। कोई मुकदमा होता है तो उसके फैसले में बरसों गुजर जाते हैं। कोई एक अर्जी देता है तो उसको महीनों बरसों गुजर जाते हैं और फैसला नहीं होता। तो मेरा मंत्री जी से निवेदन है कि वे अपने महकमे में बहुत जल्दी करें। मैं उम्मीद करूंगा कि कल या परसों ही मुझे संसार संघ के बारे में बोलने का मौका मिल जायेगा। तो मेरा कहना यह है कि हजरत वजीर आज मेरे कुछ सुझाव हैं . . .

उपाध्यक्ष महोदय : तो आप यहां मुझे ही कहें।

राजा महेन्द्र प्रताप : मैं खत्म करता हूं। मेरे कुछ सुझाव हैं। आप मेहरबानी करके मेरी इन सब बातों को सुनिये और रेडियो द्वारा इन बातों को फैलाने दीजिये। मुझे इन बातों को संसार में फैलाने दीजिये। मेरे दोस्त हैं अमरीका में, जापान में और जरमनी में। मेरी शाखायें हैं वे लोग मेरी बात सुनना चाहते हैं। तो मैं यह कहना चाहता हूं कि मेरे कुछ उसूल है जसे कि सब मिल कर सब के फायदे में लग कर सब को सुखी बनायें, हमारे समाज से रगड़ मिट जाये, फ्रिक्शन न रहे। लेकिन यहां हमारे इस हाउस में ही फ्रिक्शन मौजूद है। एक साहब बोलते कुछ हैं तो दूसरे साहब कुछ और बोलते हैं। मैं तो चाहता हूं कि हम सब मिल कर देश की सेवा करें। आज देश के ऊपर काले बादल छाये हुए हैं। हम तो मदद करना चाहते हैं अपने मंत्री जी की, अपने प्रधान मंत्री जी की, और सेवा करना चाहते हैं। हम यह नहीं कहते कि हम मुखालिफ हैं, और वह इधर कुछ और हैं। यह तो कोई और ही कहते हैं, इधर का हाउस, उधर को हाउस, यह कांग्रेस, यह अपोजीशन (विरोधी दल) हम यह कोई बात मानने को तैयार नहीं हैं। हम तो इस देश के हैं, एक ईश्वर है एक संसार है, और उसमें हमारा हिन्दुस्तान है, हमारा आरयन है ईरान से आसाम तक, और हिमालय से सीलोन तक, और हम उसकी सेवा करते हैं।

†**श्री अन्सार हरवानी** (फतहपुर) : जैसा कि मैं ने पिछले वर्ष अनुदान की मांगों के समय कहा था सूचना तथा प्रसार मंत्रालय बहुत महत्वपूर्ण हैं। इसे दो काम करने होते हैं। पहिला उसे स्वतन्त्रता का लाभ जनता को पहुंचाना पड़ता है और दूसरा उसे मंत्रिमंडल को जनता की महत्वाकांक्षाओं और प्रतिक्रियाओं से अवगत रखना होता है। अतः मेरा सुझाव है कि इसके मंत्री महोदय को मंत्रिमंडल की कोटि का मंत्री होना चाहिये।

मंत्रालय का प्रैस सूचना विभाग किस प्रकार के कार्य करता है हम इस सम्बन्ध में मैं आपको 'मथाई घटना' का उदाहरण देता हूं। श्री मथाई ने जिन्हें राजनीतिक जटिलताओं का कम ही ज्ञान था अपना इस्तीफा लिखा और लिख कर उसे [प्रधान मंत्री को दिखाया।

उनकी अनुमति ले कर उन्होंने उसे प्रैस सूचना विभाग में भेज दिया। प्रैस सूचना विभाग के अधिकारियों ने उसे बिना किसी सोच विचार के प्रकाशित कर दिया जिसके परिणाम सभा के सामने हैं। प्रेस विभाग के अधिकारियों को चाहिये कि किसी चीज को प्रकाशित करने के पूर्व वे कम से कम उसके नतीजों पर विचार कर लेवें लेकिन वे ऐसा करने का कष्ट नहीं करते हैं।

मंत्रालय ने पिछले दो तीन वर्षों में जो कार्य किया है, उनमें से एक उत्तम कार्य प्रैस आयोग की नियुक्ति भी है तथापि उसकी महत्वपूर्ण सिफारिशों को आज तक क्रियान्वित नहीं किया गया है। लेकिन जहां किसी अधिकारी की नियुक्ति का सम्बन्ध होता है वह सिफारिश तत्काल क्रियान्वित कर ली जाती है उदाहरणार्थ समाचार पत्र पंजीयक को तत्काल नियुक्त कर लिया गया है।

आज देश में समाचार पत्रों की यह अवस्था है कि अमृत बाजार पत्रिका का हिन्दी संस्करण बन्द हो गया है। आनन्द बाजार पत्रिका के सम्पादक जो हमारी सभा के ही एक सदस्य हैं, वे हटा दिये गये हैं। बम्बई क्रोनिकल ने अपने कर्मचारियों को हटाने का नोटिस दे दिया है। इतना सब देखते हुए भी सरकार चुप है। अतः सरकार को चाहिये कि वह एक ऐसा विधेयक पारित करे कि कोई व्यक्ति अपना समाचार पत्र बन्द न करने पाये और जो ऐसा करे वह समाचार पत्र सरकार द्वारा ले लिया जाये और उसे पत्रकार लोग सहकारी आधार पर चलायें।

हमारे देश में केवल एक ही संवाद एजेंसी है : पाकिस्तान जैसे देश में तीन राष्ट्रीय और चार अन्तर्राष्ट्रीय एजेंसियां हैं। हमारे देश की एजेंसी पर देश के पूंजीपतियों का एकाधिकार है इसलिये उसका उपयोग उनके अपराधों को छिपाने के लिये किया जाता है। मेरे विचार से भारत जैसे समाजवादी देश के लिये ऐसा होना लज्जा की बात है अतः सरकार को चाहिये कि देश में एक अन्य प्रेस एजेंसी खोलने में सहयोग दे और प्रैस ट्रस्ट आफ इंडिया के एकाधिकार को समाप्त कर देवें।

यूनाइटेड प्रेस आफ इंडिया संवाद एजेंसी की सारी मशीनें बेकार पड़ी हैं। उसके कर्मचारी सहकारिता के आधार पर उसे चलाने को तैयार हैं अतः सरकार को चाहिये कि वह वित्त निगम से उन्हें वित्तीय सहायता प्रदान करे।

लार्ड वेलिंगडन ने १९३६ में जब आल इंडिया रेडियो की नींव डाली थी तो उन्होंने इसका प्रचार एक आई० सी० एस० आफीसर को न दे कर एक सांस्कृतिक विशेषज्ञ को दिया था। लेकिन स्वतंत्रता के पश्चात् हम आई० सी० एस० अधिकारियों पर अंग्रेज शासकों से भी अधिक विश्वास करने लगे हैं।

अब मैं मंत्रालय के प्रकाशनों के प्रश्न पर आता हूं। यदि आप दिल्ली की बाजारों पर जायेंगे तो आपको दुकानों पर रूस और अमेरिका के प्रचार विभागों द्वारा प्रकाशित पुस्तकें बहुत अधिक संख्या में दिखाई देंगी लेकिन हमारे प्रचार विभाग की किताबें ढूंढने से ही मिलेंगी। अतः मैं मंत्री महोदय से यह निवेदन करना चाहता हूं कि वे अपने बिक्री संगठन का सुधार करें तथा मंत्रालय के प्रकाशनों को अधिक लोकप्रिय बनाने का प्रयत्न करें।

†**श्री आचार** (मंगलौर) : मंत्रालय ने बहुत ही अच्छा कार्य किया है। यदि हम मंत्रालय के प्रतिवेदन को देखें तो इस बात का पता चल जाता है कि वर्ष १९५७–५८ में रेडियो के लाइसेंसों की संख्या में वृद्धि हुई है तथा कम्यूनिटी सैट्स के संभरण की संख्या में भी वृद्धि

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री आचार]

हुई है। इससे इसकी जनप्रियता एवं इसकी प्रगति के बारे में पता चल जाता है। यदि इसके द्वारा प्रत्येक क्षेत्र में किये गये कार्यों का विश्लेषण करें तो आपको इस बात का अनुमान लग जायेगा यह मंत्रालय देश में शिक्षा तथा संस्कृति के विस्तार करने की प्रगति में कर रहा है। यह मंत्रालय लगभग १० करोड़ रुपये व्यय करता है। यह मंत्रालय एक प्रकार से रेल, तथा डाक और तार विभाग की तरह से उपयोगी मंत्रालय है अतः इसे सामान्य कर दाताओं पर भार नहीं बनना चाहिये। साथ ही मैं यह भी कहना चाहता हूं कि इस मंत्रालय पर जितना व्यय हो रहा है उसकी अपेक्षा इससे आय बहुत ही कम है। इसे अपनी आय बढ़ाने का प्रयत्न करना चाहिये।

हम देखते हैं कि इस मंत्रालय से शहर में रहने वाले व्यक्तियों की अपेक्षा गांव में रहने वाले व्यक्तियों को बहुत कम लाभ पहुंचता है यदि आप बड़े बड़े गांवों में जायें तो बड़ी मुश्किल से एक या दो रेडियो मिलते हैं। अमरीका तथा अन्य विदेशों में हम देखते हैं कि रेडियो स्टेशन इत्यादि गैरसरकारी क्षेत्रों द्वारा चलाये जाते हैं। किन्तु हमारे देश में ये पूर्णतः सरकार के अधीन हैं। अब यह प्रश्न उठता है कि क्या इसे हम और मितव्ययता के साथ नहीं चला सकते।

मेरे पूर्व वक्ता ने कहा कि किसी व्यक्ति को समाचार पत्र बन्द करने की आज्ञा नहीं मिलनी चाहिये। मैं नहीं समझता कि उन्हें कहां तक समर्थन मिलेगा। हम देखते हैं कि प्रत्येक वर्ष बहुत से छोटे छोटे समाचार पत्र ३ हजार से ४ हजार रुपये तक की हानि उठाते हैं। अधिकांशतः समाचार पत्र घाटे में चल रहे हैं। अतः सरकार को कोई ऐसा कानून बनाना चाहिये अथवा ऐसे नियम बनाने चाहियें कि यदि उन पर और भार डाला गया तो वे सहन नहीं कर सकेंगे। आजकल कागज, श्रमिकों की मांग और जीवन निर्वाह व्यय को देखते हुए पत्र का चलाना बड़ा कठिन है। अतः ऐसी परिस्थिति में यह कहना कि किसी व्यक्ति को समाचार पत्र बन्द करने की आज्ञा नहीं देनी चाहिये, कहना तो बड़ा आसान है किन्तु यह बात उसी प्रकार है जिस प्रकार की चन्द्रमा की मांग करना।

मेरे क्षेत्र में आकाशवाणी से हिन्दी और अंग्रेजी के अतिरिक्त किसी अन्य भाषा में कार्यक्रम का प्रसारित करना या न करना दोनों ही बराबर है क्योंकि वहां से कोई भी रेडियो स्टेशन २५० मील से कम नहीं है अतः आकाशवाणी की आवाज स्पष्ट रूप से सुनाई नहीं पड़ती। अतः बंगलौर अथवा धारवारा रेडियो स्टेशनों में से किसी एक स्टेशन को अधिक शक्तिशाली बनाया जाये जिससे कि पश्चिमी किनारे की जनता को वहां की क्षेत्रीय भाषा के कार्यक्रम सुनने को मिल सकें और वे आकाशवाणी का सदुपयोग कर सकें।

†**डा० केसकर** : मैं माननीय सदस्यों की उन ठोस आलोचनाओं और रचनात्मक सुझावों के लिये आभारी हूं जो उन्होंने अपने भाषणों में व्यक्त किये हैं। मंत्रालय के विभिन्न क्रिया कलापों के सम्बन्ध में उन्होंने जो कुछ कहा है उसको मैंने बड़े ध्यान से सुना है।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : माननीय मंत्री अपना भाषण कल जारी रखें।

---

†मूल अंग्रेजी में

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति

उन्तालीसवां प्रतिवेदन

†**श्री झूलन सिंह** (सीवन) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि यह सभा गैर–सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति के उन्तालीसवें प्रतिवेदन से, जो २६ मार्च, १९५९ को सभा में प्रस्तुत किया गया था, सहमत है।"

†**उपाध्यक्ष महोदय** : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ।

†**श्री फ्रेंक एन्थनी** (नाम निर्देशित–आंग्ल–भारतीय) : क्या मैं मद संख्या ४ के बारे में कुछ निवेदन कर सकता हूं। मैं समझता हूं कि शायद आज उस पर विचार नहीं होगा। यह संविधान की आठवीं अनुसूची में अंग्रेजी को सम्मिलित करने के बारे में है। हम इसके बारे में प्रयत्नशील हैं ताकि इसे अनुसूची में सम्मिलित कराया जा सके। इस रुचिकर वाद–विवाद के लिये कम से कम २¹/₂ घंटे चाहियें।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : जब यह विषय समिति में विचारार्थ आये तब माननीय सदस्य इसकी चर्चा करें।

प्रश्न यह है:

"कि यह सभा गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति के उन्तालीसवें प्रतिवेदन से, जो २६ मार्च, १९५९ को सभा में उपस्थापित किया गया था, सहमत है।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

सहकारी कृषि के संबंध में संकल्प

†**उपाध्यक्ष महोदय** : अब श्री उ० च० पटनायक द्वारा १३ मार्च, १९५९ को प्रस्तुत निम्नलिखित संकल्प पर और आगे चर्चा होगी :

"कि यह सभा सिफारिश करती है कि देश के कृषि विकास तथा भूमि सुधार सम्बन्धी कार्यक्रम में सहकारिता के आधार पर कृषि को चालू करने के प्रश्न को सब से अधिक प्राथमिकता दी जाये।"

†**श्री आचार** (मंगलौर): एक औचित्य प्रश्न है। मेरा निवेदन है कि इस प्रस्ताव पर इस सभा में वाद–विवाद नहीं किया जा सकता अथवा उसे यहां प्रस्तुत नहीं किया जा सकता।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : माननीय सदस्य को अपना भाषण पूरा करने दीजिये और प्रस्ताव को प्रस्तुत हो जाने दीजिये तब इस पर विचार किया जायेगा।

†**श्री उ० च० पटनायक** (गंजम) : जनवरी १९५९ में अखिल भारतीय कांग्रेस ने यह प्रस्ताव पारित किया था। बहुत से लोगों ने इसका जोरदार विरोध किया और तब से सारे

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री उ० च० पटनायक]

देश में इसके विरुद्ध वाद-विवाद चल रहा है । इस वाद-विवाद मतभेद, और सभा में गैर सरकारी सदस्य के प्रस्ताव के परिणामस्वरूप इस पर काफी वादविवाद हुआ है और विभिन्न पक्षों की ओर से महत्वपूर्ण सुझाव और परामर्श दिये गये हैं। इसके अतिरिक्त इस सभा में कुछ संशोधन भी रखे गये हैं। अतः मेरा निवेदन है कि सरकार उन पर सावधानी से विचार करे तथा एक ऐसी नीति बनाये जो हमारे भावी राष्ट्र निर्माण और कृषि के पुनर्गठन का आधार हो। प्रधान मंत्री तथा मन्त्रिमंडल से भी निवेदन करूंगा कि वे, यदि आवश्यकता हो तो विशेषज्ञों की सहायता से एक संसदीय समिति बनायें जो इस बात की जांच करे कि और विचार करें कि हमारी आशाओं के अनुसार कार्य क्यों नहीं हो रहा है तथा साथ ही इस सम्बन्ध में भी सुझाव दे कि कार्य को तीव्रता के साथ आगे बढ़ाने तथा प्रशासकीय ढांचे को गतिशील बताने के लिये क्या कार्यवाही करनी चाहिये।

हमारे सामने दो सुझाव हैं । एक तो यह है कि सारे देश में सेवा सहकारिता समितियां अथवा किसानों की पारस्परिक सहायतार्थ राज्य सहायता प्राप्त सहकारी समितियां हों। दूसरे ग्रामदान में प्राप्त गांवों, भूदान क्षेत्रों, दंडकारण्य क्षेत्र तथा बड़ी-बड़ी परियोजना वाले क्षेत्रों में ऐसी व्यवस्थाओं अथवा प्रक्रियाओं को अपनाने का प्रयत्न करना चाहिये जिनका परीक्षण विदेशों में हो चुका है तथा वहां उनमें सफलता मिल चुकी है ताकि उनका प्रदर्शन जनता और किसानों में किया जा सके। इस प्रकार मे परीक्षण स्थान हमारे सरकारी तथा गैर सरकारी कर्मचारियों को प्रशिक्षित करने में भी सहायता देंगे ।

एक यह भी सुझाव दिया गया है कि हमारे यहां के सरकारी तथा गैर-सरकारी पदाधिकारियों को सहकारिता के मामले में प्रशिक्षण मिलना चाहिये। यह भी सुझाव दिया गया है कि सहकारिता के नियम आसान और आकर्षक होने चाहियें । साथ ही साथ चकबंदी, भूमि की उच्चतम सीमा, अतिरिक्त भूमि के वितरण आदि के बारे में भी कानून होने चाहियें। इसके अतिरिक्त हमें अपने यहां कुछ ऐसे उद्योग बनाने चाहियें जो कृषि, बागवानी आदि पर आधारित हों और देश में उत्पादन बढ़ाने में सहायक हों।

आज सारे देश की मांग यह है कि सहकारी संगठन ऐसे होने चाहिये जो देश के पुनर्गठन कार्य को आगे बढ़ा सकें ।

हमारे देश में लगभग ५½ लाख गांव हैं इसलिये हमें कम से कम तीन या चार लाख सेवा-सहकारिता समितियों की स्थापना करनी होगी कहीं-कहीं यह समिति एक गाँव के लिये होगी, कहीं-कहीं दो तीन छोटे गांवों के लिये एक समिति। ये समितियां कृषि ऋण, कृषि सम्बन्धी वस्तुओं की पूर्ति, विपणन सुविधाएं, कृषि उत्पादन को बढ़ाने, अवांछित व्यय को कम करने, आधुनिकतम यंत्रों को प्रयोग करने, खेती के अच्छे साधनों का उपयोग करने, अच्छा बीज और खाद आदि का संभरण करने में सहायता देगी। ये कार्य कोई नये कार्य नहीं हैं। गांवों में ये अब भी पाये जाते हैं। अन्तर केवल इतना है कि इन प्राचीन प्रथाओं को आधुनिक रूप देना है तथा उन्हें व्यवस्थित करना है। तथा देश के समस्त साधनों को अधिक उत्पादन के लिये तैयार करना है। ये सेवा सहकारिता समितियां यह भी देखेंगी कि कृषि-श्रमिकों को उचित मजदूरी मिले इन समितियों के द्वारा चकबंदी तथा कृषि सम्बन्धी अन्य विधियों का पालन भी कराया जायेगा। यह भी कहा गया है कि हमें इन समितियों की स्थापना से ही सन्तुष्ट नहीं हो जाना चाहिये बल्कि साथ ही साथ नई बस्तियों का निर्माण भी करना चाहिये और

उनमें उत्साही नवयुवकों, भूतपूर्व सैनिकों आदि को बसाने के लिये प्रेरणा देनी चाहिये। ऐसी बस्तियों के बसाने में कोई कठिनाई नहीं होगी और वहां सहकारी खेती करने का प्रयत्न करना चाहिये।

पहले से तो हमने सहकारी खेती करने का प्रयत्न नहीं किया और आज हम कहते हैं कि सारे देश में सहकारी खेती हो, बस यही वाद-विवाद की जड़ है। जब जमींदारी समाप्त हुई थीं, जब राज्यों का विलय किया गया था जब इनाम का परिसम्पन किया गया था तब यह कार्य बड़ी आसानी से किया जा सकता था किन्तु उस समय हमने यह नहीं किया। अतः मेरा निवेदन है कि यदि आप लोगों को सहकारिता के मामले में जानकारी कराना चाहते हैं तो आप उन्हें अवसर दें ताकि वे अनुभव प्राप्त कर सकें।

सहकारिता तथा कृषि के विषय में राज्य सरकारों और केन्द्रीय सरकार के बीच जो दलदली है उसे समाप्त कर देना चाहिये जिससे कि राष्ट्र की उन्नति हो सके। हम देखते हैं कि बंजर भूमि पड़ती होती जा रही है ट्रैक्टर की सहायता से बहुत सी भूमि खेती के योग्य बनाई गई है अतः मेरा सुझाव है कि कृषि सहकारिता के नये उपायों को अपनाना चाहिये, संयुक्त खेती आदि तरीकों को अपनाना चाहिये। सारे देश के लिये आपको सेवा सहकारिता समितियां बनानी चाहियें। हमें इस समस्या के समाधान के लिये वास्तविक ढंग से प्रयत्न करना चाहिये।

मैं सहकारिता की प्रगति, कृषि के विकास, तथा द्वितीय पंचवर्षीय योजना के लक्ष्य की पूर्त्ति में आने वाली कुछ कमियों का भी उल्लेख करता हूं। अतः हमें उन कमियों को दूर करने का प्रयत्न करना चाहिये।

दूसरे भूमि के छोटे-छोटे टुकड़े होते हुए भी किसान लोग भली प्रकार से अपना कार्य चला रहे हैं। हमें यह देखना है कि इन नये उपायों को अपनाकर उनकी स्थिति में हम किस प्रकार सुधार कर सकते हैं। अब तक हमारे यहां जितनी भी सहकारी समिति आदि बनी हैं उनके कार्य को देखने से पता चलता है कि वे ठीक से कार्य नहीं कर रही हैं। सुना है कि सहकारी संगठन में कुछ गोलमाल भी हुआ है।

योजना आयोग ने सन् १९५६ में सहकारी खेती पर एक पुस्तक प्रकाशित की है जिसमें बताया है कि सहकारी खेती में अधिक सफलता नहीं मिली है। मैलम्य डार्लिंग ने भी अपने प्रतिवेदन में सहकारी खेती के बारे में कुछ आशाजनक मति नहीं दी है। किन्तु चीन को जो भारत का प्रतिनिधि मंडल गया था उसका कहना है कि सहकारी खेती को कुछ सफलता मिल सकती है। इस सम्बन्ध में समय समय पर भी लेख प्रकाशित होते रहते हैं। किन्तु फिर भी इस विषय में कोई प्रगति नहीं हुई है।

सहकारी विधि सम्बन्धी समिति ने अपना प्रतिवेदन दे दिया है। किन्तु उस समिति में कोई गैर-सरकारी सदस्य नहीं था अतः इसे कोई अधिक सफलता नहीं मिली है।

इन सब बातों से हमें कुछ सबक होना चाहिये। सब से पहिली बात तो यह है कि इस बारे में राज्य सरकारों द्वारा विधि बनानी चाहिये। क्योंकि भारत सरकार तथा योजना आयोग इन राज्य सरकारों को काफी वित्तीय सहायता देते हैं। अतः यह विधि शीघ्रताशीघ्र बनानी चाहिये। दूसरे इसकी पूर्त्ति के लिये हमें काफी मात्रा में योग्य और शिक्षित कर्मचारियों को रखना चाहिये। हालांकि भारत सरकार तथा रिजर्व बैंक ने कुछ प्रशिक्षण पाठ्यक्रम चालू किये हैं किन्तु वे

[श्री उ० च० पटनायक]

बहुत छोटे हैं। किन्तु ये पाठ्यक्रम तो ऋण समितियों के बारे में है। कृषि सहकारिता के बारे में कोई बल नहीं दिया गया है। अखिल भारतीय सहकारिता संघ ने गैर सरकारी कर्मचारियों के लिये एक छोटे प्रशिक्षण पाठ्यक्रम को आयोजित किया था। मेरा निवेदन तो यह है कि प्रशिक्षित व्यक्तियों की संख्या में वृद्धि करनी चाहिये। इस सिलसिले में विश्वविद्यालयों, प्रौढ़ शिक्षा केन्द्रों की सहायता लेनी चाहिये। ब्लाक (विकास खंडों) के पदाधिकारियों को प्रशिक्षण देना चाहिये। गांव के स्कूलों के अध्यापकों की सेवाओं को भी इसके लिये लेना चाहिये। पारस्परिक सहायता कार्यों के लिये लोक सहायक सेना का उपयोग करना चाहिये। विश्व विद्यालयों के छात्रों का उपयोग उनके अवकाश के दिनों में करना चाहिये।

मशीनीकरण तथा ट्रैक्टरों के प्रयोग के बारे में मैं यह चेतावनी देना चाहता हूं कि आप जितना अधिक इसका प्रयोग करेंगे उतनी ही अधिक जीप, और ट्रक आदि की आपको आवश्यकता पड़ेगी और उनके आयात के लिये, आपको विदेशी विनिमय चाहिये। इसके अतिरिक्त मशीनीकरण में पुर्जे आदि की कठिनाई भी आयेगी। इसके अलावा ट्रेक्टर आदि के प्रयोग करने से हमारे यहां का पशुधन जो अब खेती करने के काम आता है बेकार हो जायेगा और उसका कोई सदुपयोग नहीं हो सकेगा।

†**उपाध्यक्ष महोदय :** प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ।

†**श्री आचार :** इस प्रस्ताव का अभिप्राय तो यह है कि देश में भूमि सुधार कार्यक्रम और कृषि विकास कार्यक्रम में सहकारी खेती को प्राथमिकता दी जायेगी। यदि आप संविधान की अनुसूची सात देखें तो आपको ज्ञात हो जायेगा कि यह राज्य के कार्यों के अन्तर्गत आता है। साथ ही दूसरी अनुसूची की अविष्टि २ से भी यह स्पष्ट हो जाता है कि यह विषय राज्य सरकार का है। सहकारिता विधि के समय भी तत्सम्बन्धी संशोधन इसी आधार पर रद्द कर दिया गया था। इस प्रस्ताव का प्रभाव कृषि पर पड़ेगा और इसमें विशेष रूप से सहकारी खेती और कृषि विकास का उल्लेख है; इसलिये यह विषय इन अनुसूचियों में आ जाता है और इस पर यहां चर्चा नहीं हो सकती।

†**उपाध्यक्ष महोदय :** ये सब अनुसूचियां और सूचियां संविधान के अनुच्छेद २४६ के अन्तर्गत बनाई गई थीं, जो इस प्रकार है :

> "खंड (२) और (३) में किसी बात के होते हुए भी संसद् को सप्तम अनुसूची की सूची (१) में प्रगणित विषयों में से किसी के बारे में विधि बनाने की अनन्य शक्ति है . . ."

इसी प्रकार अन्य सूचियों के बारे में उपबन्ध हैं।

विधान मंडल की शक्ति विधान बनाना होती है, लेकिन हम उन विषयों पर विधान नहीं बना रहे है। फिर, हमने योजना आयोग बनाया जो कृषि विकास सम्बन्धी तथा अन्य योजनाओं का निर्माण करता है। इसलिये सूची को प्रविष्टियों के अन्तर्गत इस संकल्प पर विचार करना या इसे पारित करना नियम-विरूद्ध नहीं होगा। मैं माननीय सदस्य के तर्क से सहमत नहीं।

अब मैं संशोधनों को लेता हूं। पहला संशोधन श्री पु० र० पटेल का है क्या वे इसे प्रस्तुत करना चाहते हैं।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री पु० र० पटेल** (मेहसाना) : जी हां।

†**उपाध्यक्ष महोदय :** आपका संशोधन नियम विरूद्ध है क्योंकि वह प्रस्ताव के क्षेत्र से बहुत आगे बढ़ गया है। यही बात श्री दा० रा० चावन् के संशोधन की है ।

†**श्री रघुवीर सहाय** (बदायूं) : मैं अपना संशोधन संख्या २ प्रस्तुत करता हूं।

†**श्री श्रीनारायण दास** (दरभंगा) : मैं अपना स्थानापन्न प्रस्ताव संख्या ४ प्रस्तुत करता हूं ।

†**श्री नि० वि० माईति** (घाटल) : मैं अपना स्थानापन्न प्रस्ताव संख्या ५ प्रस्तुत करता हूं ।

डा० राम सुभग सिंह (सहसराम) : मैं अपना स्थानापन्न प्रस्ताव संख्या ७ प्रस्तुत करता हूं । मैं प्रस्ताव करता हूं :

'कि मूल संकल्प के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाये, अर्थात्

"यह सभा सिफारिश करती है कि अगले तीन वर्षों में देश भर में सेवा सहकारिता समितियां गठित करने और सामान्यतया सहकारिता की भावना को बढ़ाने के लिये यथासम्भव सब प्रयत्न किये जायें, जिससे कि सम्बन्धित लोगों द्वारा जहां कहीं भी उपयुक्त स्थिति हो, वहां स्वेच्छा से सहकारी फार्म स्थापित किये जा सकें ।"'

†**श्री मोहम्मद इमाम** (चितलद्रुग) : मैं अपना स्थानापन्न प्रस्ताव संख्या ९ प्रस्तुत करता हूं ।

†**श्री रा० च० शर्मा** (ग्वालियर) : मैं अपना स्थानापन्न प्रस्ताव संख्या १० प्रस्तुत करता हूं ।

†**श्री झूलन सिंह** (सीवन) : मैं अपना स्थानापन्न प्रस्ताव संख्या १३ प्रस्तुत करता हूं।

†**श्री विभूति मिश्र** (बगहा) : मैं अपने स्थानापन्न प्रस्ताव संख्या १४ और १५ प्रस्तुत करता हूं ।

†**श्रीमती इला पालचौधरी** (नव द्वीप) : मैं अपना स्थानापन्न प्रस्ताव संख्या १६ प्रस्तुत करती हूं ।

†**उपाध्यक्ष महोदय :** यह सभी संशोधन और मूल संकल्प सभा के सामने हैं।

†**श्री नागी रेड्डी** (अनन्तपुर) : मुझे प्रसन्नता है कि इस विषय पर सभा में विवाद आरम्भ किया गया। बड़ी ही अजीब बात है कि भूमि सुधारों की हमारी नीति का बड़े जोर शोर से विरोध किया जा रहा है । गृह-युद्ध तथा रक्तपात की धमकियां दी जा रही हैं। किसानों को भड़काया जा रहा है कि उनका अस्तित्व इन सहकारी खेती के सुधारों की आड़ में समाप्त किया जा रहा है । परन्तु इसके विपरीत सत्तारूढ़ दल ने इस नीति का प्रतिपादन करके समाजवाद की ओर नया कदम उठाया है और देश में समाजवाद की स्थापना ही हमारा लक्ष्य है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री नागी रेड्डी]

श्री मसानी का कहना है कि हमारे देश में केवल १४ प्रतिशत भूमिहीन मजदूर हैं तथा शेष किसान हैं। परन्तु मैंने कृषि श्रम जांच आयोग के प्रतिवेदन में लिखा देखा है कि हमारे देश के ६६.९ प्रतिशत किसानों के पास १५ प्रतिशत भूमि है। और जिस व्यक्ति के पास आधा अथवा एक एकड़ भूमि है उसको किसान कहना ठीक नहीं होगा। इस आधार पर यदि हम कृषि मजदूरों की गणना करें तो पता लग जाता है कि केवल १४.५ प्रतिशत किसानों के पास ४.५ प्रतिशत भूमि है। इसलिये जब तक अधिक भूमि को भूमिहीनों में वितरित नहीं किया जायेगा तब तक सहकारी खेती की बातें करना ही निरर्थक है। इसीलिये सब से पहले यह आवश्यक हो जाता है कि सहकारी खेती की ओर किसानों की उत्सुकता बढ़ाई जाये।

आज हम जानते हैं कि गांवों में बहुत सी सहकारी समितियां इसीलिये अच्छी तरह से काम नहीं कर रही हैं क्योंकि इनमें जमीदार, ऋणदाता तथा व्यापारियों का आधिपत्य है। यदि हम सहकारी खेती भी इसी प्रकार की करना चाहते हैं तो मुझे पूरा विश्वास है कि इसके सुन्दर लाभ नहीं होंगे। इसीलिये हम चाहते हैं कि सब से पहले भूमिहीन मजदूरों में अधिक भूमि का वितरण कर के भूमि सुधार शीघ्रता से किये जायें।

गत अवसर पर हमें बताया गया कि सभी देशों में सहकारी खेती असफल रही है। श्री मसानी ने श्री गोमुल्का का नाम बार बार लिया है कि वह सहकारी खेती के विरोधी हैं। परन्तु मैंने जो कुछ पढ़ा है उसके अनुसार मुझे तो पता लगता है कि उन्होंने यही कहा है कि सहकारी खेती को राज्य सहायता तथा किसानों के सहयोग से आगे बढ़ाया जा सकता है। इसलिये किसी व्यक्ति को अपने विचार के अनुकूल बातों को ले कर उसके द्वारा कही गई सभी बातों पर ध्यान न लाना ठीक नहीं है।

इसलिये मेरा सरकार से अनुरोध है कि भूमि वितरण तथा भूमि सुधारों के कार्यक्रम को धीरे धीरे बढ़ाते जाने से तो मुझे विश्वास है एक दिन हम सहकारी खेती करने की पद्धति का अपना लक्ष्य पूरा कर लेंगे।

†**डा० राम सुभग सिंह :** मैंने श्री पटनायक के संकल्प पर जो संशोधन प्रस्तुत किया है उससे मेरा उद्देश्य यह है कि आगामी तीन वर्षों में किसानों में सेवा सहकारिता समितियों को बनाया जाना चाहिये जिससे जहां कहीं भी उचित हो वहां पर सहकारी खेती संगठित हो सके। हम खेती की अपनी परिवार पद्धति को बदलना चाहते हैं क्योंकि हमारा कृषि उत्पादन बढ़ नहीं रहा है। कृषि उत्पादन में कमी के साथ साथ खाद्यान्नों के मूल्यों में भी बहुत बढ़ोत्तरी हो गई है। इन कारणों से समस्त जनता में ऐसी भावना फैलती जा रही है कि यदि हम कृषि के ढांचे में परिवर्तन कर दें तो खाद्यान्नों का उत्पादन बढ़ जायेगा और मूल्य कम हो जायेंगे। इसीलिये हमारे सामने एक यही सस्ता अच्छा उपाय आया कि सहकारी खेती को प्रोत्साहित किया जाये तथा खाद्यान्नों के वितरण के लिये इनका राज्य व्यापार किया जाये।

अब मैं देश की कृषि की दशा के बारे में कुछ कहना चाहता हूं। जैसा कि बताया जा चुका है हमारे ५९.१ फारम ५ एकड़ से कम के हैं। इसलिये किसानों को यंत्र आदि एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने में काफी समय बरबाद करना पड़ता है। यदि हम

†मूल अंग्रेजी में

चकबन्दी कर दें तो समय को बचाया जा सकता है। बम्बई, पंजाब उत्तर प्रदेश में चकबन्दी की तो जा रही है परन्तु उसकी बड़ी धीमी प्रगति है । इस योजना की क्रियान्विति में शीघ्रता की जानी चाहिये ।

आज यदि आप गांवों में जा कर देखें तो आपको पता लगेगा कि धीरे धीरे किसान आज भी मिल कर सहकारिता के आधार पर खेती करते हैं। परन्तु भूमि का उत्पादन तभी बढ़ाया जा सकता है जब और सुचारू रूप से संगठन करके, किसानों के लिये खाद तथा सिंचाई आदि की व्यवस्था की जाये । ऐसा संगठन सरकार द्वारा ही बनाया जा सकता है। इसलिये सरकार को सहकारिता का प्रचार किसानों में करना चाहिये उनको इसके लिये प्रोत्साहित करना चाहिये और अपनी इस नीति को दृढ़ निश्चय के साथ आगे बढ़ाना चाहिये । जिससे देश में खाद्यान्नों का उत्पादन बढ़े ।

श्री वाजपेयी (बलरामपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं श्री पटनायक के प्रस्ताव का विरोध करने के लिए खड़ा हुआ हूं ......

उपाध्यक्ष महोदय : इसीलिये तो मैंने आपको बुलाया है ।

श्री वाजपेयी : मेरा निवेदन यह है कि देश की आज की परिस्थिति में सहकारी खेती न तो व्यवहारिक है और न वांछनीय है । यदि यह कहा जाये कि सहकारी खेती का उद्देश्य उत्पादन में वृद्धि करना है तो मेरा निवदन है कि इस बात को तो सभी स्वीकार करेंगे कि परिवर्तन के काल में उत्पादन घटेगा और उसके परिणामस्वरूप जो कठिनाइयां उत्पन्न होंगी, शायद उनका सामना हम ठीक तरीके से नहीं कर सकेंगे ।

दूसरी बात जो मैं कहना चाहता हूं वह यह है कि हमारे देश में कृषि की भूमि कम है और जनसंख्या अधिक है। स्पष्ट है कि यदि हमें कृषि का उत्पादन बढ़ाना है तो हमें कम से कम ज़मीन में अधिक से अधिक पैदा करने का प्रयत्न करना चाहिये । अभी तक का अनुभव यह है कि जिस मात्रा में किसान की खेती बढ़ती जाती है उस किसान की नज़र में उस खेती के एक एकड़ की क़ीमत उतनी ही कम होती जाती है । अगर हम घनी खेती करना चाहते हैं जिसके कि बिना देश की खाद्य समस्या का कोई हल नहीं है तो घनी खेती का एक ही अर्थ है कि हम ऐसे बड़े फ़ार्म्स बनाने को निरुत्साहित करें जिनकी कि पूरी तरह से देखभाल नहीं की जा सकती ।

अगर हम बड़े पैमाने पर खेती करेंगे तो हमें खेती का यंत्रीकरण करना पड़ेगा। अभी हमारे एक कम्युनिस्ट दोस्त ने यंत्रीकरण की वकालत की है, मशीनीकरण, मिकेनाइज़ेशन की वकालत की है । मेरा निवेदन है कि खेती का यंत्रीकरण करने से हम कुछ लोगों को जो कि आज कृषि पर निर्भर करते हैं, उनको हम कृषि से अलग कर देंगे । प्रश्न यह है कि उन्हें फिर कहां खपाया जायेगा ?

अभी डा० राम सुभग सिंह कह रहे थे कि सरकार ने कुटीर उद्योगों की तरफ ध्यान नहीं दिया । मेरा निवेदन है कि अगर आप सहकारी खेती करेंगे तो गांवों में बेकारी बढ़ेगी। अगर उन कामों से निकले हुये लोगों को गृह-उद्योगों में खपाने की आपकी कोई योजना हो जो कि अभी तक दिखाई नहीं देती तो मैं कहना चाहूंगा कि सहकारी खेती बेकारी की समस्या को उग्र करने में सहायक होगी ।

खेती का यंत्रीकरण हमारे देश में आज की परिस्थिति में, जब कि हम विदेशों से बड़ी मात्रा में माल आयात कर रहे हैं, शायद ठीक नहीं होगा । बैल की जगह ट्रैक्टर का प्रयोग मनुष्य को तो

[श्री वाजपेयी]

बेकार बनायेगा ही, मगर साथ ही जमीन की उत्पादन क्षमता को भी कम करता जायेगा। उत्तर प्रदेश के राजस्व मंत्री चौधरी चरण सिंह जी ने एक पुस्तक लिखी है कोआपरेटिव फार्मिंग के बारे में। उसमें उन्होंने यह आंकड़े दे कर सिद्ध किया है कि बैल की तुलना में अगर ट्रैक्टर से खेती होगी तो धीरे धीरे जमीन की उत्पादन क्षमता कम होती जायेगी। फिर ट्रैक्टर बनाने का सवाल है, वह काहे से चलेंगे ? मेरा निवेदन है कि हम ट्रैक्टर और बैल की उपयोगिता पर विचार करें। ट्रैक्टर तेल पीता है और धुवां निकालता है। तेल हमारे देश में पैदा नहीं होता, धुयें का हमारे पास कोई उपयोग नहीं है। और बैल घास खाता है, गोबर करता है। ये दो आर्थिक चक्र हैं, तेल, ट्रैक्टर, धुवां, और घास, बैल और गोबर। हमारी जो पुरानी अर्थ व्यवस्था है वह एक दूसरे पर निर्भर है। घास हमारे यहां अपने आप पैदा होती है, उसे खाकर बैल खेती करता है, फिर गोबर करता है। फिर उससे घास पैदा होती है, जिसे बैल खाता है और खेती करता है। इस तरह से घास, बैल और गोबर एक ही जंजीर की तीन कड़ियां हैं। और ट्रैक्टर ? तेल है ईरान में, ट्रैक्टर है हिन्दुस्तान में और धुवां है आसमान में। तीनों के बीच में कोई संगति नहीं है। तो मेरा कहना है कि खेती का यंत्रीकरण भारत के हित में नहीं है। हमें उसको निरुत्साहित करना चाहिये। लेकिन सहकारी खेती में यंत्रीकरण अनिवार्य है।

एक और आपत्ति की बात है। ये सहकारी समितियां कौन बनायेगा। अभी तक हमारे देश में कर्जा देने के लिये सहकारी समितियों का जो अनुभव है वह अच्छा नहीं है। यह तो ठीक है कि कर्जे के लिये, बीज के लिये, खाद के लिये हम सेवा-सहकार समितियां बनायें। मेरा उनसे विरोध नहीं है। लेकिन इस सम्बन्ध में भी अभी तक जो काम हुआ है उसे संतोषजनक नहीं कहा जा सकता और अगर हम भूमि को मिलायेंगे, भूमि को मिला कर खेती करने की बात करेंगे, तो उस कार्य के लिये जो सेवा-सहकार समितियां बनेंगी, धीरे धीरे उन पर नौकरशाही का प्रभाव बढ़ता जायेगा, धीरे धीरे वे सरकार के नियंत्रण में आती जायेंगी और सहकारी खेती के द्वारा भारत का किसान, किसान, जो अपना स्वतंत्र पेशा करता है, वह किसी सरकार का नौकर नहीं है, न किसी पूंजीपति का गुलाम, वह किसान भी सरकारी मशीन का एक पुरजा बन जायेगा।

अब यह कहा जाता है कि सहकारी खेती में शामिल होने के लिये किसानों से जबर्दस्ती नहीं की जायेगी। मेरा निवेदन है कि अगर आप जबरदस्ती नहीं करेंगे तो किसान सहकारी खेती में शामिल नहीं होगा। इसलिये ईमानदारी का तकाजा तो यह है कि आप खुले खुले शब्दों में कहें कि हमें जबरदस्ती करनी पड़ेगी, और मैं कहना चाहता हूं कि योजना आयोग ने पहले से ही अपनी रिपोर्ट में लिख रखा है कि शासन की ओर से प्राप्त होने वाली सुविधायें सहकारी खेती को ही मिलनी चाहियें। जो किसान सहकारी खेती में शामिल नहीं होगा, उस किसान को आप ऋण नहीं देंगे, पानी नहीं देगें बीज नहीं देंगे, उसके मार्ग में अनेकों कठिनाइयां उत्पन्न करेंगे और उसे विवश हो कर सहकारी खेती में शामिल होना पड़ेगा। और कांग्रेस की भूमि सुधार समिति ने भी इस बात को लिखा हुआ है कि यदि स्वयं स्फूर्त प्रयत्नों का कोई दृष्य परिणाम नहीं निकला तो अनिवार्यता की पद्धति अपनानी पड़ेगी। दुनिया के किसी देश में सहकारी खेती ......

एक माननीय सदस्य : यह कौन सी रिपोर्ट में लिखा है ?

श्री वाजपेयी : कांग्रेस की लैंड रिफार्म कमेटी ने लिखा है। आप उसकी रिपोर्ट पढ़ लें। मैं आपको दे सकता हूं।

दुनिया के किसी देश में सहकारी खेती बिना सरकारी दबाव के सफल नहीं हुई है। और हम इस बात को नहीं भूल सकते कि हमारा देश एक लोकतंत्री देश है। यहां विरोधी दल है, समाचार-पत्र हैं। उनकी आलोचनायें होंगी।

चीन का उदाहरण दिया जाता है। चीन में तानाशाही है, वहां विनायकवाद है। वहां विरोध के लिये कोई स्थान नहीं है। आज जो सहकारी खेती का समर्थन करते हैं, वही बेटरमेंट लेवी के खिलाफ़ हिन्दुस्तान में आन्दोलन भी करते हैं, और यह सारे आन्दोलन आपको भुगतने पड़ेंगे। सहकारी खेती को सफल करने के लिये जैसा शासन तंत्र चाहिये वह शासन तंत्र आज हमारे पास नहीं है। जो चकबन्दी गांवों में हुई है आप उसका अध्ययन करें। चकबन्दी अच्छी चीज़ है। सब उसका सिद्धान्ततः समर्थन करते हैं। उसके सम्बन्ध में कोई विरोध नहीं है। मगर चकबन्दी में भी कितना भ्रष्टाचार हुआ है। किसानों के मन में यह कितनी अनिश्चितता उत्पन्न करेगा। अगर आप विचार करेंगे तो आपको कुछ कल्पना हो सकती है कि सहकारी खेती को कार्यान्वित करने में हमें कितनी कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा।

मैं अन्त में यह जानना चाहता हूं कि वस्तुतः सहकारी खेती का उद्देश्य क्या है। कभी कहा जाता है कि सहकारी खेती का उद्देश्य उत्पादन बढ़ाना है, और कभी कहा जाता है कि कम्युनिज्म आ रहा है, उसे रोकने के लिये हम सहकारी खेती करना चाहते हैं।

एक माननीय सदस्य : यह कौन कहता है ?

श्री वाजपेयी : मैं नहीं समझता कि कम्युनिज्म के तरीकों को अपना कर हम कम्युनिज्म को कैसे रोक सकते हैं।

एक माननीय सदस्य : अखबार में छपा है कि अर्थ मंत्री या वित्त मंत्री ने ऐसा कहा है।

†**वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) :** यह समाचार गलत था।

श्री वाजपेयी : अगर वह गलत है तो मुझे खुशी है। उपाध्यक्ष महोदय, मैंने आपसे निवेदन किया कि सहकारी खेती के परिणामस्वरूप हमारे देश में लोकतंत्र की जड़ें कमजोर होंगी। गांवों में एक अव्यवस्था उत्पन्न होगी, बेकारी में वृद्धि होगी और किसान अपनी मेहनत से कम से कम जमीन में अधिक से अधिक अनाज पैदा करने की उसकी प्रेरणा नष्ट हो जायेगी। जमीन का हमारे किसान के साथ बड़ा गहरा सम्बन्ध है। भारत का किसान अपनी जान दे देगा मगर जमीन नहीं देगा, और अगर जबरदस्ती सहकारी खेती थोपना चाहेंगे, तो उसके परिणाम अच्छे नहीं होंगे। इन शब्दों के साथ मैं इस प्रस्ताव का विरोध करता हूं।

†**श्री जगन्नाथ राव** (कोरापट) : श्री पटनायक, अपने संकल्प में सहकारी कृषि को भूमि सुधारों में सब से ऊंची प्राथमिकता देना चाहते हैं। यह ठीक है कि इसकी उपेक्षा नहीं की जा सकती। आज की हमारी आयोजित अर्थ व्यवस्था में उसका विशेष महत्वपूर्ण स्थान है। इसका कृषि विकास तथा देश की जनता के बहुमत पर बहुत ही गहरा प्रभाव होने जा रहा है। औद्योगिक विकास भी बहुत सीमा तक खाद्य उत्पादन पर आश्रित रहता है। अतः भूमि सुधारों के दो लक्ष्य हैं। प्रथम यह कि कृषि उत्पादन की रुकावटें दूर हों और दूसरा यह कि कृषि अर्थ व्यवस्था का विकास कर उत्पादन की योग्यता और स्तर ऊंचा किया जाये। सहकारिता के लिये सब से प्रथम बात यह है कि विकास की आवश्यकताओं को पूरा करके उसके योग्य वातावरण निर्मित किया जाये। सहकारी संस्थाओं को भी आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक स्थिति के अनुसार ही अपने आप को बनाना पड़ता है। लोगों की तबियत और विचार धारा का भी ध्यान रखना पड़ता है। नागपुर प्रस्ताव के अनुसार भी सहकारी कृषि की ओर शनः शनैः बढ़ने को कहा गया है एक दम ऐसा करना संभव नहीं।

†मूल अंग्रेजी में

[श्री जगन्नाथ राव]

जोत की अधिकतम सीमा और सहकारी कृषि सम्बन्धी नागपुर कांग्रेस के प्रस्ताव इसी बात के द्योतक हैं कि हजारों भूमिहीन किसानों का एक व्यक्ति के प्रयत्नों द्वारा हजारों लोगों को रोजगार नहीं दिया जा सकता । अतः इसका एक ही विकल्प था कि सहकारी कृषि अपनाई जाये ।

आज जो देश की खाद्य स्थिति है उसके अनुसार आवश्यकता इस बात की है कि तुरन्त कार्यवाही की जाय । यदि प्रत्येक गांव में सहकारी कृषि आरम्भ हो जाय तो निस्संदेह कृषि उत्पादन देश में बहुत बढ़ जायेगा । देश में संयुक्त सहकारी खेती पर तो मतभेद है परन्तु देश में उत्पादन बढ़ाने के लिये सेवा सहकारिता समितियों का महत्व सभी स्वीकार करते हैं । इसी के द्वारा सहकारी खेती का अन्तिम लक्ष्य प्राप्त किया जा सकता है । कांग्रेस और योजना आयोग ने भी इस का समर्थन किया । आयोग का मत था कि ३००० सहकारी संस्थायें स्थापित होनी चाहियें । अन्त में इससे प्रभावित हो कर लोग संयुक्त सहकारी कृषि को अपना लेंगे ।

सेवा सहकारिता का कार्यक्रम सभी विचारधाराओं के लोगों को स्वीकार कर लेना चाहिये । इससे हम उत्पादन बढ़ाते हुये, लोगों का जीवन स्तर ऊंचा कर अन्त में सहकारी कृषि का लक्ष्य प्राप्त कर लेंगे । परन्तु हमें क्रमशः इस दिशा की ओर चलना है । योजना आयोग ने सहकारी खेतों के काम का देश भर में अध्ययन किया । लोगों में सहयोग की भावना का अभाव है और सहकारी संस्थायें नौकरशाही वातावरण में चल रही हैं । हमें लोगों को सहकारिता के अभ्यस्त बनाना होगा । उनमें इसके प्रति विश्वास की भावना भरनी होगी, तभी ये सहकारिता समितियां सफल हो सकेंगी ।

कहा गया है कि इस सहकारी कृषि द्वारा अप्रत्यक्ष रूप में साम्यवाद लाया जा रहा है । यह गलत है । देश में ७० प्रतिशत लोग कृषि से अपना जीवन व्यतीत करते हैं और १९ प्रतिशत लोग भूमिहीन हैं । सब मिल कर काम करेंगे तो हमारी आर्थिक दशा सुधर सकती है और अधिक उत्पादन का लक्ष्य भी प्राप्त किया जा सकता है । अतः मैं कह सकता हूं कि सहकारी कृषि के सम्बन्ध में विरोधियों का दृष्टिकोण ठीक नहीं । जिन किसान भूस्वामियों का श्री रंगा ने उल्लेख किया है, वे यदि चाहे तो इसमें सम्मिलित न हों । उन्हें कोई मजबूर नहीं करेगा । सहकारी कृषि के मामले में कोई दबाव से काम नहीं लिया जायेगा । इसके लिए वातावरण निर्माण करते हुए हमें नागपुर प्रस्ताव के अनुसार इस दिशा में शनैः शनैः आगे बढ़ना है । अतः मैं श्री पटनायक के संकल्प को ठीक नहीं समझता इसके विपरीत डा० राम सुभग सिंह का संशोधन आज की आवश्यकताओं के अनुसार है ।

†**श्री पु० र० पटेल** : कहा गया है कि उत्पादन बढ़ाने के लिए सहकारी कृषि को अपनाना आवश्यक है । यह बात गलत है । ११ करोड़ एकड़ भूमि बिना सिंचाई के पड़ी है । पहले उसका तो कुछ किया जाना चाहिए । उसकी ओर तो किसी ने ध्यान ही नहीं दिया । इसी प्रकार करोड़ों एकड़ फसलों वाला क्षेत्र भी बिना सिंचाई के पड़ा है।

इसके अतिरिक्त यह भी युक्तियां दी जाती हैं कि देहातों में हजारों मजदूर पड़े हैं उनका क्या बनेगा । सहकारी ढंग से अधिक उत्पादन होगा, परन्तु यह सब अधिक उत्पादन व्यक्तिगत और निजी प्रयत्नों से ही सम्भव है । हम इस मामले में चीन की नकल नहीं कर सकते । हमें इस देश में लोक तंत्रीय ढंगों को अपना कर जो सबसे अच्छी बात है वह करनी चाहिए । यह भी नहीं कहा जा सकता कि किसानों को इससे अधिक मिलेगा ।

†मूल अंग्रेजी में

अनुभव द्वारा देखा गया है कि युगोस्लाविया और पोलैंड में भी सहकारी कृषि का प्रयोग सफल नहीं हुआ। इससे उत्पादन नहीं बढ़ा। इन लोगों को सहकारी कृषि का मार्ग छोड़ पुनः पुराने ढंग पर ही आना पड़ा। आंकड़ों से यह भी प्रकट है कि अमरीका का उत्पादन चीन और रुस और अन्य इसी प्रकार के देशों से कहीं अधिक है।

(**अध्यक्ष महोदय** पीठासीन हुए)

एक बात स्पष्ट है कि इससे उत्पादन तो बढ़ेगा नहीं परन्तु लोकतंत्रीय व्यवस्था अवश्य समाप्त हो जायेगी।

†**प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू)** : यह बड़ी प्रसन्नता की बात है कि माननीय सदस्य ने यह संकल्प सभा के समक्ष रखा है। मैं यह भी कहूंगा कि मुझे इस बात से कुछ संतोष ही हुआ है कि सहकारिता और सहकारी कृषि के इस विषय का सभा में कुछ सदस्यों द्वारा और बाहर भी कुछ लोगों द्वारा विरोध किया गया, क्योंकि यदि इस प्रकार के प्रस्ताव को चुपचाप स्वीकार कर लिया जाता, तो उससे यह मालूम होता कि उस विषय पर भली प्रकार विचार नहीं किया गया। इसलिए मैं उन माननीय सदस्य को बधाई देना चाहता हुं वह इस समय वह सभा में उपस्थित नहीं हैं—जिन्होने इसका विरोध करते हुए यहां उन विचारों को व्यक्त किया, जिन्हें शायद इस सभा ने पहले कभी नहीं सुना होगा।

मैं इस चर्चा का स्वागत इसलिए करता हूं कि हम चाहते हैं कि इस विषय को भली प्रकार समझा जाये, क्योंकि यह बहुत महत्वपूर्ण विषय है और उसे यों ही स्वीकार कर लेना ठीक नहीं है

मैं यह कहना चाहूंगा कि यद्यपि इसके विरोध में सभा में बहुत कुछ कहा गया औंर जोरदार शब्दों का प्रयोग किया गया, परन्तु फिर भी इसके विरोध में दिये गये तर्क अथवा औचित्य को मैं नहीं समझ सका। यह ठीक है कि प्रत्येक नई चीज के सम्बन्ध में कुछ कठिनाई होती है क्योंकि उसकी हमें आदत नहीं होती, उसके सम्बन्ध में कुछ शंकायें मन में उठती है। इस चीज का तो, जब कभी कोई कदम आगे बढ़ाया जाता है, सामना करना ही पड़ता है। परन्तु इस विषय के सम्बन्ध में जो विरोध किया गया और जो तर्क दिये गये मैं उन्हें नहीं समझ सका।

आखिर हम चाहते क्या हैं? मोटे तौर से यह कहा जा सकता है कि हम अपनी जनता के के रहन–सहन का स्तर ऊंचा उठाना चाहते हैं, अपना उत्पादन बढ़ाना चाहते हैं और अपनी कृषि अर्थ-व्यवस्था का पुनर्गठन करना चाहते हैं ताकि उत्पादन बढ़ सके और देश का हित हो सके। हम ऐसी सामाजिक व्यवस्था लाना चाहते हैं जिसमें हम अपने सामाजिक उद्देश्यों को प्राप्त कर सकें। इस समस्या को सोचने के अनेक दृष्टिकोण हो सकते हैं। ये तो सकारात्मक दृष्टिकोण हुए, अब नकारात्मक दृष्टिकोणों की परीक्षा कीजिये क्योंकि जो माननीय सदस्य इसका विरोध करते हैं वे शायद इसी दृष्टिकोण से ऐसा कर रहे हैं।

नकारात्मक दृष्टिकोण यह है: ऐसा मत कीजिये, यह चीज खतरनाक है; लोग इसे पसन्द नहीं करेंगे; इससे कठिनाई उत्पन्न होगी और कभी–कभी यह भी कहा जाता है कि इससे उत्पादन भी कम हो जायेगा। ठीक है, यदि हमारे किसी कार्य से उत्पादन कम होता है, तो वह गलत है, क्योंकि हमारा लक्ष्य तो उत्पादन बढ़ाना है और सहकारी कृषि का समर्थन हम इसीलिए करते हैं, कि अन्य बातों के अतिरिक्त उससे उत्पादन भी बढ़ेगा। यदि कोई इस विषय पर बहस करना चाहता है तो उसे तथ्य और आंकड़ों द्वारा अपने पक्ष का समर्थन करना चाहिए

†मूल अंग्रेजी में

[श्री जवाहरलाल नेहरू]

इससे कोई फायदा नहीं कि मैं एक बात कह रहा हूं और एक दूसरे माननीय सदस्य उसको काट दें। हमें आंकड़ों के आधार पर, वैज्ञानिक तर्क के आधार पर इसे समझना चाहिये।

परन्तु फिर भी मैं चाहता हूं कि यह सभा एक मिनट के लिए इसके नकारात्मक पहलुओं पर विचार करे। यदि हम ऐसा कदम नहीं उठाते, तो हमारी कृषि व्यवस्था और ग्रामीण अर्थ-व्यवस्था का क्या हाल होगा, यदि हम छोटे-छोटे खेत बने रहने दें और किसान जिन कठिनाइयों से अपनी जिन्दगी गुजार रहे हैं—यह बात दूसरी है कि कहीं किसी की हालत कुछ अच्छी या कुछ अधिक बुरी हो सकती है, लेकिन सामान्य तौर से सब ही किसान बस पेट ही पाल रहे हैं—तो यदि उन्हें ऐसा ही रहने दें तो स्थिति में सुधार नहीं हो सकता।

यह ठीक है कि यदि राज्य सहायता करे, अच्छे बीज दिए जायें और अच्छे तरीके अपनाये जायें तो उत्पादन बढ़ सकता है, यद्यपि श्री वाजपेयी अच्छे तरीकों को पसन्द नहीं करते क्योंकि वैसा करना उनकी राय में यंत्रीकरण हो जायेगा। यदि अच्छे हल का प्रयोग किया जायेगा तो वह यंत्रीकरण समझा जायेगा।

†**श्री वाजपेयी :** मैं ट्रैक्टरों के प्रयोग के विरुद्ध हूं।

†**श्री जवाहरलाल नेहरू :** ट्रैक्टर का अर्थ तो अनिश्चित है। पता नहीं माननीय सदस्य छोटे-छोटे ट्रैक्टरों के विरुद्ध हैं या बड़ों के। कुछ ट्रैक्टर बहुत बड़े आकार के होते हैं और कुछ छोटे आकार के।

खैर, मैं नकारात्मक दृष्टिकोण की बात कर रहा था। यदि स्थिति को वैसे ही बना रहने दिया जाता है, तो इसका मतलब यह है कि हम अपने किसानों और देश की गरीबी को खत्म नहीं करना चाहते। इसका यही मतलब होगा कि हम इस गरीबी की हालत को बनाये रखना चाहते हैं।

इसलिये पहली बात हमें यह सोचनी है कि जैसी स्थिति अभी है उसे वैसा नहीं रहने दिया जा सकता। हम इस बात को कभी नहीं सोच सकते कि भारत के लोगों या किसानों की गरीबी की हालत वैसी ही बनी रहे। यदि श्री मसानी के विचारों को स्वीकार कर लिया जाये तो नग ों अथवा उद्योगों का भले ही कुछ हो—चाहे वे प्रगति करे या न करें—लेकिन इतना तो जरूर है कि भारतीय किसान सदा गरीबी में ही फंसा रहेगा। कुछ माननीय सदस्य बिना सोचे विचारे वैसा भले ही कहें, परन्तु यदि वे विचार करें तो मैं समझता हूं कि इसे कोई भी स्वीकार नहीं करेगा।

इसलिए नकारात्मक दृष्टिकोण को स्वीकार नहीं किया जा सकता। सकारात्मक दृष्टि-कोण ही यानी खाद्यान्नों का उत्पादन बढ़ाने, कृषि अर्थ व्यवस्था का सुधार करने आदि का ही दृष्टिकोण अपनाया जाना चाहिये। ऐसा सिर्फ एक ही तरीके से हो सकता है, अन्य किसी तरीके से नहीं।

एक बात और है। यह तो ठीक है कि हम रुस या चीन या यूगोस्लाविया या पोलैंड या अमरीका की स्थिति की पारस्परिक तुलना करें, लेकिन मैं यह नहीं समझ सकता कि उन देशों में जो कुछ किया गया है, उसका हम फायदा क्यों न उठायें। मैं नहीं जानता कि इस तरह का डर

†मूल अंग्रेजी में

क्यों पैदा होता है कि इस तरह का कदम उठाने से हम वैसी ही चीज करेंगे जो चीन में हुई हैं और उसके करने से हम बर्बाद हो जायेंगे। मैं चीन की आधारभूत विचार धारा से सहमत नहीं लेकिन जो उनको अच्छा लगता हो, वे उसे करें और हमें जो अच्छा लगता है हम उसे करेंगे, क्योंकि हम किसी दूसरे देश की आधारभूत विचारधारा से सहमत नहीं। लेकिन मैं इतना जरूर मानता हूं। कि यदि कोई देश कोई अच्छा काम करता है, चाहे वह अमरीका हो या चीन या रुस या पोलैंड या कोई और देश, तो हमें उससे सीखना चाहिये, उसका फायदा उठाना चाहिये और जरूरत हो तो उसकी नकल भी करनी चाहिये।

लेकिन यह जरूर है कि हमें इस बात का ध्यान भी रखना चाहिये कि जो कुछ करे वह भारत की परिस्थितियों के उपयुक्त हो। हमें संसार के अनुभव के आधार पर अपनी नीतियां निर्धारित करनी हैं। अपनी नीतियों को निर्धारित करने में हमें यह ध्यान रखना होगा कि आखिर में सामाजिक प्रगति किसी क्षेत्र की भौतिक परिस्थितियों पर निर्भर करती है। यदि देश की भौतिक परिस्थिति अनुकूल न हो तो सफलता नहीं मिल सकती।

मुझे तनिक भी सन्देह नहीं है कि सहकारी समितियां और सहकारी कृषि सही उपाय है और इनको हमें अपना लक्ष्य बनाना चाहिये। इसके सम्बध में जो कुछ आपत्ति उठाई जा सकती है वह यही हो सकती है कि हमारे देश की इस समय की भौतिक परिस्थिति उस के लिये यह कहां तक उपयुक्त है? यह कहा जा सकता है कि जब तक वैसा करने के लिये प्रशिक्षण प्राप्त व्यक्ति नहीं होंगे, तब तक कुछ नहीं हो सकता, केवल इस प्रकार का कानून पारित करने से उद्देश्य पूर्ति नहीं हो सकती। ये अलोचनायें तो ठीक हैं, लेकिन इन कठिनाइयों को दूर करने के लिये कार्यवाही हो सकती है, लोगों को प्रशिक्षण देकर या अनुकूल परिस्थितियों को पैदा करके। यह बात अलग है। लेकिन यह कहना ठीक नहीं है कि सहकारी कृषि हमारे देश के लिये, हमारे लोगों के लिये उपयुक्त नहीं है; यह एक नई चीज है जिसको हमारे लोग अपना नहीं सकेंगे, इसलिये इसको नहीं किया जाना चाहिये, यह सब कहना निरर्थक है। यह गलत रवैया है और अगर आप इसे मानते हैं तो इसका मतलब यह है कि आप इसे भी मानते हैं कि हमारा देश गरीबी में फंसा रहे क्योंकि जब तक आप नई चीजें नहीं करेंगे तब तक तरक्की नहीं करेंगें।

दूसरी ओर यह कहना भी ठीक नहीं होगा कि चूंकि सहकारी कृषि अच्छी चीज है, इसलिये कल ही उसे सारे देश में लागू कर दिया जाये क्योंकि ऐसा करना मुश्किल है। वैसा करने के लिये हमें लोगों को तैयार करना होगा, उन्हें अपने पक्ष में लाना होगा।

फिर स्वेच्छा का प्रश्न है, किसानों से इसमें शामिल होने के लिये जबरदस्ती करने या न करने का प्रश्न है जिस पर शायद श्री वाजपेयी ने बहुत बल दिया। यह एक बेढ़ब सा प्रश्न है। जब तक हमारा लोक-तंत्रात्मक संविधान, वर्तमान रूप में, हमारे देश में लागू है तब तक इस प्रकार के भय की कोई गुंजाइश नहीं है। इतना ही नहीं, मैं तो यह कहूंगा कि भारत में जो परिस्थिति हैं, उसको देखते हुए इस प्रकार का परिवर्तन जबरदस्ती करके लाया ही नहीं जा सकता। आप कानून बना सकते हैं, लेकिन उस कानून को अमल में लाने के लिये आपको सैंकड़ों और हजारों लोगों की जरूरत होगी। वरना, चाहे आप थोड़ी जबरदस्ती भी करें तो भी कामयाब नहीं होंगे।

इसके अलावा, कुछ लोगों का यह कहना कि एक किसान सारे गांव को आगे बढ़ाने से रोक सकता है, बिल्कुल बेकार सी बात है। मैं इस चीज को बिल्कुल नहीं मानता। यदि हम इस बात को मान लें तो फिर तो कोई भी कानून नहीं बन सकेगा। मान लीजिये किसी गांव की सहकार समिति कोई काम करना चाहती हो और एक आदमी उसका विरोध करे, तो इस तर्क के अनुसार वह समिति असमर्थ हो जायेगी। इस प्रकार कोई भी सहकारी समिति, पंचायत अथवा विधान मंडल नहीं चल सकेगा।

[श्री जवाहरलाल नेहरू]

प्रजातंत्र का तात्पर्य यह नहीं है कि एक मनुष्य समस्त समुदाय को रोके रख सकता है। इसलिये इस प्रकार का कार्य मूल रूप से केवल स्वकृति से ही किया जा सकता है, चाहे वह स्वीकृति उत्साह से दी जाये या अन्यथा।

फिर श्री वाजपेयी ने यह भी कहा कि अनेक प्रकार के दबाव डालें जायेंगे, जैसे पानी बन्द करने की धमकी दी जा सकती है। मैं स्पष्ट बता देना चाहता हूं कि यदि हम किसी नीति को ठीक समझेंगे तो हम उस नीति के पक्ष में हर तरह का बढ़ावा देंगे। उसमें दबाव डालने का कोई सवाल नहीं है। पानी आदि बन्द करना तो अनुचित दाबव होगा। इस प्रकार की कार्यवाही हम नहीं करना चाहते, हम तो लोगों को बढ़ावा देंगे, जैसे आजकल अधिक उत्पादन करने वाले किसान को पुरस्कार देते हैं, अथवा उसे भारत यात्रा कराते हैं। सही काम के लिये हम इस प्रकार से बढ़ावा देते हैं। क्या आप चाहते हैं कि हम सुस्त अथवा खराब काम करने वाले या पिछड़े हुए किसान को, जो जमाने से बहुत पीछे चलता हो, पुरस्कार दें?

†**श्री पु० र० पटेल** : किसी एक प्रकार के किसान को ही इस तरह बढ़ावा देना क्या भेदभाव नहीं होगा?

†**श्री जवाहरलाल नेहरू** : भेदभाव अवश्य होगा परन्तु अच्छे कार्य के लिये अच्छा काम करने वाले को या अधिक उत्पादन करने वाले को कुछ पुरस्कार मिलना ही चाहिये। इस प्रकार का भेदभाव तो उचित है। मैं चाहता हूं कि इस प्रकार का भेदभाव तो समस्त कारखानों, फार्मों, सरकारी नौकरियों में भी किया जाना चाहिये। परन्तु सरकारी नौकरियों में वैसा करना कुछ कठिन है, क्योंकि वहां तो हर चीज टाइमस्केल से चलती है।

मैं बिना किसी असम्मान की भावना के यह निवेदन करना चाहता हूं कि इन प्रश्नों पर गलत ढंग से विचार करके हम कुछ गड़बड़ में पड़े हुए हैं। लोग पूछते हैं यूगोस्लाविया ने क्या किया? किसी अन्य देश ने क्या किया? हम पूछते हैं कि क्या यह प्रजातंत्र है? ठीक है यूगोस्वाविया, रूस, चीन, अमेरिका, ब्रिटेन अथवा जर्मनी के अनुभव से लाभ अवश्य उठाना चाहिये परन्तु उन्हें मानदंड बनाने से कोई लाभ नहीं होगा। हमें भारत की परिस्थिति का विचार करना चाहिये। केवल कृषि की परिस्थिति ही नहीं, वरन् जनता की भी। जहां तक सिद्धान्त का प्रश्न है मुझे इसमें तनिक भी संदेह नहीं कि सहकारिता मनुष्य के प्रायः हर कार्यक्षेत्र में अच्छी होती है— सिर्फ कला क्षेत्र को छोड़कर क्योंकि वह ऐसा कार्य है जो व्यक्तिगत रूप से अधिक अच्छा हो सकता है। अन्य सब क्षेत्रों में सहकारिता ही अच्छी चीज है। सिद्धान्तः उसमें कोई सन्देह नहीं हो सकता। हां, यह कहा जा सकता है कि व्यवहार में संभवतः लोग उसे स्वीकार न करें। परन्तु जहां लोग घने बसे हों, वहां यह जिन्दगी का अच्छा और एक बहुत जरूरी तरीका है। जब आबादी धनी न हो और लोग छितरे छितरे बसे हुए हों, तब तो अलग-अलग खेतों का आकार भी बड़ा हो सकता है, जैसा वैदिक युग में था। तब लोगों की संख्या से भूमि कहीं अधिक थी इसलिये वे तरीके उस वक्त ठीक थे। आज जैसी परिस्थिति नहीं लायी जा सकती, क्योंकि अब जनसंख्या बहुत बढ़ गई है। उस समय आबादी आज की अपेक्षा बहुत कम थी। अब परिस्थिति बदल गयी है, इसलिये पुराना तरीका नहीं चल सकता। मैं कह सकता हूं कि अब सहकारी प्रणाली के अतिरिक्त और कोई प्रणाली उपयुक्त नहीं हो सकती। सहकारिता अनेक प्रकार की हो सकती है। सेवा सहकारिता समितियां, उनमें से एक है और ये भी अनेक प्रकार की हो सकती हैं। इसके अलावा संयुक्त कृषि

†मूल अंग्रेजी में

प्रणाली है, जिसके भी अनेक रूप हैं। जहां तक अलग अलग खेतों का प्रश्न है यह कोई बुरी चीज नहीं है, लेकिन जब लोग कम हों और भूमि अधिक हो तब ही वह ठीक है। या फिर जमीदारी अथवा जागीरदारी प्रणाली है जिसमें एक व्यक्ति के पास तो बहुत भूमि होगी और बहुत से किसान उसकी गुलामी में रहेंगे। यह निश्चित है कि इसको तो आप स्वीकार नहीं कर सकते; अब अगर आपके यहां लोग बहुत हैं और जमीन कम, तो फिर जितनी भूमि है उसको बांटने में एक व्यक्ति को इतनी कम भूमि मिलती है जिससे उसका निर्वाह होना बहुत कठिन होगा और जनसंख्या की वृद्धि के साथ यह कठिनाई और भी बढ़ती जायेगी। इसलिये यह हल भी ठीक नहीं माना जा सकता।

ठीक हल दो तरह से हो सकता है। एक है सहकारिता या सहकारी कृषि और दूसरा तरीका है लोगों को खेती से हटाकर उद्योगों में लगाना——चाहे वह उद्योग किसी भी आकार का हो। जैसा बहुत से माननीय सदस्य जानते हैं, हमारे देश के इतिहास की एक विशेषता कृषि करने वाले लोगों और नगरीय जनसंख्या का अनुपात है और उसका बदलते रहना है। योरुप के प्रायः सभी औद्योगिक देशों में १९वीं सदी में नगरीय जनसंख्या बढ़ी है। 'नगरीय' से मेरा तात्पर्य उद्योगों में लगी जनसंख्या से है। कृषि करने वालों की संख्या कहीं ५०:५० कहीं ६०:४० और कहीं ४०:६० रह गयी। अमेरिका में तो उनकी संख्या और है। परन्तु भारत में समस्त १९वीं सदी में और २०वीं सदी में भी कुछ समय तक ग्रामीण जनसंख्या बढ़ती रही और कलकत्ता तथा बम्बई जैसे नगरों की स्थापना के बावजूद भी नगरीय जनसंख्या कम होती गयी।

इसका मतलब क्या है ? स्पष्ट है कि कार्य के अवसरों की कमी के कारण, औद्योगिक कार्यों की कमी के कारण ही लोग भूमि की ओर झुकते गये। परन्तु भूमि खाली नहीं थी। उसमें पहले ही बहुत लोग खेती कर रहे थे। अतः भूमि पर जनसंख्या का भार बढ़ता रहा और भारत की गरीबी का यही मुख्य कारण है। इसलिये हमें लोगों को भूमि से हटाकर उनके लिये दूसरे धन्धों की व्यवस्था करनी है। हटाने से मेरा तात्पर्य यह नहीं, कि उन्हें कलकत्ता अथवा बम्बई ले जाया जाये, वरन् यह कि उनको औद्योगिक धन्धों में——चाहे उद्योग बड़ा हो या छोटा——लगाया जाये। यह एक पहलू है।

दूसरा पहलू है भूमि की समस्या को सहकारिता के आधार पर हल करना। मेरे विचार से यह दृष्टिकोण तर्क संगत, वैज्ञानिक तथा उचित है। इसके अतिरिक्त इससे हमारे दूसरे लक्ष्य अर्थात्, भूमि से उत्पादन बढ़ाने में भी सहायता मिलती है। यह स्पष्ट है कि यदि अन्य बातें समान हों, और अच्छे तरीके काम में लायें जायें तो उत्पादन अधिक होगा। सारे संसार के अनुभव से हम यही सीखते हैं।

परन्तु अच्छे तरीकों का योग भूमि के छोटे छोटे टुकड़ों पर नहीं किया जा सकता। जिस किसान के पास सैकड़ों एकड़ भूमि हो, वही अच्छे तरीकों का उपयोग कर सकता है। मेरा तात्पर्य ट्रैक्टरों से नहीं है क्योंकि मेरे विचार से भारत की वर्तमान परिस्थिति में उनका बड़े पैमाने पर प्रयोग नहीं किया जा सकता। इसका मतलब यह नहीं कि मैं ट्रैक्टरों का विरोधी हूं। उनका प्रयोग अवश्य किया जाना चाहिये परन्तु वर्तमान परिस्थिति में नहीं। अभी मैं अच्छे औजारों और अच्छे तरीकों की बात कर रहा हूं। छोटी भूमि पर इनका प्रयोग करना संभव नहीं है। एक तो छोटे काश्तकार के पास संसाधन नहीं होते, दूसरे उसकी मानसिक पृष्ठ भूमि ऐसी नहीं होती, कि वह उनका प्रयोग कर सके। इसलिये इन तरीकों का उपयोग करने के लिये हमारे लिये बड़े खेत बनाना आवश्यक है।

मेरा अपना विचार तो यह है कि बहुत बड़े खेत नहीं होने चाहिये, यद्यपि बड़े क्षेत्र से अधिक उत्पादन होगा। उदाहरण के लिये इसमें सन्देह नहीं कि १०,००० एकड़ या २०,००० एकड़ के सरकारी फार्म में अच्छा उत्पादन होगा।

†श्री पु० र० पटेल : राजस्थान में तो इसमें सफलता नहीं मिली है।

†श्री जवाहरलाल नेहरू : माननीय सदस्य ने अच्छी याद दिलाई। राजस्थान में इसके परिणाम बहुत अच्छे रहे हैं और मैं अगले हफ्ते उन्हें देखने के लिये जा रहा हूं। लगभग चार दिनों के अन्दर ही मैं वहां जाने वाला हूं। वहां भूमि केवल ५००० एकड़ थी परन्तु जिन लोगों ने उसे देखा है, उन्होंने मुझे बताया कि बड़े आश्चर्यजनक परिणाम रहे हैं। जो फसल सामान्यतः ४ फीट ऊंची होती है वह वहां १० फीट ऊंची हुई है। परन्तु मैं उसकी सिफारिश नहीं कर रहा, सिवाय इसके कि हमें कुछ सरकारी फार्म्स बनाने चाहिये। हम कृषि अर्थ व्यवस्था की सामान्य प्रणाली के रूप में उसकी सिफारिश नहीं कर रहे हैं। लेकिन इसका कारण उत्पादन का अधिक न होना नहीं है। वरन कुछ माननीय तथा अन्य बातों के कारण, जिन्हें हम नहीं जानते, हम वैसा नहीं कर रहे हैं : लेकिन मैं इतना ज़रूर समझता हूं कि जहां संभव हो, लोगों को असुविधा पहुंचाये बिना सरकारी फार्म बनाये जा सकते हैं, बनाये जाने चाहियें। थोड़े से ऐसे फार्म बनाये जाने चाहिये जहां प्रयोग किये जा सकें और जहां ज्यादा अनाज पैदा किया जा सके जिसका संकट काल में उपयोग हो सके। खैर यह तो अलग बात है। हमारा उद्देश्य ऐसी कृषि व्यवस्था बनाना है जिसमें गांव के आधार पर सहकारिता द्वारा संगठित छोटे खेत हों। मेरी राय में खेत बहुत अधिक बड़े नहीं होने चाहिये क्योंकि मैं समझता हूं कि यदि बहुत ज्यादा बड़े होंगे तो सहकारिता-कार्य सफलतापूर्वक नहीं चल सकता। वस्तुतः सहकारिता का अभिप्राय एक ऐसे बड़े परिवार से है जिसमें उत्तरोत्तर वृद्धि होती रहती है।

यहां मैं सभा को और श्री वाजपेयी को बताना चाहूंगा कि एक बड़ा हिन्दू परिवार सहकारी संस्था नहीं, तो और क्या है। एक बड़ा हिन्दू परिवार जो संयुक्त रूप से कृषि करता है, तो उसको आप उस क्षेत्र की एक सहकारी संस्था के अतिरिक्त और क्या कहेंगे ? आप इस विचार को जरा विस्तृत रूप दीजिये और सम्पूर्ण गांव को एक परिवार मान लीजिये। अतः सहकारी खेती की भावना कोई नयी बात नहीं है। यह कोई क्रांतिकारी बात नहीं है बल्कि उसी छोटे से विचार का का विस्तृत रूप है।

मैं नहीं चाहता कि इस सहकारिता को एक या दो गांवों से अधिक बड़े क्षेत्र में फैलाया जाये, क्योंकि उससे मूल बात यानी परस्पर एक दूसरे को जानने की बात ही नष्ट हो जायेगी। यदि इसका क्षेत्र बड़ा होगा तो ऐसे लोग भी इसमें आ जायेंगे, जिनसे लोगों का परिचय नहीं होगा। इससे दो चीजें हो सकती हैं ; एक तो यह कि अधिकारियों का दखल हो सकता है और मैं नहीं चाहता कि इस काम में अधिकारी बीच में आ जायें। दूसरी कठिनाई यह हो सकती है कि गांवों के उस समूह के कुछ तेज़ लोग दूसरों पर हावी हो जायें और उनका शोषण करने लगें। वैसे तो लगभग प्रत्येक लोकतंत्रात्मक व्यवस्था में यह खतरा रहता ही है पर छोटे गांव में लोग एक दूसरे को जानते हैं और अब भी उनके सम्बन्ध परिवार के सदस्यों जैसे ही हैं। वे जानते हैं कि कौन व्यक्ति अच्छा है और कौन बुरा। तो विचार यह है कि एक गांव का, और यदि गांव बहुत छोटा है तो दो गांवों को मिला कर, उनका एक सहकारी एकक बने और ऐसे १२ एककों को मिला कर आर्थिक और अन्य कार्यों के लिये एक सहकरी संघ बने। हो सकता है कि एक छोटा एकक इन कार्यों के लिये सलर्थ नहीं लेकिम एक सहकारी संघ इसके लिए समर्थ होगा और वह छोटे एककों की सहायता कर सकेगा और यदि ये संयुक्त खेती करना आरम्भ कर दें, तो बहुत ही अच्छी बात है। पर इसके लिये किसी को बाध्य नहीं किया जा सकता क्योंकि मेरे विचार में इसके लिये जरूरी है कि लोगों में स्वयं भावना उत्पन्न पैदा हो, एक मनोवैज्ञानिक वातावरण तैयार हो और वह यह जानें कि इसे कैसे अमल में लाया जाये।

---

†मूल अंग्रेजी में

जहां तक इसे अमल में लाने का प्रश्न है, मैं समझता हूं कि लोगों को, बहुत सारे लोगों को इस कार्य का प्रशिक्षण देना बहुत आवश्यक है। जब तक काफी संख्या में प्रशिक्षित लोग तैयार नहीं होंगे, हम कभी भी सफल नहीं हो सकते। प्रशिक्षण का अर्थ यह है कि केन्द्रीय सरकार, राज्य सरकारें तथा सामुदायिक विकास आन्दोलन मिल कर विभिन्न स्तरों पर इस कार्य को अपने हाथ में ले कर आगे बढ़ें। सब से पहले हम थोड़े से बहुत अच्छे व्यक्तियों को, जो विशेषज्ञ हों, प्रशिक्षण दे कर तैयार करें अपने यहां के कृषि कालेजों तथा अन्य ग्रामीण संस्थाओं में क्लासें खोल कर इसका विशेष प्रशिक्षण दिया जा सकता है। अभिप्राय यह है कि हर राज्य में थोड़े से ऐसे व्यक्ति तैयार किये जायें, जिन्हें विषय का पूर्ण ज्ञान तथा अनुभव हो। उसके बाद ऐसे लोग हों जिन्हें काफी अनुभव हो, चाहे उनका स्तर इतना ऊंचा न हो। फिर पंच और सरपंच आते हैं जिन्हें सहकारी समितियों तथा सामुदायिक विकास आन्दोलन द्वारा प्रशिक्षण दिया जाये। इस प्रकार समस्त कार्य के लिये प्रशिक्षण का एक विस्तृत आधार तैयार किया जाये।

उसके बाद मनोवैज्ञानिक वातावरण तैयार करने की बात सामने आती है। यदि सेवा सहकारिता समितियां बना कर काम शुरू किया जाता है और उनको आरम्भ करने का काम सफलतापूर्वक चलता है, तो आगे का काम एक छोटा काम रह जायेगा। सहकारी समितियां ही निर्णय करेंगी कि आगे का कार्य कैसे चलाया जाये, हम या संसद इसमें कोई हस्तक्षेप नहीं करेंगे। यदि सेवा सहकारिता समितियां हमारी सहायता चाहेंगी, तो हम उनकी सहायता करने का प्रयत्न करेंगे। पर निर्णय तो उन्हें स्वयं ही करना होगा, अपने स्वयं अर्जित अनुभव के आधार पर, इस आधार पर कि इन समितियों का काम कैसे चलता है और जिन क्षेत्रों में संयुक्त खेती होती हो वहां कैसे काम हो रहा है।

मैं मानता हूं और मेरा विश्वास भी हो गया है कि उत्पादन बढ़ाने, तथा धीरे-धीरे जाति भेद को दूर करने के लिये और अन्य कई कारणों से संयुक्त खेती उपयोगी है। इसको अपनाने से समाज के सारे ढांचे में परिवर्तन होगा लेकिन धीरे-धीरे, अचानक या एकदम नहीं। इस प्रकार सहकारी संस्था, पंचायत तथा गांव की अन्य संस्थाओं के काम करने से हमारे समाज का वास्तविक लोकतंत्रात्मक आधार तैयार होगा। इस बात पर चाहे आप इस दृष्टिकोण से विचार करें कि आप किसान के रहन-सहन के स्तर को ऊंचा उठाना चाहते हैं या इस विचार से कि आप अपने उद्देश्यों के अनुसार अपने समाज का ढांचा बनाना चाहते हैं, आप देखेंगे कि इस कार्य प्रणाली का अपनाना वांछनीय ही है। मेरे कहने का यह मतलब नहीं है कि यह कोई बहुत आसान काम है। यह कठिन काम है, इसके लिये हमें मेहनत करनी होगी, लाखों व्यक्तियों से मिलना जुलना तथा उन्हें समझाना होगा तथा एक उदार व विस्नत दृष्टिकोण अपनाना होगा।

भारत जैसे देश के लिये मैं नहीं चाहता कि हमारे दृष्टिकोण या उपायों में कोई कठोरता व अपरिवर्तनशीलता हो। भिन्न-भिन्न स्थानों व स्थितियों के अनुसार भिन्न दृष्टिकोण व उपाय अपनाने होंगे। अतः इसमें कोई कठोरता या अपरिवर्तनशीलता नहीं होनी चाहिये। मैं नहीं चाहता कि किसी भी स्तर पर दृष्टिकोण की कठोरता बढ़ती जाये। सर्वप्रथम सेवा सहकारिता समितियों के स्तर पर मैं नहीं चाहता कि हमारे उपायों तथा दृष्टिकोणों में कोई कठोरता हो। फिर संयुक्त खेती समितियों के स्तर पर भी, मैं चाहता हूं कि एकदम ही सब सेवा सहकारिता समितियां संयुक्त खेती समितियां नहीं बन सकतीं ; संयुक्त खेती समितियां धीरे-धीरे ही बनेंगी। इस प्रकार एक समय अयेगा जब दोनों प्रकार की समितियां सफलतापूर्वक चल सकेंगी और इससे अनुभव भी बढ़ेगा।

(श्री जवाहरलाल नेहरू)

मैं बताना चाहता हूं कि सिद्धान्त की दृष्टि से, अधिक उत्पादन करने के हेतु संयुक्त खेती अधिक लाभदायक है ; सामाजिक दृष्टि से अधिक उपयोगी है तथा इसमें कृषि के उन्नत तरीकों का उपयोग किया जा सकता है। अभी मेंड़ों आदि में जो बहुत सारी भूमि बरबाद होती है, उसका लाभ उठाया जा सकेगा, जिससे उस क्षेत्र की आय बढ़ेगी ।

सभा को स्मरण होगा कि हमने कहा है कि भूमि का स्वामित्व सुरक्षित रहेगा। कुछ लोग कहते हैं कि यह केवल एक बहलावा है और यदि हम चाहें, तो भी ऐसा नहीं कर सकेंगे। भविष्य के सम्बन्ध में मैं कैसे कह सकता हूं ? भूमि स्वामित्व की धारणा एक विचित्र धारणा है और वह विभिन्न कालों में भिन्न-भिन्न मानी जाती रही हैं। आचार्य विनोबा भावे का कहना है कि भूमि पर कोई स्वामित्व होना ही नहीं चाहिये। मैं इसे मानता हूं और यदि ऐसा हो जाये तो मैं बहुत प्रसन्न होऊंगा। पर आज ऐसा नहीं हो सकता । मैं जानता हूं कि आज ऐसा होना संभव नहीं है और न मैं इस के लिये आग्रह करता हूं। पर स्वामित्व की धारणा एक काल्पनिक व अदृश्य धारणा है। मान लीजिए कि एक बहुत बड़ी जमीदारी है, एक लिमिटेड कम्पनी है जिसके शेयर हैं किसी आदमी का उस में १० प्रतिशत का अंश है। पर वह यह नहीं कह सकता कि भूमि का अमुक भाग मेरा है । लेकिन फिर भी भूमि के उस १० प्रतिशत भाग का वह स्वामी है और लाभांश भी पाता है । तो स्वामित्व इस प्रकार रहता ही है। आज जो देश औद्योगिक दृष्टि से पिछड़े हुये हैं, उन के लिये भूमि का बहुत बड़ा महत्व है। पर वहां उद्योग की उन्नति होती है वहां स्वामित्व एक अंश या शेयर के रूप में ही रह जाता है और एक काल्पनिक धारणा बन जाता है। अभिप्राय यह है कि स्वामित्व की धारणा बदल रही है लेकिन फिर भी हम एक वर्गगज भूमि से चिपके बैठे हैं और गर्व से कहते हैं कि यह भूमि मेरी है और इसे कोई नहीं ले सकता । पहले शहरों में व्यक्तिगत सड़कें व पुल होते थे पर अब सब सड़कें व पुल सार्वजनिक हो गये हैं या नगरपालिका के हो गये हैं और लोक उपयोगिता की वस्तु माने जाते हैं। रेलवे सरकारी सम्पति हो गयी है। इस प्रकार परिवर्तनशील समाज स्वामित्व के आधार को भी बदल देता है। यही धीरे, धीरे होगा। हमें इस से डरना नहीं चाहिये । हमें इसका स्वागत करना चाहिए ।

मैं ने जो कुछ भी कहा, उसका संयुक्त खेती की सीमित समस्या से कोई सम्बन्ध नहीं है। यह एक सीमित समस्या है और उसका औचित्य अन्य सामाजिक दृष्टिकोणों से पृथक् निर्धारित किया जा सकता है । यह बात मैं ने इसलिये कही है कि कुछ लोगों में कुछ गलतफहमी है और वे कहते हैं कि चलो हम प्रयोग करें और देखें कि क्या परिणाम होता है । मैं यह नहीं समझता कि वे किस चीज पर प्रयोग करना चाहते हैं । भूमि पर तो हम २०,००० या १०,००० वर्षों से प्रयोग करते आये हैं। क्या कोई भी व्यक्ति यह समझता है कि सहकारी या संयुक्त खेती आरम्भ करना एक खतरनाक प्रयोग होगा जिस के परिणाम हानिकारक होंगे । मैं यह बात नहीं समझ पाता । हम सामाजिक स्वरूपों के बारे में प्रयोग करते आये हैं। उद्देश्य तो यह है कि हम वहीं पर न रहें जहां हैं, और उससे भी बुरा यह है कि हम अवनति करें। अतः ऐसा प्रयोग करना गलत बात होगी ।

आप किसी भी दृष्टिकोण से इस समस्या पर विचार करें, आप इसी निश्चय पर पहुंचेंगे कि हमारा भविष्य केवल कृषि के ही क्षेत्र में नहीं बल्कि उद्योग के क्षेत्र में भी सहकारी प्रयत्नों पर निर्भर है । इस समय हमारे सामने भूमि की समस्या है । हमें सहकारिता के काम को बढ़ाने के लिये वातावरण बनाना है , लोगों को तैयार करना है । पर ध्यान रहे कि हमें धीरे-धीरे क्रमानसार ही आगे बढ़ना है। इसी कारण मैं डा० राम सुभग सिंह द्वारा प्रस्तुत किये गये संशोधन

का समर्थन करता हूं । वैसे मूल संकल्प पर मुझे कोई आपत्ति नहीं है । उसे अधिक व्यवहारिक बनाने के लिए मैं इस संशोधन का समर्थन करता हूं । वैसे मैं मूल संकल्प को पसन्द करता यदि उसे बहुत तीव्रता से कार्यान्वित किया जा सकता । पर इस समय डा० राम सुभग सिंह का संकल्प ही अधिक व्यवहारिक है ।

श्री पटनायक ने कहा है कि इस प्रश्न का अध्ययन करने के लिए एक संसदीय समिति नियुक्त की जाये । मैं नहीं समझता कि इस स्तर पर इस से क्या लाभ होगा । हो सकता है कि किसी स्तर पर यह लाभदायक सिद्ध हो । हम इस पर सभी तरह से विचार कर रहे हैं—योजना आयोग, अखिल भारतीय कांग्रेस समिति की एक उच्च अधिकार समिति तथा सहकारिता आन्दोलन सभी इस प्रश्न पर विचार कर रहे हैं । इसके अतिरिक्त संसद् सदस्यों तथा दलों की भी समितियां हैं जो इस पर विचार कर रही हैं । ठीक है, अनौपचारिक ढंग से हमें इस पर विचार करना चाहिए । पर औपचारिक ढंग से समिति बना कर इस पर विचार करने से कोई लाभ नहीं होगा । श्री पटनायक ने श्री डार्लिंग के कथन का उल्लेख किया । श्री डार्लिंग ने जो कुछ कहा या किया या नहीं किया, वह पुरानी बात है, और अब उसका कोई महत्व नहीं है । भूतकाल में हम ने अनेक गलतियां की हैं ; ब्रिटिश काल में हमसे गलतियां हुई ; उसके बाद भी हम से गलतियां हुई । पर बीती बातों से क्या लेना है । हमें तो अब वर्तमान तथा भविष्य की चिन्ता करनी है ।

†**श्री सिंहासन सिंह** (गोरखपुर) : दूसरे योजना आयोग के प्रतिवेदन में कहा गया है कि कुछ विशेष प्रकार की भूमि पर अधिकतम सीमा लागू नहीं होगी ।

†**श्री जवाहरलाल नेहरू** : मैं इस समय इस बात का पूरा जबाब नहीं दे सकता । मैं इस बात को मानता हूं कि भूमि की अधिकतम सीमा होनी चाहिए । वास्तव में, अधिकतम सीमा, सहकारिता व राज्य व्यापार आदि परस्पर संबद्ध बातें हैं और उन्हें सम्मिलित रूप में देखा जाना चाहिए । राज्य व्यापार सहकारी समितियों के साथ पूर्णतः सफल होगा । बिना सहकारी समितियों के यह पूर्णतः सफल नहीं होगा ।

माननीय सदस्य ने दूसरी योजना तथा अधिकतम सीमा की छूट की बात भी कही । इस प्रकार के प्रश्न का उत्तर मैं "हां" या "नहीं" में नहीं दे सकता । कुछ छूट तो दी जा सकती है । इस बात पर बिचार करना पड़ेगा । इस छूट में समय समय पर फेर बदल हो सकता है । वहां छूट की तो बात कही गई है उस में उद्देश्य यही है कि हम चाहते हैं कि खाद्यान्न के उत्पादन को कोई ठेस न पहुंचने पाये और हम उन खेतों को इस मामले में नहीं लेना चाहते थे जिन में अच्छा उत्पादन हो रहा है । यह कोई स्थायी स्थिति नहीं है ।

†**श्री उ० च० पटनायक** : कुछ माननीय सदस्यों द्वारा रखे गये संशोधन में कहा गया है कि सेवा सहकारिता समितियों के साथ साथ पुनः कृषि योग्य बनाई गई भूमि तथा भूदान भूमि में उच्च प्रकार की सहकारी खेती का कार्य शुरू किया जाना चाहिये । इसके संबंध में माननीय प्रधान मंत्री का क्या कहना है ।

†**श्री जवाहरलाल नेहरू** : जी हां, जहां भी ऐसा किया जाता सकता है, अवश्य किया जाना चाहिये ।

†**श्री उ० चं० पटनायक** : प्रधान मंत्री ने संशोधन संख्या ७ को स्वीकार कर लेने की बात कही है । मैं बताना चाहता हूं कि कुछ और भी संशोधन हैं, जो बिल्कुल संशोधन संख्या ७ की ही भांति

†मूल अंग्रेजी में

[श्री उ० च० पटनायक]

हैं और उन में कुछ अन्य सुझाव भी हैं । इन सुझावों को भी माननीय प्रधान मंत्री जी ने अपने भाषण में स्वीकार कर लिया है । मैं जानना चाहता हूं कि संशोधन संख्या १० के बारे में उनके क्या विचार हैं ।

†**श्री जवाहर लाल नेहरू** : संशोधन संख्या १० में कुछ बातें ऐसी हैं, जिन के सम्बन्ध में मैं वचनबद्ध होना नहीं चाहता । पदाधिकारियों को प्रशिक्षण देने की बात ठीक है ; ग्रामदान गांवों में सहकारी कृषि आरम्भ करना मेरे विचार से ठीक बात होगी पर ग्रामदान गांवों के सम्बन्ध में मैं कुछ नहीं कह सकता उन के बारे में आचार्य विनोबा भावे बतायेंगे कि वहां क्या होगा । इसके सम्बन्ध में मेरा कुछ कहना ठीक नहीं होगा । दण्डकारणय शरणार्थियों की बस्ती है वह अभी जंगल है । वहां सहकारी खेती करना संभव नहीं होगा । अतः संशोधन जिस रूप में है, उस रूप में मैं उसे स्वीकार नहीं कर सकता ।

†**अध्यक्ष महोदय** : श्री पटनायक वाद-विवाद का उत्तर दे सकते हैं ।

†**श्री उ० च० पटनायक** : मैं सभा के सदस्यों तथा सभा नेता द्वारा इस विषय के प्रति दिखाई गयी रुचि के लिए उनका आभारी हूं । नागपुर संकल्प के प्रति देश भर में जो विवाद चल रहा था उसका समाधान इस सभा में बहुत व्यवहारिक ढंग से हो गया और इस समाधान को सभी लोग स्वीकार भी कर लेंगे । डा० राम सुभग सिंह के संशोधन को हमारे प्रधान मंत्री ने न्यूनतम विवाद ग्रस्त बताया है । मैं उनके इस कथन से सहमत हूँ । वैसे मैं चाहता था कि संशोधन संख्या १० के (क), (ख) और (ग) को भी स्वीकार कर लिया जाता क्योंकि उसमें कुछ रचनात्मक सुझाव दिये गये हैं । चूंकि प्रधान मंत्री ने कहा है कि यद्यपि ये सुझाव बहुत अच्छे हैं पर उनके संबंध में वे वचन बद्ध नहीं होना चाहते, अतः मेरा निवेदन है कि वह कम से कम मंत्रालयों तथा राज्य सरकारों के पास वे निदेश भेज दे कि संशोधन संख्या १० के (क), (ख) और (ग) में उठाई गयी बातों पर वे विचार करें । उनकी स्वीकृति के लिए ये सुझाव भेजे जाय, ताकि वे उन्हें स्वीकार कर लें ।

संशोधन संख्या ७ से मैं सहमत हूँ और मुझे आशा है कि सम्पूर्ण देश इसको सफल बनाने के लिए प्रयत्न करेगा । मैं समझता हूँ कि सरकार भी अपने सभी विभागों, केन्द्र तथा राज्यों, सरकार और जनता का सहयोग प्राप्त करने की कोशिश करेगी ताकि यह आन्दोलन सफल हो । अन्त में, हम इस कार्य को कम से कम विदेशी सहायता से पूर्ण करने का प्रयत्न करेंगे । हम अपने राष्ट्रीय संसाधनों मानवीय तथा भौतिक—को संचित करके सहकारी खेती को सफल बनायेंगे ।

†**अध्यक्ष महोदय** : अब मैं डा० राम सुभग सिह के संशोधन को मतदान के लए रखूंगा ।

प्रश्न यह है:

"कि मूल संकल्प के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाये, अर्थात्:—

"यह सभा सिफारिश करती है कि अगले तीन वर्षों में देश भर में सेवा सहकारिता समितियां गठित करने और सामान्यतया सहकारिता की भावना को बढ़ाने

†मूल अंग्रेजी में

के लिये यथासम्भव सब प्रयत्न किये जायें, जिससे कि सम्बन्धित लोगों द्वारा जहां कहीं भी उपयुक्त स्थिति हो वहां स्वेच्छा से सहकारी फार्म स्थापित किये जा सकें।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

†**अध्यक्ष महोदय** : अन्य सब संशोधन अवरुद्ध हैं।

विदेशी मुद्रा संबंधी कदाचार की जांच करने के लिए संसद् सदस्यों की समिति की नियुक्ति के बारे में संकल्प

†**श्री वें० प० नायर** (क्विलोन): मैं प्रस्ताव करता हूँ कि:

"इस सभा की यह राय है कि इस बात को देखते हुए कि विभिन्न उद्योगपतियों तथा अन्य व्यक्तियों ने विदेशी मुद्रा छिपा रखी है, संसद्-सदस्यों की एक समिति नियुक्त की जाये, जो इस बात की जांच करें और इसके बारे में प्रतिवेदन दें कि विदेशी मुद्रा के बारे में विद्यमान कदाचार को सक्रिय रूप से दूर करने के लिये क्या उपाय किये जाने चाहियें।"

†**अध्यक्ष महोदय** : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ।

माननीय सदस्य अपना भाषण अगले दिन आरंभ करें।

इसके पश्चात् लोक सभा सोमवार, ३० मार्च, १९५९/९ चैत्र, १८८१ (शक) के ग्यारह बजे तक के लिए स्थगित हुई।

---

†मूल अंग्रेजी में

दैनिक संक्षेपिका

[शनिवार, २८ मार्च, १९५९ / ७ चैत्र, १८८१ (शक)]

विषय		पृष्ठ
प्रश्नों के मौखिक उत्तर		४०३७—६३
तारांकित प्रश्न संख्या		
१५१३	दिल्ली में जल संभरण	४०३७—३९
१५१७	उड़ीसा में बाढ़ नियंत्रण . .	४०३९—४०
१५१९	गोदावरी वेली एक्सप्रेस का रोका जाना	४०४०—४१
१५२०	आरमेनियन घाट आउट-एजेन्सी .	४०४२
१५२१	मोटर परिवहन	४०४२—४३
१५२५	खाद्य जोनों में फेर बदल . . .	४०४४—४६
१५२६	डाक तथा तार कर्मचारियों को मकान किराया तथा नगर प्रतिकर भत्ता .	४०४६—४७
१५२८	कलकत्ता—अगरतला भारवाही विमान सेवा	४०४७—४८
१५२९	कांडला पत्तन में मिट्टी का इकट्ठा हो जाना	४०४८—५०
१५३०	औषधि नियम, १९४५ में संशोधन	४०५०—५१
१५३२	एक महिला यात्री पर आक्रमण	४०५२—५३
१५३३	अबाध व्यापार क्षेत्र .	४०५३—५५
१५३४	हीराकुद वर्कशाप .	४०५५—५६
१५३५	अन्तर्राष्ट्रीय चीनी करार . .	४०५६
१५३६	मेडिकल कालेज . . .	४०५६—५९
१०३१	पंजाब में बिजली	४०५९—६०
१५३१	दाल के मूल्यों में वृद्धि . .	४०६०—६१
अल्प सूचना प्रश्न संख्या		
१४	भारत-पाक नहरी पानी विवाद . .	४०६१—६३
प्रश्नों के लिखित उत्तर		४०६३—९६
तारांकित प्रश्न संख्या		
१५१४	त्रिवेन्द्रम् में छुरा मारने की दुर्घटना	४०६३—६४
१५१५	राष्ट्रीय राजपथ पर पुल	४०६४—६५
१५१६	रामपुर-हलद्वानी रेलवे लाइन	४०६५

	विषय	पृष्ठ
प्रश्नों के लिखित उत्तर--		
अतारांकित प्रश्न संख्या		
१५१८	सहकारी संयुक्त कृषि	४०६५
१५२२	रेलगाड़ी--मोटर दुर्घटना	४०६६
१५२३	नारियल उत्पादन	४०६६
१५२४	चावल कूटने का उद्योग (विनियमन) अधिनियम, १९५८	४०६७
१५२७	ताड़ गुड़ के डाक पैकेटों पर प्रतिबन्ध	
अतारांकित प्रश्न संख्या		
२३८८	उत्तर रेलवे पर डीजल गाड़ियों का चलना	४०६७
२३८९	रेवाड़ी स्टेशन . .	४०६७
२३९०	दिल्ली में केन्द्रीय सरकार के अस्पताल	४०६८
२३९१	रेलगाड़ियों में गन्दगी	४०६८
२३९२	रेलवे लाइन का टूटना	४०६८--६९
२३९३	दिल्ली में 'लकजरी' बसें .	४०६९
२३९४	दिल्ली में उचित मूल्य वाली दुकानें	४०६९
२३९५	मुसाफिर खाने	४०६९
२३९६	उड़ीसा में खाद्य को डिब्बों में बंद करने के कारखाने	४०७०
२३९७	येवला स्टेशन पर बिजली लगाना	४०७०
२३९८	हिमाचल प्रदेश में कुंए . .	४०७०--७१
२३९९	कृषि-फार्म के लिये लोहा और इस्पात का आवंटन	४०७१
२४००	उड़ीसा को अनुदान	४०७१
२४०१	उड़ीसा में कपास विस्तार योजनाय	४०७२
२४०२	उड़ीसा में जूट की खेती .	४०७२
२४०३	सहकारी प्रशिक्षण संस्था, इम्फाल	४०७३
२४०४	महिला खंड विकास अधिकारी	४०७३
२४०५	पाकिस्तान पर बिजली की बकाया रकम	४०७३--७४
२४०६	तुगलकाबाद रेलवे लाइन	४०७४
२४०७	गन्ना मूल्य निर्धारण बोर्ड	४०७४
२४०८	उत्तर प्रदेश में चीनी के कारखाने	४०७४--७५
२४०९	रिंग रोड दिल्ली	४०७५
२४१०	निर्वाचन आन्दोलन में रेलवे कर्मचारियों के भाग लेने पर प्रतिबन्ध	४०७५

	विषय	पृष्ठ

प्रश्नों के लिखित उत्तर—(क्रमश)

अतारांकित
प्रश्न संख्या

२४११	दिल्ली में "रबी" आन्दोलन	४०७५
२४१२	दिल्ली मे गांवों में जल संभरण	४०७६
२४१३	उड़ीसा में मीन क्षेत्र . .	४०७६
२४१४	कांग्रेस के नागपुर अधिवेशन के लिये विशेष प्रबन्ध	४०७६-७७
२४१५	रामपुर दौत स्टेशन पर यातायात	४०७७-७८
२४१६	बोलपुर स्टेशन पर यात्री यातायात	४०७८
२४१७	दिल्ली के ग्रामीण क्षेत्रों में युवक क्लब .	४०७८
२४१८	सिंचाई शुल्क . .	४०७९
२४१९	डाक व तार विभाग की इमारतें	४०७९
२४२०	गतायु माल-डिब्बों के स्थान पर नये डिब्बे चलाना	४०७९
२४२१	ग्रांड ट्रंक एक्सप्रेस का लेट चलना	४०८०
२४२२	बांकुड़ा स्टेशन	४०८०
२४२३	गाड़ी का पटरी से उतर जाना .	४०८०
२४२४	पश्चिमी बंगाल में मछली पकड़ने के जहाज	४०८१
२४२५	परिवार नियोजन	४०८१-८२
२४२६	भारतीय नाविकों के साथ बुरा बर्ताव	४०८२
२४२७	मनीपुर में समुसंग बंजर भूमि	४०८२-८३
२४२८	मछकुंड जल विद्युत् परियोजना	४०८३
२४२९	गाड़ी का पटरी से उतर जाना .	४०८३
२४३०	पंजाब में बिजली से चलने वाली गाड़ियां	४०८३
२४३१	मद्रास राज्य में सार्वजनिक टेलीफोन	४०८४
२४३२	कोचिंग क्लर्क . .	४०८४
२४३३	रेल कर्मचारियों को चिकित्सा सुविधायें	४०८४
२४३४	रेलवे कर्मचारियों के विरुद्ध शिकायतें	४०८५
२४३५	रेल दुर्घटना	४०८५
२४३६	माल गाड़ी दुर्घटना	४०८५-८६
२४३७	टेलीफोन के कनैक्शन	४०८६
२४३८	चलते-फिरते डाक-घर	४०८६
२४३९	डाकखानों में हिन्दी में तार भेजने की सुविधा	४०८६-८७
२४४०	गिन्डी, मद्रास, में बी० सी० जी० के टीके की प्रयोगशाला	४०८७

विषय	पृष्ठ

प्रश्नों के लिखित उत्तर—क्रमशः

अतारांकित प्रश्न संख्या

२४४१	पोतों की खरीद	४०८७
२४४२	परिवार नियोजन	४०८८
२४४३	पंजाब में उद्वहन सिंचाई	४०८८
२४४४	पंजाब में भाण्डागार	४०८८
२४४५	माल डिब्बे बनाने के लिये ठेके	४०८९
२४४६	बम्बई में नलकूप	४०८९
२४४७	इन्डामेर एयर कम्पनी	४०८९
२४४८	त्रिपुरा में ढोर	४०८९–९०
२४४९	रेलवे कर्मचारियों के बच्चों के लिये होस्टल	४०९०
२४५०	पंजाब में डाकखानों से लापता धन	४०९०
२४५१	खाद्य तथा कृषि मंत्रालय की मंत्रणा समितियां	४०९१
२४५२	पंजाब सर्किल के सार्वजनिक टेलीफोन	४०९१
२४५३	उत्तर रेलवे पर डीज़ल कारें	४०९१
२४५४	फ़ीरोजपुर डिवीजन में रेलवे डिस्पेंसिरियां	४०९१–९२
२४५५	रास्ते में खोई सम्पत्तियों के लिये दावे	४०९२
२४५६	जनांकिकीय अध्ययन	४०९२–९३
२४५७	गुना-उज्जैन लाइन	४०९३
२४५८	रेलवे कर्मचारियों के लिये 'फ्री' पास	४०९३–९४
२४५९	कर्मचारियों की पदोन्नति	४०९४
२४६०	रेलव कर्मचारियों की वरिष्ठता का निर्धारण	४०९४–९५
२४६१	पंजाब में गेहूं के भाव निर्धारित करना	४०९५
२४६२	टेलीफोन डायरेक्टरी	४०९५–९६
२४६३	केसर का उत्पादन	४०९६
२४६४	गोमांस का निर्यात	४०९६
निधन सम्बन्धी उल्लेख		४०९६–९७

अध्यक्ष महोदय ने श्री कला वेंकटराव के, जो भारत की संविधान सभा और अस्थायी संसद् के सदस्य थे, निधन का उल्लेख किया।

इसके पश्चात् सदस्य दिवंगत आत्मा के सम्मान में एक मिनट तक मौन खड़े रहे।

विषय | पृष्ठ

सभा पटल पर रखे गये पत्र ४०९८

निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे गये :

(१) दिल्ली में बाढ़ों और अन्य ऐसी ही विपत्तियों की रोक-थाम के उपायों की योजना बनाने वाली समिति के प्रतिवेदन की एक प्रति।

(२) अत्यावश्यक पण्य अधिनियम, १९५५ की धारा ३ की उप-धारा (६) के अन्तर्गत दिनांक २३ फरवरी, १९५९ की अधिसूचना संख्या जी०/एस० आर० २२० / ई० एस० एस० कोम / एस में प्रकाशित पंजाब गन्ना (गुड़ बनाने के लिये प्रयोग पर रोक) आदेश, १९५९ की एक प्रति।

(३) कृषिउत्पाद (विकास तथा भाण्डागार) निगम अधिनियम, १९५६ के अन्तर्गत निकाली गई निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति :—

(एक) जी० एस० आर० संख्या ३१८, दिनांक १४ मार्च, १९५९।

(दो) जी० एस० आर० संख्या ३१९, दिनांक १४ मार्च, १९५९।

(तीन) जी० एस० आर० संख्या ३२०, दिनांक १४ मार्च, १९५९।

प्राक्कलन समिति के प्रतिवेदन उपस्थापित ४०९९

चालीसवां और इकतालीसवां प्रतिवेदन उपस्थापित किया गया।

अनुदानों की मांगें . . . . . . ४०९९—४१३२

सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय की अनुदानों की मांगों पर चर्चा आरम्भ हुई। चर्चा समाप्त नहीं हुई।

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति का प्रतिवेदन स्वीकृत ४१३३

उनतालीसवां प्रतिवेदन स्वीकृत हुआ।

गैर-सरकारी सदस्य का संकल्प, संशोधित रूप में, स्वीकृत . . ४१३३—५३

श्री उ० च० पटनायक द्वारा १३-३-५९ को प्रस्तुत किये गये सहकारी खेती सम्बन्धी संकल्प पर अग्रेतर चर्चा जारी हुई। संकल्प, संशोधित रूप में स्वीकृत हुआ। ४१५३

गैर-सरकारी सदस्य का संकल्प विचाराधीन . . . .

श्री वें० प० नायर ने विदेशी मुद्रा सम्बन्धी कदाचार की जांच करने के लिये संसद् सदस्यों की एक समिति की नियुक्ति के बारे में संकल्प प्रस्तुत किया। चर्चा समाप्त नहीं हुई।

सोमवार, ३० मार्च, १९५९/९ चैत्र, १८८१ (शक) के लिए कार्यावलि—

सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय की अनुदानों की मांगों पर अग्रेतर चर्चा तथा इस्पात, खान व ईंधन मंत्रालय की अनुदानों की मांगों पर चर्चा।